FOR REFERENCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 26, अंक 10

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2002
4 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 54
Date 13/6/2003

(खंड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 26 जुलाई, 2002/4 श्रावण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 181, 183 और 184	1–12, 18–30
तारांकित प्रश्न संख्या 182 के बारे में	12–13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 185 से 200	30–51
अतारांकित प्रश्न संख्या 1806 से 2013	51–310
सभा पटल पर रखे गए पत्र	310–323
याचिका का प्रस्तुतीकरण	323
सभा का कार्य	323–328
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों का विनिवेश	331–344
श्री किरीट सोमैया	331, 337–343
श्री अरुण शौरी	331–336, 343–344
श्रीमती फूलन देवी, भूतपूर्व संसद सदस्य की हत्या की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में	344–345
अधिवास नीति पर झारखंड में आन्दोलन के बारे में	345–348
गुजरात की स्थिति के बारे में	348–357
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति	357–365, 365–399
श्री रामजीलाल सुमन	358–359
श्री सईदुज्जमा	359–361
श्रीमती कांति सिंह	361–363
श्री रामदास आठवले	364–365

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
	श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	366–367
	श्री चन्द्र विजय सिंह	367
	श्री ईश्वर दयाल स्वामी	367–374
	श्री चन्द्रनाथ सिंह	374–375
	श्री अर्जुन चरण सेठी	375–385
	प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	386–388
	श्री अजित सिंह	388–399
कार्य मंत्रणा समिति		
	उनतालीसवां प्रतिवेदन	365
गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प .		399–448
(एक)	आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए नीति बनाना—*वापस लिया गया*	399–434
	श्री सुबोध राय	400–402
	श्री वरकला राधाकृष्णन	402–405
	श्री रामजीलाल सुमन	406–410
	श्री चिंतामन वनगा	410–411
	श्री सुकदेव पासवान	411–413
	श्री प्रबोध पण्डा	413–414
	श्री बिक्रम केशरी देव	414–417
	श्री माणिकराव होडल्या गावित	417–418
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	419–421
	श्री रामदास आठवले	421–422
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	423–424
	श्रीमती वसुन्धरा राजे	424–431
	श्री पुन्नूलाल मोहले	432–434
(दो)	गौ हत्या पर प्रतिबंध—*विचाराधीन*	435–448
	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	435–447
	श्री भर्तृहरि महताब	447–448

लोक सभा

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2002/4 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस अनुरोध पर प्रश्न काल के स्थगन की सूचना दी थी कि हमारी कल की सूचना के बावजूद सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला है। यह 'शून्यकाल' का महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए, मैंने इस मुद्दे को शून्यकाल में उठाया था। तथापि, इसका कोई उत्तर नहीं मिला। अत:, मैंने सोचा कि यह मामला गुजरात से संबंधित इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपकी सूचना प्राप्त हो गई है और आप 'शून्य काल' में मुद्दा उठा सकते हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): रोजाना गुजरात चलाइये, सारा काम बंद कर दीजिए। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों के लिए पूंजी

*181. **डा. अशोक पटेल:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक सहकारी बैंक संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इन बैंकों को सहायता स्वरूप पूंजी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सहकारी ऋण प्रणाली व्याप्त कमियों तथा शुद्ध मालियत के ह्रास से ग्रसित है। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार 30 राज्य सहकारी बैंकों एवं 370 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 9 राज्य सहकारी बैंक तथा 139 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के उपबंध का अनुपालन नहीं कर रहे थे अर्थात इन बैंकों की शुद्ध मालियत 1 लाख रुपए से कम थी। इसका अभिप्राय यह है कि बैंक की स्वाधिकृत निधियों में ह्रास हुआ था और ये कारबार में अभिनियोजन के लिए उपलब्ध नहीं थी। अत: ऐसे सभी बैंक संसाधन में कमी का सामना कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने सहकारी ऋण प्रणाली की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने और इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपाय सुझाने हेतु अप्रैल 1999 में एक कृतिक बल ('कपूर समिति' के रूप में ज्ञात) का गठन किया था। कृतिक बल ने व्यापक स्तर पर सिफारिशें की थीं जिनकी जांच सरकार द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श करके की गई है। उपर्युक्त सम्मेलन में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री की अध्यक्षता में चुने गए राज्यों के सहकारिता मंत्रियों की एक संयुक्त समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। केन्द्रीय सरकार ने सहकारी ऋण प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए तथा इस क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

डॉ. अशोक पटेल (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष जी, देश में सहकारी बैंक्स गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। वित्तीय संकट के कारण सहकारी बैंकों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। सहकारी बैंकों में घोटालों के अनेक मामले सामने आये हैं। यदि उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सहकारी बैंक कभी भी

बंद होने के कगार पर पहुंच जायेंगे। इसलिए सहकारी बैंकों को वित्तीय संरक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि नौ राज्य सहकारी बैंक तथा 139 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11(1) के उपबंध का अनुपालन नहीं कर रहे थे, यदि ऐसा था तो उन पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई और सरकार ने ऐसे बैंकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मंत्री महोदय ने यह भी स्वीकार किया है कि सहकारी बैंक संसाधनों की कमी का सामने कर रहे हैं, परंतु उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि संसाधनों की कमी के क्या कारण हैं। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि सहकारी क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए नहीं तो इसमें ज्यादा समय लग जायेगा।

डॉ. अशोक पटेल: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह प्रावधान किन-किन राज्यों के लिए किया गया है और क्या उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है। यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त राशि का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का मेडन रिप्लाई है।

[अनुवाद]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: महोदय, यह उनका प्रथम उत्तर है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सहकारी बैंकों के संदर्भ में अपनी चिंता जताई है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। नौ राज्य सहकारी बैंकों और 139 जिला सहकारी बैंकों के संदर्भ में उन्होंने यहां चिंता जताई है। सारा सदन जानता है कि सहकारी बैंक राज्य का विषय है और बैंकिंग केन्द्र का विषय है। इन क्षेत्रों के ऊपर दोहरा नियंत्रण होता है और इस दोहरे नियंत्रण के कारण कई समस्याएं आती हैं। उत्तर में यह स्पष्ट है कि इन सहकारी बैंकों की माली हालत ठीक नहीं है। उसे देखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय किया और इस वर्ष के बजट में इस प्रकार के जो सहकारी बैंक हैं, उनकी मदद करने हेतु सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, यह किसी विशेष राज्य के लिए नहीं, बल्कि जो भी राज्य जहां सहकारी बैंक हैं या सहकारिता में बैंकिंग कारोबार चलाया जाता है, उन सभी राज्यों के लिए है। सौ करोड़ रुपये देने के लिए जो निर्देश तय किए गए हैं, उसके मुताबिक केन्द्र सरकार की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत राशि की सहायता दी जाएगी। अभी तक किसी भी राज्य से इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं आया है।

डॉ. अशोक पटेल: महोदय, क्या सहकारी बैंकों में हाल ही में हुए घोटाले को देखते हुए सरकार का सहकारी बैंकों के लिए निवेश नियम सख्त करने का विचार है और क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्देश जारी किए हैं? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहकारी ऋण प्रणाली की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए गठित कपूर समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि कुछ सहकारी बैंकों में घोटाले हुए हैं मगर यह कहना उचित नहीं होगा कि सभी बैंकों में इस प्रकार के घोटाले हुए हैं या होते हैं। इन घोटालों को देखते हुए, रिजर्व बैंक से ऐसी सूचना दी, गई है और सभी जिला राज्य सहकारी बैंकों का स्पेशल ऑडिट किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, जो कपूर कमेटी गठित की गई थी, उसकी सिफारिशें काफी लंबी हैं। मैं उनको पढ़ने में सारा समय नहीं गंवाना चाहता हूं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उन सिफारिशों को मैं उन्हें भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कम से कम ऐसे नौ राज्य सहकारी बैंकों की सूची दीजिए जिनकी स्थिति बहुत खराब है। दूसरा, जहां तक बैंकिंग अधिनियम के उपबंधों का संबंध है, इन उपबंधों का अनुपालन न करने [redacted]बैंकों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। बैंकों की पूंजी एक दिन में समाप्त नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने में कुछ समय लगना चाहिए। यदि हां, तो इसमें सुधार करने हेतु निरंतर क्या दाण्डिक अथवा प्रभावी कार्यवाही की गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं सही स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। क्या कोई निगरानी की जा रही है अथवा कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने विवरण से देखा है कि इन सभी नौ राज्य सहकारी बैंकों तथा 139 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत खराब है और आपने उनके पुनरुद्धार के

लिए 100 करोड़ रुपये दिए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे लेशमात्र समस्या अथवा बड़ी समस्या का समाधान होगा। क्या आप वास्तव में इसका पुनरुद्धार करेंगे अथवा आपने केवल सांकेतिक धनराशि दी है।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, 9 राज्य बैंक और 139 जिला बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है यह सत्य है। लिखित उत्तर में भी इसे स्पष्ट किया गया है। जो सहायता हम भारत सरकार की ओर से देने जा रहे हैं, वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण उन बैंकों की पूरी सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस राज्य सरकार की ओर से, जैसे कपूर समिति ने सिफारिशें की हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण सिफारिश है कि सहकारिता में मॉडर्न लॉज की आवश्यकता है, जो राज्य इनको स्वीकार करके केन्द्र के पास सहायता की मांग करता है, निश्चित रूप से उस राज्य को सहकारी बैंक के लिए यहां से सहायता दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इन बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए जो सहायता भारत सरकार देने जा रही है, वह केन्द्र सरकार की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य सरकारों की ओर से 40 प्रतिशत दी जानी है।

जो सहायता भारत सरकार की ओर से दी जाएगी उसकी सूचना इस प्रकार है कि भारत सरकार की जो अलग-अलग सिक्योरिटीज हैं, जो बांड्स हैं, उनके अंतर्गत जो धनराशि दी जाएगी उसे लगाना है तथा उसके ऊपर जो जो ब्याज मिलेगा, यानी जो सूद मिलेगा, उस सूद को बैंक की आय के समान समझा जाएगा और उससे जो सहायता हम कर सकते हैं, वह हम करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री राजो सिंह: सम्माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया है, उसके दो हिस्से हैं—एक हिस्सा सहकारिता से संबंधित है। सहकारिता का विभाग माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से संबंधित नहीं है। सहकारिता बैंक लोन देने की व्यवस्था करते हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, राज्यों की सिफारिश और परामर्श के बाद क्या यह निर्णय लिया गया और एक रिपोर्ट दी गई कि जो भी सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं, स्टेट कोआपरेटिव बैंक हैं, वे सारे के सारे सुपरसीडेड हैं, और उनमें प्रशासक व्यवस्था चला रहे हैं, इसलिए जब तक वहां मॉडल एक्ट के अनुसार चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक वित्त मंत्रालय बैंकों के कार्य में सुविधाजनक रूप से सहायता उपलब्ध कराने में असमर्थ होगा। अगर यह सत्य है, तो इस पर वित्त मंत्री जी क्या निर्णय लेना चाहते हैं?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है वह बिल्कुल सत्य है। केन्द्रीय सरकार की ओर से तभी सहायता दी जाएगी जब किसी राज्य सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक में कोई यदि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। यह उसकी जिम्मेदारी बनती है कि छः महने के अंदर उस संस्था के, उस बैंक के चुनाव कराए जाएं। वैसे सहकारिता राज्यों का विषय है। यदि चुनाव होंगे और चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में उस बैंक की व्यवस्था होगी अब केन्द्र सरकार की ओर से यह सहायता दी जाएगी।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: अध्यक्ष जी, आप और माननीय मंत्री जी जानते हैं कि मैं सहकारिता क्षेत्र में काम करता हूं। इसलिए मेरा प्रश्न थोड़ा लम्बा-चौड़ा होगा।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न को लम्बा-चौड़ा नहीं बना सकते हैं, यह हम जानते हैं। प्रश्न तो शॉर्ट में होना चाहिए और कोई स्पेसिफिक जानकारी लेनी चाहिए।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: अध्यक्ष महोदय, मैं शॉर्ट में पूछने की कोशिश करूंगा। जो सहकारी बैंक हैं, जो समाज के जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए वे बैंक होते हैं। कुछ बैंकों में घोटाला जरूर हुआ है, यह घोटाला कुछ व्यक्तियों ने किया है तथा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर बोर्ड को खारिज किया गया है। उसका नतीजा यह हुआ है कि उन सहकारी बैंकों में आर.बी.आई. की सिफारिश की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। यदि एडमिनिस्ट्रेटर, उस बैंक को जिसका वह प्रशासक नियुक्त किया गया है, फुल टाइम देता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ दिन के लिए ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जहां-जहां प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वहां-वहां के लोग, बैंक जैसी संस्था में जहां उन्हें प्रति दिन जाना चाहिए, 15-15 दिन तक नहीं जाते हैं। इसके कारण बैंक का काम रुक जाता है।

पहले भी घोटालों की वजह से जो बैंक डिफीकल्टी में आए या जिनके आने की संभावना है, उनसे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल यह है कि इन बैंकों के ऊपर राज्य के सहकारिता विभाग का भी नियंत्रण होता है तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया का भी नियंत्रण होता है, इन दोनों के नियंत्रण के बावजूद अगर घोटाले होते हैं, तो घोटालों के लिए दोनों संस्थाएं कुछ हद तक जिम्मेदार होती हैं।

यह मेरा सीधा आरोप है। पार्टिकुलर राज्यों में काम करने वाला जो सहकारी विभाग है, वहां बहुत भ्रष्टाचार चलता है। जो बैंक सालों से प्रॉफिट दिखाता था, वह अचानक लिक्वीडेशन में

चला जाता है। इसका मतलब है कि लेन-देन के व्यवहार से सहकारी विभाग के अधिकारी उनको वह सर्टिफिकेट दे देते हैं। इसके पूरे नियंत्रण के बारे में मंत्री जी ने बताया है कि सब बैंक लिक्वीडेशन में जाने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न थोड़ा लम्बा नहीं, बहुत लम्बा है।

...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर कभी डिसकशन नहीं होता। कभी-कभार इस संबंध में प्रश्न आता है तो उसे पूछना भी जरूरी है, ऐसा सभी सदस्य मानेंगे। ...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि मैंने जो मूल प्रश्न उठाया है कि जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है, उसके ऊपर आर.बी.आई. का नियंत्रण जरूरी है। वह रोज बैंक जाता है या नहीं, उसे सही ढंग से देखता है या नहीं और बैंक में प्रगति हो रही है या नहीं, यह सब देखना जरूरी है। जहां-जहां एडमिनिस्ट्रेटर एप्वाइंट हुए हैं, गत 20 साल का मेरा अनुभव यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से बैंक ने मात खाई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या आप पूरी इन्वेस्टीगेशन करेंगे और जो बोर्ड डिजॉल्व हुआ है, क्या उसके ऐवज में कोई पर्याय व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की व्यवस्था करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर लंबा नहीं देना है। थोड़े में भी चल सकता है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सहकारिता राज्यों का विषय है जिसका उल्लेख मैं इसके पहले भी कर चुका हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, तीनों एक ही पार्टी के हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरी कोई पार्टी नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह सीधा नहीं किया। लेकिन मुझे जो जानकारी है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र के नाकुर डिस्ट्रिक्ट बैंक, वर्धा डिस्ट्रिक्ट बैंक, उसमानाबाद डिस्ट्रिक्ट बैंक या रघुवंशी बैंक इत्यादि में घोटाले हुए हैं जिनकी जांच राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिश के मुताबिक वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स एप्वाइंट किये गये हैं। एडमिनिस्ट्रेटर राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है जिन बैंकों में घोटाले हुए हैं, उन बैंकों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो अनियमितताएं थीं, बार-बार उन अनियमितताओं को सूचित किया गया। उन्हें राज्य सरकार और राज्य सरकार के सहकारी विभाग के ध्यान में लाया गया लेकिन समय पर कार्यवाही नहीं हो पाई इसलिए ये बड़े घोटाले हुए। एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए नियुक्त किया जाता है ताकि जो अनियमितता होती है, उसे रोका जाये। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुना हुआ है, यदि उसमें कोई डायरेक्टर अपने अधिकार या पद का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये और जल्द से जल्द फिर चुना हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पर लाया जाये—यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने महाराष्ट्र के बारे में अभी उत्तर दिया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस सबंध में सरकार के पास क्या ऐसी विनती आई थी कि महाराष्ट्र में जो घोटाले हुए, वे क्या हुए और उस संबंध में सी.बी.आई. को इंक्वायरी करनी चाहिए। इस संदर्भ में मैंने मंत्री जी का स्टेटैंट पढ़ा है। वे क्या घोटाले हुए, राज्य सरकार ने क्या किया और उसमें केन्द्र सरकार की क्या भूमिका है? इसी के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमैंट में यह भी कहा गया कि-

[अनुवाद]

"एक ओर विनियामकों की भरमार है जैसे नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार का सहकारिता मंत्रालय, राज्य सरकार का सहकारिता मंत्रालय"

[हिन्दी]

उस संबंध में क्या केन्द्र सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको सिम्पलीफाई करने के लिए पूरे अधिकार आर.बी.आई. को देने का प्रावधान कर रही है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, इन बैंकों में जो घोटाले हुए हैं, विशेषकर महाराष्ट्र के कुछ जिला बैंकों में, भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार से यह रिक्वैस्ट की गई है कि यदि वे जांच करने में असमर्थ हैं तो सारे घोटाले की जांच सी.बी.आई. को सौंपी जाए।

श्री किरीट सोमैया: उनका रिस्पौंस क्या है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: उस संदर्भ में राज्य सरकार ने अभी अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है।

श्री किरीट सोमैया: मल्टीप्लिसिटी ऑफ रैगुलेटर्स के संबंध में केन्द्र सरकार क्या कोई बिल ला रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, सहकारिता राज्यों का विषय है और बैंकिंग केन्द्र सरकार से जुड़ा हुआ है। जब इस वर्ष के बजट में सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, तब कई सूचनाएं आई थीं कि सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता देते समय इक्विटी में सहायता दी जाए, लेकिन केन्द्र सरकार यह नहीं चाहती कि बैंकों के कारोबार में उसका कोई हस्तक्षेप हो। बैंकों को पूरा अधिकार होना चाहिए। जिस प्रकार कमर्शियल बैंक चल रहे हैं, कोआपरेटिव बैंकों को भी ज्यादा अधिकार होने चाहिए। राज्य या केन्द्र सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप उनमें न हो, यह भारत सरकार की भूमिका है।

श्री नरेश पुगलिया: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सप्लीमैंट्री पूछने का मौका दिया। आपको पता है कि सहकारी क्षेत्रों में खासकर महाराष्ट्र काफी आगे हैं। सैंट्रल कोआपरेटिव बैंकों में जो अनियमितताएं हुई हैं, उनमें महाराष्ट्र के कुछ मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य सरकारों ने कड़े कदम उठा कर उन्हें जेल भेजा है, उसकी सी.आई.डी. जांच भी शुरू है। किन्तु किसानों के हित में काम करने वाले, उनको ऋण देने वाले और खेती का विकास करने वाले इन महत्वपूर्ण बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई कंट्रोल न होने से, उसे स्टेट कोआपरेटिव डिपार्टमैंट डायरैक्टली कंट्रोल करता है, इसलिए जहां किसानों के हजारों-करोड़ रुपये उन बैंकों में अमानत के रूप में जमा, कई जिला बैंकों में उन किसानों के हजारों-करोड़ रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। जो अनियमितता हो रही है, उसका मुख्य कारण उनकी चुनाव पद्धति है। ताल्लुका लैवल पर जो चुनाव होते हैं, वे डायरैक्ट शेयरहोल्डर्स द्वारा न होकर, ग्राम लेवल पर क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी एक प्रतिनिधि को भेजती है। इस प्रकार गिने-चुने 50-60 लोग एक ताल्लुका में एक डायरैक्टर चुनते हैं। एक जिले में 15-16 तालुका होते हैं। 15-16 तालुका से जो 15-16 डायरैक्टर्स चुन कर आते हैं, उनके होल्डर्स की संख्या, जबकि जिले में किसानों की संख्या एक लाख से तीन लाख तक है, लेकिन उन तीन लाख लोगों को मतदान का अधिकार नहीं है, जिनका पैसा है, उन्हें अधिकार नहीं है लेकिन क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी के मैम्बर्स एक-एक होल्डर्स को पैसा देकर अपने पक्ष में वोट लेकर बैंकों में आ जाते हैं। ...*(व्यवधान)* यह महत्वपूर्ण सवाल है, किसानों के हित का है, इसलिए यह जानकारी मंत्री महोदय के सामने लाना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या चुनाव पद्धति को बदल कर आप उनमें डायरैक्ट चुनाव कराने का सिस्टम ला रहे हैं?

पार्ट 'बी' के उत्तर में मंत्री महोदय ने अभी कहा कि हम सैंटर की ओर से सौ करोड़ फाइनैंशियल असिस्टैंस बीमार और कमजोर बैंकों को दे रहे हैं। उन्होंने कण्डीशन भी रखी कि जहां इलैक्टिड बॉडी है, वहीं हम यह पैसा देंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक तरफ जिन बैंकों में इलैक्टिड बॉडी हैं और उस बॉडी द्वारा अनियमितता के कारण आप एडमिनिस्ट्रेटिव एपाइंट करते हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेटर अनियमितता के कारण आया है, वहां आप फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देंगे, आपकी यह जो नीति है, यह गलत है। इस पर आप उचित विचार करें। क्या इस मामले में भारत सरकार और खास करके वित्त मंत्री जी विचार करेंगे।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, कोआपरेटिव एक्ट के तहत सारी सोसायटीज की रजिस्ट्री होती है। यह सारा विषय राज्य सरकार का है और केन्द्र इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यह राज्य का विषय है। जो दूसरा प्रश्न यहां पर किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए एपाइंट किये जाते हैं कि जो अनियमितता हुई है, उसे कम किया जाये और वहां फिर से चुना हुआ बोर्ड ऑफ डायरैक्टर आये। इसके लिए भारत सरकार ने जो नीति अपनाई है, वह योग्य नीति है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं महाराष्ट्र के बाहर जाना चाहता हूं। श्री रतिलाल वर्मा।

श्री नरेश पुगलिया: यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें सैण्ट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है? इनके पास इतने विकल्प हैं, फिर क्यों इंटरवीन नहीं कर रही है? यह देश के करोड़ों किसानों से संबंधित प्रश्न है, इस का मंत्री महोदय ठीक से जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, आप इस पर हाफ-एन-ऑवर डिस्कशन दीजिए। यह महत्वपूर्ण सवाल है। ...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के पास गुजरात है। गुजरात कोआपरेटिव सैक्टर में नम्बर वन रहा है। इसी तरह कोआपरेटिव बैंकों के मामले में भी गुजरात नम्बर वन था, लेकिन 1-2 साल से कोआपरेटिव बैंकों के अन्दर जो घोटाले हुए हैं, जैसे माधवपुरा कोआपरेटिव बैंक के अन्दर घोटाला होने के कारण गुजरात के सभी कोआपरेटिव बैंक हिल गये। एक समय ऐसा आया कि कोआपरेटिव सैक्टर बन्द होने तक आ गया, लेकिन गुजरात के अन्य बैंकों के सहयोग करने के कारण आज माधवपुरा बैंक चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब कोआपरेटिव सैक्टर के बैंकों से लोगों का विश्वास हटने लगा है और लोग अपनी डिपाजिट ले जाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में लोग रखने लगे हैं, फिर से कोआपरेटिव बैंकों में विश्वास राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह से ही पुन: स्थापित हो, क्या माननीय मंत्री जी की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई विचाराधीन है ताकि कोआपरेटिव बैंकों में जो लोग डिपाजिट रखते हैं, उनको पूरा रक्षण मलेगा और जो

आज गरीब लोग हैं, सहमे लोग हैं, कोआपरेटिव में इण्टरैस्ट भी ज्यादा मिलता है, इसलिए वे पैसा वहां रखते हैं, लेकिन वे आज अपनी पूंजी वापस ले रहे हैं, लोग परेशान हैं तो उनमें पुनः विश्वास स्थापित करने के लिए क्या कोआपरेटिव सैक्टर में आप ऐसा कोई कानून बनाने जा रहे हैं ताकि राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह इनमें भी उनका पैसा वापस मिलेगा, इसकी क्या कोई गारण्टी देने वाली बात विचाराधीन है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, जो मूल प्रश्न है, वह एग्रीकल्चरल क्रेडिट के संदर्भ में है। माननीय सदस्य ने जो यहां प्रश्न उपस्थित किया है, वह अर्बन क्रेडिट के संबंध में है। इस प्रश्न का सीधे उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनकी जो भावना है, उस भावना का सम्मान करते हुए मैं उन्हें और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे एग्रीकल्चरल क्रेडिट हो या अर्बन क्रेडिट हो, जो इसमें डिपाजिट्स हैं, वे आम आदमी के हैं, गरीबों के हैं, किसानों और मजदूरों के हैं, इसलिए उनके जो डिपाजिट्स हैं, जो उनका धन है, वह धन इन बैंकों में सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार की ओर से जो भी कदम उठाने हैं, अवश्य उठाये जायेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृपया इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं। कृपया बैठ जाइए'

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इस विषय पर दूसरे माध्यम से चर्चा उपस्थित कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण विषय है। आधा घण्टा इस पर प्रश्न पर चला गया है, मैं ज्यादा टाइम एक प्रश्न पर नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा कराने के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न सं. 182—श्री हरिभाई चौधरी।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, मैंने भी तारांकित प्रश्न सं. 181 के संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछने की सूचना दी थी। मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे रहा हूं। इसलिए उस समय, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसी सत्र में इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा। इसलिए, आप उस समय यह प्रश्न पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या 182 के बारे में*

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न संख्या 182 को लेते हैं।

...(व्यवधान)

---

*तारांकित प्रश्न संख्या 18 को लिया गया परन्तु मंत्री ने उत्तर दिया कि 'सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।' चूंकि मंत्री के पास पूरा उत्तर उपलब्ध नहीं था, माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया। अतः यह प्रश्न और उत्तर पाद-टिप्पण में दिया गया है।

वक्फ की परिसम्पत्तियों पर आतिक्रमण

***182. श्री हरिभाई चौधरी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वक्फ की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण और उनकी बिक्री संबंधी मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये; और

(घ) उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हरिभाई जी, एक मिनट रुकिए। जो प्रश्न है, इसका उत्तर आपने देखा होगा। हमारे सामने जो उत्तर आया है, इसमें पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए मैं यह प्रश्न पोस्टपोन करता हूं, क्योंकि मेरे सामने पूरा उत्तर नहीं है। अगले सत्र में इस प्रश्न को लिया जायेगा। इस सत्र में लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा उत्तर नहीं आया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): लेकिन जो प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब मैं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: पिछले सत्र में भी यही प्रश्न आया था और आपने यही जवाब दिया था।

डॉ. सत्यनारायण जटिया: क्योंकि यह प्रश्न सभी राज्यों से संबंधित है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी पूरी जानकारी मांगी जा रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, हम कम्प्यूटर युग में रह रहे हैं और यह खेद की बात है कि इतने सप्ताह बीत जाने के बाद भी हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, माननीय मंत्री की बात सुनें।

डा. सत्यनारायण जटिया: महोदय, हम यह सूचना प्राप्त करने हेतु राज्यों पर निर्भर हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, हम कम्प्यूटर युग में रहते हैं ...*(व्यवधान)* प्रश्न सूचीबद्ध होने के पश्चात् इसका उत्तर जानना प्रत्येक सदस्य का मौलिक अधिकार है ...*(व्यवधान)* महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। कांग्रेस पार्टी के उप-नेता, श्री शिवराज वी. पाटील की बात सुनिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं भी इस बात पर अपने साथियों का समर्थन करता हूं। सरकार के लिए यह कहना सही नहीं है कि सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना प्राप्त करने के लिए मंत्री महोदय के पास लगभग 15 दिन का समय उपलब्ध होता है। मुझे मंत्री महोदय से पूर्ण सहानुभूति है। वह एक अच्छे मंत्री हैं और फिर भी यदि वह सभा में आकर यह कहते हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं है तो यह ठीक नहीं है। हर स्थान पर कम्प्यूटर, विमान उपलब्ध हैं और कोई भी दूरभाष की सहायता से देश के किसी भी कोने में बात कर सकता है लेकिन फिर भी वे जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

वह जानकारी देकर यह कह सकते थे कि "ऐसा लगता है कि यह जानकारी पूर्ण नहीं है।" लेकिन मंत्री महोदय को सभा में यह कहने की अनुमति देना कि सूचना उपलब्ध नहीं हैं और 'हम बाद में देंगे' सही नहीं है। ऐसा करना विधानमंडल द्वारा इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह बनाने के अवसर से वंचित करना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, उत्तर प्राप्त करना हमारा अधिकार है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय को अपनी बात कहने दीजिए। मुझे बताइए कि उत्तर तैयार क्यों नहीं है।

डा. सत्यनारायण जटिया: महोदय, मैं उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन मेरे सामने निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न हैं:

[हिन्दी]

(क) क्या सरकार को वक्फ की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण और उनकी बिक्री संबंधी मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए; और

(घ) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ये प्रश्न पूछे गए थे। वक्फ राज्यों का विषय है। उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने उनको लिखा है। राज्यों से जानकारी प्राप्त होती है, उसी को हम यहां रखते हैं। सीधे वक्फ के संबंध में कुछ बताना कठिन है। अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, हम मानने को तैयार हैं। वैसे मैं जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, हमने संसद के गत 50 वर्षों के दौरान ऐसा उत्तर कभी नहीं सुना है। यदि आज तारांकित प्रश्न पूछे जाने थे तो उन्हें इस संबंध में तैयारी करके आना चाहिए था। *...(व्यवधान)* यह तो स्तर में पूरी गिरावट ही है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): इनका गुस्सा शांत हो जाए तो मैं कुछ कहूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह 'गुस्सा' है? *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, यह तो विशेषाधिकार से इनकार है *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, इस प्रश्न को पूछने के लिए पर्याप्त समय पहले सूचना दी गई थी *...(व्यवधान)*

श्री अली मोहम्मद नायक: महोदय, मंत्री जी स्वयं वक्फ परिषद के अध्यक्ष हैं। वक्फ परिषद, जिसके मंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हैं, के पास सभी जानकारी—कब्जे और अन्य बातों के बारे में—उपलब्ध है। यह बहुत अजीब बात है कि मंत्री जी सभा में आकर यह कहते हैं कि सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछने का क्या फायदा है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में मैंने भी यह आपत्ति उठाई है कि इसका उत्तर क्यों नहीं दिया जा सकता है। हमें आश्वासन को पूरा करने के लिए सामान्यत: तीन माह का समय दिया जाता है।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु: महोदय, क्या श्री प्रमोद महाजन सूचना प्रौद्योगिकी की विफलता के बारे में कहने जा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अपना वक्तव्य देने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वो सारी बातें कह चुके हैं जो वह कहना चाहते थे। अब मैंने संसदीय कार्य मंत्री को कुछ कहने की अनुमति प्रदान की है।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मुझे बोलने के लिए उनकी भी अनुमति चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं सदस्यों की इस भावना से पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार से जो भी प्रश्न पूछा जाए, निश्चित समयावधि में उसका उत्तर आना चाहिए और हम यह देखते हैं कि उसका हर संभव प्रयास होता है। लेकिन मैं आपसे और सदन से क्षमा के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह पहला अवसर नहीं है जिसमें ऐसा उत्तर आया है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रखी जाएगी। जैसे किसी सम्मानित सदस्य ने कहा था कि पचास साल में पहली बार हुआ है। मैं भी बीस साल से सदस्य हूं और बीच-बीच में सब जानकारी उपलब्ध नहीं होती तो ऐसा होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: कृपया उस परम्परा का अनुकरण मत कीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: जी नहीं। मैं यह नहीं कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, सूचना पर्याप्त समय पूर्व दी गई थी। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: आप मुझे अपनी बात पूरी क्यों नहीं करने देते हैं? *...(व्यवधान)* मैं आपका उत्तर दूंगा। आप मुझे अपनी बात पूरी करने नहीं दे रहे हैं। यह उचित नहीं है *...(व्यवधान)* आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह क्या है? *...(व्यवधान)* महोदय वे मुझे अपनी बात पूरा करने नहीं दे रहे हैं? *...(व्यवधान)* क्या वे कुछ भी और सब कुछ कह सकते हैं *...(व्यवधान)* क्या यह सही तरीका है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेरी कोई गलती हो तो आप जरूर पूछें लेकिन आप बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मुद्दा प्रक्रिया से संबंधित है। मैंने तो इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है यह प्रश्न पिछले सत्र में भी दिनांक 15 मार्च, 2002 को पूछा गया था जिसके लिये मंत्री जी ने यही उत्तर दिया था। अब इस समय भी वही उत्तर दिया गया है। अत:, मैंने इसे गम्भीरता से लिया और मंत्री जी से यह अनुरोध किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से अगले सत्र में दें। यदि उत्तर तैयार नहीं है और यदि प्रश्न निपटाया नहीं जाएगा तो अगला प्रश्न सभा में पूछा नहीं जा सकेगा और उत्तर देने में कठिनाई होगी।

यह सही है कि आमतौर पर मंत्री सदैव जानकारी एकत्रित करके उत्तर देने की कोशिश करते हैं। माननीय मंत्री ने भी यही करने की कोशिश की है। उन्होंने भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की थी। परन्तु वह सभा में पूरी जानकारी के साथ आना चाहते हैं। चूंकि अभी उत्तर तैयार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को स्थगित करने की बात कही है।

तत्पश्चात्, विपक्ष के उप-नेता द्वारा आपत्ति उठाई गई। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री जी को अच्छा मंत्री होने की बधाई भी दी। वे और क्या चाहते हैं? वस्तुत: देखा जाये तो विपक्ष के उप-नेता से बधाई प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्रीजी एक अच्छे कवि भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: हां, आप सही कह रहे हैं कि वह अच्छे कवि भी हैं।

अत:, इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से और गम्भीर न बनाया जाये। मैंने पहले ही कह दिया है कि उत्तर प्राप्त होना चाहिए परन्तु उत्तर तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने मंत्री जी को यह बता दिया है कि मैं प्रश्न को स्थगित कर रहा हूं। इसी दौरान यदि संसदीय कार्य मंत्री इस मुद्दे पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं तो वह बोल सकते हैं, पहले वह अपनी बात पूरी कर लें हम इसके बाद ही अगले प्रश्न पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: आपके द्वारा सब कुछ कहने के बाद मुझे नयी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने इस प्रश्न को अगले सत्र तक रखा है और सरकार की ओर से निश्चित प्रयास होगा कि अगले सत्र में उत्तर दे। मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता था कि संसद में प्रश्न के दो स्वरूप होते हैं जिसमें एक स्टार्ड होता है और दूसरा अनस्टार्ड होता है। आपने इस प्रश्न को देखा होगा। मेरी प्रार्थना इतनी है कि हिन्दुस्तान की जितनी वक्फ प्रोपर्टी है, उसमें जहां-जहां इनक्रोचमेंट हुआ है, किस-किस पर केस हुए हैं, उसकी सारी जानकारी तो जरूर होगी लेकिन अब यह प्रश्न किस प्रकार ट्रीट किया जाए, यह आपका अधिकार है। उसे आप देख लें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस मुद्दे पर और अधिक मार्गदर्शन नहीं चाहिए। मैं इस मामले को बंद मानता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य चुने जाने के बाद मैंने यह पहला प्रश्न डाला था, तब भी यही जवाब आया था। दो वर्ष और बीत गए। उसके बाद से आज तक पता नहीं क्यों उसमें प्रगति नहीं हुई। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि पांच साल पूरे हो जाते हैं तथा इस तरह के प्रश्न का जवाब नहीं आता है, तो क्या अध्यक्ष महोदय के पास ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है और अगर जवाब नहीं आता है, तो क्या मंत्री जी के पास कोई अधिकार है, यह मैं जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके प्रश्न पर ध्यान दूंगा।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: ये प्रश्न वक्फ संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रश्न पूछे गये हैं। वे इनकी संवीक्षा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

मैं प्रश्न संख्या 183 और प्रश्न संख्या 184 को एक साथ मिला देता हूं।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

सूती वस्त्रों का उत्पादन

***183. श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में आज तक प्रत्येक वर्ष के दौरान सूती वस्त्रों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इनके उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इनके उत्पादन में गिरावट की इस प्रवृत्ति को रोकने और सूती वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सूती वस्त्रों और सूती यार्न का उत्पादन निम्न अनुसार रहा:

मद	यूनिट	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अ)	2002-2003 (अ) (अप्रैल-मई)
सूती यार्न का उत्पादन	मिलियन कि.ग्रा.	2204	2267	2211	365(375)
सूती फैब्रिक का उत्पादन	मिलियन वर्ग मीटर	18989	19718	19737	3350(3329)

(अ)-अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों को दर्शाते हैं।

(ख) और (ग) यार्न के उत्पादन में गिरावट आने के विभिन्न कारण हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में मंदी की प्रवृत्ति का रहना भी शामिल हैं।

(घ) सरकार ने सूती वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

(1) सरकार ने उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन वित्त योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है जिसमें निर्धारित प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजनाओं के लिए मनोनीत वित्तीय संस्थानों से लिए गए वित्त पर 5% ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था है। उद्योग की महसूस की गयी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्धारित मशीनों की सूची में आधुनिक मशीनों को शामिल कर रही है और अन्य आवश्यक संशोधन भी कर रही है। सरकार ने 1 जनवरी, 2002 से लघु वस्त्र और पटसन उद्योग को एक ऐसा विकल्प प्रदान किया है जिसके अंतर्गत वे 12 प्रतिशत ऋण से संबद्ध पूंजी सब्सिडी अथवा मौजूदा 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं।

(2) टी यू एफ एस के अंतर्गत कताई उद्योग के निचले स्तर तक के मूल्य संवर्द्धन में मानदंडों को यार्न के वास्तविक काउंट में वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए ढील दी गयी है। कताई उद्योग के लिए उच्च तकनीकी की ओपन एंड पुरानी मशीनों की अनुमति दी गयी है। दो फोल्ड में ट्विस्टेड यार्न अथवा यार्न कताई एकक में सिंगनिंग यार्न कोडाले बिना उसका उत्पादन करने के आधार पर यार्न की कताई/ट्विस्टिंग पश्चात् यार्न प्रसंस्करण संयंत्र और ऑन लाइन उत्पादन मानीटरिंग तथा कताई एककों के लिए गति नियंत्रण प्रणाली को भी टी यू एफ एस के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(3) सरकार ने 2.5 लाख अर्द्ध/स्वचालित करघों और 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करके बुनाई क्षमता को आधुनिक बनाने के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है।

(4) सरकार ने विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों को सहायता देने की प्रक्रिया और सुविधा तंत्र को सुदृढ़ बनाया है। उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए विद्युत सेवा केन्द्रों के करघों और अन्य उपस्करों को उन्नत बनाया जा रहा है और विद्युतकरघा क्षेत्र को तकनीकी प्रशिक्षण और नए डिजायनों की सुविधा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर सहायित डिजायन सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। विद्युत सेवा केन्द्रों के संगठनात्मक ढांचे, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए उसके कार्यचालन की पुनरीक्षा की गयी है और सरकार उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और अनुदान सहायता प्रदान कर रही है।

(5) कपास की गुणवत्ता, उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है ताकि प्रयोक्ता उद्योग को गुणवत्ता की कपास उपलब्ध कराई जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों की अव्यवहार्यता

***184. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कुल 119 एककों में से 66 एकक अव्यवहार्य हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन एककों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है और इस समय इन एककों में कुल कितने अधिकारी और अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन एककों का विनिवेश करने का है ताकि निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) इन मिलों को अनार्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन की उच्च लागत, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी और अप्रचलित मशीनरी के कारण घाटे हो रहे थे।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान इन मिलों में 105.18 लाख किग्रा. यार्न और 62.36 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन किया गया था। 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार, नामावली में 32,753 कर्मचारी थे, जिनमें 427 अधिकारी थे।

(घ) और (ङ) संबंधित राज्य सरकारों/कामगार समिति और तत्काल बिक्री के आधार पर निजी क्षेत्र के माध्यम से भी इन मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए किये गये प्रयासों की उचित प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी। इन मिलों के पुनरुद्धार के लिए सभी उपायों का प्रयोग कर लेने के पश्चात, बी.आई.एफ.आर. ने पुनर्वासन योजनाओं को स्वीकृत कर दिया है जिनमें उसमें शामिल कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) देने के पश्चात इन गैर-अर्थक्षम एककों को बंद करना शामिल है। इस दृष्टिकोण से अधिसंख्य अर्थक्षम मिलों और सहायक निगमों का पुनरुद्धार करने में सहायता मिली है।

[हिन्दी]

श्री रामचन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय, सरकार भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यह एक उत्साहजनक कदम है। कपड़ा जिलों की सबसे ज्यादा संख्या गुजरात में है। यह सौभाग्य की बात है कि हमारे कपड़ा मंत्री का वह गृह राज्य भी है। अभी हाल में ही हमारी पार्टी के अध्यक्ष, श्री रामविलास पासवान जी और मैंने गुजरात का दौरा दो बार किया। हमने वहां पाया कि बहुत सारी मिलें बंद होने के कगार पर हैं और कई घाटे में चल रहे हैं। इस दिशा में सरकार ने उन्हें राहत देने का कोई कारगर कदम नहीं उठाया है, जिससे मिल मजदूरों को अत्यधिक क्षोभ और आक्रोश है। देश के अन्य भागों में स्थित कपड़ा मिलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। सरकार एक तरफ कपास तकनीकी मिशन के तहत उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि उद्योग की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सूती वस्त्रों का कितना उत्पादन हुआ है और सरकारी दावों के मद्देनजर उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? यदि नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कपड़ा उद्योग बहुत बुरी हालत में है, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। महोदय, पिछले तीन सालों में सूती फैब्रिक का उत्पादन इस प्रकार है—1999-2000 में 18,989 मिलियन स्क्वेयर मीटर, 2000-2001 में 19,718 मिलियन स्क्वेयर मीटर और 2001-2002 में एप्रोक्सीमेटली 19,737 मिलियन स्क्वेयर मीटर उत्पादन हुआ है। सरकार द्वारा कई स्टैप्स लिए गए हैं, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जाए। कपड़ा उद्योग में जो पुरानी मशीनरी, पुरानी टैक्नोलाजी है या कहीं-कहीं फन्ड नहीं मिलते हैं, इन सब को उपलब्ध कराने के लिए हमने टीयूएफ स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत आज 1400 से ज्यादा ऐसी यूनिट्स, जो अपने को मार्डनाइज करना चाहती हैं, उनके लिए 9 हजार करोड़ रुपए का फन्ड बैंकों ने सैंक्शन किया है। उसमें से पांच हजार करोड़ रुपए का फंड डिसबर्स भी हो चुका है और उससे कई नई मिलें भी शुरू हो चुकी हैं।

श्री रामचन्द्र पासवान: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा कपास संबंधी टैक्नॉलाजी मिशन स्थापित किए ढाई साल हो गए हैं, अब तक उसके क्या ठोस नतीजे निकले हैं?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही बात बतायी है। टैक्नॉलोजी मिशन ऑन कॉटन खासतौर पर कपास की क्वालिटी को सुधारने के लिए और कपास का पर-हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।

श्री रामचन्द्र पासवान: गुजरात का क्या हुआ?

श्री काशीराम राणा: कॉटन टैक्नॉलोजी मिशन के तहत हमने आज तक पूरे देश में 89 नई और पुरानी मार्किट यार्डस को स्वीकृत किया है। पहले कॉटन का जीनिंग, प्रेसिंग फैक्ट्री में कनटैमिनेशन होता है जिससे क्वालिटी ठीक नहीं होती है। उसे ठीक करने के लिए हमने जीनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्री को ऋण दिया है। इसके ऊपर करीब सवा दो सौ करोड़ रुपये का इनवैस्टमैंट लगा है। कॉटन टैक्नॉलोजी मिशन का ढाई साल का परिणाम है कि पहले इसका टारगेट पर-हैक्टेयर 300 किलोग्राम उत्पादन का था, लेकिन अब उसे साढ़े पांच सौ किलोग्राम तक ले जाने का टारगेट रखा है। आज इसी मिशन की बदौलत ढाई साल में इसका उत्पादन बढ़ा है। कई राज्यों, जैसे मैंने गुजरात का उल्लेख किया, वहां आज साढ़े चार सौ किलोग्राम पर-हैक्टेयर उत्पादन हुआ। इसकी क्वालिटी अच्छी हुई है। कॉटन टैक्नॉलोजी मिशन के तहत देश भर में काटन का पर-हैक्टेयर उत्पादन बढ़ा है, क्वालिटी सुधरी है, कॉटन का आयात कम होने लगा है और हमारे स्पिनर्स देश का कॉटन यूज करने लगे हैं।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, कपड़ा उद्योग देश में ऐसा उद्योग है जो खेती के बाद देश के लोगों को सबसे अधिक रोजगार देता है और विदेशी व्यापार करके सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी देश को देता है। देश के कपड़े की महत्ता विदेशों में बहुत अच्छी है। मेरे प्रश्न 184 के ''क'' भाग का उत्तर ''हां'' में दिया गया है। इसमें पूछा गया था कि 119 एनटीसी की मिलों में से क्या 66 लाभकारी और बाकी 53 अलाभकारी हैं? मेरा सीधा-सादा सवाल है और मुझे उसका सीधा-सादा जवाब दिया जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव: आप भाषण देंगे तो वह भी भाषण देंगे।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: अलाभकारी मिलों को दोबारा शुरू करने के लिए क्या कोई असैसमैंट किया गया है उसमें कितनी पूंजी की जरूरत होगी। उनमें कितने लोग काम करेंगे, कितना वार्षिक उत्पादन होगा और क्या शुद्ध लाभ होगा?

अध्यक्ष महोदय: तीन-चार प्रश्न हो गए हैं। आप सीधा-सादा एक प्रश्न पूछिए।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: यह इसी प्रश्न का भाग है। अलाभकारी मिलों से कितना वार्षिक लाभ होगा और कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा?

श्री काशी राम राणा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद का सीधा-सादा सवाल है और मैं उनका सीधा-सादा जवाब भी दूंगा। नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन का पहली बार रिवाइवल पैकेज सरकार की ओर से एप्रूव होकर बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर ने लेबर यूनियन और कनसर्न्ड पर्सन को बुला कर अभी तक आठ सबसिडियरिज में से छः सबसिडियरीज का रिवाइवल प्लान एप्रूव करके, उसे पूरा इम्पलीमैंटेशन करने के लिए एनटीसी को सौंप दिया है।

अध्यक्ष जी, इस रिवाइवल प्लान के पीछे हम 3 हजार करोड़ रुपया इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो अनवायेबल मिल्स हैं, उनकी लैंड बेचकर जो पैसा मिलेगा, जो उनकी मशीनरी या स्ट्रक्चर है, उसे बेचकर हमें 3200 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन इस सब का इंपलीमेंटेशन तब होगा, जब जमीन बेची जायेगी, ऐसा नहीं है। हमने आज ही से कार्य शुरू कर दिया है। आज हमारे पास 66 अनवायेबल मिल्स हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां 1997 में 34 मिलें वायेबल थीं, वहां हमने आज 53 मिलें वायबेल कर दी हैं। इसका कारण यह है कि सरकार ने कामगारों के अधिकारों और हितों को प्रोटैक्ट किया है और वायेबल मिल्स की संख्या 34 से बढ़ाकर 53 कर दी है। हमने यूनिट-वाइज उसकी वायेबिलिटी चेक करने के लिए प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि बी.आई.एफ.आर. ने 4 सब्सिडियरी टोटल क्लोज करने के लिए आदेश किया था लेकिन फिर भी हमने उन्हें रीओपन किया है। इस कारण से आज 34 मिलों की बजाय 53 मिलें वायेबल हो चुकी हैं। आज दो मिलें बंद हो चुकी हैं या जिन पर क्लोजर लगा है, उनके वर्कर्स को हम मोडिफाइड वी.आर.एस. देते हैं और वर्कर्स भी चाहते हैं कि मोडिफाइड वी.आर.एस. उन्हें मिले। मैं कहना चाहता हूं कि उसका क्रेडिट आपको जाता है। श्री रावले जी ने भी यही प्रश्न बार-बार उठाया है ...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भड़ाना: अध्यक्षजी, मंत्रीजी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। सारी कपड़ा मिलें बंद पड़ी हुई हैं। सब बरबाद हो रहा है ...*(व्यवधान)* हो सकता है कि मंत्रियों का कपड़ा ठीक होता हो लेकिन कपड़ा मजदूरों की हालत बुरी है। उत्तर प्रदेश की सारी कपड़ा मिलें बंद पड़ी हुई हैं। मंत्री जी पढ़कर आंकड़े बता रहे हैं। ये बतायें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए आज तक क्या किया ...*(व्यवधान)* सरकार उत्तर प्रदेश की कपड़ा मिलें कब चलायेगी? कताई मिलें बंद हैं ...*(व्यवधान)* सरकार मेरठ में बंद पड़ी कपड़ा मिलों को कब चालू करेगी? ...*(व्यवधान)* ठीक है, मंत्री जी का कपड़ा ठीक होता होगा लेकिन उत्तर प्रदेश की कपड़ा मिलों के कामगारों की बुरी हालत है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी गलत आंकड़े दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिये।

श्री अवतार सिंह भड़ाना: अध्यक्ष जी, उन मिलों के बंद होने से लाखों बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों को जिस प्रश्न का उत्तर चाहिये, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं भी जानता हूं कि मिलें बंद हो रही हैं। लोग नाराज हैं। उनके अनेक प्रश्न हैं। आपने अपनी भावना व्यक्त की, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा लेकिन मंत्री जी को उत्तर देने का अधिकार है। अगर आपका समाधान नहीं होगा, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर इजाजत दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न मुझे पूरा मालूम है। इसलिए मंत्री जी जब उत्तर दे रहे हैं, आप कृपया उनका उत्तर सुनिए। देखिये, मंत्री जी, का क्या कहना है?

श्री काशी राम राणा: अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की गलतफहमी दूर करने के लिए फिगर्स दे रहा हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस के समय में क्या हो चुका लेकिन आज एन.टी.सी. या अन्य मिलों की हालत देखते हुए उनके मार्डनाइजेशन का मामला है। उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नई टैक्नोलोजी अडाप्ट करे और बैंकों से ऋण दिलवाये, इसके अलावा पुरानी मशनरी को बदलने के लिए, भारत सरकार उसे कार्यान्वित करने जा रही है। इसके आधार पर आज कपड़ा उद्योग में नई जान आ गई है। वे लोग चाहते हैं कि उनकी कपड़ा इंडस्ट्री ठीक से चले।

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष जी, मेरे दूसरे सप्लीमेंटरी क्वैश्चन का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: आप सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं, सप्लीमेंटरी पूछने का आपका अधिकार है। चूंकि पहले के प्रश्न में सप्लीमेंटरी आया था, इसलिए मैंने आपको इजाजत नहीं दी थी। फिर भी आप जल्दी से पूछिए।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप स्पीकर से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: जो अलाभकारी मिलें हैं, जो वॉयबल नहीं हैं, उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उनका वार्षिक वेतन कितना है तथा उन मिलों के बंद होने पर वी.आर.एस. देने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी, कृपया बैठिए। अभी प्रश्न आने दीजिए। ऐसे कैसे हाउस चलेगा। प्लीज बैठिये।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: इन बंद मिलों की कितनी सम्पत्ति होगी। क्या मैं प्रश्न दोहरा दूं।

श्री काशीराम राणा: हां।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: सर, मैं मंत्री जी के आग्रह पर प्रश्न दोहरा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप जल्दी प्रश्न पूछिए, समय बहुत कम बाकी है, पांच मिनट में प्रश्न पूरा करना है। अभी आप स्ट्रेट क्वैश्चन पूछिए।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: जो अनवॉयबल मिले हैं, जो अलाभकारी मिलें हैं, उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कितना वार्षिक वेतन दिया जा रहा है और इन मिलों के बंद होने पर वी.आर.एस. देने के लिए कितनी पूजी की आवश्यकता होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे कैसे होगा, मैं आपको समय नहीं दूंगा।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: यह पूंजी कहां से आयेगी, इसके साधन क्या होंगे और बंद मिलों की टोटल असैट्स कितनी होगी।

श्री काशीराम राणा: बी.आई.एफ.आर. ने जो अनवॉयबल मिलें घोषित की हैं, अनवॉयबल मिल्स का जिस तरह से क्लोजर हमने शुरू किया है, उनमें हमें मॉडीफाइड वी.आर.एस. देने के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए चाहिए। इसके लिए हमने अभी पांच सौ करोड़ रुपये के बॉण्ड निकाले हैं। इसके तहत हमने आज तक करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये मॉडीफाइड वी.आर.एस. के रूप में वर्कर्स को दिये हैं। इसके अलावा हमने जो बॉन्ड की गारंटी जो बैंक और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस को दी है, वह भी करीब दो सौ से तीन सौ करोड़ रुपये की हमने दी हैं। जो बैंक से अप्रूवल होकर तथा हमारी सब्सिडियरीज से अप्रूवल होकर आता है तथा जैसे-जैसे हमारा फंड आता है, वैसे-वैसे वी.आर.एस. देने के लिए हम पैसा रिलीज करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, आप जल्दी से प्रश्न कीजिए, समय बहुत कम है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, 119 मिलों में से 66 राष्ट्रीय वस्त्र निगम की जो अलाभकारी कपड़ा मिलें हैं, उसके बारे में मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि इन मिलों को अनार्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन की उच्च लागत, अपर्याप्त कार्यशील पूंजी और अप्रचलित मशीनरी के कारण घाटा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने सरकारी उपक्रम या मिलें घाटे में हैं, वे पूंजी की वजह से घाटे में नहीं हैं, वे कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से घाटे में हैं। जो 66 अलाभकारी मिले हैं, उन्हें लाभकारी बनाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थित प्रयास किये हैं, कृपया उनकी जानकारी देने का कष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत थोड़े में अपना उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह प्रश्न जल्दी समाप्त हो।

श्री काशीराम राणा: जो एन.टी.सी. की 119 मिलें हैं, उनमें से जितनी भी ज्यादा वॉयबल हो सकें, उसके लिए टैक्सटाइल

रिसर्च एसोसिएशन की ओर से हमने उनकी इंक्वायरी कराई, असैसमैन्ट कराया और उसकी कोड रिपोर्ट महने बी.आई.एफ.आर. के सामने रखी। जैसा मैंने बताया कि 53 मिल्स ऐसी हैं जो वॉयबल हो सकती हैं और 66 ऐसी मिल्स हैं, मैं कहूंगा कि जो हमारा एन.टी.सी. का टोटल प्रोडक्शन है, उसका 19 परसेन्ट प्रोडक्शन अनवॉयबल मिल्स में होता है, जिसमें कोई बंद है और कहीं थोड़ा उत्पादन होता है। जब बी.आई.एफ.आर. ने 6 सब्सिडियरी के बारे में अपना फैसला दे दिया है तो 66 अलाभकारी मिल्स को लेकर हम दोबारा बी.आई.एफ.आर. के सामने नहीं जा सकते। इसलिए जो फैसला हमारे सामने आया है, उस फैसले के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मिलें चलाने का सरकार का जो वायदा है, उसे हमने पूरा किया है।

श्री मोहन रावले: सर, मेरे क्षेत्र में 17 मिलें हैं और आपके क्षेत्र में 8 मिलें हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जिन आठ सब्सिडियरी के बारे में बताया, उनमें दो सब्सिडियरी कौन सी हैं, साउथ महाराष्ट्र और नॉर्थ महाराष्ट्र में–आप उन्हें क्यों नहीं रिवाइव कर सकते और जितना अपग्रेडेशन फंड है, वह कितनी एन.टी.सी. मिलों को दिया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री काशीराम राणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक महाराष्ट्र की नॉर्थ और साउथ सबसीडियरीज का सवाल है, इन दो सबसीडियरी का मामला अभी निर्णीत नहीं हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से बीआईएफआर ने जमीन बेचने के बारे में जो परमीशन मांगी, वह महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दी। इसके लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से कॉनटैक्ट करने की कोशिश की, एक बार मिला भी और बी.आई.एफ.आर. के सामने भी हमने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की रिप्लाई का इंतजार करें जिससे कोई भी मिल जो नॉर्थ और साउथ में हों, वे बेवजह बंद नहीं हों। *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कानपुर में एन.टी.सी. की तीन मिलें हैं। उन तीन मिलों को आपने वायेबल नहीं माना है। उन मिलों के श्रमिकों ने एक प्रस्ताव दिया था कि तीन मिलों में से दो की संपत्ति बेचकर अगर एक मिल में लगा दी जाए तो हम उस मिल को अपने दम पर चलाएंगे और उस मिल से जो भी प्रॉफिट आएगा, उसी से हम अपनी तनख्वाहें देंगे। मैंने आपसे कई बार अनुरोध किया और आपने आश्वासन भी दिया कि हम इस पर विचार करेंगे। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इस प्रस्ताव पर आपने विचार किया है और यदि किया है तो उस पर अंतिम निर्णय आपने क्या लिया है कृपया वह बताने का कष्ट करें।

श्री काशीराम राणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, कानपुर की जो एन.टी.सी. मिलें हैं, इसमें माननीय सदस्य ने सही कहा है कि उनके बारे में एक प्रपोजल है। वहां की मिलों के बारे में जो सरकार का स्टैन्ड था, वह अभी भी है। हमने 1998 में राज्य सरकार को ऑफर किया। *...(व्यवधान)* कुल जो हमारे पास मिल की प्रापर्टी है, वह हम आपको फ्री दे देंगे और एक ही कन्डीशन है कि वर्कर्स को वहां इंप्लायमेंट मिलना चाहिए लेकिन वह नहीं माना गया। राज्य सरकार तैयार नहीं हुई। दूसरा हमने कहा कि वर्कर्स की जो कोआपरेटिव बनती है, उसे आप ले लो–उन्होंने वह भी नहीं ली। फिर भी उनका जो एक मिल चलाने के बारे प्रपोजल है *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मेरा प्रश्न था कि क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं और क्या उन मिल की संपत्तियों को बेचकर उस मिल को चलाएंगे? *...(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा: चलाने के लिए विचार करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी का कहना है कि चलाएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार से आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मंत्री महोदय आश्वासन दे रहे हैं, कृपया उनका आश्वासन रिकार्ड किया जाए। *...(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा: हम सोच रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री कानपुर मिलों के बारे में बता रहे हैं। वह माननीय सदस्य द्वारा दिए गए तीन मिलों वाले प्रस्ताव पर उत्तर देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करा दीजिए। यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं सुनना चाहते तो मंत्री जी उत्तर नहीं देंगे। यदि आप चाहते हैं कि चर्चा हो तो बी.ए.सी. में आइए और बात कीजिए। मैं तैयार हूं।

...(व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि चलाएंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह आपको उत्तर दे रहे हैं, आपके फायदे का जवाब है। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो क्या करें। एक बात मेरी सुनिये।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं कुछ कह रहा हूं। आप इस बात को समझिए। माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। माननीय मंत्री कानपुर में तीन मिलों के बारे में उत्तर दे रहे हैं। हमें मंत्री जी की बात सुननी चाहिए। यह प्रश्न अनेक कामगारों के जीवन के बारे में है। यह चर्चा की मांग करने का सही तरीका नहीं है। यदि आप चर्चा करना चाहते हैं, जैसाकि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है, तो मैं इस मुद्दे पर समग्र रूप से चर्चा करने का अवसर प्रदान करने के लिए तैयार हूं। परन्तु इसके साथ ही आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। उन्हें अपना उत्तर तो पूरा करने दीजिए। मैं इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा करने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। अब प्रश्न काल लगभग पूरा हो चुका है। मंत्रीजी आप अपना उत्तर पूरा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: माननीय अध्यक्षजी, कानपुर की जो तीन मिलें हैं, उन्हें बी.आई.एफ.आर. ने अनवायेबल मिल घोषित किया है। जो प्रपोजल माननीय सांसद ने हमें भेजा है उस प्रपोजल पर हम मंत्रालय की ओर से सोच रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

परियोजनाओं के लिए जापानी सहायता

***185. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:**
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण हेतु भारत को ऋण उपलब्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में उपरोक्त ये परियोजनाएं स्थापित की गई हैं/निकट भविष्य में चालू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ग) जापान सरकार द्वारा मई, 1998 में लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण उनके द्वारा वर्ष 1999-2000 में कोई नई वचनबद्धता नहीं की गई थी। किन्तु, जापान सरकार ने वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान क्रमश: 18,926 मिलियन येन (720 करोड़ रुपए) तथा 56,132 मिलियन येन (2040 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। राज्यों, ऋणों तथा जापान सरकार की सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

(दिनांक 30.4.2002 की स्थिति के अनुसार) (मिलियन येन)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृत ऋण	संचयी संवितरण
1	2	3	4	5
1.	घाटघर पम्प्ड स्टोरेज परियोजना	महाराष्ट्र	11414	7325.28
2.	अजंता-एलोरा संरक्षण एंड टूरिस्ट डेवलपमेंट परियोजना	महाराष्ट्र	3745	3745
3.	यमुना एक्शन प्लान	दिल्ली/उ.प्र./हरियाणा	17773	11548

1	2	3	4	5
4.	अनपारा 'बी' थर्मल पावर	उत्तर प्रदेश	17638	16422.1
5.	यमुना नदी पर नैनी ब्रिज	उत्तर प्रदेश	10037	3081.67
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को चार लेन का बनाया जाना	आंध्र प्रदेश	11360	4579.39
7.	पुरुलिया पम्प्ड स्टोरेज परियोजना	पश्चिम बंगाल	20520	5808.5
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग-5 सुधार परियोजना	उड़ीसा	5836	1383.69
9.	लेक भोपाल कन्स्ट्र. एंड मैनेजमेंट परियोजना	मध्य प्रदेश	7055	3668.14
10.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	पश्चिम बंगाल	1525	406.40
11.	आईसीआईसीआई कार्यक्रम	–	3000	3000.00
12.	बंगलौर जलापूर्ति परियोजना	कर्नाटक	28452	12026.38
13.	अट्टापडी बंजरभूमि परियोजना	केरल	5112	342.02
14.	गुजरात वन परियोजना	गुजरात	15760	14860.79
15.	के.सी. कनाल परियोजना	आंध्र प्रदेश	16049	5204.21
16.	पीपावाव शिप ब्रेकिंग परियोजना	गुजरात	7046	6997.91
17.	उत्तरी भारत परिवहन प्रणाली परियोजना	केन्द्र	8497	577.14
18.	पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	पश्चिम बंगाल	11087	6603.02
19.	उमियाम जल विद्युत केन्द्र परियोजना	मेघालय	1700	1385.40
20.	ट्यूरियल पन बिजली विद्युत परियोजना	मिजोरम	11695	801.96
21.	सिमहाद्री ताप विद्युत परियोजना	आंद्र प्रदेश	19817	19027.27
22.	दिल्ली जनद्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना	दिल्ली	14760	14358.60
23.	कलकत्ता परिवहन प्रणाली परियोजना	पश्चिम बंगाल	10679	2849.54
24.	केरल जलापूर्ति परियोजना	केरल	11997	0.00
25.	पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	कर्नाटक	15968	10108.40
26.	तमिलनाडु वन रोपण परियोजना	तमिलनाडु	13324	9181.24
27.	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	13222	4892.72
28.	सिम्हाद्री एवं विजाग पारेषण प्रणाली परियोजना	आंध्र प्रदेश	10629	9834.60
29.	श्रीसेलम लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन परियोजना-3	आंध्र प्रदेश	14499	12783.91

1	2	3	4	5
30.	धौलीगंगा पन बिजली परियोजना-2	उत्तर प्रदेश	16316	8201.95
31.	बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना-2	पश्चिम बंगाल	34151	29604.65
32.	टूटीकोरिन पोर्ट ड्रैजिंग परियोजना	तमिलनाडु	7003	5961.03
33.	पंजाब वनरोपण परियोजना	पंजाब	6193	5403.00
34.	छत्तीसगढ़ रेशम पालन परियोजना	मध्य प्रदेश	2212	523.05
35.	मणिपुर रेशम पालन परियोजना	मणिपुर	3962	496.88
36.	रेगाली सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	7760	3652.67
37.	बक्रेश्वर टीपीएस यूनिट-3 विस्तार परियोजना (2)	पश्चिम बंगाल	11537	7560.53
38.	सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना-2	आंध्र प्रदेश	12194	11696.01
39.	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना-2	दिल्ली	6732	6417.90
40.	सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना-3	आंध्र प्रदेश	27473	16769.95
41.	दिल्ली जनद्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना-3 (दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)	दिल्ली	28659	3026.51

वर्तमान विनिमय दर है 100 येन = 41.54 रुपए (लगभग)
(दिनांक 24.7.2002 की स्थिति के अनुसार)

[अनुवाद]

किराए के रूप में अपव्यय

***186. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 1995 में यह निर्णय लिया गया था कि ब्रुसेल्स स्थित तत्कालीन भारत व्यापार केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या कम करके शेष कर्मचारियों का वहां स्थित भारतीय दूतावास के वाणिज्य स्कंध में विलय कर लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को कर्मचारियों की संख्या कम की गई और शेष कर्मचारियों का विलय ब्रुसेल्स स्थित अपने दूतावास के वाणिज्य स्कंध में किया गया;

(ग) क्या हमारे दूतावास द्वारा जून, 1997 से दिसम्बर, 2000 तक बिना उपयोग किए ही केन्द्र का किराया दिया जाता रहा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किराया भुगतान कर राजकोष में व्यर्थ ही नुकसान पहुंचाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में होने वाले ऐसे नुकासन से बचने हेतु क्या निरोधात्मक/उपचारात्मक उपाय किए गए/किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी हां।

(ख) मई 1996 में स्टाफ में कटौती की गई थी और शेष स्टाफ का भारतीय दूतावास, ब्रुसेल्स के वाणिज्यिक स्कंध में विलय कर दिया गया था।

(ग) से (ङ) भारतीय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) दूतावास के मुख्य भवन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। इस आवास के लिए पट्टे पर हस्ताक्षर जून, 1991 में नौ वर्षों की अवधि के लिए किए गए थे। जुलाई, 1996 में आईटीसी का वाणिज्यिक स्कंध के साथ विलय होने के पश्चात किराए की बचत

करने के उद्देश्य से मिशन ने अतिरिक्त कार्यालय स्थान का निर्माण करके और दूतावास के मौजूदा भवन में परिवर्तन करके आईटीसी के अधिकारियों को पुन: अवस्थित करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा क्योंकि मुख्य दूतावास में उपलब्ध कार्यालय स्थान अतिरिक्त कर्मचारियों को कार्य स्थान उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं था।

दूतावास ने अतिरिक्त स्थान का निर्माण करने से संबंधित परियोजना पर कार्य किया परन्तु स्थानीय अधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन की उत्तरोत्तर धीमी और क्लिष्ट प्रक्रियाओं और प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से निर्माण कम्पनियों का चयन करने के कारण निर्माण कार्य अन्तत: जून, 2001 में ही पूरा हो पाया और उस समय तक आईटीसी बिल्डिंग का लगातार किराए पर रखना अपरिहार्य था।

[हिन्दी]

'डिपाजिटर्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट फंड'

***187. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार एक 'डिपाजिटर्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट फंड' स्थापित करने का है, जिसमें अदावाकृत धनराशि को हस्तांतरित करने की व्यवस्था होगी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कोष की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) विभिन्न बैंकों में कितनी धनराशि अदावाकृत पड़ी है और महाराष्ट्र में उक्त धनराशि पर दावा न करने वाले लोगों की बैंक-वार संख्या कितनी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के पास पड़ी अदावी जमाराशियों को डिपाजिटर्स प्रोटेक्शन ट्रस्ट फंड, जिसका संचालन किसी कंपनी अथवा किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है, में हस्तान्तरित करने में सुविधा होगी। प्रस्ताव के अनुसार संबंधित बैंक ऐसे ट्रस्ट फंड से वास्तविक दावेदार को भुगतान की गई राशि के बराबर प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक, जिनका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, के संबंध में 31.12.2001 की स्थिति के अनुसार खातों की संख्या के साथ-साथ अदावी पड़ी राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	बैंक का नाम	खातों की संख्या	कुल राशि (करोड़ रुपए में)
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1920973	98.12
2.	बैंक आफ बड़ौदा	500673	25.40
3.	बैंक आफ इंडिया	316840	21.28
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	198330	15.56
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1583346	29.39
6.	देना बैंक	97198	10.38
7.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	517666	49.26

जनजातियों के लिए विकास योजना

***188. श्री लक्ष्मण गिलुवा:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं आमतौर पर केवल कागजों पर ही रहती हैं और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या जनजातीय लोग उनके लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों की उन्हें जानकारी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले वर्षों में, देश भर में अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है जैसाकि मानव विकास के विभिन्न सूचकों से परिलक्षित होता है। अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता 1961 में 8.50% से बढ़कर 1991 में 29.60% हो गई। गरीबी रेखा से नीचे रह रही अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 1977-78 में 68.10 से गिरकर वर्ष 1993-94 में 41.4 (शहरी) और 51.94 (ग्रामीण) रह गया। भारत सरकार में विभिन्न रोजगारों

में नियुक्त अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या वर्ष 1965 में 50,889 से बढ़कर वर्ष 1995 में 2,17,705 हो गई।

(ग) और (घ) सामान्यतया जनजातियां सभी स्कीमों और कार्यक्रमों से अवगत होती हैं क्योंकि जनजातियों के विकास के लिए स्कीमों संबंधी सूचना का फैलाव निम्नतम स्तर तक किया जाता है और योजनाएं राज्य के प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रतिनिधियों की मांगों के अनुसार, आवश्यकता के आधार पर तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2001-2002 से ''जनजातियों द्वारा परस्पर भ्रमण'' नामक एक नई स्कीम शुरू की है ताकि एक राज्य की अनुसूचित जनजातियां देश के दूसरे राज्यों का दौरा कर सकें जिससे उन्हें अधिक जानकारियां मिल सकें और उनमें अपने विकास के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में जागरूकता विकसित हो सके।

[अनुवाद]

कृषि स्नातकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहायता

***189. श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बेरोजगार कृषि स्नातकों को वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बेरोजगार कृषि स्नातकों की संख्या का पता लगाने के लिए राज्यवार कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के लिए केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कृषि क्लिनिक तथा कृषि कारोबार केन्द्र स्थापित करने के लिए कृषि स्नातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। ये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुकर बनाने, साथ ही, निविष्ट वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवाएं बढ़ाने हेतु विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए हैं। इस योजना का उद्देश्य कृषि स्नातकों को कृषि के नए और उभर रहे क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार प्रदान करना है। किसी व्यक्ति और समूह के लिए परियोजना लागत की अधिकतम निर्धारित सीमा क्रमश: 10 लाख रुपए तथा 50 लाख रुपए है। ऋण की वापसी-अदायगी की अवधि 5 से 10 वर्ष के बीच हो सकती है जो क्रियाकलाप पर निर्भर करेगी तथा इसमें अधिकतम 2 वर्ष की छूट अवधि शामिल हो सकती है। ब्याज की दर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार वित्तपोषक बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी। बैंक ऋण के लिए नाबार्ड 100 प्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करेगा।

(ग) और (घ) प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों जिसमें कृषि क्लिनिक/कृषि कारोबार केन्द्रों की स्थापना के इच्छुक कृषि स्नातकों से आवेदन मांगे गए थे, के उत्तर में 11,667 कृषि स्नातकों ने देश में चुने हुए प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेना स्वीकार किया है। प्राप्त आवेदनों की संख्या के बारे में राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) यह योजना 23 जुलाई, 2001 से ही लागू कर दी गई है।

विवरण

कृषि क्लिनिक/कृषि कारोबार केन्द्रों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों का राज्यवार वर्गीकरण
(17.06.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	513
2.	अरुणाचल प्रदेश	6
3.	असम	153
4.	बिहार	1162
5.	चण्डीगढ़	103
6.	गोआ	10
7.	गुजरात	441
8.	हरियाणा	473
9.	हिमाचल प्रदेश	101
10.	झारखण्ड	209
11.	जम्मू और कश्मीर	156
12.	कर्नाटक	656

1	2	3
13.	केरल	161
14.	मध्य प्रदेश	648
15.	महाराष्ट्र	912
16.	मणिपुर	49
17.	मेघालय	5
18.	नागालैंड	6
19.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	288
20.	उड़ीसा	439
21.	पांडिचेरी (सं.रा. क्षेत्र)	4
22.	पंजाब	345
23.	राजस्थान	842
24.	सिक्किम	8
25.	तमिलनाडु	303
26.	त्रिपुरा	8
27.	उत्तर प्रदेश	3014
28.	उत्तरांचल	246
29.	पश्चिम बंगाल	406
	कुल	11667

निजी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की सम्हलाई

***190. श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री वाई.वी. राव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल कटाई के बाद खाद्यान्नों की सम्हलाई और ढुलाई का काम निजी कम्पनियों को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम में रोजगार पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति में देश में खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और चलाने के लिए स्वदेशी और विदेशी दोनों के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों के प्रयासों और संसाधनों को उपयोग में लाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त नीति के अधीन, फिलहाल हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर साइलो का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इन साइलोज की कुल क्षमता 21 लाख टन होगी। इन साइलोज के निर्माण से भारतीय खाद्य निगम में रोजगार पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन परिषद का कार्यकरण

***191. श्री शिवाजी माने:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उन परिषदों के नाम क्या हैं जिनके कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ग) समीक्षा के दौरान इन निर्यात संवर्धन परिषदों में कौन-सी कमियां सरकार की जानकारी में आई हैं;

(घ) क्या ये परिषदें कुछ निर्यात घरानों के हित में ही काम कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्य

निष्पादन की समीक्षा निम्नलिखित तंत्र के जरिए निरन्तर की जाती है:

* वाणिज्य मंत्रालय सभी निर्यात संवर्धन परिषदों की वार्षिक कार्य योजना और निर्यात निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। वाणिज्य सचिव द्वारा सभी निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ इस प्रकार की अंतिम समीक्षा 10 जून, 2002 को की गई थी। वस्त्र मंत्रालय भी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों की इस प्रकार की समीक्षा करता है और इन निर्यात संवर्धन परिषदों की अंतिम समीक्षा माननीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में 21 मार्च, 2002 को की गई थी।

* एमडीए समिति अगले वित्तीय वर्ष के लिए एमडीए आबंटन का निर्णय करते समय निर्यात संवर्धन के कलापों और कार्य-निष्पादन की वार्षिक आधार पर समीक्षा करती है।

* निर्यात संवर्धन परिषदों की प्रशासन समिति/प्रबंधन समिति नियमित आधार पर इस प्रकार की समीक्षाएं करती है जिसमें सरकार क प्रतिनिधित्व संबंधित वस्तु प्रभाग के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है।

* निर्यात संवर्धन परिषदों के गत वर्ष के कार्य-निष्पादन की भी समीक्षा संबंधित मंत्रियों द्वारा की जाती है और शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में उनकी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय लेखों के साथ एक समीक्षा टिप्पणी सभा पटल पर प्रस्तुत की जाती है।

निर्यात संवर्धन परिषदें सभी सदस्यों के हितों की देख-भाल कर रही हैं चाहे उनका दर्जा कोई भी हो। निर्यात संवर्धन परिषदें मुख्यत: अपने उन सदस्यों की मदद करने के लिए प्रत्येक वर्ष अनेक निर्यात संवर्धन कार्यकलापों का निष्पादन करती हैं जो लघु एवं मझौले उद्यम हैं और अपने सदस्यों की समस्याओं के निराकरण हेतु उन्हें संबंधित संगठनों के साथ उठाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मासिक आय योजना, 1995

***192. श्री राम मोहन गाड्डे:**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) ने अपनी मासिक आय योजना, 1995 और ऐसी अन्य योजनाओं में निवेशकों की मूल राशि को संरक्षण न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा विज्ञापन और अपने अधिकारियों की विदेश यात्रा पर गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कुछ अनियमितताएं पायी गई हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का समुचित जांच हेतु इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) के अनुसार, मासिक आय योजना, 1995 (एम.आई.पी. 95) जो 30 जून, 2002 को परिपक्व हुई, के अंतर्गत परिपक्वता पर मूलधन को आश्वासित नहीं किया गया तथा लाभांश को प्रतिवर्ष पुन: नियत करना पड़ा था। तथापि, यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि 14 अन्य एम.आई.पी. योजनाएं परिचालन में हैं, जो परिपक्वता पर मूलधन के संरक्षण को आश्वस्त करती हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) सरकार दिनांक 28.12.2001 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा यूनिट स्कीम-64 (यू.एस.-64) के निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए एक वित्तीय पैकेज की घोषणा कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जून, 2002 में परिपक्व हुई मासिक आय योजना स्कीमों और अगस्त, 2002 में परिपक्व होने वाले मासिक आय योजना स्कीम में निवेशकों की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए विकास प्रारक्षित निधि की परिसंपत्तियों और नकद अन्तर्प्रवाहों के एवज में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को 1000 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर आधारित समयबद्ध सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान यू.टी.आई. द्वारा विज्ञापनों तथा अपने अधिकारियों के विदेशी दौरों पर खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-II तथा III में दिया गया है।

(ङ) से (छ) यू.टी.आई. के विज्ञापनों अथवा अधिकारियों के विदेशी दौरों पर हुई किसी अनियमितता के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को नियमित जांच के लिए कोई मामला नहीं सौंपा गया है।

विवरण I

I. वे स्कीमें जिनके लिए परिपक्वता पर मूलधन तथा वार्षिक लाभांश, दोनों को आश्वासित किया गया है:

1. मासिक आय योजना, 1997 (3)
2. मासिक आय योजना, 1997 (4)
3. मासिक आय योजना, 1997 (5)
4. मासिक आय योजना, 1998 (1)
5. मासिक आय योजना, 1998 (2)
6. मासिक आय योजना, 1998 (3)
7. मासिक आय योजना, 1998 (4)
8. मासिक आय योजना, 1998 (5)
9. मासिक आय योजना, 1999 (1)

II. वे स्कीमें जिनके लिए परिपक्वता पर केवल मूलधन को आश्वासित किया गया है—लाभांश को वार्षिक रूप से बदला जाना है।

10. मासिक आय योजना, 1999 (2)
11. मासिक आय योजना, 2000 (1)
12. मासिक आय योजना, 2000 (2)
13. मासिक आय योजना, 2000 (3)
14. मासिक आय योजना, 2001

विवरण II

यू.टी.आई. की घरेलू स्कीमों द्वारा किया गया प्रचार व्यय

(लाख रुपए)

	लेखा वर्ष (जुलाई-जून)		
	1999-2000	2000-2001	2001-02 (अनंतिम)
प्रचार व्यय (सभी स्कीमें)	3611.19	2611.54	1673.28
आम प्रचार व्यय	780.01	1229.27	1082.11
कुल प्रचार व्यय	4391.20	3840.81	2755.39

विवरण III

*यू.टी.आई. अधिकारियों के विदेशी दौरों पर किया गया व्यय**

वर्ष	राशि (रुपए)
1 जुलाई, 1999—30 जून, 2000	99,89,419.00
1 जुलाई, 2000—30 जून, 2001	90,37,902.00
1 जुलाई, 2001—30 जून, 2002	59,63,117.00

*इसमें विदेशी निधियों के निदेशक मण्डल के विदेश में बैठकों में भाग लेने के लिए अधिकारियों की यात्राओं पर हुआ व्यय शामिल है। यू.टी.आई. विदेशी निधियों से प्रबंध शुल्क प्राप्त करता है।

नशीली दवाओं का अवैध व्यापार

*193. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अफीम समेत निषिद्ध और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर निगरानी रखने वाले विश्व सीमा शुल्क संगठनों और इंटरपोल के अधिकारियों के दल ने हाल ही में इस बुराई पर रोक लगाने के लिए वर्तमान कानूनों और

भारत में इनके प्रवर्तन के बारे में यह आरोप लगाते हुए गंभीर चिंता जताई थी कि संबंधित अधिकारियों और इसका अवैध व्यापार करने वाले लोगों के बीच सांठगांठ है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त पदार्थों की जब्ती में काफी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने संगत कानूनों की प्रभावशीलता और प्रभावोत्पादकता और उनके प्रवर्तन की समीक्षा की है और इस समीक्षा का क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) विश्व सीमा शुल्क संगठन अथवा इंटरपोल के अधिकारियों के किसी दल द्वारा व्यक्त की गई ऐसी कोई चिंता, सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णिम योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऋण

***194. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) स्वर्णिम योजना के आरम्भ होने के बाद इसके अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को कितनी राशि का ऋण वितरित किया गया और इस योजना से राज्य-वार अन्य पिछड़े वर्ग की कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई;

(ख) योजना के अंतर्गत महिलाओं द्वारा शुरू किये गये सृजन कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार दवारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जनवरी, 1997 में इस योजना के आरंभ से 22.7.2002 "स्वर्णिम योजना" के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को संवितरित ऋण की राशि का राज्यवार ब्यौरा और लाभान्वित अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल राशि (लाख रु. में)	लाभग्राहियों की कुल सं.
1.	आंध्र प्रदेश	612.89	8883
2.	असम	38.73	42
3.	बिहार	54.41	158
4.	गोवा	4.48	5
5.	गुजरात	27.00	150
6.	हरियाणा	32.77	173
7.	हिमाचल प्रदेश	30.08	88
8.	कर्नाटक	1021.75	10900
9.	केरल	392.37	1690
10.	मध्य प्रदेश	50.00	500
11.	सिक्किम	43.79	76
12.	उत्तर प्रदेश	126.02	297
13.	पश्चिम बंगाल	33.61	69
	कुल	2467.90	23031

(ख) निगम पात्र महिलाओं को राज्य माध्यम एजेंसियों (एस सी ए) के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत ऋण प्रदान करता रहा है:

1. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र—डेयरी, मधुमक्खी पालन, मछली का क्रय, विक्रय आदि।
2. छोटे व्यापार/शिल्पकारी एवं पारंपरिक व्यवसाय—चूड़ी ईकाई, ब्यूटी पार्लर, टोकरी बुनना, परचून की दुकान आदि।
3. सेवा क्षेत्र—फोटोकापियर, एस टी डी/पी सी ओ बूथ, टेलरिंग, जिल्दसाजी, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण आदि।

(ग) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए है। राज्य माध्यम एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वे शहरी

और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिछड़े वर्ग की आबादी वाले सघन क्षेत्रों में लक्षित समूह में इसका व्यापक प्रचार करें और लाभग्राही पहचान शिविर आयोजित करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

*195. **श्री भानसिंह भौरा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सांविधिक तीन प्रतिशत रोजगार आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम इन लोगों के लिए आरक्षित कोटे को नहीं भर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अभ्यर्थियों से कितने पद भरे गए और आज की तिथि के अनुसार ऐसे कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) इस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी, हां। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 उपयुक्त सरकार को नि:शक्त व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए पदों में रिक्तियों के 3% के आरक्षण का आदेश देता है जिसमें से (1) दृष्टिहीन या कम दृष्टि; (2) श्रवण विकलांग तथा (3) चलन संबंधी नि:शक्तता या प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा।

(ग) से (ङ) भारत सरकार के अंतर्गत समूह क, ख, ग तथा घ में पहचान किए गए पदों के संदर्भ में नि:शक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

पदों का समूह	पहचान किए गए पदों के संदर्भ में प्रतिशतता
समूह 'क'	6.56%
समूह 'ख'	5.43%
समूह 'ग'	6.50%
समूह 'घ'	6.39%

यह सूचना भारत सरकार के कुल 66 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित है। 28 मंत्रालयों/विभागों के संबंध में दिनांक 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार सूचना संबंधित है तथा शेष मंत्रालयों/विभागों के लिए वह 1.1.1999 से संबंधित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) में दिनांक 7.1.2002 की स्थिति निम्नलिखित है:

पदों का समूह	पहचान किए गए पदों के संदर्भ में प्रतिशतता
समूह 'क'	2.78%
समूह 'ख'	8.54%
समूह 'ग'	5.04%
समूह 'घ'	6.75%

हालांकि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी ओ पी टी) तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डी पी ई) क्रमश: केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सांविधिक आरक्षण के कार्यान्वयन को मानीटर करते हैं फिर भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी केन्द्रीय समन्वय समिति तथा केन्द्रीय कार्यपालक समिति की बैठकों में स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

भिक्षावृत्ति का उन्मूलन

*196. **श्री मोहन रावले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिसमापन

*197. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिसमापन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघ ने इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का केन्द्र सरकार द्वारा परिसमापन किये जाने पर चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने संबंधी गठित कार्यदल की सिफारिशों को पूरी तरह से अपनाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्य दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

***198. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय-संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) आई डी बी आई द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु क्या वैकल्पिक उपाय किये गये हैं;

(घ) ऐसी फर्जी कम्पनियों और अब बंद हो चुकी कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्हें ऋण देने के कारण आईडीबीआई को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा; और

(ङ) इस संबंध में कंपनीवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि वह किसी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा था।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- अनुप्रयोज्य आस्तियों को रोकने के लिए उपाय
- जोखिम प्रबंधन पहलें
- लागत नियंत्रण के लिए उपाय
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार करने के लिए टीयर-1 पूंजी का संवर्धन

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने जाली कंपनियों को कोई सहायता मंजूर नहीं की क्योंकि कोई सहायता मंजूर करने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मूल्यांकन के साथ-साथ प्रवर्तकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जाता है। तथापि, आईडीबीआई द्वारा सहायता प्राप्त कुछ कंपनियां पर्यावरण संबंधी, उद्योग विशिष्ट, इकाई विशिष्ट कारकों के कारण रुग्ण हो गई हैं/बन्द हो गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युतकरघा सेवा केन्द्र

***199. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:**
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और अधिक विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) स्थानों के चयन के क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या उन स्थानों को प्राथमिकता दी गई है जहां रुग्ण कपड़ा मिलों के बंद होने के कारण कामगार बेरोजगार हो गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आंतरिक और बाह्य ऋण

*200. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंतरिक ऋण-सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) अनुपात वर्ष 1990-91 के 27.8 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 36.5 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस निराशाजनक स्थिति के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) आंतरिक ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 1990-91 में 27.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1999-2000 में 37 प्रतिशत हो गया है।

(ख) आंतरिक ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि अन्य देनदारियों (लघु बचत और लोक भविष्य निधि) के दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से प्रतिभूतियों में रूपांतरण के कारण हैं, जो आंतरिक ऋण का भाग है। इस प्रकार, आंतरिक ऋण में वृद्धि अन्य आंतरिक देनदारियों में समतुल्य गिरावट द्वारा प्रतिसंतुलित हो जाती है।

तथापि, कुल आंतरिक देनदारियां-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात ने वर्ष 1990-91 में 49.8 से वर्ष 1999-2000 में 49.9 की केवल सीमांतिक वृद्धि दर्शाई है।

(ग) केन्द्र सरकार गैर-उत्पादक व्यय के नियंत्रण तथा ब्याज-भिन्न आय बढ़ाने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है।

वृद्धावस्था सामाजिक बीमा योजना

1806. **श्री महबूब जहेदी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र के लिए वृद्धावस्था सामाजिक बीमा योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपये की कार्मिक निधि के सृजन करने हेतु एक प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बाद में इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत गांव

1807. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल हथकरघा ग्राम विकास योजना और उत्तर प्रदेश हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों को शामिल किया गया है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल): (क) और (ख) भारत सरकार पश्चिम बंगाल हथकरघा ग्राम विकास योजना अथवा उत्तर प्रदेश हथकरघा ग्राम विकास योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रही है। तथापि, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना शुरू की गई जिसका उद्देश्य देश में हथकरघा ग्रामों के विकास हेतु सहायता उपलब्ध कराना था। उस योजना का 1.4.1997 से परियोजना पैकेज योजना के साथ विलय कर दिया गया था। उस अवधि के दौरान, जब एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना कार्यान्वित हो रही थी, उत्तर प्रदेश में 15 गांवों और पश्चिम बंगाल में 3 गांवों को कवर करने के लिए उनसे प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी गई थी। योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को 1500 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 184.85 लाख रुपये तथा पश्चिम बंगाल सरकार को 300 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 34.75 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

उत्तर प्रदेश के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

1808. **श्री जय प्रकाश:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान उनके मंत्राल द्वारा विकास योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) किन-किन स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) मंत्रालय की विकास योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी गई है:

क्र.सं.	वर्ष	निर्मुक्त अनुदान (रु. करोड़ में)
1.	2000-2001	18.90
2.	2001-2002	21.22

(ख) और (ग) आवेदनों के निपटान के लिए किया गया समय पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति, नामित प्राधिकारियों की सिफारिशों तथा उस क्षेत्र में परियोजना की स्थापित आवश्यकता जहां इसे शुरू करने का प्रस्ताव है, पर निर्भर करता है। सहायक अनुदान सहायता के लिए 34 आवेदन हैं, जिसमें आवेदकों/राज्य सरकारों से अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना मांगी गई है।

[अनुवाद]

कम्पनियों की लेखापरीक्षा

1809. श्री रघुनाथ झा: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री 2.5.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5688 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अमेरिका में लेखा संबंधी धोखाधड़ी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी धोखाधड़ी और अनियमितताएं निगमित निकायों में हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लेखा परीक्षा संबंधी नियमों की समीक्षा करने का है; और

(ङ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा को केन्द्रीय भंडार, एन सी सी एफ और सुपर बाजार में सरकारी कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री, कम्प्यूटर फर्नीचर आदि की खरीद-फरोख्त के संबंध में उस स्थिति में लागू न करने के क्या कारण हैं, जबकि इसका भुगतान सरकारी कोष से किया जाता है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) बहुत से समाचार-पत्रों ने कुछ अमेरीका की कम्पनियों जैसे एनरान, वर्ल्डकाम, जैराक्स, इत्यादि में लेखा कारिता अनाचार की सूचना दी है।

(ग) और (घ) यदि लेखा एक भारतीय कम्पनी के मामले में वास्तविक और उचित कार्यों का दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता है, इस पर कम्पनी अधिनियम की धारा 211 और/या धारा 628 के अंतर्गत अभियोजन लगाया जा सकता है। लेखा परीक्षा करने वाली संबंधित फर्म पर कम्पनी अधिनियम की धारा 233 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकता है या चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत व्यावसायिक अवचार के लिए इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

(ङ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एन सी सी एफ के 1987-88 से 1991-92 तक और 1995-96 से 1999-2000 तक पाँच-पाँच वर्षों की अवधियों के लेखों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था तथा सुपर बाजार के 1981-82 से 1985-86 तक की अवधि के लेखों की अध्यारोपित लेखापरीक्षा का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया गया था। केन्द्रीय भन्डार की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा लेखा परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की फर्म के द्वारा लेखा की लेखा परीक्षा कराने की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त मानी गई है।

[हिन्दी]

बैंक आफ राजस्थान

1810. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड में कुछ समय पूर्व हुई भारी अनियमितताओं और घोटालों की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक का ऋण-जमा अनुपात कितना है और आज की तारीख में इसकी गैर-निष्पादक आस्तियां कितनी हैं; और

(ङ) राजस्थान में कितने किसानों को इस बैंक द्वारा किसान ऋण-पत्र जारी किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार बैंक आफ राजस्थान लि. की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसके निरीक्षण तथा उसके पश्चात की गई विशेष समीक्षा के दौरान बैंक के कारोबार के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का पता चला जिनमें से अधिकांश बांगुर समूह से जुड़े कतिपय उधार खातों के संबंध में हुई थी। बैंक पर 3 फरवरी, 1997 को 20 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भी दिनांक 24.6.1997 को बैंक की सेवा से त्याग-पत्र दे दिया था। तदनन्तर, बैंक के दो प्रवर्तक निदेशकों, जो बांगुर समूह के हैं, को बैंक के निदेशक मण्डल से अक्तूबर, 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हटा दिया गया था। इस समूह के शेष : निदेशकों को मार्च-अप्रैल, 2000 में हटा दिया गया था। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष पूर्वानुमान के बगैर निदेशक मंडल में निदेशक को प्रवेश देने से रोक दिया गया था। फिलहाल, इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और सीबीआई की अंतरिम रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 69.63 करोड़ रुपए की निधियों का प्रवर्तक निदेशकों में से एक श्री केशव बांगुर की फ्रंट/समूह कंपनियों में अप्रवर्तित कर दिया गया था।

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान बैंक आफ राजस्थान का ऋण-जमा अनुपात तथा सकल अनुप्रयोज्य आस्तियां निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपए में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	ऋण-जमा अनुपात	सकल अनुप्रयोज्य आस्तियां
2000	60.4%	396.71 (20.02%)
2001	59.5%	362.03 (17.02%)
2002	53.4%	332.84 (15.7%)

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों पर व्यय

1811. श्री समीक लाहिड़ी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया;

(ख) नि:शक्त लोगों के लिए अल्प आबंटन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मद पर आवंटन बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (घ) विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या संबंधी सही आंकड़े (जो 2001 की जनगणना के प्रकाशित होने पर उपलब्ध होगा) के अभाव में प्रति व्यक्ति व्यय की गणना करना संभव नहीं है। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर केन्द्र सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय क्रमश: 164.09 करोड़, 246.65 करोड़ तथा 272.19 करोड़ रुपए है। दसवीं योजना अवधि में इस क्षेत्र के लिए आबंटन में वृद्धि होने की संभावना है।

[हिन्दी]

कल्याणकारी योजनाएं

1812. श्री कैलाश मेघवाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए विभिन्न योजनाओं नामत: अंत्योदय योजना, अकाल राहत, आदि के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्तावधि के लिए इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) राज्यवार कितने लोगों को आज तक गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन योजनाओं के लाभ समाज के पात्र लोगों तक पहुंचे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) अंत्योदय अन्न योजना मार्च, 2001 से शुरू की गई थी। इस योजना के अधीन राज्यों को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आवंटन किया जाता है। वर्ष 2000-001 के दौरान राज्यों को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा और राज्यों द्वारा उठान की मात्रा के आधार पर अनुमानित राजसहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

सूखा/बाढ़ राहत के लिए जनवरी, 2001 के लिए काम के बदले आज कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अधीन राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यों को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा और राज्यों द्वारा उठान की मात्रा के लिए खाद्यान्नों के आर्थिक लागत के आधार पर अनुमानित राजसहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्डों की संख्या बताने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के लाभ समाज के इच्छित वर्ग को प्राप्त हों, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(1) इस विश्वास के आधार पर कि राज्य नौकरशाही की तुलना में सच्ची लोकतांत्रिक संस्थाएं ही सभी की खाद्य सुरक्षा संबंधी जरूरतों की रक्षा बेहतर रूप से करती हैं, सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विशेष रूप से उचित दर दुकान स्तर पर, के पर्यवेक्षण और निगरानी में ग्राम पंचायतों को अधिकाधिक रूप से शामिल करें।

(2) गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 1.4.2000 से 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह, जुलाई 2001 से बढ़ाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह और 1.4.2002 से एक वर्ष तक की अवधि के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

(3) भारत सरकार मुख्यतया पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों और द्वीप समूहों सहित) के लिए लागू पहाड़ी ढुलाई राजसहायता योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं से नामित सार्वजनिक वितरण केन्द्रों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए वास्तविक आधार पर सड़क ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है।

(4) अंत्योदय अन्न योजना सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित कर दी गई है। इस योजना में 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दर पर 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिपरिवार प्रति माह देने की परिकल्पना की गई है। दी जाने वाली मात्रा को 1.4.2002 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लक्षित लाभभोगियों के लिए राजसहायताप्राप्त वस्तुओं की आपूर्ति बरकरार रखने, उपलब्धता सुनिश्चित करने और वितरण करने के लिए 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश जारी किया गया है।

विवरण I

'अंत्योदय अन्न योजना' और 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन और उठान पर दिए गए राजसहायता को बताने वाला ब्यौरा

अंत्योदय अन्न योजना

(करोड़ रुपये में)

	2000-2001		2001-2002	
	सब्सिडि		सब्सिडि	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
चावल	30.47	15.75	930.57	817.28
गेहूं	14.00	11.00	625.04	519.89
जोड़	44.47	26.75	1555.60	1337.18

काम के बदले अनाज

(करोड़ रुपये में)

	2000-2001		2001-2002	
	सब्सिडि		सब्सिडि	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
चावल	425.71	342.64	2849.53	2725.09
गेहूं	205.25	113.41	843.11	803.37
जोड़	630.96	456.05	3692.64	3528.46

विवरण II

राज्यवार राशन कार्डों की संख्या

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गरेनी	अं.अ.यो.	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	98.82	6.23	53.97	159.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.84	0.15	2.73	3.72
3.	असम	18.84	2.81	25.72	47.37
4.	बिहार	51.64	9.99	54.56	116.19
5.	छत्तीसगढ़	18.19	2.70	24.90	45.79
6.	दिल्ली	3.06	0.32	33.86	37.24
7.	गोवा	0.16	0.06	3.00	3.22
8.	गुजरात	30.67	3.25	77.87	111.79
9.	हरियाणा	6.61	1.14	36.67	44.42
10.	हिमाचल प्रदेश	2.19	0.79	10.34	13.32
11.	जम्मू और कश्मीर	3.36	1.13	10.12	14.61
12.	झारखण्ड	16.62	3.66	5.15	25.43
13.	कर्नाटक	59.11	4.76	48.98	112.85
14.	केरल	20.10	2.49	41.28	63.87

1	2	3	4	5	6
15.	मध्य प्रदेश	50.40	6.32	82.28	139.00
16.	महाराष्ट्र	63.39	10.02	145.87	219.28
17.	मणिपुर	0.42	0.25	1.13	1.80
18.	मेघालय	1.55	0.28	0.98	2.81
19.	मिजोरम	0.58	0.10	1.71	2.39
20.	नागालैण्ड	1.05	0.19	0.75	1.99
21.	उड़ीसा	43.50	5.05	30.47	79.02
22.	पंजाब	6.32	0.72	48.19	55.23
23.	राजस्थान	19.14	3.73	93.49	116.36
24.	सिक्किम	0.30	0.07	1.89	2.26
25.	तमिलनाडु	*	6.74	161.15	167.89
26.	त्रिपुरा	2.50	0.45	4.79	7.74
27.	उत्तरांचल	4.22	0.76	16.77	21.75
28.	उत्तर प्रदेश	90.38	16.36	282.01	388.75
29.	पश्चिम बंगाल	41.33	5.59	112.42	159.34
30.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0.11	0.04	0.72	0.87
31.	चंडीगढ़	0.10	0.03	2.15	2.28
32.	दादर नगर हवेली	0.13	0.03	0.17	0.33
33.	दमन और दीव	0.00	0.01	0.17	0.18
34.	दिल्ली	0.00	0.004	0.11	0.11
35.	लक्षद्वीप	0.86	0.09	1.75	2.70
36.	पांडिचेरी	656.49	96.31	1418.12	2170.92
	जोड़				

[अनुवाद]

बैंकों के कैश रिकार्ड का लेन-देन

1813. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मई, 2002 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' और 'टाइम्स आफ इंडिया' में क्रमश: "आर.बी.आई. पिंस लैप्सेस इन बैंक कैश रिकार्ड ट्रांजैक्शन्स" और "सी.बी.सी. स्पाट्स बैंक्स वायलेटिंग नार्म्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) मदवार की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अप्रैल 2000 में बैंकों में धांधली संबंधी दिशानिर्देशों में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कहा था;

(ङ) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से नकद जमा अथवा दस लाख रुपए और इससे अधिक रुपए निकालने का रिकार्ड रखने में भारतीय रिजर्व बैंक का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है; और

(छ) यदि हां, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इन अनुदेशों का पालन करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि प्रवर्तन निदेशालय से सुराग मिलने के बाद मुम्बई में केरल के 5 गैर-सरकारी क्षेत्र के और अन्य बैंकों की शाखाओं की संवीक्षा की गई थी जिससे पता चला कि उनके द्वारा बड़ी संख्या में नकदी मजा अन्तरण/आहरण की अनुमति दी गई थी। हालांकि बैंकों को कोई हानि नहीं हुई, यह पता चला कि खाते खोलने तथा बड़े मूल्य के नकदी लेनदेनों को दर्ज करने की सूचना देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पद्धतियों का पालन करने में बैंक असफल हुए थे और उन्होंने बैंकिंग चेनलों के माध्यम से बेहिसाब धन को संचालित करने की अनुमति दी थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ियों से संबधित कुछ मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया था। दल ने अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में बैंकों द्वारा किए गए अत्यधिक विलम्ब के कारणों की जांच की थी और देरी कम करने तथा धोखाधड़ियों को रोकने के उद्देश्य से आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपायों की सिफारिश की थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने बैंक धोखाधड़ियों के कानूनी पहलुओं संबंधी एक समिति का गठन किया था। इसने सितम्बर 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशें हैं: उत्कृष्ट आचार संहिता (बीपीसी) का विकास, उत्कृष्ट आचार संहिता के आन्तरिकीकरण की प्रणाली, आन्तरिक जांच एवं आन्तरिक नियंत्रण, मल्य सीमा से अधिक के सभी लेनदेनों में कानूनी अनुपालन प्रमाण-पत्र, कानूनी अनुपालन लेखा परीक्षा, विवेकाधिकार के प्रयोग संबंधी आंकड़े तैयार करना तथा तत्संबंधी निगरानी, लेखा एवं लेखा परीक्षा व्यवसाय की देयता आदि, जिनके कार्यान्वयन के लिए कोई विधायी परिवर्तन अपेक्षित नहीं थे और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिन्हें स्वीकार किया गया था तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इन्हें कार्यान्वित करने की सलाह दी गई थी।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अप्रैल 2000 में बैंकों में धोखाधड़ियों को रोकने के लिए दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा है।

(च) और (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को शाखाओं द्वारा जमा तथा अन्य खातों में 10 लाख रुपए तथा इसके अधिक की नकद जमाओं एवं आहरणों यथा नकदी ऋण एवं ओवरड्राफ्ट, आदि की गहन गिनरानी के लिए और ऐसे लेनदेनों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर बनाने के लिए कहा है। बैंकों को खाते खोलने एवं इनकी निगरानी से संबधित वर्तमान अनुदेशों का कठोरता से पालन करने की सलाह भी दी गई थी।

गुजरात में बैंकों की शाखाएं

1814. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में विभिन्न बैंकों की कई शाखाएं विशेषकर भूकम्प और हाल ही में हुए दंगों के बाद अपने नेमी कार्य का संचालन नहीं कर पा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) गुजरात राज्य के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, देना बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 26 जनवरी, 2001 को भूकम्प की वजह से गुजरात राज्य में विभिन्न बैंकों की 148 शाखाएं बहुत अधिक/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थीं। बैंकों ने मलबे को हटाकर और अभिलेखों को पुन: प्राप्त करके, परिसरों को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित आदि करके शाखाओं का कार्यकरण पुन: शुरू करने के लिए तुरन्त उपाय किये थे। 17 फरवरी, 2001 तक राज्य में सभी शाखाओं को कार्यरत बना दिया गया था।

हाल के दंगों की वजह से, किसी भी बैंक शाखा को बहुत अधिक क्षति होने की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, राज्य के कई स्थानों में तनावपूर्ण स्थिति की वजह से कई शाखाएं कर्फ्यू के कारण बंद रहीं। अनिश्चित परिस्थितियों (सामान्य स्थिति की) के अधीन, कई शाखाओं ने आंशिक रूप से भी कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक इस परिचालन क्षेत्र की निकट से निगरानी कर रहा था और बैंकों द्वारा दंगा-रहित क्षेत्र में अस्थायी स्थानांतरण जैसे विभिन्न उपचारात्मक उपाय भी किए गए थे।

(ख) जहां तक भूकम्प का संबंध है, बैंकों ने बैंकों का तुरन्त कार्यकरण पुन: शुरू करने और भूकम्प पीड़ितों के लगभग पांच लाख बचत बैंक खाते खोलने में शाखाओं की सहायता करने के लिए अन्य केन्द्रों से कच्छ में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किए हैं, क्योंकि राहत की रकम बैंक खातों के माध्यम से प्रदान की जानी थी। दंगों के मामले में भी, जहां कहीं भी अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता थी, उनकी तैनाती की गई थी। इसके अतिरिक्त, कर्फ्यू पास के लिए भी व्यवस्था की गई थी।

[हिन्दी]

कन्या विवाह ऋण योजना

1815. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 'कन्या विवाह ऋण योजना' शुरू की है; और

(ख) उपरोक्त योजना द्वारा बैंक-वार अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और उनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) बैंक आफ बड़ौदा से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने 4 मई, 2002 से 'बीओबी कन्या विवाह ऋण योजना' नामक योजना को लागू किया। अब तक बैंक ने 24 मामलों में वित्त प्रदान किया है जिनमें से दो मामलों में अ.जा./अ.ज.जा. के लोग लाभान्वित हुए हैं। अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर उक्त सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांगों का प्रशिक्षण एवं पुनर्वास

1816. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बेरोजगार विकलांग युवकों की संख्या के बारे में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को उन्हें रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की सेवाओं में उनके लिए एक निर्धारित प्रतिशत आरक्षित करने हेतु सलाह दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से राज्य इस सलाह का पालन नहीं कर रहे हैं;

(ङ) क्या देश में लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए बेरोजगार विकलांग युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक इन योजनाओं द्वारा कितने बेरोजगार विकलांग युवक लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जून 2000 तक संकलित सूचना के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के अद्यतन रजिस्टर में नामांकित विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या 4.66 लाख है।

(ग) और (घ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में सरकारी संगठनों में चुने गए पदों में 3 प्रतिशत तक के आरक्षण द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से किया जाता है।

(ङ) और (च) नि:शक्त व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता का मूल्यांकन करने और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और दिशानिर्देश देने के लिए देश में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से जून 2001 तक 1,31,900 नि:शक्त व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान 175 गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है जिससे 16000 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

[अनुवाद]

कर्नाटक को वित्तीय सहायता

1817. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए परिकलन के अनुसार केन्द्र सरकार से धनराशि के कुल अंतरण में 19,691.98 करोड़ रुपये लेने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यह धनराशि दसवें वित्त आयोग में दी गई धनराशि से किस सीमा तक अधिक है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2000-05 की अवधि के लिए कर्नाटक को कुल अनुमानित अंतरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

1.	केन्द्रीय करों और प्रशुल्कों में हिस्सेदारी	18552.48
2.	स्तरोन्नयन और विशेष समस्या अनुदान के लिए अनुदान	311.53
3.	स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	518.94
4.	आपदा राहत कोष में केन्द्र की हिस्सेदारी	309.03
5.	प्रोत्साहन निधि में केन्द्र का अंशदान	286.15
	कुल	19978.13

वर्ष 2000-05 के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत कर्नाटक का कुल अनुमानित अंतरण 89.89 प्रतिशत है, जो वर्ष 1995-2000 के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत कुल अनुमानित अंतरण से अधिक है।

वस्त्र नीति का पुनरीक्षण

1818. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गारमेन्ट सेक्टर को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिए जाने से देशी वस्त्र उद्योग पर असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए वस्त्र नीति का पुनरीक्षण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो देशी वस्त्र उद्योग को बचाने के लिए अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ कदम हैं:

1. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के हितों के लिए 30 अगस्त, 2000 से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक गहन नीति पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में वित्तीय और ऋण सहायता को बढ़ाना, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चरल और विपणन सुविधाएं प्रदान करना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन देना शामिल हैं। नीति पैकेज के प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में उसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना है।

2. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

3. टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत शामिल बुनाई प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्य ह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीति के उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत को भी घटाया गया है।

4. पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी है।

5. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम चला रहे हैं।

6. पारि-परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उद्योग (जिसमें निटवियर और शालें शामिल हैं) को सक्षम तथा सुग्राही बनाना।

पाकिस्तान से आयात पर शुल्क रियायत

1819. श्री टी. गोविन्दन: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपने संबंधों में सुधार करने/नरम बनाने के लिए सद्भावना-प्रदर्शन के रूप में कुछ वस्तुओं के पाकिस्तान से आयात पर शुल्क रियायत की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) हमारी संसद पर 13 दिसंबर को हुए आतंकवादी हमले के बाद न तो ऐसी किसी प्रकार की रियायतों की घोषणा की गई है और न ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति

1820. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मानसिक रूप से बीमार लोगों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उन संस्थाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं जो ऐसे लोगों की देखभाल करती है;

(घ) क्या भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों की दुर्दशा के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) हालांकि सरकार ने देश में मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, तथापि रोगविज्ञानी अध्ययनों से यह पता चला है कि 1% से 2% जनसंख्या को बड़ी मानसिक बीमारियां हैं और 5 से 10% जनसंख्या गौण मानसिक बीमारियों से पीड़ित है।

(ग) केन्द्र सरकार की दो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाएं हैं, झारखंड में केन्द्रीय मनोविज्ञान संस्थान और कर्नाटक में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका-विज्ञान संस्थान।

(घ) से (छ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में इरवडी स्थित एक पागलखाने में 25 जंजीरों से बंधे संवासियों की मृत्यु पर छपी एक न्यूज रिपोर्ट का 7.8.2001 को स्व-प्रेरणा संज्ञान लिया। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

जनजातियों के लिए विकास योजना

1821. श्री जे.एस. वराड़: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान और निकोबार में जनजातियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अंडमान और निकोबार के मूल निवासियों की पहचान बरकरार रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन्हें शिक्षा प्रदान करने और आधुनिक सुविधाओं तक उनकी पहुंच बनाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) 1991 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार की कुल जनजातीय जनसंख्या 26770 थी।

(ख) अंडमान और निकोबार की जनजातियों की पहचान बरकरार रखने के लिए संघ राज्य प्रशासन ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की अनुमति के बिना बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन जनजातीय प्रदेशों में फिल्म बनाने और फोटोग्राफी करने की भी अनुमति नहीं है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर, जनजातीय संस्कृति का वृत्तचित्र बनाने के लिए अंडमान और निकोबार की जनजातियों पर मोनोग्राफ भी बनाता है।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीप के जनजातीय लोग अब भी सामाजिक और आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों पर हैं। भारत सरकार और संघ राज्य प्रशासन, दोनों ही विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा इन द्वीपों

की अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास और उन्हें आधुनिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न करते हैं।

दिल्ली विमानपत्तन पर एकत्रित सीमा शुल्क

1822. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002 में दिल्ली विमानपत्तन पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा कितना राजस्व एकत्र किया गया;

(ख) पूर्वोक्त अवधि के दौरान दिल्ली विमानपत्तन पर सीमा शुल्क के कार्गो आपरेशनों से कितना राजस्व एकत्र किया गया;

(ग) क्या निर्यातकर्ता और आयातकर्ता अभी भी सीमा शुल्क विभाग से स्वीकृति और उचित व्यवस्था प्राप्त करने में अत्यधिक देरी और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि इस पद्धति को और सरल बनाया जाए और इस पर नौकरशाही का कम प्रभाव हो?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) वर्ष 2001-2002 में दिल्ली विमानपत्तन पर वसूल किया गया राजस्व 61.73 करोड़ रुपए था।

(ख) वर्ष 2001-02 के दौरान दिल्ली विमानपत्तन पर, सीमा शुल्क के कार्गो आपरेशनों से, 2666.04 करोड़ रुपये का कुल राजस्व वसूल किया गया था।

(ग) और (घ) निर्यातकों तथा आयातकों को देरी अथवा कठिनाई के विनिर्दिष्ट मामलों की जांच की जा रही है और मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निवारण किया जाता है। कई प्रक्रियात्मक तथा प्रणालीगत सुधार किये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप अब यह प्रणाली और अधिक सरल तथा कम दफ्तरशाही वाली हो गई है।

कर निर्धारितियों से आयकर की कम और अधिक वसूली

1823. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर का निर्धारण करने वाले अधिकारियों की ओर से आयकर की कम और अधिक वसूली के मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कम वसूली के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और कितने मामलों में कर निर्धारितियों से अधिक वसूली की गई है और इसमें कितनी धनराशि संलिप्त है; और

(ग) कर निर्धारितियों से कम और अधिक वसूली को रोकने के उपायों के अलावा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) 15 मार्च, 2002 को संसद में प्रस्तुत की गई 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 12 (31.3.2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कम कर-निर्धारण के 15919 लेखा परीक्षा प्रेक्षण और अधिक कर-निर्धारण के 82 मामले बताए हैं, जिनमें उनके अनुसार कम कर-निर्धारण में 4777.70 रुपये का कर प्रभाव और अधिक कर-निर्धारण में 49.24 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अंतर्ग्रस्त है।

(ग) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पैरा-वार उत्तर देने के उद्देश्य से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में जांच की जा रही है जिससे उपर्युक्त लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की सच्चाई अथवा अन्यथा इनका निर्धारण किया जा सके। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले ही करनिर्धारण अधिकारियों/क्षेत्रीय कार्यालयों को कर-निर्धारणों में यथोचित सावधानी बरतने और अशुद्धियों से बचने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं। सभी मामलों में सीबीडीटी अनुदेश सं. 1928 दिनांक 7.8.95 के अनुसार निरपवाद रूप से उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। निदेशक, आयकर (लेखा परीक्षा) ने कर-निर्धारण अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश और जांच सूची भी जारी की है।

[हिन्दी]

मंत्रालय में नियुक्ति

1824. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में राज्य-वार कितने अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवा के दौरान निधन हो गया;

(ख) उन मृत अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिया गया है;

(ग) उन मृत अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके आश्रितों को उक्त आधार पर अब तक रोजगार नहीं दिया गया है; और

(घ) उक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के आश्रितों को कब तक रोजगार दिया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान सेवा के दौरान दिवंगत भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	अधिकारी	कर्मचारी
1999	30	347
2000	33	399
2001	39	366

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के उन दिवंगत अधिकारियों के नाम निम्नानुसार हैं, जिनके आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर भारतीय खाद्य निगम में रोजगार दिया गया है:

वर्ष	नाम	पदनाम
1999		
	1. श्री ओंकार स्वरूप भटनागर	सहायक प्रबंधक (डी.)
	2. श्री एस.ए. खान	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
	3. श्री जे.पी. शर्मा	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
	4. श्री एस.एस. सक्सेना	सहायक प्रबंधक (लेखा)
	5. श्री वीरेन्द्र सिंह	सहायक प्रबंधक (डी.)
	6. श्री प्रभात चन्दर	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
2000		
	1. श्री हरि कृष्ण	सहायक प्रबंधक (डी.)
	2. श्री हरपाल सिंह मलिक	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
2001		
	1. श्री सतीश कुमार	सहायक प्रबंधक (जी.)
	2. श्री के.के. पिल्लई	सहायक प्रबंधक (जी.)
	3. श्री अवतार सिंह	सहायक प्रबंधक (डी.)
	4. श्री राजन मोहन खन्ना	सहायक प्रबंधक (डी.)

(ग) भारतीय खाद्य निगम के जिन दिवंगत अधिकारियों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर रोजगार नहीं दिया गया है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम में वर्षवार उत्पन्न होने वाली कितनी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के जिन दिवंगत अधिकारियों के आश्रितों को अब तक रोजगार नहीं दिया गया, उनके नाम

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	2	3
वर्ष 1999		
1.	श्री पी.वी. रानाडे	सहायक प्रबंधक (डी.)
2.	श्री एस.बी. विंगोरा	सहायक प्रबंधक (जी.)
3.	श्री पी.वी. लोहार	सहायक प्रबंधक (डी.)
4.	श्री पी.एम. जोशी	सहायक प्रबंधक (डी.)
5.	श्री ए.के. गुमाश्ता	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
6.	श्री मोनारंजन नंदी	सहायक प्रबंधक (जी.)
7.	श्री वी.के. डांग	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
8.	श्री ए.एल. सिद्दीकी	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
9.	श्री एन. श्रीनिवासन	सहायक प्रबंधक (लेखा)
10.	श्री आर.ए. पुराणकर	जिला प्रबंधक (लेखा)
11.	श्री एन. पट्टाबीरामा राव	सहायक प्रबंधक (डी.)
12.	श्री के. राजन	सहायक प्रबंधक (जी.)
13.	श्री आर. चन्द्रा मोहन	सहायक प्रबंधक (जी.)

टिप्पण: 1999 के दौरान शेष 11 दिवंगत अधिकारियों के आश्रितों से अनुरोध प्राप्त नहीं हुए।

वर्ष 2000

1.	श्री एस.टी. सरवनकर	सहायक प्रबंधक (डी.)
2.	श्री एस.बी. सोनावाने	सहायक प्रबंधक (जी.)
3.	श्री आर.एस. शर्मा	सहायक प्रबंधक (डी.)
4.	श्रीमती मीना एल. रमानी	सहायक प्रबंधक (जी.)
5.	श्री सी.टी. पारेख	सहायक प्रबंधक (डी.)
6.	श्री सत पाल वैद	सहायक प्रबंधक (डी.)
7.	श्री देवेन्दर कुमार	सहायक प्रबंधक (लेखा)
8.	श्री वी.के. मिश्रा	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
9.	श्री एम.एल. गर्ग	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
10.	श्री रमेश चंद शर्मा	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
11.	श्री रज्जन लाल शुक्ला	सहायक प्रबंधक (डी.)
12.	श्री पी. कन्नन	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
13.	श्री आर. वेंकटराव	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
14.	श्री जी. श्रीनिवासन	सहायक प्रबंधक (डी.)
15.	श्री एस. भीमाराजू डोरा	सहायक प्रबंधक (जी.)
16.	श्री पी. बाबू राव	सहायक प्रबंधक (डी.)
17.	श्री वाई. भास्कर राव	सहायक प्रबंधक (लेखा)
18.	श्री एम.एल. गिरधानी	सहायक प्रबंधक (संचलन)

टिप्पण: 2000 के दौरान शेष 13 दिवंगत अधिकारियों के आश्रितों से अनुरोध प्राप्त नहीं हुए।

वर्ष 2001

1.	श्री आर.के. चौधरी	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
2.	श्री एस.बी. विंगोरा	सहायक प्रबंधक (जी.)
3.	श्री जतिन चौधरी बनिया	सहायक प्रबंधक (लेखा)
4.	श्री मुनीन डवराल	सहायक प्रबंधक (लेखा)
5.	श्री आर.सी. पृथी	सहायक प्रबंधक (जी.)
6.	श्री पी.सी. पहूजा	सहायक प्रबंधक (जी.)
7.	श्री राम प्रसाद	सहायक प्रबंधक (डी.)
8.	श्रीमती अनीमा गांगुली	सहायक प्रबंधक (जी.)
9.	श्री वी. के. अलग	सहायक प्रबंधक (डी.)
10.	श्री इरशाद आलम	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
11.	श्री बी. महोनदास	सहायक प्रबंधक (डी.)
12.	श्री ए. राधाकृष्णन	सहायक प्रबंधक (लेखा)
13.	श्री एम. सिंगाराम	सहायक प्रबंधक (डी.)
14.	श्री वी. रामाकोट्टाय्या	सहायक प्रबंधक (डी.)
15.	श्री के. पदमनाभा राव	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
16.	श्री बी. स्वामीनाथन	सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.)
17.	श्री प्रेम स्वरूप	सहायक प्रबंधक (जी.)
18.	श्री सतीश चन्द्र	सहायक प्रबंधक (जी.)

टिप्पण: 2001 के दौरान शेष 17 दिवंगत अधिकारियों के आश्रितों से अनुरोध प्राप्त नहीं हुए।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा सोना एवं चांदी की जब्ती

1825. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में डी.आर.आई. और सीमा शुल्क अधिकारियों ने तमिलनाडु के चेन्नई विमानपत्तन एवं अन्य विमान टर्मिनलों पर करोड़ों रुपयों के मूल्य का बहुत अधिक सोना-चांदी पकड़ा है और जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए सोना-चांदी का तिथि-वार सूची/ब्यौरा क्या है तथा इसकी मात्रा एवं इसका मूल्य क्या हुआ है;

(ग) क्या सरकार को सूचना देने वालों अथवा तस्करों को पकड़ने के संबंध में टिप्स/सुराग बताने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ प्रतिशत देना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में की गई जब्ती हेतु अब तक दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है।

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में चैन्नई विमानपत्तन और अन्य विमान टर्मिनलों पर राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 7.07 करोड़ रुपए (लगभग) मूल्य का 162.08 कि.ग्रा. सोना जब्त किया गया था। उक्त अवधि के दौरान चांदी की कोई जब्ती नहीं की गई थी। उक्त अवधि के दौरान जब्त किए गए सोने की मात्रा और उसके मूल्य सहित की गई जब्तियों की तारीखवार सूची/ब्यौरे संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा बनाई गई पुरस्कार नीति के अनुसार पुरस्कार उन मुखबिरों अथवा व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि तस्करों को पकड़वाने के लिए गुप्त सूचना/सुराग देते हैं। गत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में की गई जब्तियों के लिए मुखबिरों को 1.36 करोड़ रुपये (लगभग) का पुरस्कार दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में चैन्नई विमानपत्तन और अन्य एयर टर्मिनलों पर राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किये गए सोने के तारीखवार ब्यौरे

क्र.सं.	जब्त करने की तारीख	जब्त करने का स्थान	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5
		1999-2000		
1.	01.06.99	चैन्नई विमानपत्तन	5.947	0.248
2.	17.09.99	चैन्नई विमानपत्तन	2.548	0.103
3.	02.10.99	चैन्नई विमानपत्तन	2.934	0.124
4.	01.11.99	चैन्नई विमानपत्तन	5.830	0.266
5.	02.11.99	चैन्नई विमानपत्तन	9.320	0.425
		2000-2001		
6.	01.07.2000	त्रिची विमानपत्तन	0.093	0.003
7.	16.08.2000	त्रिची विमानपत्तन	0.116	0.009
8.	13.10.2000	चैन्नई विमानपत्तन	8.155	0.368

1	2	3	4	5
		2001-2002		
9.	11.05.2001	त्रिची विमानपत्तन	0.100	0.003
10.	26.06.2001	त्रिची विमानपत्तन	0.081	0.002
11.	11.07.2001	चैन्नई विमानपत्तन	119.169	5.182
12.	08.08.2001	चैन्नई विमानपत्तन	7.689	0.336
13.	22.08.2001	त्रिची विमानपत्तन	0.100	0.003
	कुल		162.082	7.072

वित्तीय संस्थाओं को अधिकार

1826. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की ने ऋण वसूली के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को व्यापक अधिकार देने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) एफ आई सी सी आई ने सूचित किया है कि उसने किसी मंत्रालय को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों को सहायता

1827. श्री भीम दाहाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मूक और बधिर व्यक्तियों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जिनके माध्यम से उन्हें सहायता दी जा रही है;

(ख) क्या गरीब लोगों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मूक और बधिर व्यक्तियों को वास्तव में ये सहायता मिल रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार गरीबों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, मूक और बधिर व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तौर पर सहायता देने हेतु क्या कदम उठा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु विशेष स्कूलों और केन्द्रों की परियोजनाओं की स्थापना के लिए पात्र संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2001-2002 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियां लक्षित लाभग्राहियों तक पहुंचे, निधियों के उपयोग को आवधिक निरीक्षणों और दस्तावेजी सूचना जैसे पूर्व के वर्षों में निर्मुक्त निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों और संपरीक्षित लेखा के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है।

विवरण

राज्य का नाम	संगठन का नाम	पता
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	डोनयी पोलो मिशन	ईटा नगर-791111, अ.प्र.
अरुणाचल प्रदेश	रामकृष्ण मिशन अस्पताल	पी.ओ. आर.के. मिशन, ईटानगर, अ.प्र.
असम	अमर प्रगति सांस्कृतिक चौरा एवं समाज उन्नयन केन्द्र	दक्षिण रुक्मणि नगर, गोवाहटी, असम
असम	आशादीप	इस्लामपुर रोड, गोवाहाटी-असम
असम	असम मेंटल वैलफेयर सोसा.	गांव मल्ली कुच्ची, डाकघर विद्यापुर, असम
असम	धुले क्षेत्रीय शारीरिक विकास एसोसिएशन	डाकघर धुले, दारंग, असम
असम	गोवाहाटी मेंटल वैलफेयर सोसाईटी	विकास नगर, दखिण गांव, असम
असम	जन कल्याण तथा विकलांग लोकर सेबो अरूगोवषणा केन्द्र	दूबिया, जिला सोनितपुर, असम
असम	कच्चा जूली शारीरिक विकलांग स्कूल और ट्रेनिंग सैंटर	डाकघर कच्चा जूली, जिला लखीमपुर, असम
असम	आर्गेनाइजेशन फॉर एजु. एण्ड अदर रूरल डेवलपमेंट	गोरा नगर, डाकघर होजल, असम
असम	प्रेरणा स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ जौरहट	चिन्नामाडा, जोरहट, असम
असम	साहित्य	गवर्नमेंट प्रेस सोड, गोवाहाटी, असम
असम	शिशु सरोथ्थी सफास्टिक सोसा. ऑफ असम	रामकृष्ण मिशन रोड, बिरूबाडी, गोवाहटी
असम	स्वावलंबी	गांधी बस्ती रोड, डाकघर के सामने, गोवाहटी, असम
असम	उदाली ग्रामीण विकास एसोसिएशन	डाकघर उदाली बाजार, जिला नगांव, असम
मणिपुर	ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड परसन वैल. आर्गेनाइजेशन	केशम थौंम, टाप लिरेक, इम्फाल, मणिपुर
मणिपुर	सैंटर फॉर मेंटल हाइजीन	संगापाईपोरू, एयरपोर्ट रोड, इम्फाल, मणिपुर

1	2	3
मणिपुर	इन्स्टी. ऑफ सोशल डेवलेपमेंट फॉर वीकर सैक्शन	बेंगबाम, लेकेई, खुगुनांग, हाओगैली, डाकघर, इम्फाल, मणिपुर
मणिपुर	कांगचुप एरिया ट्रायबल वूमन सोसाईटी.	शेरवुड, 5 एवेन्यू, इण्फाल, मणिपुर
मणिपुर	लैप्रोसी पेशेन्ट्स वैलफेयर सोसा.	चिंग मैरोंग, लैंइगखोल, मणिपुर
मणिपुर	ग्रामीण शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक विकास संगठन	डाकघर थंगा, ढोंगग्राम, डाकघर मोईरांग मणिपुर
मणिपुर	लैप्रौसी पेसेंट्स वैलफेयर सोसाईटी	चिंग मैरोंग, लेइंगखील, मणिपुर
मणिपुर	ग्रामीण शैक्षिक एवं सामाजिक, आर्थिक विकास संगठन	डाकघर थंगा, टोंग्राम, मणिपर
मणिपुर	सोशल एवं हैल्थ डेवलेपमेंट ऑर्गेनाइजेशन	शमथौंग, ओइनाम लेकेई, इम्फाल
मणिपुर	टाईपराइटिंग इन्स्टीट्यूट एण्ड रूरल डेवलेपमेंट	थोबल जिला, थोबल, मणिपुर
मेघालय	बेथानी सोसाईटी	अराईमिले, न्यू तारा पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय
मेघालय	द्वार जिंकरी मैंन स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन	स्टोनीलैंड, शिलांग, मेघालय
मेघालय	फरेडो स्पीच एण्ड हियरिंग सेंटर	मावरोहो, मोबलाई, शिलांग, मेघालय
मेघालय	माटोफोर्ड सैंटर फार एजुकेशन	दनाकरे, तोरा डाकघर, मेघालय
मेघालय	दी सोसाईटी फॉर द वैलफेयर ऑफ द डिसेबल्ड	हॉलीक्रास विला, रेडहिल्स रोड, लैतुम खार, शिलांग, मेघालय
मिजोरम	मौरिटन एसो. फॉर दी ब्लाइंड	मुख्यालय, दर्जलैंग, एजवाल, जिला मिजोरम
मिजोरम	सोसा. फॉर द सफास्टिक चिल्ड्रन	छंगा बिल्डिंग, सवोनवैंग, एजवाल, मिजोरम
नागालैंड	डीफ बिबलीकल मिनीस्ट्री	पो. बॉक्स 61, दीमापुर-797112, नागालैंड
सिक्किम	नेशनल एसो. फॉर दी ब्लाइंड	पालजोर स्टेडियम रोड, पोस्ट बॉक्स 92, गंगटोक, सिक्किम
त्रिपुरा	नॉर्थ त्रिपुरा डीफ एण्ड डम स्कूल	डाकघर कैलाशघर, नॉर्थ त्रिपुरा
अरुणाचल प्रदेश	आर.के. मिशन अस्पताल	डाकघर· आर.के. मिशन, एटानगर
असम	भारत विकास परिषद, असम	2, नवजान रोड, ऊजन बाजार, गोवाहाटी-781001
त्रिपुरा	प्रतिबंधी पुनर्वास समिति	अभय नगर, अगरतला,-799005

विदेशी निवेशक

1828. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अम्बरीश:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के विभिन्न मुद्दों पर जापान सरकार के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कानूनों के अंतर्गत विदेशी निवेशकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) निवेशकों के निवेशों के पारस्परिक आधार पर संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बीआईपीए) कर रही है, तथा, अब तक 46 देशों के साथ ऐसे करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार के महत्वपूर्ण घटक हैं: विदेशी निवेश के लिए राष्ट्रीय व्यवहार; विदेशी निवेश तथा निवेशकों के लिए सर्वाधिक अनुग्रहप्राप्त राष्ट्र का व्यवहार; निवेश पर प्रतिफलों का मुक्त प्रत्यावर्तन/अंतरण; निवेशक-राज्य तथा राज्य-राज्य विवादों के लिए घरेलू विवाद निपाटन तथा अंतर्राष्ट्रीय विवाचन का सहारा लेना; राष्ट्रीयकरण/स्वामित्वहरण केवल जनहित में भेदभावरहित आधार पर तथा क्षतिपूर्ति के प्रति, इत्यादि। जापान के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बीआईपीए) करने के लिए 1994 में वार्ताएं आयोजित की गई थी, लेकिन करार के कतिपय प्रावधानों के बारे में दोनों पक्षों के बीच काफी मतभेद होने के कारण इसे निष्पादित किया जाना संभव नहीं हो सका है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि क्षेत्र को सहायता

1829. श्री भान सिंह भौरा: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कृषि के विकास के लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से निधियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में इन निधियों से शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं हेतु, राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित और हासिल किए गए?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजनाओं के ब्यौरे तथा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए संवितरण निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े मिलियन में)

क्र.सं.	ऋण/अनुदान का विवरण	राज्य	ऋण/अनुदान राशि		संवितरण की अंतिम तिथि	निम्न अवधि में संवितरण		
			मुद्रा	राशि		1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ऋण								
	आईबीआरडी							
1.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी II) दि. 14.7.99	हरि., हि.प्र., ज. और क., पंजाब, उत्तरांचल	यूएसडी	85.00	31.3.05	0.85	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आईडीए							
2.	समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी II) दि. 14.7.99	हरि., हि.प्र., ज. और कं., पंजाब, उत्तरांचल	एसडीआर	36.90	31.3.05	6.92	12.14	16.78
3.	कर्नाटक जलसंभर विकास दि. 26.7.2001	कर्नाटक	एसडीआर	79.00	31.3.07	–	–	2.37
4.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन दि. 4.6.2002	कर्नाटक	एसडीआर	80.00	31.1.09	–	–	–
अनुदान								
	यूएनडीपी							
1.	पंजाब में कृषि हेतु सूचना प्रौद्योगिकी दि. 30.3.00	पंजाब	यूएसडी	1.25	30.6.02	–	0.00	0.09
2.	खाद्य सुरक्षा हेतु महिला कृषकों की अधिकारिता दि. 1.11.99	उत्तर प्रदेश	यूएसडी	1.63	30.11.02	0.19	0.38	0.19

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक प्राधिकरण

1830. श्री अम्बरीश:
श्री सी. श्रीनिवासन:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार का विचार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और चिट फंड्स के लिए एक एकल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस एकल विनियामक प्राधिकरण के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) वित्तीय कारबार कर रहे विभिन्न सत्ताओं के बहुविध विनियामकों की समस्या की जांच के लिए सरकार ने हाल ही में सचिव (वित्तीय क्षेत्र) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत-म्यांमार सीमा व्यापार वार्ता

1831. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारत-म्यांमार सीमा व्यापार वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा कि गए विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत अनेक वस्तुओं का म्यांमार के जरिए अनेक अन्य देशों को निर्यात करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) भारत और म्यांमार के बीच

राष्ट्रीय स्तर की आठवीं बैठक 10-11 जुलाई, 2002 को दिल्ली में आयोजित की गई थी। बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन को सुकर बनाने पर उद्दिष्ट सामान्य व्यापारिक मामलों सहित अनेक विषय शामिल थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुप्रयोज्य आस्तियां

1832. श्री अनंत गुढ़े: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन ने कमजोरी के उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जिनके कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुप्रयोज्य आस्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तर्ज पर एक स्वतंत्र बैंकिंग लेखापरीक्षण आयोग गठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, कलकत्ता ने सुझाव दिया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरह एक स्वतंत्र बैंकिंग सेवा लेखा परीक्षा आयोग' की स्थापना की जानी चाहिए।

(ग) पिछले कुछ समय से, भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करने की एक विस्तृत प्रणाली विकसित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के तत्वावधान के अंतर्गत एक उप समिति (लेखापरीक्षा) गठित की है, जो लेखापरीक्षा को नियंत्रित करने वाली नीति तैयार करती है और सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूची में शामिल करने के लिए मानदंड निर्धारित करती है। तत्पश्चात, स्थायी सलाहकार समिति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से प्राप्त पात्र लेखा परीक्षा फर्मों की सूची में से बैंकों में नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों के पैनल को अंतिम रूप प्रदान करती है। चूंकि विद्यमान लेखा परीक्षा प्रणाली पूर्णतया पर्याप्त है, इसलिए पृथक बैंकिंग सेवा लेखा परीक्षा आयोग स्थापित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं

1833. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ख) पिछड़े वर्गों, निम्न आय वर्ग वाले लोगों, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों और सफाई कर्मचारियों के परिवारों के लाभ के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम और उनका ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) चूंकि जनगणना पिछड़े वर्गों को अलग से वर्गीकृत नहीं करता, इसलिए सरकार के पास विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के संबंध में कोई विशेष आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करती रही हैं:

1. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।
2. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
3. अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टल।
4. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता; तथा
5. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग।

भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक तथा विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से तथा उपयुक्त स्व रोजगार उद्यमों की स्थापना तथा उद्यमीय कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है। एन बी सी एफ डी सी

सभी राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1. आवधिक ऋण योजना
2. अतिरिक्त राशि ऋण योजना
3. लघु ऋण वित्त पोषण योजना
4. नई स्वर्णिमा योजना
5. शिक्षा ऋण योजना
6. प्रशिक्षण योजनाएं।

भारत सरकार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों सहित शहरी तथा ग्रामीण निर्धनों के लिए गरीबी उन्मूलन संबंधी निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है।

1. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना
2. रोजगार आश्वासन योजना
3. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तथा
4. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सफाई कर्मचारियों के परिवारों के कल्याणार्थ निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं:

1. सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना।
2. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आय सृजक तथा उपयुक्त परियोजनाओं की स्थापना के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम की स्थापना की है। एन एस के एफ डी सी निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

1. आवधिक ऋण योजना
2. ब्रिज ऋण योजना।

गुणात्मक उत्पादों का उत्पादन

1834. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के उन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जो ग्राहकों को गुणात्मक उत्पाद नहीं देते हैं या उनसे अधिक मूल्य लेते हैं, को नये दिशानिर्देश जारी करने/उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने हेतु इसके लिए कौन सी अन्य प्रणाली उपलब्ध है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) सरकार फल उत्पाद आदेश, 1955 के अंतर्गत प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियों के संबंध में उनके विनिर्माण के लिए स्वास्थ्य/स्वच्छता शर्तों को विनियमित करती है। फल उत्पाद आदेश, 1955 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर विनिर्माता इकाई का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित की जाती है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अन्य उपलब्ध तंत्र बाट तथा माप (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य को नियंत्रित करने हेतु किए गए प्रावधान हैं।

[अनुवाद]

फूड बैंकों की स्थापना

1835. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के गरीब लोगों के लिए फूड बैंकों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को एक ऐसा देश बनाने के लिए जहां कोई भूखा न रहे, 15 अगस्त, 2007 की लक्षित तिथि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) स्थानीय रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों, जहां बड़े पैमाने पर पलायन होता है, और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं की अवधियों अथवा कमी के मौसम के दौरान आपदान्मुख आदिवासी क्षेत्रों में जहां ग्रामीण लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं होती है, को ऐसी स्थिति के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनाज बैंकों की एक संशोधित योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि विकास रणनीति अनिवार्य रूप से अगले 10 वर्षों में भारत को भुखमरी मुक्त करने और खाद्यान्न उत्पादन दुगुना करने हेतु सरकार द्वारा घोषित खाद्य सुरक्षा की नीति पर आधारित है। अप्रैल, 2001 में ''भुखमरी मुक्त भारत की ओर'' पर राष्ट्रीय विमर्श के उद्घाटन भाषण में माननीय प्रधान मंत्री ने ''भुखमरी मुक्त भारत'' बनाने के मिशन को वर्ष 2007 तक सफल करने का संकल्प लिया था।

[हिन्दी]

परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए विश्व बैंक से सहायता

1836. श्री वाई.जी. महाजन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के अनेक राज्यों में परिवहन प्रणाली को सुधारने हेतु कोई सहायता दी है या देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस प्रयोजनार्थ अनेक राज्यों को आवंटित की गई इस सहायता में से उस धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) विश्व बैंक ने वर्ष 1997 से राज्य क्षेत्र की पांच परिवहन परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है। दो और राज्य परियोजनाओं को तैयार/मूल्यांकन किया जा रहा है। केन्द्रीय क्षेत्र की एक रेल परियोजना है जिसे जून, 2002 में मंजूर किया गया है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता-प्राप्त परिवहन परियोजनाएं

(क) कार्यान्वयनाधीन

(मिलियन डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	दाता	सहभागी राज्य	हस्ताक्षर की तारीख	ऋण-राशि	30.6.02 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरण
राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं						
1.	आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश	30.7.97	350.00	218.750
2.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	विश्व बैंक	गुजरात	18.10.00	381.00	49.442
3.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	विश्व बैंक	कर्नाटक	26.7.01	360.00	24.445
4.	केरल राज्य परिवहन परियोजना	विश्व बैंक	केरल	6.5.02	255.00	7.500
5.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	आईडीए	मिजोरम	6.5.02	60.00	2.000

ख. तैयार/मूल्यांकन की जा रही परियोजनाएं

(मिलियन डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता	परियोजना की लागत	ऋण/क्रेडिट की राशि
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परि.	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	482.00	अभी तक निर्णय नहीं लिया गया।
2.	तमिलनाडु राज्य सड़क परि.	तमिलनाडु	विश्व बैंक	325.00	अभी तक निर्णय नहीं लिया गया।
केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं					
1.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	महाराष्ट्र	विश्व बैंक/ आईडीए	945.00	ऋण 463.00 क्रेडिट 79.00

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए विश्व बैंक से सहायता

1837. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व भर में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए इन संस्थाओं से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी है और यह सहायता कब तक मिलने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) जहां एक ओर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ऐसी विकास परियोजनाओं के लिए सहायता की पेशकश नहीं करता, वहीं दूसरी ओर विश्व बैंक की विकास समिति ने 21 अप्रैल, 2002 को सम्पन्न अपनी स्प्रिंग मीटिंग में वर्ष 2015 तक सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की वचनबद्धता की पुन: पुष्टि की है। भारत ने वर्ष 2015 तक सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सर्वसम्मति कायम करने संबंधी योजना का समर्थन किया है। बैठक में निर्णीत कार्य योजना में शामिल बातों में प्राथमिक शिक्षा के लिए बाह्य वित्तपोषण में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी सहित पर्याप्त साधनों को जुटाना तथा वर्ष 2015 तक सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय तथा संवर्धनात्मक सहयोग उपलब्ध कराने में ''फास्ट ट्रैक' प्रक्रिया प्रारम्भ करने वाले देशों की पहचान करना है विश्व बैंक द्वारा संवर्धनात्मक सहायता संबंधी तौर-तरीकों तथा ''फास्ट ट्रैक'' दृष्टिकोण पर अभी कार्य किया जा रहा है। इसलिए अभी तक भारत सरकार द्वारा किसी विशेष वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात पर पाटनरोधी शुल्क

1838. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999 के दौरान अमरीका सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड पर इस्पात की ''कट टू लेंथ'' प्लेटों के निर्यात पर 72.49 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान निकाय ने उपर्युक्त मामले में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पक्ष में विनिर्णय पारित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि अमरीका को यह पाटनरोधी शुल्क विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार लगाना चाहिए;

(ङ) यदि हां, तो क्या अमरीका ने भारत द्वारा आपूर्ति की जा रही इस्पात की प्लेटों पर शुल्क घटा दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विश्व व्यापार संगठन के इस विनिर्णय के पश्चात् इस्पात प्लेटों का कितना निर्यात बढ़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) दिसम्बर, 1999 में अमरीकी विभाग ने अंतिम निर्धारण जारी किया था और एकमात्र भारतीय प्रतिवादी स्टील ऑथिरिटी ऑफ इंडिया (सेल) पर 72.49% का पाटन मार्जिन लगाया था। ऐसा करते समय अमरीकी वाणिज्य विभाग ने सेल के आंकड़े पूर्णत: अस्वीकार कर दिये थे और उसने घरेलू उद्योग की याचिका में उपलब्ध तथ्यों पर निर्भर रहते हुए पाटन मार्जिन का परिकलन किया था।

(ग) भारत सरकार ने अमरीका के इस निर्णय के खिलाफ इस मामले को डब्ल्यूटीओ के पास भेजा था, क्योंकि उक्त निर्णय से कतिपय डब्ल्यूटीओ की वचनबद्धताओं का उल्लंघन हुआ है। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय द्वारा गठित पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अमरीका ने पर्याप्त कानूनी औचित्य के बिना सेल द्वारा प्रस्तुत अमरीकी बिक्री की सूचना को हिसाब में लेने से इनकार करने में और पाटनरोधी जांच में उपलब्ध तथ्यों के आधार मात्र पर ही सेल के लिए पाटन मार्जिन के संबंध में अपना अंतिम निर्धारण करने में इस विवाद में इस मुद्दे पर पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.8 और अनुबंध-2 के पैराग्राफ-3 के असंगत कार्य किया है।

(घ) पैनल ने यह सिफारिश की है कि विवाद निपटान निकाय अमरीका से यह अनुरोध करता है कि वह अपने उपाय को पाटनरोधी करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप बनाए।

(ङ) से (छ) पैनल की रिपोर्ट फिलहाल परिचालित की जा रही है। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय को उसकी कोई सिफारिशें क्रियान्वित होने से पूर्व उक्त रिपोर्ट पारित करनी है।

अनु.जा और अ.ज.जा. आयोग द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना

1839. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनु.जा. और अनु.ज.जा. आयोग शिकायतें दर्ज करने के लिए एक केन्द्रीयकृत शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्य शुरू करने की संभावित तिथि क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) जी, नहीं।

कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा

1840. श्री रामजी मांझी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2002-2007) के दौरान योजना आयोग ने इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा करने और अपनी रणनीति बनाने हेतु कुछ कार्य दलों का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य दल ने कोई रणनीति बनाई है और कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आजीविका कमाने में सक्षम बनाने हेतु ड्रेसिंग, डिजाइनिंग, कटिंग, सिलाई आदि के प्रशिक्षण संबंधी कोई योजना या कार्यक्रम दिल्ली में शुरू किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में गैर-सरकारी संस्थानों को कौन सी औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता होती है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के संबंध में कार्यनीति तैयार करने के लिए निम्नलिखित कार्य समूहों का गठन किया है:

(1) पिछड़ा वर्ग क्षेत्र

1. अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण संबंधी कार्य समूह।
2. अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण संबंधी कार्य समूह।
3. अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण संबंधी कार्य समूह।

(2) सामाजिक कल्याण क्षेत्र:

1. विकलांगों के सशक्तिकरण संबंधी कार्य समूह।

2. सामाजिक विचलनों में सुधार तथा अन्य लाभ से वंचित व्यक्तियों की देखभाल संबंधी कार्य समूह।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना प्रस्तावों को तैयार करते समय कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों का उपयोग किया गया है।

(घ) से (च) योजनाएं किसी राज्य विशेष के लिए नहीं बल्कि देशभर के लिए तैयार की जाती हैं।

[हिन्दी]

कम्पनियों द्वारा कानून का उल्लंघन

1841. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग कम्पनी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में अनेक कम्पनियों के विरुद्ध जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त कंपनियों में शेयर बाजार में कार्य करने वाली कंपनियां भी सम्मिलित हैं;

(घ) यदि हां, तो ये कम्पनियां कौन-कौन सी हैं और उनके प्रवर्तकों के नाम क्या हैं; और

(ङ) इन शेबर कम्पनियों द्वारा किए गए घोटालों में कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है और किस प्रकार की अनियमितताएं की गई हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (ङ) जी, हां। 1.4.2001 से 31.3.2002 की अवधि के दौरान 2001 के "स्टाक मार्किट स्कैम" के बारे में 98 कम्पनियों के विरुद्ध जांचों के आदेश दिए गये थे। इन कम्पनियों में से 78 कम्पनियां शेयर बाजार से संबंधित कार्य करने वाली ब्रोकिंग कम्पनियां थी। इन कम्पनियों के द्वारा निदेशकों को ऋण (धारा 295), अन्त: कारपोरेट जमा राशि ऋण (धारा 372क), नियमों की अनुपालना किए बिना जमाराशि की स्वीकृति (धारा 58क), तुलन-पत्र की सही व वास्तविक स्थिति न बताना (धारा 211) आदि, इनसे संबंधित अपराध किए गए हैं। इन निरीक्षणों में अभी तक 73 कम्पनियों के विरुद्ध 497 अभियोजन आरंभ किए गए हैं।

[अनुवाद]

लापता कंपनियां

1842. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग ने किसी कंपनी को लापता कंपनी के रूप में वर्णित करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) सेबी और कम्पनी कार्य विभाग ने लुप्त कम्पनियों को पहचानने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए हैं:

(1) जो दो वर्षों से संबंधित स्टाक एक्सचेंज/कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास सूचीबद्ध करने संबंधी अपेक्षाओं (सूचीबद्ध करने संबंधी अपेक्षाओं में वार्षिक विवरणी और तुलन पत्र दायर करना शामिल है) का अनुपालन नहीं करती।

(2) जो क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज को आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती।

(3) जो दो वर्षों से क्षेत्रीय स्टाक एक्सचेंज से पत्र-व्यवहार नहीं करती।

(4) जो स्टाक एक्सचेंज के जांच करने के समय अपने पंजीकृत कार्यालय पर उपलब्ध नहीं है।

कम्पनियों द्वारा धन का अन्यत्र उपयोग

1843. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त धन का उपयोग अपनी उन परियोजनाओं के लिए करती रही हैं जो उनकी सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों द्वारा अनुमानत: कितने धन का अन्यत्र उपयोग किया गया;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में इस तरह की परम्परा पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार कुछ कंपनियों ने ऋण करार में उल्लिखित प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए निधियों का अन्यत्र प्रयोग किया है।

(ख) और (ग) बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसरण में तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधियों के उपबंधों और इसके साथ-साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित और ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) वित्तीय संस्थाएं/बैंक अपने हितों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने हेतु स्वयं सक्षम हैं। यह सूचित किया गया है कि संस्थाओं ने कंपनियों के विरुद्ध वसूली वाद दायर किए हैं। संस्थाओं ने एक निगरानी तंत्र के माध्यम से निधियों के उचित अंतिम उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन्हें आवश्यक समझे जाने पर समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

[हिन्दी]

बैंक धोखाधड़ी

1844. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 2002 के "दैनिक जागरण" के पृष्ठ संख्या 4 में "बैंक को ढाई करोड़ का चूना, चार के खिलाफ मामला दर्ज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) धन की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, उसने आईपीसी और पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मैसर्स डेल्ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कं., उसके प्रबंध निदेशक और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स की सफदरजंग एनक्लेव शाखा के तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक और नई दिल्ली क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ षडयंत्र करके बैंक अधिकारियों ने संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त किए बिना 90 लाख रुपए की ऋण सुविधाओं की अनुमति प्रदान की, जिसे बाद में बढ़ाकर 250 लाख रुपए कर दिया गया था। बैंक अधिकारियों द्वारा स्टाक का कोई पूर्व सर्वेक्षण नहीं किया गया था और वे थोक व्यापारियों के साथ पार्टी के स्टाक पर धारणाधिकार बनाने में असफल रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्टाक बैंक की सहमति के बिना जारी कर दिया गया था। पार्टी द्वारा बिक्री आय का नकदी ऋण खाते में पुनर्निवेश नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप पार्टी द्वारा 250 लाख रुपए की ऋण सीमा का दुर्विनियोजन किया गया था।

(ग) बैंक ने रकम की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण, नई दिल्ली के पास दावा प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

सीमापार से चलाई जाने वाली अवैध गतिविधियां

1845. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सीमापार से चलाई जाने वाली अवैध गतिविधियों से मुकाबला करने हेतु सीमा शुल्क से संबंधित सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान में एशिया प्रशांत देशों से अधिक से अधिक सहयोग करने की बात कही;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने एशिया प्रशांत देशों से इस मसले पर विचार-विमर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो एशिया प्रशांत देशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां। भारत ने एशिया प्रशान्त क्षेत्र में

एक सरकार सहित विश्व की कई सरकारों के साथ सीमा शुल्क मामलों पर आपसी प्रशासनिक सहायता के लिए समझौता ज्ञापन/द्विपक्षीय करार किया है। लोक नीति के उपाय स्वरूप सरकार, एशिया प्रशान्त क्षेत्र में कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में है।

(ख) और (ग) सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बीच सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान में और अधिक सहयोग की जरूरत से संबंधित मुद्दों पर 8 से 12 अप्रैल, 2002 तक हांगकांग में आयोजित प्रशासनिक प्रमुखों के 9वें विश्व सीमाशुल्क संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ था। यह सम्मेलन उनके बीच बेहतर क्षेत्रीय सहयोग करने की आवश्यकता पर सहमत हुआ था और आपसी क्षेत्रीय प्रशासनिक सहायता के लिए इसने एक दिशानिर्देश का प्रस्ताव किया था जिसे सभी सदस्यों द्वारा अपनाया जा सकता है। एशिया प्रशान्त क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रवर्तन सेवाओं के प्रमुखों की एक विश्व सीमा शुल्क संगठन बैठक 14 से 16 मई, 2002 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में भी तस्करी की रोकथाम के लिए सूचना और आसूचना के विस्तृत आदान-प्रदान की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

ऋण वसूली अधिकरण

1846. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लिए बंगलौर में कार्यरत ऋण वसूली अधिकरण में वर्ष 2001 में जनवरी से दिसम्बर तक कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अधिकरण में अब तक ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हैं जिनका अंतिम निर्णय नहीं नहीं हो सका है;

(ग) इन मामलों में कितनी धनराशि फंसी पड़ी है;

(घ) क्या ऋण वसूली अधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और उनके ग्राहकों को भी इस अधिकरण में जाने की अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) हैदराबाद और बैंगलूर ऋण वसूली अधिकरणों के पास वर्ष 2001 के दौरान क्रमश: समस्त आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्राधिकार था। वर्ष 2001 के दौरान हैदराबाद और बैंगलूर ऋण वसूली अधिकरणों में दायर मामलों की संख्या क्रमश: 628 और 761 थी।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार हैदराबाद और बैंगलूर ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष क्रमश: 3138 और 1407 मामले लंबित पड़े थे जिनमें क्रमश: 9675 करोड़ रुपए तथा 2115 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट की गुणवत्ता

1847. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सीमा से अलग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सीमेंट की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा जबकि इसका सीधा संबंध निर्माण संबंधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमेंट की गुणवत्ता भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदण्डों के तहत सुनिश्चित की जाती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में टाउनशिप

1848. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए चार टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से टाउनशिप हैं; और

(ग) इन टाउनशिपों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और कितनी निर्गत की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) जी, नहीं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग के विकास के लिए 24 दिसंबर, 1997 को एक नई नीति और अन्य रियायतों की अधिसूचना जारी की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

स्वापक पदार्थों की तस्करी

1849. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 मई, 2002 और 6 जून, 2002 के बीच हैरोइन, हशिश और अन्य स्वापक पदार्थों की अन्य देशों को तस्करी करने के आरोप में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कितने लोग गिरफ्तार किए गए;

(ख) उनसे कितने मूल्य के स्वापक पदर्थ पकड़े गए; और

(ग) स्वापक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों/उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) हेरोइन, हशीश और अन्य स्वापक औषधियों की विदेशों में तस्करी करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1 मई, 2002 और 6 जून, 2002 के बीच 24 व्यक्तियों को पकड़ा गया था।

(ख) सभी जब्त की गई स्वापक औषधियां नष्ट की जा सकती हैं और उनका कोई वास्तविक बाजार मूल्य मौजूद नहीं है। अत: उपर्युक्त जब्त की गई स्वापक औषधियों का सही मूल्यांकन संभव नहीं है।

(ग) स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार को रोकने तथा इस पर एक प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं। इनमें समस्त स्वापक औषधियों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने के लिए और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, केन्द्र और राज्य सरकारों के एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वयन स्थापित करना, समन्वित कार्रवाई करके स्वापक औषधि के सिंडिकेटों को निष्प्रभावित करना, उन्नत परिष्कृत हथियारों के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाना और अपग्रेड करना, भारत-पाक सीमा पर बाड़ एवं फ्लड लाइटिंग लगाना, स्वापक औषधियों का निषेध करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, पूर्व प्रयुक्त होने वाली कुछेक रसायन सामग्रियों जैसे कि ऐसेटिक एनहाइड्राइड, एफिड्राइड आदि को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रित पदार्थों" के रूप में अधिसूचित करना, सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्यीय एजेंसियों के साथ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकें करना, भारतीय और पाकिस्तानी स्वापक-रोधी एजेंसियों की आवधिक द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन करना शामिल है।

[अनुवाद]

बैंकों का निजीकरण

1850. श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी भागीदारी को घटाकर 33 फीसदी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ बैंकों ने सार्वजनिक रूप से नई इक्विटी जारी कर सरकारी भागीदारी को पहले ही कम कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी नई इक्विटी का ब्यौरा क्या है और उससे कितनी धनराशि उगाही गई; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप इन बैंकों में सरकार की भागीदारी किस सीमा तक कम हुई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके सरकारी क्षेत्र के स्वरूप को प्रभावित किए बिना बाजार से पूंजी जुटाने के लिए समर्थ बनाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों में न्यूनतम निर्धारित सरकारी शेयरधारिता को 51% से 33% करने के अनुबंध में संशोधन करने के उद्देश्य से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम 1970/1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है। तदनुसार, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) तथा वित्तीय संस्था संशोधन विधेयक, 2000

लोक सभा में दिसम्बर, 2000 में पेश किया गया था जिसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

(ग) से (ङ) उन बैंकों के नामों की सूची, जिन्होंने अब तक सरकारी निर्गम निकाला है, नयी ईक्विटी का ब्यौरा, जुटायी गयी राशि एवं जिस सीमा तक इन बैंकों में सरकारी शेयरधारिता कम की गई है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंक—सरकारी निर्गम विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निर्गम की तारीख	सरकारी निर्गम से पूर्व इक्विटी पूंजी	सरकारी निर्गम का आकार	सरकारी निर्गम के पश्चात इक्विटी	निर्गमोत्तर शेयरधारिता			
						सरकारी	%	अन्य	%
1.	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	5.10.1994	128.00	360.00	192.54	128.00	66.48	64.54	33.52
2.	देना बैंक	5.12.1996	146.82	180.01	206.82	146.82	71.00	60.00	29.00
3.	बैंक आफ बड़ौदा	5.12.1996	196.00	850.00	296.00	196.00	66.88	100.00	33.21
4.	बैंक आफ इंडिया	21.2.1997	489.00	675.00	639.00	489.00	77.00	150.00	23.00
5.	कारपोरेशन बैंक	अक्टू. 1997	82.00	304.00	120.00	82.00	68.33	38.00	31.67
6.	सिंडिकेट बैंक	नव. 1999	346.97	125.00	471.97	346.97	73.52	125.00	26.48
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	सित. 2000	333.80	111.20	444.80	333.60	75.00	111.20	25.00
8.	विजया बैंक	दिस. 2000	259.24	100.00	359.24	259.24	72.16	100.00	27.84
9.	आंध्रा बैंक	जन. 2001	300.00	150.00	450.00	300.00	67.00	150.00	33.00
10.	पंजाब नेशनल बैंक	मार्च 2002	212.24	164.49	265.30	212.24	80.00	53.06	20.00

वृद्धों के लिए सुविधाएं

1851. श्री अरुण कुमार: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, दिवस परिचर्या केन्द्र और मोबाइल मेडिकेयर यूनिटें चलाने और इनका रख-रखाव करने वाले राज्य-वार कितने स्वैच्छिक संगठन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने वृद्ध लाभान्वित हुए;

(ग) क्या सरकार को कुछ ऐसे मामलों की जानकारी मिली है जिनमें कहा गया है कि स्वैच्छिक संगठनों को दिया गया धन लाभान्वितों अर्थात् वृद्ध लोगों के काम में नहीं लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है और उन संगठनों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उदाहरण सरकार के ध्यान में आते हैं जहां निरीक्षण अथवा अन्य स्रोतों से सूचना के परिणामस्वरूप, अनुदानग्राही संगठन

को विद्यमान नहीं पाया जाता है अथवा अनुदान का दुरुपयोग करते पाया जाता है, अथवा इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता निर्मुक्त निधियों के अनुरूप नहीं होती। ऐसे मामलों में, गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की अगली निर्मुक्ति रोक दी जाती है। संगठन के प्रबंधन को 'कारण बताओ नोटिस' दिया जाता है, और यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो संगठन को काली सूची में डालने के लिए कार्रवाई की जाती है।

गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत काली सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

गत तीन वर्षों यथा 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा एककों को संचालित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की संख्या तथा लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000		2000-01		2001-02	
		गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	118	11054	108	10072	141	13150
2.	असम	7	1208	6	1045	11	1875
3.	बिहार	1	125	0	0	1	125
4.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	1	25
5.	चंडीगढ़	1	300	1	300	0	0
6.	गुजरात	4	150	5	190	2	75
7.	हरियाणा	17	2192	9	1120	13	1675
8.	हिमाचल प्रदेश	2	880	1	450	1	450
9.	जम्मू और कश्मीर	3	1610	3	1610	4	2200
10.	कर्नाटक	21	1461	20	1384	33	2300
11.	केरल	4	1660	3	1250	3	1250
12.	मध्य प्रदेश	7	730	5	525	5	525
13.	महाराष्ट्र	16	3552	10	2211	19	4225
14.	मणिपुर	33	3227	28	2718	34	3325
15.	उड़ीसा	45	7241	27	4379	54	8700
16.	पंजाब	13	750	12	682	13	750

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	राजस्थान	1	125	0	0	4	900
18.	तमिलनाडु	42	4690	27	3036	49	5475
19.	त्रिपुरा	3	595	2	400	2	400
20.	उत्तर प्रदेश	49	6345	31	4026	33	4275
21.	उत्तरांचल	00	0	00	0	2	250
22.	पश्चिम बंगाल	38	7439	38	7439	35	6850
24.	दिल्ली	4	3085	5	3795	7	5382
24.	पांडिचेरी	4	351	3	260	2	175
25.	नागालैण्ड	0	0	2	85	3	125
	कुल	433	58770	346	46977	472	64482

विवरण II

वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत काली सूचीबद्ध गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	संगठन का नाम
1.	आदर्श महिला मंडल, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश
2.	क्रिश्च रूरल डेवलपेंट एण्ड एजूकेशन, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश
3.	संगमेश्वर एजूकेशनल सोसाइटी, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश
4.	कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश
5.	मदर इंडया, अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश
6.	मर्सी माइनॉरिटी एजूकेशनल सोसाइटी, आंध्र प्रदेश
7.	नन्दिनी बाल विकास एण्ड ग्रामीण ग्रामोद्योग सेवा समिति, उत्तर प्रदेश

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

1852. श्री सुनील खां: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने जिले सूखा से प्रभावित हुए;

(ख) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अंतर्गत राहत कार्य के लिए केन्द्र की ओर से जारी अनाज का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल की नियुक्ति की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में काफी खबरें छपने पर "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अंतर्गत चावल की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सूखा प्रभावित जिलों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है।

(ख) "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों के राज्यवार आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) से (च) सूखे की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने मई, 2002 में आंध्र प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से कुछेक का दौरा किया और यह सिफारिश की कि राज्य के 8 जिलों में ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम को जारी रखा जाए। चालू वर्ष 2002-2003 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को अभी तक 15.00 लाख टन चावल की मात्रा आवंटित की गई है।

विवरण 1

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथासूचित सूखा प्रभावित जिलों की संख्या

1999-2000

आंध्र प्रदेश	–	18
गुजरात	–	17
हिमाचल प्रदेश	–	12
जम्मू व कश्मीर	–	6
कर्नाटक	–	21
मध्य प्रदेश	–	7
मणिपुर	–	5
मिजोरम	–	3
राजस्थान	–	26
त्रिपुरा	–	4
पश्चिम बंगाल	–	10

2000-2001

छत्तीसगढ़	–	12
गुजरात	–	23
हिमाचल प्रदेश	–	12
जम्मू व कश्मीर	–	6
महाराष्ट्र	–	26
मध्य प्रदेश	–	32
उड़ीसा	–	28
राजस्थान	–	31

उत्तरांचल के एक जिले ने पेयजल की आपूर्ति में कमी का सामना किया।

2001-2002

आंध्र प्रदेश	–	22
बिहार	–	37
कर्नाटक	–	25
मध्य प्रदेश	–	6
महाराष्ट्र	–	12
राजस्थान	–	3

विवरण II

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों का मुफ्त आवंटन

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन				उठान			
		2000-2001		2001-02		2001-01		2001-02*	
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चंडीगढ़	0	207000	0	320550		198395		330383
2.	गुजरात	70000	20000	46515	11590	6793	1723	80760	25090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	हिमाचल प्रदेश	0	11549	0	0		4947		5972
4.	महाराष्ट्र	8000	2000	112000	28000	7102	1804	60241	16270
5.	मध्य प्रदेश	43000	20079	145235	43430	23882	7386	236268	60719
6.	उड़ीसा	0	100000	0	150000	14500	76000		155756
7.	राजस्थान	118145	0	621360	0	79767		502229	
8.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	1650000				1598626
9.	कर्नाटक	0	0	42540	57460			42540	57248
10.	केरल	0	0	0	5000				4980
11.	बिहार	0	0	0	100000				7663
	जोड़	239145	360628	967650	2366030	132144	290255	922038	2262707

*2001-2002 में किए गए आबंटन के प्रति 2002-03 के दौरान की गई उठान शामिल है।
'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम जनवरी, 2001 में प्रारंभ किया गया।

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	राज्य	आबंटन* 2002-2003 (25.7.2002 की) स्थिति के अनुसार)		उठान 2002-03	
		गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
1.	मध्य प्रदेश	88729	22771	49400	3840
2.	उड़ीसा		200000		199410
3.	आंध्र प्रदेश		1500000		965920
	जोड़	88729	1722771	49400	1169170

*2002-2003 के दौरान 'काम के बदले अनाज' के लिए खाद्यान्नों का आवंटन सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के विशेष घटक के अधीन किया गया।

क्षेत्रीय असंतुलन

1853. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि योजना कार्यक्रम के क्रियान्वितन न किये जाने और योजना परिव्यय का उपयोग न किये जाने के कारण क्षेत्रीय असंतुलन से देश में नई राजनीतिक समस्या खड़ी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दसवीं योजनावधि में पश्चिम बंगाल के उत्तरी तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र सहित क्षेत्रीयता के दृष्टिकोण से इस तरह असंतुलित क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 371 का प्रावधान करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) क्षेत्रीय असंतुलन अन्य बातों के

अलावा योजना कार्यक्रमों या योजना परिव्यय के उपयोग न किए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। राज्यों को योजना निधियों के आबंटन के लिए मौजूदा गाडगिल मुखर्जी फार्मूला में पिछड़ेपन और गरीबी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सामान्य केन्द्रीय सहायता के समग्र आबंटन में 7.5 प्रतिशत विशेष समस्याओं जैसे वे क्षेत्र जो राज्यों के भीतर सापेक्षिक रूप से पिछड़े हैं, के लिए उपलब्ध है।

सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात

1854. **श्री पी.आर. किन्डिया:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री मोहन रावले:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश से सिले-सिलाए परिधानों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या निर्धारित कोटा वाले देशों को सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात में पिछले वर्ष किए गए निर्यात की अपेक्षा कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात, विशेषकर उन देशों को, जिनके लिए कोटा निर्धारित है, बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) मात्रा-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
1999-2000	4765.2
2000-2001	5568.9
2001-2002	4987.4

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता।

(ग) और (घ) जी हां। पिछले दो वर्षों के दौरान कोटा देशों को सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि/कमी
2000-2001	3827.4	-
2001-2002	3436.6	-10.2%

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता।

इस गिरावट के मुख्य कारण, अमरीका जैसे हमारे कुछेक प्रमुख व्यापारी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आना और चीन, बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्द्धा का बढ़ना आदि हैं।

(ङ) सरकार कोटा देशों सहित विभिन्न देशों को सिलेसिलाए परिधानों सहित वस्त्र निर्यात को सुदृढ़ बनाने और बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठा रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं:

1. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाए परिधान के वूवन क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है।
2. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) प्रचालित की गयी है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।
3. टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत शामिल बुनाई प्रसंस्करण और परिधान की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्य ह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है। राजकोषीय नीति के उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत को भी घटाया गया है।
4. पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी है।
5. वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रिआयतों के साथ स्वचालि मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।
6. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र

में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

7. पारि-परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उद्योग को सक्षम तथा सुग्राही बनाना।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत की गई खरीद

1855. श्री राम टहल चौधरी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत की गई कुल खरीद के संबंध में वस्तु-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और चावल का मूल्य सीधे इन अनाजों के समर्थन मूल्य से जुड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) विगत दो विपणन मौसमों के दौरान केन्द्रीय पूल हेतु गेहूं और चावल की राज्यवार वसूली को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारित करते समय खाद्यान्नों की आर्थिक लागत को ध्यान में रखा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्यान्नों की आर्थिक लागत का प्रमुख घटक है।

विवरण I

केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	2002-2003*
बिहार	—	43	41
गुजरात	—	—	—
हरियाणा	4498	6407	5882
हिमाचल प्रदेश		2	2
मध्य प्रदेश	351	294	424
पंजाब	9424	10560	9863
राजस्थान	539	676	461
उत्तरांचल		140	183
उत्तर प्रदेश	1545	2446	2111
चंडीगढ़		12	16
दिल्ली		50	35
जोड़	16357	20630	19018

*22.07.2002 की स्थिति के अनुसार।

विवरण II

केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02
आंध्र प्रदेश	5498	7172	6193
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
असम	—	—	—
बिहार	20	8	9
छत्तीसगढ़		856	1734
हरियाणा	986	1477	1451
हिमाचल प्रदेश		नगण्य	11
कर्नाटक	111	229	137
मध्य प्रदेश	1102	175	272
महाराष्ट्र	51	36	135
उड़ीसा	889	918	1068
पंजाब	6787	6935	7227
राजस्थान	32	27	39
उत्तरांचल		42	237
उत्तर प्रदेश	1421	1173	1684
पश्चिमी बंगाल	351		48
चंडीगढ़	15	16	
दिल्ली	6		
पांडिचेरी	9	40	11
जोड़	17278	19104	20256

*22.07.2002 की स्थिति के अनुसार।

[अनुवाद]

अर्थव्यवस्था की विकास दर

1856. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर हासिल कर ली गई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं; और

(घ) दसवीं योजना के दौरान लक्षित विकास दर को हासिल करने के लिए सरकार के नए दृष्टिकोण के अनुसार क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित दसवीं पंचवर्षीय योजना से संबद्ध दृष्टिकोण-पत्र के अनुसार वर्ष 2002-07 की अवधि के लिए लक्षित विकास दर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत है।

(ख) आठवीं और नौवीं योजनाओं के लिए लक्षित विकास दर क्रमश: 5.6 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत थी। उसकी तुलना में यह उपलब्धि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन से उपलब्ध अद्यतन अनुमानों के आधार पर क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

(ग) नौवीं योजना के दौरान अल्प विकास के मुख्य कारणों में अपर्याप्त कृषि उत्पादन, सरकारी निवेश तथा सरकारी बचतों में कमी होना शामिल है।

(घ) दसवीं योजना में सकल घरेलू नियत पूंजी निर्माण में वृद्धि और संसाधनों के उपयोग की कुशलता में वृद्धि के संयोजन से लक्षित विकास दर हासिल करने का प्रयास किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में विशेष संघटक योजना

1857. श्री राजो सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के लिए तैयार की गई विशेष संघटक योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उसके मुख्य उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में महिलाओं के उत्थान को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्तावित विशेष संघटक योजना के अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र, ग्रामीण विकास विशेषकर इन्दिरा आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई), स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), शिक्षा तथा पोषाहार कार्यक्रम पर बल दिया गया है।

(ख) वित्त वर्ष 2002-03 के दौरान, विशेष संघटक योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक योजना परिव्यय में से 21.02% धनराशि प्रदान करने का अनंतिम रूप से प्रस्ताव किया गया है।

(ग) ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) छात्रवृत्ति योजना के अतिरिक्त, महिलाओं के लिए विशेष योजना जैसे कि अनुसूचित जाति छात्राओं को वर्दी, शुरू की गई है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विभागों/क्षेत्रों का नाम	वार्षिक योजना 2002-2003	एससीपी के प्रति प्रस्तावित प्रवाह
1	2	3	4
1.	कृषि	2632.50	48.56
2.	पशुपालन	741.00	130.19
3.	भवन तथा आवास	990.00	0.00
4.	नागर विमानन	100.00	0.00
5.	व्यापारिक कर	200.00	0.00
6.	सहकारिता	1659.00	291.34
7.	उर्जा	9101.00	652.01
8.	वित्त	81.00	0.00
9.	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	280.00	0.00
10.	वन	253.00	0.00
11.	चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण	1800.00	478.80
12.	स्वास्थ्य	10498.00	1678.71
13.	गृह	1694.00	0.00
14.	उच्च शिक्षा	160.50	0.00

1	2	3	4
15.	प्राथमिक तथा वयस्क शिक्षा	19422.00	3107.52
16.	माध्यमिक शिक्षा	1059.00	36.09
17.	कला, संस्कृति तथा खेलकूद	444.28	0.00
18.	राजभाषा	100.00	0.00
19.	उद्योग	1881.00	270.65
20.	सूचना और जनशिक्षा	106.61	0.00
21.	श्रम	258.94	37.65
22.	भूमि सुधार	2078.00	0.00
23.	विधि	1065.00	0.00
24.	लघु सिंचाई		
	(क) एम आई	13444.00	969.42
	(ख) सी ए डी ए	800.00	0.00
25.	खान	34.00	0.00
26.	अल्पसंख्यक कल्याण	220.00	0.00
27.	कार्मिक	550.00	0.00
28.	पी एच ई डी	4300.00	1640.00
29.	योजना और विकास		
	(क) योजना	425.00	78.85
	(ख) सांख्यिकी	350.00	0.00
30.	पथ निर्माण	6310.00	975.52
31.	ग्रामीण विकास	42790.50	21485.58
32.	आरईओ	66433.00	9964.95
33.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	875.00	0.00
34.	खांडसारी (गन्ना)	132.00	0.00
35.	पर्यटन	500.00	0.00
36.	परिवहन	378.84	0.00
37.	बीस सूत्री कार्यक्रम	229.95	0.00
38.	शहरी विकास	5492.00	2010.00
39.	जल संसाधन	66800.38	10688.06
40.	कल्याण	1469.00	498.16
41.	सामाजिक कल्याण	4274.50	2205.83
	कुल	272413.00	57247.90

मध्य प्रदेश और राजस्थान के रजक समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाना

1858. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के रजक समुदाय (धोबी समुदाय) के संगठनों ने उनके समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने के लिए केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में 'रजक' (धोबी) समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समुदाय को शामिल करने से संबंधित मामले को अनुमोदित रूपरेखाओं के अनुसार जांच के लिए प्रजातीय सामग्री भेजने हेतु राज्य सरकार के साथ लिखापढ़ी की गई है। जहां तक राजस्थान राज्य का संबंध है "धोबी" समुदाय संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के क्रम संख्या 22 पर अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। राजस्थान में "धोबी" को पर्याय/उप जाति आदि के रूप में रजक को शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। है।

[अनुवाद]

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

1859. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में किसी पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पटसन उत्पादकों के सहायतार्थ पटसन के थैलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी हां। हाल ही में राजस्व विभाग द्वारा वसूल कए गए उपकर से पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना नामक एक योजना, पटसन विनिर्माण विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पटसन मिलों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए चुनिन्दा पटसन मशीनों की लागत के 15 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ग) पटसन उपजकर्ताओं को सहायता देने के लिए, सरकार प्रत्येक वर्ष कच्चे पटसन/मेस्टा की न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 में भी पटसन पैकेजिंग सामग्री में कुछ मदों की अनिवार्य पैकेजिंग की व्यवस्था है जिससे पटसन उपजकर्त्ता को अपने उत्पाद का विपणन करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त पटसन बौरों को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एनसीजेडी) और पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जेएमडीसी) सरकार की ऐसी दो एजेंसियां हैं, जो अभियान चला कर, मेलों, प्रदर्शनियों, संपर्क संवर्द्धन कार्यक्रमों, क्रेता विक्रेता बैठकों आदि का आयोजन कर घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में पटसन के बोरों के प्रयोग को बढ़ाने के कार्य में लगी हुई हैं।

निर्यात हेतु निविष्टि उत्पादन (इनपुट-आउटपुट) संबंधी मानदंड

1860. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री वी. वेद्रिसेलवन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात की कतिपय मदों के लिए कोई अलग से निविष्टि उत्पादन (इनपुट-आउटपुट) संबंधी मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले से विद्यमान मदों के निविष्टि उत्पादन (इनपुट-आउटपुट) संबंधी मानदंड का भी पुनरीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) जी, हां। त्वरित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास तथा बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य के मद्देनजर निविष्टि उत्पादन मानकों का मानकीकरण और आशोधन एक सतत् और अग्रगामी प्रक्रिया है। 31.3.2002 तक 6000 से अधिक निविष्टि उत्पादन मानकों का मानकीकृत किया गया है और अधिसूचित करने के बाद क्रियाविधि संबंधी पुस्तिका (खंड-2) के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1.4.2002 से 1.7.2002 तक की अवधि के दौरान 90 नए मानकों को निर्धारित किया गया है और 179 मौजूदा मानकों को समय-समय पर जारी की गई विभिन्न सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा आशोधित किया गया है।

निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का दुरुपयोग

1861. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री के. येरननायडू:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर डीईपीबी और ईपीसीजी के दुरुपयोग के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मुक्त पत्तनों से विशेषकर दुबई, हांगकांग और सिंगापुर से होने वाले निर्यात और आयात के दौरान जांच में सख्ती बरते जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सरकार को निर्यात संवर्धन स्कीमों के दुरुपयोग के संबंध में समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ अग्रिम लाइसेंस, ईपीसीजी, डीईपीबी स्कीमों आदि का दुरुपयोग भी शामिल है। इसके अलावा पहले भी निर्यात के बीजकों में फालतू मदें शामिल करने, गलत

घोषणा, नकली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और तथ्यों को छुपाने आदि के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ऐसी प्रत्येक शिकायत की जांच-पड़ताल की जाती है और इस पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 तथा इनके अंतर्गत बने नियमों तथा आदेशों के तहत कार्रवाई की जाती है। सीमा शुल्क प्राधिकारी भी ऐसे मामलों में शुल्क तथा जुर्माने की वसूली के लिए सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत कार्रवाई करते हैं। ऐसे मामलों में डीजीएफटी द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और सीमा शुल्क द्वारा वसूली कार्यवाहियां विभिन्न स्तरों पर की जा रही हैं तथा इनकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है।

(घ) दुबई, सिंगापुर, शाहजाह तथा हांगकांग जैसे मुक्त पत्तनों को किये जा रहे निर्यातों के निरीक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी ने पारेषणों की जांच की मात्रा को बढ़ाकर 25-50% तक कर दिया है जबकि अन्य पत्तनों को भेजे जाने वाले पारेषणों के मामले में यह मात्रा 2-10% है।

गैलाटिन आधारित विस्फोटकों पर प्रतिबंध

1862. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के गैलाटिन आधारित विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाने के आग्रह के आधार पर प्राकृतिक गैस आधारित विस्फोटकों के केवल उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और स्लरी आधारित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (आई.डी.एल.) भूतपूर्व प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिशों पर एक निश्चित अवधि में क्रमबद्ध रूप से इसके उपयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या एन.जी. स्लरी और एमल्जन नाम के इन सभी विस्फोटकों पर आधारित विस्फोटकों को गैलाटिन कहा जाता है और डेटोनेटर के बिना इनमें विस्फोट नहीं किया जा सकता;

(ग) यदि हां, तो जब सभी गैलाटिन समान रूप से सुरक्षित हैं और डेटोनेटर के होने पर विध्वंसक हैं तो केवल एन.जी. आधारित गैलाटिन पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस निर्णय से एन.जी. आधारित चार विनिर्माता इकाइयां तत्काल बंद हो जायेंगी जिससे एमल्जन आधारित गैलाटिन का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एकाधिकार प्राप्त हो जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) एन.जी. आधारित विस्फोटकों के दुरुपयोग संबंधी सूचना और आंध्र प्रदेश सरकार तथा गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गयीं बचाव/सुरक्षा/कानून और व्यवस्था की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, एक समिति जिसमें मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और तत्कालीन अध्यक्ष, विस्फोटक उद्योग विकास परिषद शामिल थे, का गठन किया गया था, जो एन.जी. आधारित विस्फोटकों के विनिर्माण, वितरण, बिक्री तथा इनको क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी। समिति ने एन.जी. आधारित विस्फोटक विनिर्माताओं सहित विनिर्माताओं, उपयोगकर्ताओं और अन्य पणधारियों से विस्तृत चर्चाएं कीं। समिति की रिपोर्ट में पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि में एन.जी. आधारित विस्फोटकों को धीरे-धीरे हटाये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर सरकार द्वारा विचार किया गया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) और (ग) एन.जी. आधारित विस्फोटकों को सामान्यत: गैलाटिन कहा जाता है जबकि स्लरी और एमल्जन आधारित विस्फोटकों को गैलाटिन नहीं कहा जाता है। यद्यपि इन विस्फोटकों में से किसी भी विस्फोटक का डेटोनेटर्स के बिना विस्फोट नहीं किया जा सकता है, फिर भी इन विस्फोटकों की दीर्घ सेल्फ लाईफ होने के कारण, उग्रवादी/असामाजिक तत्व इनको तरजीह देते हैं। अन्य तकनीकी कारणों के अलावा, सुरक्षा/बचाव/कानून और व्यवस्था की चिंताएं एन.जी. आधारित विस्फोटकों को क्रमबद्ध रूप से हटाये जाने संबंधी प्रस्ताव का आधार बन गई हैं। एन.जी. आधारित विस्फोटकों को विश्व भर में निरंतर समाप्त भी किया जा रहा है और फिलहाल सिविल विस्फोटकों के ग्लोबल उत्पादन का मात्र 12 प्रतिशत एन.जी. आधारित विस्फोटक हैं।

(घ) और (ङ) चूंकि विस्फोटकों को समाप्त करने की प्रक्रिया में गैर एन.जी. आधारित विस्फोटकों को अपनाने के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था है, इसलिए इससे विस्फोटक क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशा नहीं की जाती है। भारत में एन.जी. आधारित विस्फोटकों का औसतन उपभोग लगभग मात्र 7 प्रतिशत है और मुख्यत: विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए है। विस्फोटकों को समाप्त करने संबंधी कार्यक्रम नई प्रौद्योगिकियों की ओर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करेगा, जिनमें यद्यपि कुछ निवेश करना शामिल है, फिर भी ये विस्फोटक क्षेत्र के ज्यादा हित में होंगी और इनसे विनिर्माणकारी एककों अथवा इनके कर्मचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यूको बैंक

1863. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूको बैंक गत कई वर्षों से घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंक को होने वाले घाटों के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) यूको बैंक 1999-2000 से उसके पूर्व हानि उठाने के पश्चात् निवल लाभ अर्जित करता रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ का ब्यौरा निम्नलिखित है:

31 मार्च को समाप्त वर्ष	निवल लाभ की राशि (करोड़ रुपए)
2000	36.64
2001	33.00
2002	198.60

सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक द्वारा तैयार पुनर्गठन योजना को लागू करने के लिए बैंक को विशेष निगरानी के तहत रखा था, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) द्वारा कंपनियों पर प्रतिबंध

1864. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्टॉक एसचेंज ने हाल ही में 24 कंपनियों द्वारा शेयर व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई.) ने यह सूचित किया है कि एन.एस.ई. ने निलम्बन नोटिस जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि सूचीबद्धता करार के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण 27 जून, 2002 से 24 कंपनियों के इक्विटी शेयरों का कारोबार निलंबित किया जाएगा। उक्त 24 कंपनियों में से 8 कंपनियों ने तदन्तर अनुपालन नहीं किए जाने से जुड़े मुद्दों के संबंध में संतोषजनक रूप से उपस्थापन किया/सूचीबद्धता करार के प्रावधानों का अनुपालन किया और इसलिए इन 8 कंपनियों के शेयरों के कारोबार के निलम्बन को कार्यान्वित नहीं किया गया। शेष 16 कंपनियों की प्रतिभूतियों के कारोबार को 27 जून, 2002 से निलंबित कर दिया गया।

(ख) 27 जून, 2002 से निलंबित 16 कंपनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। अनुबंध में उल्लिखित 16 कंपनियों को सूचीबद्धता करार के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने की वजह से निलंबित किया गया था। यथा अलेखापरीक्षित त्रैमासिक परिणामों को प्रस्तुत नहीं किया जाना, कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाना, शेयर धारिता पैटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाना, प्रवर्तकों तथा सूचीबद्धता करार की धारा 40क के अन्तर्गत संयुक्त रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों की धारिता प्रस्तुत नहीं किया जाना, बोर्ड बैठक नोटिस प्रस्तुत नहीं किया जाना, आदि।

विवरण

क्र.सं.	कंपनियों की सूची
1	2
1.	आदित्य इंटरनेशनल लिमिटेड
2.	अरिहन्त थ्रेड्स लिमिटेड
3.	बोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
4.	बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
5.	डी.आर. साफ्टेक एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
6.	आइडर इन्फोटेक लिमिटेड
7.	यूरोपियन सॉफ्टवेयर अलयंस लिमिटेड
8.	आई.सी.डी.एस. लिमिटेड
9.	इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजिस (इंडिया) लिमिटेड
10.	नाथ सीड्स लिमिटेड
11.	नेटविस्टा इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी लिमिटेड

1	2
12.	एस. एंड एस. पावर स्विचगियर लिमिटेड
13.	साबेरो आर्गेनिक्स गुजरात लिमिटेड
14.	श्रेयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
15.	स्ट्राइड्स आर्कोलेब लिमिटेड
16.	वी.एल.एस. फाइनेंस लिमिटेड

राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान

1865. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून ने अपने क्षेत्रीय केन्द्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए कार्यालय परिसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण खंड, छात्रावास खंड और कर्मचारी आवास निर्माण-कार्य को वर्ष 1992 में लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु को सौंप दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भी वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या-4 में इस मामले की आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) समय पर इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ज) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। एन.आई.वी.एच. ने वर्ष 1992-93 में लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु को 1.23 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर क्षेत्रीय केन्द्र, चेन्नई के लिए कार्यालय परिसर, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक तथा कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण का कार्य सौंपा था।

(ग) और (घ) वर्ष 2002 की सी. एण्ड ए.जी. रिपोर्ट सं. 4 (सिविल) में यह देखा गया है कि निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1992 में निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से आरम्भ हुआ था और के.लो.नि., तमिलनाडु को भुगतान किये गये। 100.65 लाख रुपए में से निर्माण पर 64.94 लाख रुपए व्यय किये जबकि तमिलनाडु सरकार (1995) द्वारा इस कारण से कि केन्द्र का परिसर उच्च सुरक्षा बंदीगृह के निकट अवस्थित था, निर्माण कार्यकलाप पर प्रतिबंध लगाएं जाने के कारण अक्टूबर, 2001 तक शेष राशि इसके पास बगैर उपयोग के पड़ी थी। यद्यपि यह प्रतिबंध उठा लिया गया था/तथापि 35.71 लाख रुपए की राशि के.लो.नि., तमिलनाडु के पास बगैर उपयोग के पड़ी है।

(ङ) से (ज) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा छात्रावास ब्लॉकों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जबकि यह निर्णय लिया गया था कि स्थान की जरूरतों और प्रशासनिक ब्लाको की अनुमानित लागत में कमी की जानी चाहिये और तदनुसार के.लो.नि. विभाग, तमिलनाडु से संशोधित अनुमानित लागत तैयार करने को कहा था जिसकी प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1866. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अन्य दक्षिणी एशियाई देशों की तुलना में वर्ष 1991 से गत दस वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट करने में सफल नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया गया और इसमें से कितना निवेश सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्षेत्र में किया गया और चीन, सिंगापुर, थाइलैंड और ताइवान की तुलना में यह राशि कितनी है;

(ग) क्या हार्डवेयर विनिर्माण और सॉफ्टवेयर विकास में भी निवेश नगण्य था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (घ) यू.एन.सी.टी.ए.डी. द्वारा प्रकाशित की गयी

वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, 2001 में दी गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 2000 के दौरान दक्षिण एशिया में प्राप्त किये गये कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों में भारत का हिस्सा लगभग 76% था। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु भारत एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य-देश के रूप में उभर रहा है।

1.8.91 से 31.5.02 की अवधि के दौरान देश में सूचना प्रौद्योगिकी (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर) तथा दूरसंचार के क्षेत्रों में प्राप्त किया गया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्षेत्र	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों की राशि* (रुपये करोड़ में)	कुल का %
सूचना प्रौद्योगिकी	6569.96	9.50
दूरसंचार	9230.16	13.35

*इसमें ए.डी.आर./जी.डी.आर., मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण आर.बी.आई. की एन.आर.आई. स्कीमों तथा शेयर जारी करते हुए लंबित अग्रिम राशियों के लिए हुए अन्तर्वाह शामिल नहीं हैं।

इस अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों में प्राप्त किया गया कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 1,19,088.52 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प की मांग

1867. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प की बढ़ती मांग का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खाड़ी देशों और विश्व हस्तशिल्प बाजार में भारतीय हस्तशिल्प की मांग का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हस्तशिल्प की यह मांग भारतीय बाजार में बढ़ गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार हस्तशिल्प की गुणवत्ता में सुधार लाने और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) जी, हां। हस्तशिल्प की बढ़ती मांग का मूल्यांकन निर्यात निष्पादन के आधार पर किया जाता है। हस्तशिल्प का निर्यात जो वर्ष 1986-87 में केवल 385.58 करोड़ रुपये था, वर्ष 2001-02 के दौरान 696.50 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। पिछले वर्ष के निष्पादन के आधार पर, हस्तशिल्प के निर्यात के लक्ष्य अगले वित्तीय वर्ष के लिए बाद में निर्धारित किये जाते हैं और तदनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेशों में विभिन्न त्यौहारों/मेलों में निर्यातकों की भागीदारी; क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन; विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल को प्रायोजित करना और विदेशों में प्रचार आदि के लिए योजना बनाई जाती है।

(ग) ई.ई.सी. और यूरोपीय देशों में भारतीय हस्तशिल्प की मांग की तुलना में खाड़ी देशों में मांग लगभग नगण्य है। तथापि, खाड़ी देशों में सऊदी अरब भारतीय हस्तशिल्प का मुख्य आयातक है।

(घ) और (ङ) हस्तशिल्प क्षेत्र विकेन्द्रीकृत और राज्य का विषय होने के कारण भारतीय बाजार में हस्तशिल्प की मांग का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्राधिकृत पद्धति विद्यमान नहीं है। तथापि हस्तशिल्प की मांग में वृद्धि को दर्शाने वाला एकमात्र सूचक पिछले कुछ वर्षों के हस्तशिल्प (रत्न एवं आभूषण सहित) के उत्पादन पर उपलब्ध आंकड़े हैं। यह आंकड़े निम्नलिखित हैं-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	रत्न एवं आभूषण सहित हस्तशिल्प का उत्पादन
1.	1998-1999	12175.43
2.	1999-2000	13915.56
3.	2000-2001	16340.44
4.	2001-2002	18676.60

(च) हस्तशिल्प की गुणवत्ता बढ़ाने एवं हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाये गए/उठाये जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) दिल्ली, बंगलौर, कोलकाता, मुम्बई और गुवाहाटी में क्षेत्रीय डिजाइन एवं तकनीकी विकास केन्द्रों की स्थापना;

(2) मुरादाबाद और दिल्ली में राष्ट्रीय डिजाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र की स्थापना;

(3) मुरादाबाद में धातु हस्तशिल्प एवं सेवा केन्द्र की स्थापना;

(4) कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण;

(5) डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन;

(6) विपणन;

(7) प्रदर्शनियां;

(8) शिल्प विकास केन्द्र एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना, और

(9) "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना" नामक एक नई व्यापक स्कीम का आरम्भ होना है जिसका उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्त पर चयनित कारीगर समूह का व्यावसायिक प्रबन्ध एवं आत्मनिर्भर समुदाय उद्यमी के रूप में विकास करना है।

[अनुवाद]

भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारत-पाक तनाव का प्रभाव

1868. डा. मन्दा जगन्नाथ :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सी.एम.आई.ई.) ने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अर्थव्यवस्था के कौन-कौन से क्षेत्र घाटे की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी हां। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सी.एम.आई.ई.) ने अपनी अद्यतन मासिक समीक्षा (जून 2002) में यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान में मौजूद राजनीतिक एवं सैन्य स्थितियों से उप महाद्वीप का आर्थिक माहौल दूषित हुआ है जिससे इस क्षेत्र में निवेश के वातावरण पर प्रभाव पड़ा है। इस तरह की राजनीतिक आक्रामक स्थिति का भारत में व्यापार और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिसका सकल घरेलू उत्पाद चालू खाता घाटा और सकल राजकोषीय घाटा जैसे प्रमुख आर्थिक पैरामीटरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में व्यर्थ चिंता करने का कोई कारण नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2002-03 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 6 से 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं (जैसे कि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र) ने चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दरों के 5.5 से 6 प्रतिशत के बीच होने का अनुमान लगाया है। कृषि और सेवा क्षेत्रकों में सतत रूप से विकास होने के कारण समग्र विकास के रफ्तार पकड़ने की आशा है।

(ग) सी.एम.आई.ई. की टिप्पणियों के विपरीत औद्योगिक उत्पादन, ढांचागत निष्पादन और वाणिज्यिक बैंकों से खाद्य-भिन्न ऋण लेने से चालू वर्ष में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है। समग्र औद्योगिक विकास जो अप्रैल-मई 2001 में 2.1 प्रतिशत था, अप्रैल-मई, 2002 में बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया। छह प्रमुख ढांचागत उद्योगों (बिजली उत्पादन, कोयला, इस्पात, कच्चा तेल, शोधशाला उत्पादन और सीमेंट) में अप्रैल-जून 2001 के 1.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जून 2002 में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खाद्य-भिन्न ऋण की प्राप्ति में भी चालू वर्ष (22 मार्च से 14 जून 2002) में गत वर्ष की इसी अवधि के 0.8 प्रतिशत की तुलना में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

पर्यवेक्षी भूमिका संबंधी ए.एस. गांगुली रिपोर्ट

1869. श्री सुबोध मोहिते : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी बैंकों में पर्यवेक्षी भूमिका संबंधी ए.एस. गांगुली रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) बैंकों के बोर्डों की पर्यवेक्षी भूमिका की समीक्षा करने के लिए डा. ए.एस. गांगुली की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों के परामर्शी दल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। दल की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

(1) बड़े आकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में एक और पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति,

(2) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति के लिए उचित सम्यक तत्परता पद्धतियों की स्थापना,

(3) स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए बैंकों के बोर्डों की नामांकन समितियों का गठन,

(4) बैंकों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए व्यावसायिक एवं प्रतिभाशाली लोगों के एक पूल की रचना एवं सृजन तथा प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आदि द्वारा आंकड़ों का अनुरक्षण भी।

(5) उपर्युक्त के अतिरिक्त सिफारिशों में स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशकों की भूमिका एवं दायित्वों, उनके प्रशिक्षण एवं पारिश्रमिक, बैंकों एवं गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के निदेशकों में समानता, बोर्ड से/को सूचना का प्रवाह, बोर्डों की वित्तीय समितियों का गठन आदि पर भी ध्यान दिया गया है।

अनिवासी भारतीयों से जमाराशि

1870. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीय समुदाय से किसी जमाराशि कार्यक्रम के माध्यम से धनराशि जुटाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बांधों और नहरों के लिए विदेशी सहायता

1871. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं ने गत तीन वर्षों के दौरान बांधों, नहरों और नदी विकास परियोजनाओं के निर्माण के लिए धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं ने राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने विदेशी वित्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की गयी धनराशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता से राज्य वार कितनी परियोजनाएं आरंभ की गयी हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए अनुसार हैं।

(ग) ये परियोजनाएं मार्च, 2002 में हस्ताक्षरित की गई हैं और निधियों का आगे उपयोग परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति पर तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु दावों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न राज्यों में बांधों, नहरों तथा नदी विकास के निर्माण हेतु प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने इस क्षेत्र में सहायता उपलब्ध नहीं कराई है।

विवरण-I

(आंकड़े मिलियन में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्था का नाम	मुद्रा	उधार की राशि	करार की तारीख	संवितरण की अंतिम तिथि	निम्न अवधि के दौरान संवितरण		
							1999-00	2000-01	2001-02
1.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना	आईडीए	एसडीआर	110.00	15.3.02	31.3.08	0.00	0.00	4.00
2.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना	आईडीए	एसडीआर	117.00	8.3.02	31.10.07	0.00	0.00	4.00

विवरण-II

राज्य	परियोजनाओं की संख्या
तमिलनाडु	2
बहुराज्यीय	5
उत्तर प्रदेश	5
गुजरात	7
राजस्थान	2
कर्नाटक	3
आंध्र प्रदेश	4
पश्चिमी बंगाल	1
उड़ीसा	4
मध्य प्रदेश	6
केरल	1
बिहार	2
महाराष्ट्र	4
हरियाणा	3
पंजाब	3
जोड़	52

एकमुश्त समाधान योजना

1872. श्री पी.सी. थामस : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002-2003 के बजट में 50,000 रुपए तक की गैर-निष्पादक आस्तियों को शामिल करने हेतु छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने दिनांक 22 मार्च, 2002 के अपने परिपत्र के तहत सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने बोर्ड के अनुमोदन से इन ऋणों की वसूली के लिए नीति तैयार करने की सलाह दी है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- योजना में छोटे एवं सीमांत किसानों को 50,000 रुपये की मूल राशि (किसी ब्याज घटक के अलावा) तक की बकाया शेष राशि वाले सभी ऋण खातों को शामिल किया ज़ाएगा जो 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्ति बन चुके हैं।
- योजना में वाद दायर तथा डिक्री दिए गए ऋण भी शामिल होंगे। बैंक समझौता होने के बाद संबंधित न्यायालयों में मामलों को बंद करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं।
- तथापि, योजना में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार तथा जानबूझकर की गई चूकों के मामले शामिल नहीं होंगे।
- योजना 31 दिसम्बर, 2002 तक परिचालित रहेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की 'इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स' (आई.पी.ओ.)

1873. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सरकार से 'इंनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स' (ओ.पी.ओ.) के लिए आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आई.पी.ओ. के लिए आग्रह करने के क्या कारण हैं जबकि उनके पास अतिरिक्त नकद राशि उपलब्ध है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कार्पोरेट निकायों द्वारा आरंभिक सार्वजनिक पेशकशों के जरिए निधियां जुटाने का निर्णय संबंधित कंपनी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), जो इस प्रयोजनार्थ विनियामक है, द्वारा निर्धारित प्रक्रियाविधि का अनुसरण करने के पश्चात् लिया जाता है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत पैट्रोलियम

कारपोरेशन लिमिटेड ने अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में पूंजी परियोजनाओं तथा निवेशों के वित्तपोषण के लिए तथा अपने ऋण-इक्विटी अनुपात में सुधार लाने के लिए निधियां जुटाने हेतु एक सार्वजनिक निर्गम का प्रस्ताव किया है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने भी अपने संसाधन अंतराल को पूरा करने के लिए निधियां जुटाने हेतु नए इक्विटी शेयरों के निर्गम के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने भी अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निर्गमों का प्रस्ताव किया है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध में, 21 कंपनियों को एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनिवार्य निर्निहितीकरण की शर्त के अध्यधीन भारत में निवेश करने की अनुमति दी गई थी। इनमें से 13 मामलों में निर्निहितीकरण की अपेक्षा को भारतीय पक्षों/संयुक्त उद्यम भागीदारों के पक्ष में अथवा जनता के पक्ष में अथवा दोनों के पक्ष में निर्निहितीकरण द्वारा पूरा किया जा सका। 8 मामलों में, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश मार्ग के जरिए निर्निहितीकरण प्रयोज्य है जिनमें से पहला निर्निहितीकरण जुलाई, 2005 से देय हो जाएगा।

सेबी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यूनियन बैंक आफ इंडिया से आरंभिक सार्वजनिक पेशकश हेतु एक प्रस्ताव सेबी के पास दायर किया गया है।

खान विभाग, कोयला और खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि विनिवेश प्रक्रिया के एक भाग के रूप में उन्होंने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत के निर्निहितीकरण का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास मंच

1874. प्रो. दुखा भगत : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास मंच से ऋण लेने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास मंच से कितना ऋण प्राप्त किया गया है; और

(ग) इस ऋण से इस देश में कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) दिनांक 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार भारत संवितरित और बकाया ऋणों के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.) से ऋण लेने वाला आठवां बड़ा उधारकर्ता और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) से ऋण लेने वाला सबसे बड़ा उधारकर्ता देश था।

(ख) और (ग) 1 जुलाई, 1999 और 30 जून, 2002 के बीच तीन वर्ष की अवधि के दौरान भारत के लिए आई.बी.आर.डी. के 3862.27 मिलियन अमरीकी डालर तथा आई.डी.ए. से 2683.28 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के ऋणों की मंजूरी दी गई। इन ऋणों और उधारों से संबंधित विवरण संलग्न है।

विवरण

1 जुलाई, 1999 से 30 जून, 2002 तक विश्व बैंक द्वारा मंजूर की गई परियोजनाएं

वचनबद्धता (मिलियन अमरीकी डालर)

परियोजना का नाम	मंजूर किए जाने की तारीख	आई.बी.आर.डी.	आई.डी.ए.	आई.बी.आर.डी.+ आई.डी.ए.
1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (03)	16/12/99	0.00	182.40	182.40
आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता उपाय परियोजना	11/4/00	0.00	111.00	111.00
जिला निर्धनता उपाय परियोजना (राजस्थान)	25/4/00	0.00	100.48	100.48
टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	25/4/00	0.00	142.60	142.60

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार और सरकारी क्षेत्र पुनर्संरचना कार्यक्रम परियोजना	25/4/00	126.27	125.00	251.27
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	25/4/00	0.00	110.00	110.00
उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	25/4/00	150.00	0.00	150.00
आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता परियोजना	12/5/00	0.00	45.00	45.00
दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता परियोजना	6/6/00	62.00	0.00	62.00
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना (03)	8/6/00	516.00	0.00	516.00
नवीकरणीय ऊर्जा (02 परियोजना)	27/6/00	80.00	50.00	130.00
गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	5/9/00	381.00	0.00	381.00
तकनीकी शिक्षा परियोजना	7/9/00	0.00	64.90	64.90
केरल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	7/11/00	0.00	65.50	65.50
मध्य प्रदेश जिला, निर्धनता उपाय परियोजना	7/11/00	0.00	110.10	110.10
राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	18/01/01	180.00	0.00	180.00
राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना (02)	27/3/01	0.00	30.00	30.00
पावरग्रिड प्रणाली विकास परियोजना (02)	3/5/01	450.00	0.00	450.00
कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	24/5/01	360.00	0.00	360.00
ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना	21/6/01	589.00	0.00	589.00
कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम परियोजना	21/6/01	75.00	75.00	150.00
कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना	21/6/00	0.00	100.40	100.40
राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (02)	21/6/01	0.00	74.40	74.40
कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना (02)	18/12/01	0.00	151.60	151.60
राजस्थान जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19/2/02	0.00	140.00	140.00
उत्तर प्रदेश जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19/2/02	0.00	149.20	149.20
आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार कार्यक्रम परियोजना	14/3/02	125.00	125.00	250.00
कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना कार्यक्रम (02) परियोजना	14/3/02	50.00	50.00	100.00
केरल राज्य परिवहन परियोजना	14/3/02	255.00	0.00	255.00

1	2	3	4	5
मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	14/3/02	0.00	60.00	60.00
कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	25/4/02	0.00	98.90	98.90
गुजरात आपात भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यक्रम परियोजना	2/5/02	0.00	442.80	442.80
मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	18/6/02	463.00	79.00	542.00
जोड़		3862.27	2683.28	6545.55

[अनुवाद]

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

1875. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धारण अधिकारियों को अपने कंट्रोल रजिस्टरों के लेखा परीक्षण के पश्चात् सूचीबद्ध मामलों को उठाए जाने का निदेश दिया है और जो अब तक बचते रहे हैं उन्हें सांविधिक नोटिस दिये जाने का आवश्यक निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 12क के पृष्ठ 94 पर इस तथ्य को प्रकाशित किया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारितियों को नोटिस दिये जाने और आयकर अधिकारियों के साथ उनकी सांठ-गांठ को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ऐसे सभी मामलों का जांच के लिए चयन कर लिया गया है और सुधारात्मक उपाय के तौर पर सांविधिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

संदिग्ध बैंक लेन-देन

1876. श्री के. येरननायडू : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी संदिग्ध लेन-देनों की जांच हेतु वाणिज्यिक बैंकों के लिए कौन-कौन से संशोधनों का प्रस्ताव किया है; और

(ख) बैंकों ने इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जमाराशि एवं अन्य खातों में परिचालनों से संबंधित निगरानी प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से 10 लाख रुपए और अधिक की नकदी जमाराशियों और निकासियों की शाखाओं द्वारा गहन निगरानी की प्रणाली लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 1995 में बैंकों को अनुदेश दिया था। इन अनुदेशों को मई, 2002 में पुन: दोहराया गया था। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 10 लाख रुपए और अधिक की अलग-अलग नकदी जमाराशियों और निकासियों का ब्यौरा रिकार्ड करने के लिए अलग से रजिस्टर रखें और अपने क्षेत्रीय/नियंत्रक कार्यालयों को सूचित करें। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे संदिग्ध प्रकृति के मामलों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दें जहां खाते के पूर्व व्यवहार को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में नकदी की निकासियों में अचानक तेजी आ गई हो। बैंकों से खातों को खोलने और निगरानी संबंधी वर्तमान निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

1877. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए ठोस कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए राज्यों को कुछ धनराशि आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता प्रदान की गई और इसे कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) संघ सरकार ने राज्यों में नीति सुधार तथा राजकोषीय सुधार के लिए निधियां आबंटित की हैं। राज्यों की उन्नति एवं विकास में बाधक क्षेत्रों में नीति सुधार हेतु विकास सुधार सुविधा के तहत 2500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्यों द्वारा शहरी क्षेत्रों में सुधारों की शुरूआत के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है। भारत सरकार ने राज्यों को राजकोषीय समेकन के लिए प्रोत्साहन देने हेतु 10607.72 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन निधि के साथ राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा का सृजन किया है। इस सुविधा के अंतर्गत राज्यों से यह अपेक्षित है कि वह अपने मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ राजकोषीय समेकन, बिजली क्षेत्र में सुधारों, राजकोषीय पारदर्शिता के मामलों आदि पर भी ध्यान दें। अनुपालनकर्ता राज्य प्रोत्साहन निधि में से अनुदान पाने के हकदार हैं।

[अनुवाद]

तम्बाकू बोर्ड द्वारा तम्बाकू की खरीद

1878. श्री विनय कुमार सोराके: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और उसके पश्चात् तम्बाकू बोर्ड द्वारा किसानों से वर्षवार और राज्यवार कितना तम्बाकू खरीदा गया;

(ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान किस मूल्य पर तम्बाकू खरीदा गया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि तम्बाकू बोर्ड कर्नाटक के किसानों से तम्बाकू की खरीद के मामले में भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्यों की उत्पादन क्षमता के आधार पर तम्बाकू खरीदने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) वर्ष 1998-99 से तम्बाकू बोर्ड ने केवल एक बार आंध्र प्रदेश में वर्ष 2000 में 12.08 रुपए प्रति किग्रा. की औसत कीमत पर 0.03 मि.किग्रा. तम्बाकू खरीदकर, बाजार में हस्तक्षेप किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक सरकार से राज्य की उत्पादन क्षमता के आधार पर तम्बाकू की खरीद के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बैंकों का कंप्यूटरीकरण

1879. डा. वी. सरोजा: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने व्यापारिक लेन-देन का कंप्यूटरीकरण कर लिया है;

(ख) इन बैंकों की कितनी शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को उनके व्यापारिक लेन-देन के कंप्यूटरीकरण में सहायता प्रदान करने हेतु कोई धनराशि निर्धारित की है;

(घ) क्या इस कंप्यूटरीकरण से ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने में लगने वाले समय में वास्तव में कोई कमी नहीं आई है;

(ङ) क्या सरकार को बहुत सी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कम्प्यूटरीकरण से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) कारोबार के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सी.वी.सी. के मार्गनिर्देश सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू हैं। सी.वी.सी. के मार्गनिर्देशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अपना 70 प्रतिशत से अधिक कारोबार कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से प्राप्त किया है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शहरी अर्द्धशहरी और ग्रामीण शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है जिन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

(ग) सरकार ने बैंकों को उनके कारोबार के कम्प्यूटरीकरण के कार्य में सहायता देने के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की है।

(घ) से (च) बैंकों द्वारा परिचालनों के कम्प्यूटरीकरण से ग्राहक सेवा का कार्य बेहतर हुआ है और इसमें तेजी आई है। शाखाओं की सम्बद्धता के पश्चात् ही पूरा लाभ उठाया जा सकेगा।

विवरण

31.12.2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कंप्यूटरीकृत शहरी, अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण शाखाओं की संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	शहरी शाखाओं की संख्या	अर्ध-शहरी शाखाओं की संख्या	ग्रामीण शाखाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	270	120	35
2.	आन्ध्रा बैंक	185	128	29
3.	बैंक आफ बड़ौदा	464	364	211
4.	बैंक आफ इंडिया	157	48	13
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	152	51	17
6.	केनरा बैंक	367	311	136
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	339	202	53
8.	कार्पोरेशन बैंक	318	39	2
9.	देना बैंक	219	130	94
10.	इंडियन बैंक	167	83	13
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	263	302	238
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	385	216	94
13.	पंजाब नेशनल बैंक	618	487	424
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	350	91	91
15.	सिंडिकेट बैंक	307	288	154
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	367	288	165
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	182	107	78
18.	यूको बैंक	454	122	44
19.	विजया बैंक	142	35	9
20.	भारतीय स्टेट बैंक	1050	787	202

1	2	3	4	5
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	115	92	13
22.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	119	132	38
23.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	151	146	20
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	58	20	10
25.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	43	55	8
26.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	82	186	19
27.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	101	44	2

आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बजटीय आबंटन

1880. डा. बी.बी. रमैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधारभूत सुविधाओं के विकास और निवेश-संवर्धन के लिए बजट में काफी धनराशि रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विशाल बजटीय आबंटन का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बजटीय आबंटन में से कितनी राशि का पुनर्विनियोग किया गया और इसके पूरी तरह प्रयुक्त न हो पाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ङ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें चलायी जा रही हैं:

(1) "निवेश संवर्धन कार्यकलाप शुरू करना" (योजनागत): इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है, भारत में तथा विदेशों में बैठकों, प्रदर्शनियों, आपसी वार्ता सत्रो, कार्यशालाओं, रोड शो, सेमिनारों का आयोजन करके/उनमें भाग लेकर, प्रकाशनों, सी.डी., आदि का मुद्रण व वितरण करके भारत में मौजूद अच्छे निवेश वातावरण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति, आदि के बारे में संभावित निवेशकों की जागरूकता को बढ़ाना। उक्त स्कीम के संबंध में पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान किये गये बजटीय आबंटन, उपयोग की गयी निधियां, विनियोजित/वापस की गयी/व्यपगत हो गयी राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

वर्ष	बजटीय आवंटन	पुनर्विनियोजित राशि	वापस की गयी राशि	किया गया वास्तविक व्यय	लैप्स हो गयी राशि
1999-2000	200.00	61.00	-	127.79	11.21
2000-2001	219.00	-	80.00	113.50	25.50
2001-2002	207.00	-	127.99	75.01	4.99

उपर्युक्त अवधि के दौरान बजटीय आवंटनों का पूरा उपयोग न कर पाने के मुख्य कारण थे-प्रारंभ में बनायी गयी योजनाओं की तुलना में अध्ययनों पर कम व्यय, कम संख्या में प्रदर्शनियों/सेमिनारों/डेस्टिनेशन इंडिया समारोहों में भाग लिया जाना।

(2) विकास केन्द्र योजना: देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा जून, 1988 में विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए एक विकास केन्द्र योजना की घोषणा की गयी थी। देश भर में स्थापित किये जाने वाले इन विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूरसंचार, बैंकिंग, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करायी जानी थीं ताकि राज्य उद्योगों को आकर्षित कर सकें। उक्त स्कीम के संबंध

में पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1999-2000, 2000-2001 और 2001-02 के दौरान किये गये बजटीय आबंटन, उपयोग की गयी निधियां, विनियोजित/वापस की गयी/लैप्स हो गयी राशियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	योजनागत प्रावधान	बुक किया गया व्यय/जारी की गयी राशि	पुनर्विनियोजित/वापस की गयी/लैप्स हुई राशि
1999-2000	24.96	24.96	-
2000-2001	32.50	32.50	-
2001-2002	40.00	40.00	-

कृषकों, महिलाओं तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों को ऋण

1881. श्री रतन लाल कटारिया: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेशित किया है कि उसके ऋण का एक निश्चित प्रतिशतांश कृषकों, महिलाओं और अनु. जाति/अनु. जनजाति के व्यक्तियों को दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के इन मार्गनिदेशों को कहां तक पूरा किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मार्गनिदेशों का पालन करवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सभी घरेलू अनुसूचित बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण (एन.बी.सी.) का 18% कृषि क्षेत्र को देना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का 5% महिलाओं को ऋण देने के लिए अलग रखने की सलाह भी दी है और यह लक्ष्य 31.3.2004 तक प्राप्त किया जाना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को ऋण देने के लिए कोई अलग से लक्ष्य नहीं है। सितम्बर 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इन लक्ष्यों की तुलना में उपलिब्धयां निवल बैंक ऋण का 15.63% कृषि क्षेत्र के लिए रही है और दिसम्बर 2001 की स्थिति के अनुसार निवल बैंक ऋण का 3.45% महिलाओं के लिए रही है।

(ग) घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र/कृषि उधार मूल्यों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास स्थापित ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) में अंशदान के लिए राशियां आबंटित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र के लिए अग्रिमों हेतु निर्धारित लक्ष्यों को मार्च 2003 तक प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क प्रदाता

1882. श्री तूफानी सरोज: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उत्पाद शुल्क प्रदाताओं की संख्या वर्तमान में लगभग 95,000 है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान इनमें से 4000 उत्पाद-शुल्क प्रदाताओं से कुल उत्पाद शुल्क का 95 प्रतिशत वसूल किया गया;

(ग) यदि हां, तो शेष 91,000 उत्पाद-शुल्क प्रदाताओं से उत्पाद शुल्क के रूप में कितनी धनराशि की वसूली की गई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्पाद-शुल्क की वसूली में गिरावट आई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वित्त वर्ष 1999-2000 की तुलना में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान कुल कितना उत्पाद-शुल्क वसूल किया गया?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 31 मार्च, 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल की गई उत्पाद शुल्क की कुल राशि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान वसूल की गई राशि 61902 करोड़ रुपए की तुलना में 72419 करोड़ रुपए (अनंतिम) है।

[अनुवाद]

आदिवासियों का पुनर्वास

1883. श्री रमेश चेन्नितला: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने आदिवासियों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक अनुदान अथवा वित्तीय सहायता की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु केरल को वर्षवार कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) केरल सरकार ने जनजातियों के पुनर्वास के लिए 7000.00 लाख रुपए की लागत से मकानों सहित भूमि की व्यवस्था करने के लिए 2001-2002 के दौरान इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया कि इस मंत्रालय में ऐसे प्रस्ताव के लिए निधियों की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है। तथापि, राज्य सरकार जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत उन्हें आवंटित निधियों में से इस परियोजना को कार्यान्वित कर सकती हैं जिसमें इस मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

भारतीय खाद्य निगम में अनियमितता

1884. श्री नरेश पुगलिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, 2000 में राजस्थान में भाड़े पर लिए गए डिपुओं में रखे गए खाद्यान्न के भंडारण में लापरवाही की वजह से 9.05 करोड़ रुपये का नुकसान होने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और दोषी अधिकारियों पर इस नुकसान की जवाबदेही तय की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) मार्च, 2000 में लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट दी कि राजस्थान क्षेत्र में किराये के कैप भंडारण डिपुओं में गेहूं के लापरवाहीपूर्ण और गलत भंडारण के कारण 1134.43 लाख रुपये की हानि हुई है।

(ख) और (ग) मामले की जांच की गई। जांच के निष्कर्षों के अधार पर श्रेणी-1 के 2 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गयी और उन्हें दंडित किया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार श्रेणी-1 के एक अन्य अधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो रहा था, को भी दंडित किया गया। श्रेणी-I के 3 अधिकारियों से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह मांगी गयी है। श्रेणी-II/III के 77 अधिकारियों के मामले में बड़ा दंड देने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सलाह के अनुसार, इस मामले में लिप्त पाए गए हैंडलिंग और ढुलाई ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया गया है और पार्टी के खिलाफ एक वसूली मुकदमा दायर किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 55(क) के तहत सेबी की समवर्ती शक्ति

1885. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 55(क) के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रदत्त समवर्ती शक्तियों को वापस लेने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेंदूपत्ता तोड़ने वाले श्रमिकों का हिस्सा

1886. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेंदूपत्ता तोड़ने वाले श्रमिकों, जिसमें से अधिकतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जनजातीय वर्गों के लोग हैं, ने तेंदूपत्ता तथा बांस के वाणिज्यिक दोहन में अपने हिस्से की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) तेंदूपत्ता तोड़ने व बांस रोपण और इनके विक्रय के कार्य में लगे जनजातीय वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तेंदू पत्ते तोड़ने वाली जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए यद्यपि कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, संबंधित राज्यों के जनजातीय लोग पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

संगमरमर का आयात

1887. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों से भारत में संगमरमर का आयात किया गया और यह आयात किन उद्देश्यों से किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने टन संगमरमर के आयात की अनुमति दी गई थी और वास्तविक रूप से कितनी मात्रा में उसका आयात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में तथा हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार वस्तुओं पर से आयात प्रतिबन्ध 1990 के दशक की शुरूआत से ही हटाए जा रहे हैं। भुगतान सन्तुलन के कारण जिन वस्तुओं पर आयात प्रतिबन्ध लगाए रखे गए थे इस समय उन सभी वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। तदनुसार, निर्यात एवं आयात मदों के आई.टी.सी.(एच.एस.) वर्गीकरण, 2002-2007 के अध्याय 68 में यथा सम्मिलित परिष्कृत संगमरमर के ब्लाक/टाइलों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है और इसके लिए डी.जी.एफ.टी. से कोई लाइसैंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आई.टी.सी. (एच.एस.) के अध्याय-25 के तहत आने वाले अपरिष्कृत अथवा अनगढ़ तरीके से काटे गए संगमरमर, जिसका 1.4.2001 से पहले विशेष आयात लाइसैंस के तहत आयात करने की अनुमति थी, के आयात को 1.4.2001 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इस प्रतिबन्ध के मद्देनजर एक्जिम कोड संख्या 25151100 और 251512 के तहत शामिल अपरिष्कृत अथवा अनगढ़ तरीके से काटे गए संगमरमर का आयात 2000-2001 में हुए 61987 मी. टन से घटकर 2001-02 में 41967 मी. टन रह गया है।

आई.टी.सी. (एच.एस.) के अध्याय-25 के अन्तर्गत आने वाले अपरिष्कृत अथवा अनगढ़ तरीके से काटे गए संगमरमर का आयात वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-2002 के दौरान क्रमश: 48619 मी. टन, 61987 मी. टन और 41967 मी. टन था। आई.टी.सी. (एच.एस.) के अध्याय-58 के तहत शामिल परिष्कृत संगमरमर ब्लाको/टाइलों का आयात वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2001-02 के दौरान क्रमश: 1113 मी. टन, 3317 मी. टन और 11134 मी. टन था।

उन प्रमुख देशों के नाम, जिनसे गत तीन वर्षों के दौरान भारत में संगमरमर का आयात किया गया है, इस प्रकार हैं: मिस्र, इटली, तुर्की, यूनान, ईरान, स्पेन, जर्मनी, श्रीलंका, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका।

[अनुवाद]

उपभोक्ता सुरक्षा

1888. श्री साईदुज्जमा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्तमान में पारायुक्त जिन थर्मामीटरों-चाहे वे चिकित्सकीय उपयोग के हों अथवा किसी अन्य उपयोग के - का प्रयोग किया जा रहा है, उनके टूटने की दशा में मानव-स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनेक देशों में पाररहित थर्मामीटरों और अन्य सुरक्षित सामग्री का प्रयोग या तो शुरू हो चुका है अथवा ऐसा किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपभोक्ता सुरक्षा के संबंध में सरकार ने कोई योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का उसका विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय मानक ब्यूरो और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले अन्य निकायों ने सरकार से कभी इस प्रकार का कदम उठाने के लिए संपर्क किया; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय मानक आईएस 3055 (भाग-I) 1994 क्लिनिकल थर्मामीटर: सॉलिड स्टेम टाइप तथा आईएस 3055 (भाग-II) क्लिनिकल थर्मामीटर-स्केल टाइप तैयार किए हैं। इन दोनों प्रकार के थर्मामीटरों में कांच में पारा भरा होता है। इन थर्मामीटरों के लिए विनिर्दिष्टियां एक राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार की गई हैं जिसमें उपभोक्ता, विनिर्माता, वैज्ञानिक, शिल्पवैज्ञानिक तथा विषय से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। मानक तैयार करते समय समिति सभी पहलुओं का ध्यान रखती है जिनमें खतरा कारक यदि कोई हो, भी शामिल है।

(ख) और (ग) क्लिनिकल इलैक्ट्रिकल थर्मामीटरों का वैकल्पिक नमूना जिसमें पारा नहीं होता, तैयार किया गया है। इस विषय में अभी पूरी जानकारी नहीं है कि विभिन्न देशों में बिना पारे वाले थर्मामीटरों ने किस हद तक पारेयुक्त थर्मामीटरों का स्थान ले लिया है।

(घ) से (छ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में 9 नवम्बर, 2001 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 843(ई) के द्वारा आईएस 3055 (भाग-1) 1994 तथा आईएस 3055 (भाग-2) 2002 के तहत कवर होने वाले क्लिनिकल थर्मामीटरों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत ला दिया है। यह अधिसूचना सितम्बर, 2002 से प्रभावी होगी।

[हिन्दी]

सुविधा-संपन्न वर्ग

1889. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण हेतु पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन से सुविधासंपन्न वर्ग (क्रीमी-लेयर) का निर्धारण करने के लिए संगत नियमों में 1993 से कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) क्या पिछड़े वर्ग के हजारों उम्मीदवार पिछले छः वर्षों से अधिक समय से केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न सेवाओं में आवेदन करने से इसीलिए वंचित रहे, क्योंकि संगत आय-सीमा में समुपयुक्त संशोधन नहीं हो सका था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परिप्रेक्ष्य में, संगत आय-सीमा में संशोधन करने में कितना समय लगने का अनुमान है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) भारत सरकार अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान हेतु आय मानदंड की समीक्षा करने के लिए समीक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान आय सीमा संशोधित की जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातियों के लिए अनुसंधान परियोजनाएं

1890. श्री राजैया मल्याला: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार ने अनुसंधान-परियोजनाओं को प्रायोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुसंधान परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातियों के कल्याण हेतु "अनुसंधान और प्रशिक्षण" के अंतर्गत अखिल भारतीय अथवा अन्तः राज्य प्रकार की वर्ष 2000-01 के दौरान 29 और वर्ष 2001-02 के दौरान 43 अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित कीं। वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान प्रायोजित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। योजना के अनुसार प्रत्येक अनुसंधान संगठन को अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करनी होती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय में अब तक वर्ष 2000-01 के दौरान प्रायोजित 4 अनुसंधान परियोजनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-01 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं

क्र.सं.	विषय
1	2
1.	मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़ों का मानचित्रात्मक प्रस्तुतीकरण-एक योजनागत एटलस।
2.	त्रिपुरा की जनजातीय विकास रिपोर्ट-2000
3.	भारत के आदिम जनजातीय समूहों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और पेयजल-समस्याओं और कार्यनीति पर सूक्ष्मदृष्टि (बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा)
4.	गुजरात की जनजातियों का मानचित्र
5.	आंध्र प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के प्रभाव का अध्ययन।
6.	उड़ीसा में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के प्रभाव का अध्ययन।
7.	इंटरक्रोप्पिंग ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमाटिक क्रोप्स विद सीसल (अगेव सेसलाना)
8.	पूर्वी उत्तर प्रदेश के थारूओं के लिए स्व:रोजगार के अवसरों का पता लगाना।
9.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन निधित कार्यक्रमों का मूल्यांकन (मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश)
10.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन निधित कार्यक्रमों का मूल्यांकन (उड़ीसा और बिहार)।
11.	असम और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातीय अध्यापकों की स्थिति-तुलनात्मक अध्ययन।
12.	कुमायुं के पहाड़ी जनजातीय समुदायों का विकास और परिवर्तन-राजी और भोटिया का तुलनात्मक अध्ययन।
13.	जैव-भिन्नता आधारित उद्योगों और गरीबी उन्मूलन (मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में) के लिए जैव-भिन्नता आधारित उत्पादों के एकत्रीकरण और निर्यात की क्षमता का मूल्यांकन।
14.	अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में संस्थागत वित्त की भूमिका उपलब्धता, उपयोगिता और प्रभाव (छत्तीसगढ़ और उड़ीसा)।
15.	ट्राइफेड की गतिविधियों का मूल्यांकन (मध्य प्रदेश और उड़ीसा)।
16.	उड़ीसा की जनजातियों में ऋणग्रस्तता की समस्याएं-(उड़ीसा) मल्कानगिरी और नौरंगपुर जिलों का अध्ययन
17.	परिवर्तित कार्यक्रमों में शामिल कार्रवाई अनुसंधान और खातिमा और उधमसिंह नगर के थारू और बक्सा जनजातियों के विकास के लिए मूल्यांकन अध्ययन
18.	झारखंड की संथाल महिलाओं की मुक्ति और सामाजिक कायापलट में उनकी भूमिका पर गहन अध्ययन (झारखंड)
19.	नादिया के विदियों की समस्याएं एवं विकास-कल्याण-कार्यनीति के लिए सूक्ष्म अध्ययन (पश्चिम बंगाल)
20.	लघु वन उत्पादों की खरीद और विपणन में लगे विभिन्न संगठनों के बीच संयोजन का अध्ययन (उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़)
21.	उड़ीसा और झारखंड राज्यों की मौजूदा नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संदर्भ में जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग की पद्धति का अध्ययन
22.	जनजातियों को ''एजुकेशन डिलीवरी सिस्टम'' का प्रभाव: शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग (छत्तीसगढ़ और उड़ीसा) के निष्पादनों का तुलनात्मक अध्ययन।
23.	पश्चिम बंगाल के आदिम जनजातीय समूहों में बेरोजगार संबंधी गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन-मानवीशास्त्रीय अध्ययन
24.	दुमका जिले (झारखंड) के आदिवासियों में प्रचलित अंधविश्वास, मिथक और रहस्यों से जुड़े जनगुरु, ओझा और जादू-टोनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन।
25.	सुंदरगढ़ जिले (उड़ीसा) के जनजातीय किसानों की कृषि के पोषण और आर्थिक वृद्धि के लिए सूखे की रोकथाम का अध्ययन

1	2
26.	औद्योगिक उपयोग के लिए लघु वन क्षेत्रों में उपलब्ध वनस्पति तेलों (साल और कुसुम) के मूल्य संवर्धन की खोज (पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड)
27.	जनजातियों के लिए विभिन्न आय उत्पादित करने वाली स्कीमों का प्रभाव और उपयुक्त स्कीमों की पहचान के लिए कार्यनीति (बिहार और उड़ीसा)
28.	मांझी का विश्लेषणात्मक अध्ययन-पंचायत अधिनियम, 1996 के संदर्भ में संथाल परगना (झारखंड) के संथालों में प्रचलित परगना सिस्टम (परंपरागत स्थानीय स्वशासन)
29.	उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन की कार्यनीति का मूल्यांकन अध्ययन

वर्ष 2001-2002 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई अनुसंधात्मक परियोजनाएं

क्र.सं.	विषय
1	2
1.	जनजातियों के बीच गरीबी का स्तर-केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजातीय समुदायों का आकलन करने हेतु गवेषणात्मक अध्ययन
2.	जनजातियों के बीच ऋणग्रस्तता-आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच तुलनात्मक अध्ययन
3.	डेवलपमेंट ऑफ डाटाबेस ऑन स्पेथ्यिओ-टोम्पोटल डैमेन्शस ऑफ हाबिटेशन, रिसोर्स अप्रोप्रियेशन एंड इमिग्रेशन इन दि ट्राइबेल हाबिटाट ऑफ दि नार्थ जोन ईस्टेन हाट्स (विशाखापटनम जिला)
4.	विकास योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक कायाकल्प की कार्रवाई झाबुआ जिला (मध्य प्रदेश) का कालिक मूल्यांकन
5.	झारखंड राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल प्रदान करने संबंधी समस्याओं और संभावनाओं संबंधी अध्ययन (रांची और दुमका जिले)
6.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के लिए शैक्षिक संस्थानों का मूल्यांकन
7.	त्रिपुरा के संगीत और लोक नृत्य पर गन्वेषणात्मक अध्ययन। (बारक और बंगाली दोनों)
8.	महाराष्ट्र के जनजातियों के स्वास्थ्य और पौष्टिकता पर गन्वेषणात्मक अध्ययन (चन्द्रपुर और गदचिरोली)
9.	जनजातियों की स्थिति में परिवर्तन और बोलियों का विकास-एक तुलनात्मक अध्ययन (झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़)
10.	स्टडी ऑन इफेक्ट आफ एक्सेन्शन रिलेटड कॉम्पोनेन्ट्स प्रोवैडेड अंडर दि ऑयल सीड्स प्रोडेक्शन प्रोग्राम (ओ.पी.पी.) एंड नेशनल पल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एन.पी.डी.पी.) इन इम्प्रूविंग कल्टिवेशन प्राक्टीस आफ ऑयलसीड्स एंड पल्सस इन ट्राइबेल एरियास आफ महाराष्ट्र (नासिक और अमरावती जिले)
11.	जनजातियों के कल्याण के लिए आयजनित स्कीमों पर अध्ययन-उड़ीसा राज्य (सुंदरगढ़ और अंगुल जिला) और छत्तीसगढ़ (राजगढ़ और धामतरी जिले) के जनजातीय विकास विभाग और केन्द्रीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों की भूमिका पर तुलनात्मक अध्ययन
12.	दिल्ली के घरेलू कामगार: छोटा नागपुर के पठार से जनजातीय महिलाओं के प्रवास से संबंधित अध्ययन
13.	पूर्वी भारत के संथालों की सम्प्रेषण पद्धति पर अध्ययन: आधुनिक माध्यम की दृढ़ता, परिवर्तन और विकास पर दृष्टिकोण (पश्चिम बंगाल-पुरुलिया और बीरभूमि जिले में झारखंड-दुमका जिले और घाटशिला, उड़ीसा-बारीपड़ा और झारसुगुडा जिले)
14.	तिपाई मुख, उप-प्रभाग, चुनाचनपुर जिला, मणिपुर राज्य का विशेष हवाला देते हुए जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना के विकास सैक्टरों का मूल्यांकन
15.	गुजरात राज्य के जनजातीय उपयोजना परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता का निर्धारण
16.	जनजातीय प्रदेशों में वृत्तिक शिक्षा और उसका प्रभाव-आधारभूत सुविधाओं के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता

1	2
17.	जनजातीय महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करना: उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के पंचायत राज संस्थानों में जनजातीय महिला प्रतिनिधियों की भूमिका, बोध और निष्पादन पर व्यक्टि अध्ययन
18.	जनजातियों के जीवन परिस्थिति पर जनजातीय विकास और परिवर्तन: पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के जमालपुर ब्लॉक का व्यष्टि अध्ययन
19.	आदिम जनजातियों के विकास को जारी रखना: सौरिया और पहरिया का व्यष्टि अध्ययन (कारमपहाड़ ग्राम साहिबगंज जिले का बोरियो ब्लॉक)
20.	उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के जनजातियों के विकास के लिए संस्थागत उधार सहायता की उपलब्धता, अभिगम्यता और उपयोगिता पर अध्ययन। उड़ीसा के सुंदरगढ़, फूलबानी और कोरापुट जिले और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिले
21.	उड़ीसा के पौरी-भुयान (पी.टी.जी.) के तीन मैक्रो परियोजनाओं पर आयजनित परियोजनाओं का प्रभाव: सुंदरगढ़, देवगढ़ और अंगुल जिलों में तुलनात्मक अध्ययन।
22.	तमिलनाडु राज्य के वेल्लुर, धर्मपुरी, सेलम, तिरुवण्णमलै, विल्लुपुरम, त्रिचापल्ली और नीलगिरी जिलों के जनजातीय क्षेत्रों के पंचायत राज संस्थानों का मूल्यांकन।
23.	बारीपाड़ा आई.टी.डी.ए. (उड़ीसा के मयूरभंज जिला) और मिदनापुर आई.टी.डी.पी. (मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल) नामक दो केन्द्रीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित जनजातीय विकास स्कीमों का मूल्यांकन
24.	विद्यमान आवासीय स्थिति अभिनिश्चित करने और उचित प्लानिंग और तकनीकी विकल्पों का सुझाव देने के लिए आदिम जनजातीय आवास का अध्ययन
25.	तमिलनाडु में जनजातीय विकास के लिए सरकार की अंत:क्षेप योजनाओं का मूल्यांकन (सेलम जिला, कालशयन राज्य)
26.	झारखंड राज्य के दुमका और छत्रा जिले के जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना के प्रभाव का निर्धारण

1	2
27.	असम और पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की उपयोगिता पर मूल्यांकन अध्ययन (असम का कोकराझार और पश्चिम बंगाल का जलपाईगुडी)
28.	महाराष्ट्र राज्य के व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजनाओं का मूल्यांकन
29.	जम्मू और कश्मीर राज्य में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रमों पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययन (जम्मू, लद्दाख और कश्मीर जिला)
30.	मध्य प्रदेश के मांडला जिले के जनजातीय विकास के विषय में 1996 के पंचायत राज एक्ट (अनुसूचित क्षेत्रों को बढ़ाना) के उपबंधों का प्रभाव
31.	आंध्रा-उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सीमा प्रदेश में नक्सलाइट आन्दोलन का विकास और जनजातीय शोषण की गत्मात्मकता: आर्थिक विश्लेषण
32.	जनजातियों पर शिक्षा वितरण पद्धति का प्रभाव: उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिला और छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले के सरकारी शैक्षिक संस्थानों और गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों के निष्पादन पर तुलनात्मक अध्ययन
33.	जनजातियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के संबंध में गन्वेषणात्मक अध्ययन-सिंहावलोकन और प्रत्याशाएं
34.	जीविका सुरक्षा: उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय ग्रामों में सहभागी गरीबी मूल्यांकन (अरुणाचल प्रदेश के पूर्व कमेंग और अप्पर सियांग जिले और उड़ीसा के कोरापुट और सुंदरगढ़ जिले)
35.	उड़ीसा के सुंदरगढ़ और झारखंड राज्य के गुमुला जिले से कार्थिक पिछड़ेपन को दूर करना
36.	जनजातीय समुदायों के हवाले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार परियोजनाएं और संरचनात्मक परिवर्तन: पश्चिम बंगाल राज्य में मूल्यांकन अध्ययन
37.	विकास के लिए जनजातीय महिला नीतियों के विकल्पों का सशक्तीकरण: (सीलिंग जनजातीय महिलाओं की व्यष्टि अध्ययन) (कर्नाटक के मैसूर जिले के बिलिगिरी और रंगनबट्टा)

1	2
38.	मध्य प्रदेश के दिन्दोरी वनों और छत्तीसगढ़ के सरगुजा वनों के बैगा और पहाड़ी कोरवा आदिम जनजातीय समूहों के पोषण और जीविका में नोन-वुड वन उत्पादों का योगदान (हर वनों से दो जिले)
39.	मध्य प्रदेश और राजस्थान के भील जनजातियों का सामाजिक-राजनैतिक विकास और आधुनिकीकरण। (राजस्थान के उदयपुर और सवाई माधोपुर जिले और मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला)
40.	जनजातीय समुदायों के बीच लक्ष्यीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभाव: उड़ीसा राज्य में मूल्यांकन अध्ययन
41.	अनुसूचित क्षेत्रों की पांचवीं अनुसूची में शामिल राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद की गतिविधियां-राजस्थान और गुजरात राज्यों का व्यष्टि अध्ययन
42.	बिरहोर जनजातियों के विकास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी विकास परियोजनाओं की सफलता: झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ ब्लॉक के अन्तर्गत चालकारी समूहों का व्यष्टि अध्ययन
43.	आंध्र प्रदेश राज्य में जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन

आई.एस.आई. प्रमाण-पत्र की अवहेलना

1891. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में आई.एस.आई. मार्क-लेबलों की अवहेलना संबंधी राज्यवार कितने मामलों की शिनाख्त की गई और इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्यों में बी.आई.एस. मानक चिह्न के अभिकथित दुरुपयोग हेतु दर्ज किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विस्तृत जांच और तलाशी तथा जब्ती की प्रक्रिया के पश्चात् यदि आवश्यक हो, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपयुक्त मामलों में दोषियों के खिलाफ न्यायालय में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत अभियोजन कार्यवाही शुरू की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो समय-समय पर उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम और क्रेता/विक्रेता बैठकें भी आयोजित करता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बी.आई.एस. मानक चिह्न का अभिकथित दुरुपयोग करने के लिए दर्ज किए गए मामलों की संख्या

राज्य	दर्ज किए गए मामलों की संख्या		
	2000-2001	2001-2002	2002-2003 22.7.02 तक
आन्ध्र प्रदेश	3	–	2
दमण	1	1	–
दिल्ली	8	17	3
गुजरात	10	9	2
हरियाणा	3	1	–
कर्नाटक	2	3	–
केरल	1	–	–
महाराष्ट्र	5	–	–
पंजाब	1	–	1
राजस्थान	2	1	2
तमिलनाडु	–	1	–
उत्तर प्रदेश	5	3	1
योग	41	36	11

[हिन्दी]

प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल करना

1892. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का किसी अन्य वस्तु को भी उक्त सूची में शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) दिनांक 29.6.1999 के आदेश द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रयोजनार्थ प्याज को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश से कपास की खरीद

1893. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि वह उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य से कपास की खरीद करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) भारतीय कपास निगम लि. (सी.सी.आई.) ने आंध्र प्रदेश राज्य में न्यूनतम समर्थन कीमत (एम.एस.पी.) अभियान के अंतर्गत 4,67,973 गांठ लिंट कपास के बराबर कपास की खरीद की है। आंध्र प्रदेश में न्यूनतम समर्थन कीमत अभियान के अंतर्गत की गई कपास की खरीद देश में न्यूनतम समर्थन कीमत अभियान के अंतर्गत की गई कुल खरीद का 52% है।

एन.आई.एस.एस.टी. की परिसंपत्तियों का आई.सी.ए.आर. को अंतरण

1894. श्री रामसिंह राठवा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मऊ स्थित एन.आई.एस.एस.टी. की परिसंपत्तियों और देयताओं को आई.सी.ए.आर. को अंतरित करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अंतरण प्रक्रिया में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अंतरण के पश्चात् उन कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा जो अभी एन.आई.एस.एस.टी. में कार्यरत हैं;

(घ) क्या उन सभी को आई.सी.ए.आर. को स्थानांतरित कर दिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (च) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जुलाई, 2002 में, अंतरण की स्थिति में उनके द्वारा वहन की जाने वाली वित्तीय देयताओं और लंबित मुकदमों, यदि कोई हों, के संबंध में कुछ सूचना मांगी हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की देयताओं और परिसम्पत्तियों के अंतरण करने के समझौते हेतु समझौते के एक मसौदे की भी मांग की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उसके द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ के कर्मचारियों के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अंतरण से संबंधित मामले पर व्यय विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

आयात पर विशेष अतिरिक्त शुल्क

1895. श्री टीएच. चाओबा सिंह: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी.ई.पी.बी. लाइसेंस के माध्यम से किए जाने वाले आयात पर विशेष अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है, जो कि इसके पूर्व इससे मुक्त था और इससे निर्यात को बल मिल रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कराधान को 1.4.2002 से लागू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में विधिक प्रावधान क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं और इस संदर्भ में 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार ही यथास्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि सरकार निर्यात वृद्धि के लक्ष्य को हासिल कर सके?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 45/2002, दिनांक 22.4.2002 डी.ई.पी.बी. स्क्रिप के माध्यम से किए गए आयातों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) से छूट प्रदान करती है जो डी.ई.पी.बी. स्क्रिप में एस.ए.डी. कारक को नामे डालने के अध्यधीन है। यह व्यवस्था 2002-2007 एक्सिम नीति के अनुसार जारी डी.ई.पी.बी. स्क्रिप के विरुद्ध किए गए आयातों के संबंध में लागू होती है।

डी.ई.पी.बी. स्कीम इस सिद्धान्त पर प्रचालित होती है कि निर्यात पर निर्यातक को डी.ई.पी.बी. क्रेडिट प्राप्त होता है जिसका स्क्रिप के नामे डाल कर आयात पर उपयोग किया जाता है। एक्सिम नीति के तदनुरूपी उपबंध में यह व्यवस्था भी है कि डी.ई.पी.बी. के तहत क्रेडिट का उपयोग सीमाशुल्क, जिसमें एस.ए.डी. शामिल है, की अदायगी के लिए किया जा सकता है। डी.ई.पी.बी. स्क्रिप मुक्त रूप से हस्तांतरणीय है और यह कारोबार को प्रोत्साहित करती है।

1.4.2002 से पूर्व एस.ए.डी. से छूट इसे डी.ई.पी.बी. स्क्रिप के नाम डाले बिना उपलब्ध थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/लोक लेखा समिति ने डी.ई.पी.बी. के नामे डाले बिना एम.ए.डी. की छूट देने पर आपत्ति उठायी थी क्योंकि इससे राजस्व की हानि हो रही थी और निर्यातकों को अनभिप्रेत लाभ मिल रहा था। इस हानि का एक अन्य संसद प्रश्न में भी उल्लेख किया गया था। अत: यह निर्णय लिया गया है कि एस.ए.डी. से छूट दी जाए बशर्ते कि इसे डी.ई.पी.बी. स्क्रिप के नामे डाला जाए।

(ङ) उपर्युक्त कारणों से, 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गोदाम

1896. श्री महबूब जहेदी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गोदामों में 2726.648 मीट्रिक टन से अधिक मात्रा में खाद्यान्न अप्रयुक्त पड़ा है और खराब हो रहा है;

(ख) क्या इन गोदामों में पड़ा खाद्यान्न छ: से सात वर्ष पुराना है;

(ग) यदि हां, तो इस खाद्यान्न के त्वरित निपटान के लिए कोई कार्ययोजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खराब खाद्यान्न का किस तरह उपयोग किया जाएगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2400.429 टन क्षतिग्रस्त खाद्यान्न थे।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित मात्रा में से केवल 395 टन मात्रा 5 वर्ष से अधिक पुरानी है।

(ग) और (घ) क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को 6 श्रेणियों अर्थात् फीड-I, फीड-II, फीड-III, औद्योगिक उपयोग, खाद और डम्पिंग में श्रेणीबद्ध किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम को इन क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान विहित फार्मूला दरों पर करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। फीड श्रेणी के खाद्यान्नों का निपटान पशुचारे के उपयोग के लिए किया जाता है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के निपटान की प्रगति की मानीटरिंग मासिक आधार पर की जाती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के उद्यमियों को आई.डी.बी.आई. की सहायता

1897. श्री शिवाजी माने: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) को महाराष्ट्र के उद्यमियों की ओर से कितने आवेदन प्रात हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन स्वीकार कर लिए गए और कितनों को निरस्त कर दिया गया; और

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा महाराष्ट्र के उद्योगों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(आई.डी.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि सहित प्राप्त/अनुमोदित और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है:-

महाराष्ट्र	1999-00	2000-01	2001-02
प्राप्त आवेदनों की संख्या	311	369	263
अनुमोदित आवेदनों की संख्या	220	262	198
अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	90	107	60
लंबित आवेदनों की संख्या	1	0	5
मंजूर की गई कुल राशि (करोड़ रुपए में)	4261	5383	4948
संवितरित की गई कुल राशि (करोड़ रुपए में)	3565	4216	4277

राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1898. प्रो. रासासिंह रावत : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उनकी शाखाओं की संख्या कितनी है और उनके प्रायोजक बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्यालयों पर कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितना लाभ/घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि यह बैंक उन लक्ष्यों को पूरा करें, जिनके लिये इनकी स्थापना की गई हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) राजस्थान में 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी 1018 शाखाएं हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंक आफ बड़ौदा (5) स्टेट बैंक आप बीकानेर एंड जयपुर (3), यूको बैंक (2), पंजाब नेशनल बैंक (2), सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (1) तथा बैंक आफ राजस्थान (1) द्वारा प्रायोजित किए गए है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रधान कार्यालयों में 175 अधिकारी (प्रायोजक बैंकों से प्रतिनियुक्त कर्मचारी को छोडकर) तथा 234 अन्य कर्मचारी कार्यरत है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हानि/लाभ को तिमाही आधार पर तैयार नहीं किया जाता है।

(घ) राजस्थान राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उन्हें दिए गए अधिदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के साथ-साथ उन्होंने बैंक रहित क्षेत्रों में शाखाएं खोली हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांतिक किसानों तथा कारीगरों का वित्तपोषण किया है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कमजोर स्थिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने तथा पुनरूज्जीवित करने के कार्य को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई नीतिगत परिवर्तन लागू किया जाना अनिवार्य हो गया है। इन परिवर्तनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल है:-

(1) योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना तथा समझौता ज्ञापन को लागू किया जाना, विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू किया जाना जिनमें आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी मानदंड लागू हैं।

(2) कारोबार पोर्टफोलियो और क्रियाकलापों का विपथन

(3) अधिशेष गैर-एसएलआर निधियों के निवेश के बढ़े हुए अवसर।

(4) घाटा देने वाली शाखाओं के स्थान परिवर्तन और विलय सहित शाखा नेटवर्क का युक्तियुक्तकरण;

(5) ब्याज दर ढांचे का अविनियमन

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के प्रबंधन में प्रायोजक बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक भूमिका प्रदान करना।

टी.एस.पी. क्षेत्र में पानी का उपयोग

1899. श्री कैलाश मेघवाल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के पास अतिरिक्त क्षेत्र के उपयोग हेतु 413 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) राज्य सरकारों की पात्रता के अनुसार विनिर्दिष्ट योजनाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। वर्ष 2001-02 के लिए राजस्थान की पात्रता 20.00 करोड़ रुपए थी। राज्य की अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में लघु उद्योग, सतही जल संसाधनों के विकास संबंधी 413.45 करोड़ रुपए योजना प्रस्ताव पर एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। जिसमें संबंधित जनजातीय विकास के प्रभारी मंत्री सहित संबंधित सचिव ने भाग लिया था। चूंकि योजना लागत राज्य की पात्रता से कहीं अधिक थी, अत: राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राजस्थान की जनजातीय विकास की अन्य संगत परियोजनाओं को पात्रता के भीतर स्वीकृति प्रदान की गई।

राष्ट्रीय बधिर संस्थान

1900. श्री सुरेश चन्देल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई ने देश के बधिरों के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जन्म के समय बधिरता की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) जन्म के समय बधिरता के अलावा बधिरता के अन्य कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में लोगों को जागरूक बनाने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रवण विकलांगता के गैर जन्मजात कारणों में प्रसवकालीन संक्रमण, उच्च ज्वर तथा ऐंठन, संक्रामक बीमारियां (अर्थात् काली खांसी, कनफेड, खसरा, सिफालिस, मस्तिष्क प्रदाह, वायरल ज्वर तथा क्षयरोह) ऑटोटोक्सिक नशीली दवाओं का सेवन, एकॉस्टिक ट्रॉमा अथवा सिर में चोट, तेज ध्वनि अचानक सुनना अथवा देर तक ध्वनि सुनते रहना, कान में संक्रमण जिसका उपचार न किया गया हो, उच्च रक्त चाप, मधुमेह, देर से होने वाले श्रवण क्षति के प्रति वंशानुगत प्रवणता, (डिडिस्पोजिशन) ध्वनि संबंधी ट्यूमर, वृद्धावस्था आदि शामिल हैं।

(घ) से (च) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान निवारण, शीघ्र पहचान, तथा देश में श्रवण विकलांगों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में देश के विभिन्न भागों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। प्रिंट तथा श्रव्य दृश्य प्रचार माध्यमों द्वारा भी समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

[अनुवाद]

वस्त्र और परिधान पर विश्व व्यापार संगठन की बैठक

1901. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र और परिधान पर विश्व व्यापार संगठन की बैठक जून, 2002 में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने भी इस बैठक में भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो वस्त्र क्षेत्र में प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ क्या चर्चा हुई और चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) जून माह 2002 में, सामान के व्यापार हेतु परिषद जो विश्व व्यापार संगठन की सहायक निकाय है, की एक औपचारिक बैठक 13 जून को आयोजित की गयी थी, जिसके दौरान वस्त्र से संबंधित मसलों पर भी चर्चा की गयी थी। कार्यान्वयन प्रस्तावों पर काफी चर्चा हुई। बैठक में यू.एस. और कनाडा ने वस्त्र संबंधी दो कार्यान्वयन प्रस्तावों का विरोध करते हुए व्यापक हस्तक्षेप किया। भारत ने सदस्यों को स्मरण दिलाया कि वस्त्र संबंधी दो कार्यान्वयन प्रस्ताव दोहा में मंत्रियों में द्वारा किए गए समग्र पैकेज समझौते के भाग थे। यदि वस्त्र संबंधी दो प्रस्तावों पर कार्रवाई न करने का इरादा होता तो मंत्री कार्यान्वयन संबंधी मसलों और चिंताओं पर निर्णय में पैरा 4 को स्पष्ट रूप से शामिल न करते। वस्त्र और क्लोदिंग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र था और निर्यात आय तथा रोजगार सृजन दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। भारत को आशा थी कि सभी सदस्य अध्यक्ष द्वारा आयोजित विचार-विमर्श में सकारात्मक रूप से अपने आपको

शामिल करेंगे ताकि विकासशील देशों की चिन्ताओं के मसलों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया जा सके। कुछ अन्य विकासशील देशों ने भी भारत के दृष्टिकोण की तरह अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त करते हुए हस्तक्षेप किये। चर्चा को संक्षिप्त करते हुए, अध्यक्ष ने सदस्यों के अलग-अलग दृष्टिकोणों को नोट किया तथा उल्लेख किया कि वे इन दो प्रस्तावों पर अपने विचार-विमर्श को जारी रखेंगे।

महिलाओं में नशाखोरी

1902. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री सी.के. जाफर शरीफ:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय नशा नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा देश में ऐसी महिलाओं की संख्या के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है जिनमें नशाखोरी की संभावना अधिक है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नशाखोरी की अधिक संभावना वाली शिक्षित और निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें इस संबंध में शिक्षित करने और नशीली दवाओं के कुप्रभावों के बारे में महिलाओं को जागरूक बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) महिलाओं में मादक पदार्थ दुरूपयोग की प्रवृत्ति की जांच करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय-संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय नशा नियंत्रण कार्यक्रम के साथ सहयोग से मुम्बई, एजवाल और दिल्ली से प्रत्येक 25 महिलाओं सहित मादक पदार्थ का दुरुपयोग करने वाली 75 महिलाओं पर सीमित अध्ययन किया गया है।

(ख) अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, इस अध्ययन में शामिल की गई महिला प्रयोक्ताओं में 76 प्रतिशत या तो निरक्षर थे अथवा उन्होंने प्राथमिक और मिडिल स्कूल में पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी।

(ग) सरकार महिलाओं में मादक पदार्थ दुरूपयोग निवारण के लिए अपनी कार्यनीति और हस्तक्षेपों में समुचित संशोधन शामिल करने की प्रक्रिया चला रही है जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार महिलाओं में निवारण जागरूकता का निर्माण करना शामिल है।

अनुसूचित जनजाति स्तर को तर्कसंगत बनाना

1903. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समुदायों के अनुसूचित जनजाति के स्तर को तर्कसंगत बनाने हेतु उनके साथ चर्चा करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या किसी एक जिले में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और पास के जिलों में उन्हें जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस मुद्दे से जुड़े अभ्यावेदनों पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। अनुसूचित जनजातियों को राज्य-विशिष्ट और कभी-कभी क्षेत्र-विशिष्ट के आधार पर अधिसूचित किया जाता है चूंकि किसी समुदाय की विशेषताएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग हो सकती हैं।

(घ) जून, 1999 में, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की थी। अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन लाने के लिए सभी अभ्यावेदनों पर इसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

चीन को इस्पात का निर्यात

1904. श्री राममोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री अम्बरीश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चीन को कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया गया;

(ख) क्या चीन ने हाल में अपने उत्पाद को सुरक्षित करने के लिए इस्पात के आयात पर 7.26% का शुल्क लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो इससे इस्पात के निर्यात पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान चीन को निर्यातित इस्पात का मूल्य निम्नानुसार रहा है:

(मूल्य लाख रु. में)

मद	1999-2000	2000-2001	2001-2002
प्राथमिक तथा अर्द्ध परिष्कृत लोहा एवं इस्पात	1555.50	12040.72	5195.44
लोहा एवं इस्पात बार/रॉड इत्यादि	0.20	381.83	462.47

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस.

(ख) चीन ने हाल ही में 24 मई, 2002 से इस्पात उत्पादों की 9 सामान्य श्रेणियों पर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क लगाया है। अनंतिम रक्षोपाय शुल्क 7% से लेकर 26% तक के बीच है। यह शुल्क उन आयातों पर लगाया गया है जिनकी मात्रा पूर्व निर्धारित कोटे के स्तर से अधिक है। भारतीय निर्यातों को नान-अलाय स्टील प्लेटों के अपवाद के साथ उक्त अनंतिम रक्षोपाय लागू करने से छूट दी गई है। नान अलाय प्लेटों के संबंध में चीनी प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कोटे से अधिक आयातों पर 20% की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

(ग) इस अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव का मात्रात्मक अनुमान लगाना समय-पूर्व होगा।

मत्स्य अवतरण केन्द्रों के लिए धनराशि

1905. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न स्थानों पर मत्स्य अवतरण केन्द्रों के निर्माण हेतु मूल आकलन में संशोधन और केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के संबंध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों में से प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मत्स्य अवतरण केन्द्र का नाम	मूलत: अनुमोदित लागत	अनुमोदन की तारीख	राज्य द्वारा प्रस्तावित संशोधित लागत	लागत अनुमान के संशोधन का ब्यौरा	भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कर्नाटक	(1) अल्भेकोडी	89.53	29.3.1995	202.00	अधिक लागत लगने के लिए कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित कारणों को मुख्यत: उत्तरदायी ठहराया है: (1) अवतरण केन्द्र के निर्माण के लिए निविदा को निरस्त करना एवं पुन: आमंत्रित करना, (2) घाट आदि के डिजाइन में किए गए परिवर्तन।	प्रस्ताव की जांच की गई थी। चूंकि बताए गए कारणों का प्रमुख और छोटे पत्तनों पर मत्स्यन ग्रहण सुविधाएं संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार के योग्य नहीं था, अत: उसे अस्वीकार कर दिया गया।
		(2) बेलीकेरी	67.40	20.8.1997	141.00	लागत में वृद्धि के लिए राज्य द्वारा उत्तरदायी ठहराए गए मुख्य कारण हैं:- (1) परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब और (2) मूलत: अनुमोदित प्रस्ताव में राज्य द्वारा किए गए आशोधन।	-तदेव-

1	2	3	4	5	6	7	8
		(3) कोडिबेंग्रे	55.50	19.3.1993	191.00	अधिक लागत लगने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा उत्तरदायी ठहराए गए मुख्य कारण हैं: (1) मत्स्य अवतरण केन्द्र के विकास हेतु सरकारी भूमि की अनुपलब्धता, जिसकी वजह से 100 मी. × 50 मी. क्षेत्र का सुधार किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, (2) नीलामी हाल की संस्थापना के डिजाइन में परिवर्तन, (3) निर्माण-कार्यों की नई मदों में परिवर्धन आदि।	-तदेव-
2.	गोवा	(1) कटबोना	89.20	24.3.2000	416.70	लागत वृद्धि हेतु राज्य द्वारा उत्तरदायी ठहराए गए मुख्य कारण हैं: (1) परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब, (2) दरों की अनुसूची में संशोधन, (3) पार्किंग क्षेत्र आदि जैसे निर्माण कार्यों की नई मदों में परिवर्धन।	-तदेव-

परक्राम्य लिखत अधिनियम

1906. श्री अधीर चौधरी:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में चेकों के बाउंस होने संबंधी मामलों से निपटने हेतु परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने भी मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अधिनियम में संशोधन हेतु सरकार से अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस अधिनियम में किये गये संशोधन कब तक प्रभावी हो जायेंगे?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) संसदीय स्थायी वित्त समिति विभिन्न समितियों की सिफारिशों और विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 को संशोधित करने का निर्णय लिया है। अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित संशोधन करने के लिए परक्राम्य लिखत (संशोधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2002 लोक सभा में पेश किया गया है:

(1) अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत यथा निर्धारित सजा को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करना;

(2) आदाता द्वारा आहर्ता को नोटिस जारी करने की अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करना;

(3) अधिनियम के अधीन मामले का संज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्धारित एक महीने की अवधि को माफ करने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करना;

(4) शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्य की अभिमुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना;

(5) न्यायालय द्वारा अभियुक्त या गवाह को स्पीड पोस्ट या सूची में शामिल निजीवाहक (प्राइवेट कुरियर) के माध्यम से समन तामील करने की प्रक्रिया निर्धारित करना;

(6) मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए अधिनियम के अधीन मामलों के संक्षिप्त विचारण का प्रावधान करना;

(7) अधिनियम के अधीन अपराधों को शमनीय बनाना।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

1907. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार देश में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु क्या विश्व बैंक ने कोई धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई/जारी की गई और कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत 3 वर्षों के दौरान हस्ताक्षरित विश्व बैंक की सहायता से वित्त-पोषित विकास योजनाएं/परियोजनाएं

(राशि मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विदेशी अभिकरण	हस्ताक्षर की तिथि	अन्तिम तिथि	क्रेडिट की राशि	जून, 02 तक संचयी उपयोग
1.	आंध्र प्रदेश निर्धनता उपाय परि.	आंध्र प्रदेश	आईडीए	12.5.2000	31.12.2005	111	7.611
2.	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता उपाय परि.	मध्य प्रदेश	आईडीए	5.12.2000	30.6.2006	110.1	4.423
3.	राजस्थान निर्धता उपाय परि.	राजस्थान	आईडीए	12.5.2000	31.12.2005	100.5	4.538
4.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना	कर्नाटक	आईडीए	8.3.2002	31.12.2007	151.6	4
5.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	केरल	आईडीए	4.1.2001	31.12.2006	65.5	3.523
6.	उत्तर प्रदेश जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	उत्तर प्रदेश	आईडीए	8.3.2002	31.10.2007	149.2	5
7.	राजस्थान जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राजस्थान	आईडीए	15.3.2002	31.3.2008	140	5
8.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	कर्नाटक	आईडीए	4.6.2002	31.1.2009	98.9	शून्य
	जोड़					926.8	34.095

[अनुवाद]

अनाथ बच्चों को प्रशिक्षण और शिक्षा

1908. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में अनाथ बच्चों को प्रशिक्षण और शिक्षा देने में लगे गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या इनमें से कुछ संगठनों ने इस उद्देश्य हेतु निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं, जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) इस मंत्रालय द्वारा 'बेसहारा बच्चों के लिए एक समेकित कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों जिनके कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ निराश्रित

बच्चों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना शामिल है, को पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार प्रदान की गई राशि के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार के ध्यान में ऐसे कुछ उदाहरण आए हैं जहां अनुदान प्राप्त करने वाले संगठनों ने निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया है। चूककर्त्ता संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन संगठनों की एक सूची इस प्रकार है:

(1) लर्निंग इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।

(2) नवोदय सेवा संगम, जदवेरला, महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश।

(3) युवाजन विकलानुला समकेशमा संगम, विनुकोंडा, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश।

(4) जिला विकलांगुला संगम, वेनुकोंडा गुंटूर आन्ध्र प्रदेश।

(5) भागिनी निकेतन, अहमदाबाद, गुजरात।

(6) अवध संस्थान, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	98.70	29.08	73.12
2.	असम	5.71	15.87	6.79
3.	गुजरात	91.41	76.06	58.66
4.	हरियाणा	0	0	0.25
5.	जम्मू और कश्मीर	7.75	5.37	5.96
6.	कर्नाटक	12.37	27.85	24.90
7.	केरल	14.00	4.52	7.68
8.	मध्य प्रदेश	5.04	00	00
9.	महाराष्ट्र	38.58	71.57	24.58
10.	मणिपुर	8.06	11.6	00
11.	मेघालय	00	00	0.25
12.	मिजोरम	1.79	1.06	00
13.	उड़ीसा	7.93	10.21	5.52
14.	पंजाब	8.55	6.38	23.28
15.	राजस्थान	22.78	12.37	27.42
16.	तमिलनाडु	73.21	56.07	37.14
17.	त्रिपुरा	0.50	00	5.69

1	2	3	4	5
18.	उत्तर प्रदेश	74.28	72.09	67.92
19.	पश्चिम बंगाल	187.53	159.82	187.72
20.	चंडीगढ़	8.59	9.00	00
21.	दिल्ली	50.35	54.11	37.21
	कुल	717.13	623.03	594.09

[हिन्दी]

बैंक डकैती

1909. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान राज्यवार कितनी बैंक डकैतियां हुईं; और

(ख) बार-बार पड़ने वाली डकैतियों को रोकने हेतु क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान हुई बैंक डकैतियों की राज्य-वार संख्या को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुलाई गई राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में की जाती है। इन बैठकों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित बैंकरों और राज्य सरकार के अधिकारियों को भाग लेना होता है। समिति राज्य में सुरक्षा के वातावरण, बैंक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपायों का जायजा लेती है और जब कभी और सुधार की आवश्यकता होती है तब बैंकों को अपेक्षित मार्गनिर्देश/अनुदेश दिए जाते हैं। बैंकों ने अंतर्ग्रस्त जोखिम के पहलू के आधार पर अपनी शाखाओं का वर्गीकरण किया है और सशस्त्र गार्ड तैनात किए हैं, आवश्यकतानुसार सेंधमारी-विरोधी उपाय आदि किए हैं। राज्य पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सशस्त्र गार्डों द्वारा बैंक शाखाओं की सुरक्षा के संबंध में जहां कहीं भी कमियों की सूचना दी जाती है, वहां समिति पुलिस अधिकारियों पर पर्याप्त सशस्त्र गार्ड उपलब्ध कराने के लिए बल देती है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 के दौरान हुई बैंक डकैतियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	वर्ष के दौरान मामलों की संख्या	
		2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2
2.	असम	3	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	1
4.	बिहार	33	34
5.	चंडीगढ़	–	1
6.	दिल्ली	1	2
7.	गुजरात	–	2
8.	हरियाणा	2	7
9.	हिमाचल प्रदेश	2	–
10.	जम्मू एवं कश्मीर	–	1
11.	कर्नाटक	1	1
12.	महाराष्ट्र	5	6
13.	मध्य प्रदेश	3	5
14.	मेघालय	4	1
15.	उड़ीसा	7	3

1	2	3	4
16.	पंजाब	2	3
17.	राजस्थान	–	1
18.	उत्तर प्रदेश	16	24
19.	उत्तरांचल	1	2
20.	पश्चिम बंगाल	14	8
21.	झारखंड	1	11
22.	छत्तीसगढ़	–	1

[अनुवाद]

कर्नाटक के गोदामों में चीनी

1910. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कर्नाटक के गोदामों में ऐसी कितनी चीनी पड़ी है जो अभी तक न उठाये जाने के कारण बेकार पड़ी है;

(ख) कर्नाटक में अधिक चीनी उत्पादन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने चीनी की बढ़ी आवक से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि की सहायता मांगी है; और

(ङ) सरकार द्वारा चीनी उत्पादन की अधिक आवक से निपटने में कर्नाटक की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) कर्नाटक राज्य में स्थित चीनी मिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 7 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार, चीनी मिलों के पास 11.44 लाख टन चीनी का स्टाक था, जबकि पिछले मौसम की इसी तिथि को 13.62 लाख टन चीनी का स्टाक था।

(ख) गत 3 लगातार चीनी मौसमों तथा वर्तमान मौसम के दौरान हुए चीनी से अधिक उत्पादन के कारण इन वर्षों में चीनी के स्टाक में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है। सरकार ने चीनी मिलों के स्टाक को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है। चीनी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:-

(क) निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर लेवी में छूट दी गई है।

(ख) निर्यात की गई चीनी की मात्रा को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्ति के रूप में माना जाता है जिसका समायोजन 18 माह की अवधि के बाद किया जाता है।

(ग) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य की 4% की दर पर डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(घ) चीनी के निर्यात पर मात्रात्मक सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

(2) जरूरतमंद चीनी मिलों के अग्रिम खुली बिक्री की चीनी दी जाती है।

(ग) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि के भुगतान के लिए राज्य की 10 चीनी फैक्ट्रियों के लिए 33,200 मी. टन खुली बिक्री की चीनी का अग्रिम कोटा प्रदान करने का अनुरोध किया था।

अग्रिम खुली बिक्री की चीनी का कोटा प्रदान करने के लिए प्रचलित मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक राज्य की ऊपर उल्लिखित 10 चीनी फैक्ट्रियों को 10,000 मी. टन अग्रिम खुली बिक्री की चीनी का कोटा निर्मुक्त किया गया था।

[हिन्दी]

कंपनियों के पंजीकरण हेतु नये दिशा-निर्देश

1911. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नवल किशोर राय:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कंपनियों के पंजीकरण के लिये नये दिशा-निर्देश जारी करने या वर्तमान नियमों से संबंधित कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कंपनियों के पंजीकरण हेतु नये दिशा-निर्देशों/कानून से किस सीमा तक निवेशकों के हितों की सुरक्षा हो सकेगी?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) फिलहाल इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ कम्पनियां जो वर्ष 1991-92 से पब्लिक इश्यू के साथ आकर बाजार से गायब हो गई हैं जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ है। इन कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच की गई थी। कम्पनियों और/या उनके निदेशकों पर अभियोजन चलाने के लिए कदम उठाये गए हैं। अभियोजन जनता को झूठे वायदों से लुभाकर निवेश करने और प्रस्ताव दस्तावेजों में गलत विवरण करने के लिए थे। ये मामले प्रशम्य नहीं हैं तथा इनके लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रबंध संबंधी नीति

1912. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री राम सिंह कस्वां:
श्रीमती जसकौर मीणा:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु प्रबंधन नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी; और

(घ) उक्त नीति के कब तक लागू होने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) सरकार ने वर्ष 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता, उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने और विकास प्रक्रिया में गतिशीलता लाने के लिए व्यापार, उद्योग, वित्तीय और सरकारी क्षेत्रों में अनेक उपाय शुरू किए हैं। इन सुधारों को प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा और योजना आयोग द्वारा प्रकाशित आयोजना प्रलेखों में भलीभांति प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा, देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए इन सुधारों की केन्द्रीय बजट 2002-03 में घोषणा की गई है। इन उपायों में कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था संबंधी सुधार, आधारढांचे में निवेशों की वृद्धि, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, गहन संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक विकास का पुन: सृजन और कर सुधारों का समेकन आदि शामिल है।

कमजोर वर्गों हेतु जनता कपड़ा

1913. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री शिवाजी माने:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में जनता कपड़े का कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुख्यत: बनने वाला जनता कपड़ा उन्हें ही नहीं मिल पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये है कि निर्धनों के लिये उत्पादित जनता कपड़ा, वास्तव में उन्हें उपलब्ध भी हो सके?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल): (क) से (ग) जनता कपड़ा को केन्द्रीय क्षेत्र गैर-योजनागत स्कीम के अन्तर्गत तैयार और वितरित किया जाता था। उस योजना को वर्ष 1997-98 के बाद बंद कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में किसी भी केन्द्रीय क्षेत्र अथवा केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जनता कपड़ा का उत्पादन नहीं हो रहा हैं।

[अनुवाद]

कर संग्रहण पर गुजरात दंगों का प्रभाव

1914. श्री वसुदेव आचार्य: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात दंगों के कारण कर राजस्व संग्रहण पर गंभीर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं, वर्ष 2001-2002 के दौरान गुजरात में कर वसूली वर्ष 2000-2001 की अपेक्षा अधिक रही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) व्यापक आर्थिक विचारों और विस्तृत नीतिगत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए देश की समग्र वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था में रूझान निरंतर समीक्षाधीन है और जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

फिक्की और विश्व व्यापार संगठन परामर्श केन्द्र, शंघाई के बीच समझौता ज्ञापन

1915. श्री ज्योदिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मामलों, जिससे दोनों देशों के हित प्रभावित होते हैं पर सहयोग बढ़ाने हेतु शंघाई में विश्व व्यापार संगठन परामर्श केन्द्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) डब्ल्यू.टी.ओ. से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण को बढ़ाने तथा क्षमता का सृजन करने एवं डब्ल्यू.टी.ओ. से संबंधित मामलों तथा नीतियों पर सहयोगात्मक तंत्र की स्थापना की दृष्टि से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ (फिक्की) तथा शंघाई डब्ल्यू.टी.ओ. कार्य परामर्श केन्द्र (एस.सी.सी.डब्ल्यू.टी.ओ.) के बीच दिनांक 11 मई, 2002 को एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में फिक्की तथा एस.सी.सी.डब्ल्यू.टी.ओ. मुद्दों पर उद्योग परिदृश्य का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करेंगे, विभिन्न डब्ल्यू.टी.ओ. करारों की क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझने के लिए एक दूसरे के देश का दौरा करेंगे तथा समन्वय, एवं जहां उचित होगा संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपने-अपने कार्यक्रमों, कार्य-कलापों तथा परियोजनाओं पर सूचना का नियमित रूप से आदान प्रदान करेंगे।

धनशोधन संबंधी क्रियाकलाप

1916. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक दल ने सरकार से देश में धनशोधन संबंधी क्रियाकलापों के विपरीत मौजूदा ढाँचे को मजबूत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वित्तीय कार्रवाई संबंधी कृतक बल के मानदंडों को धनशोधन संबंधी क्रियाकलापों को रोकने हेतु नहीं अपनाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) भारत की स्थिति के साथ-साथ बाजार अखंडता पर अन्तरराष्ट्रीय मानकों का आकलन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में अन्तरराष्ट्रीय वित्त मानक एवं कूटों पर स्थाई समिति द्वारा "बाजार अखंडता" पर एक आन्तरिक तकनीकी समूह का गठन किया गया था। उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ धनशोधन निवारण विधेयक के अधिनियमन सहित धनशोधन को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश की गई है।

(ख) धनशोधन को रोकने के लिए एक व्यापक विधायन अर्थात् धनशोधन निवारण विधेयक पर संसद में विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) धनशोधन निवारण विधेयक को बनाते समय धनशोधन निवारण पर वित्तीय कार्यबल की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग

1917. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी प्रौद्योगिकी विदेशी पूंजी निवेश के साथ ही भारतीय उद्योगों में भी प्रवेश कर गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कौन-कौन से पारंपरिक उद्योग हैं जिनमें विकसित विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग को अब तक बढ़ावा दिया गया है;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है और उत्पादन लागत में भी कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) जी, हां। जनवरी, 1991 से 31.5.2002 तक की अवधि में दोनों वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के 2000 से भी अधिक प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्णतया विदेशी तकनीकी सहयोग के 7,039 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं।

(ख) सरकार ने संयुक्त उद्यमों के लिए एक उदार विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग तंत्र बना रखा है जो स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 2 मिलियन अमेरिकी डालर से अनधिक एकमुश्त भुगतान करने और करार की तारीख से 10 वर्षों अथवा उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से 7 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, इनमें जो भी पहले हो, घरेलू बिक्रियों/निर्यातों पर 5%/8% से अनधिक रायल्टी भुगतान करने की अनुमति देता है। उपर्युक्त तंत्र परम्परागत उद्योगों सहित सभी उद्योगों के लिए लागू है।

(ग) उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग से उच्च उत्पादकता, कच्चे माल का अधिक कुशल-उपयोग, न्यूनतम बर्बादी और लागत में कमी जैसे वास्तविक आर्थिक लाभ परिलक्षित होते हैं।

(घ) आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्राप्त आर्थिक लाभ, लाभप्रदता के स्तर में परिलक्षित होता है, जो अनेकानेक कारकों पर निर्भर होता है।

[अनुवाद]

कम्पनियों द्वारा इक्विटी के अधिमान्य आवंटन हेतु मानदंड

1918. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कंपनियों द्वारा इक्विटी के अधिमान्य आवंटन हेतु नए मानदंडों को लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) से (घ) सेबी ने अधिमानी निर्गमों पर सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए सेबी (प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा) मार्गदर्शी सिद्धान्त 2000 के नाम से मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं, जो मूल्यों, समय सीमा, अधिमानी आवंटन के माध्यम से जारी किये गये दस्तावेजों के हस्तांतरण इत्यादि को नियमित करते हैं।

सीमेंट के लिए पटसन के बोरे

1919. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट कंपनियां अपने उत्पादों की पैकेजिंग हेतु पटसन के बोरे का प्रयोग करने संबंधी अनिवार्य मानदंडों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में पटसन उद्योग को हुए घाटों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे ठीक करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल): (क) सीमेंट को, सरकार द्वारा पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी अनिवार्य पैकेजिंग आदेशों की सीमा से 15.12.1998 से छूट दी गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत की व्यापार नीति संबंधी गोष्ठी

1920. श्री अम्बरीश:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में भारत की व्यापार नीति पर एक गोष्ठी आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एजेडों पर चर्चा की गई और इस गोष्ठी में किन-किन लोगों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया;

(ग) क्या हमारा देश विश्व व्यापार में अन्य एशियाई देशों से पीछे है;

(घ) यदि हां, तो विश्व व्यापार में हमारे देश का कितना हिस्सा है; और

(ङ) सरकार द्वारा विश्व व्यापार में अपने हिस्से को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) डब्ल्यू टी ओ की स्थापना करने वाले मराकेश करार के अनुबंध-3 के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के सभी सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है। इस प्रावधान के अंतर्गत भारत की व्यापार नीति की तीसरी समीक्षा व्यापार नीति समीक्षा निकाय जिसमें डब्ल्यू.टी.ओ. के सभी सदस्य प्रतिनिधि हैं, द्वारा जेनेवा में 19 और 21 जून, 2002 को की गई थी।

(ख) व्यापार नीति समीक्षा बैठक में भारत की व्यापार नीतियों और प्रथाओं पर मोटे तौर पर तीन शीर्षकों अर्थात् आर्थिक नीतियां; व्यापार नीति प्रणाली; और क्षेत्र संबंधी नीतियों के अंतर्गत विचार-विमर्श किया गया था। इस समीक्षा के दौरान विचार-विमर्श मुख्यत: दो प्रतिवेदनों पर आधारित था जिनमें से एक डब्ल्यू टी ओ सचिवालय द्वारा तथा दूसरी भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया था। इस समीक्षा बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव ने किया था। शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों में वाणिज्य विभाग के व्यापार नीति प्रभाग के संबंधित अधिकारी, विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय का एक अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग का एक अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के दो अधिकारी शामिल थे। समीक्षा बैठक के दौरान जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी भी शिष्टमंडल में शामिल थे।

(ग) और (घ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) की वार्षिक रिपोर्ट 2002 में दिए गए विश्व व्यापार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001 में कुछ एशियाई देशों/सीमा शुल्क क्षेत्रों, अर्थात् जापान, चीन, हांगकांग, चीन, कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब, थाइलैंड और इंडोनेशिया का विश्व पण्य व्यापार का निर्यात हिस्सा भारत के विश्व पण्य व्यापार के निर्यात हिस्से से अधिक था। हांगकांग चीन और सिंगापुर के निर्यात के आंकड़ों में पुनर्निर्यात भी शामिल है। वर्ष 2001 में विश्व पण्य व्यापार में भारत का निर्यात हिस्सा 0.7% था और विश्व पण्य व्यापार में इसका आयात हिस्सा 0.8% का था।

(ङ) विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ाने के लिए निर्यात आयात नीति 2002-07 में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में लेन-देन समय एवं लागत में कमी करना; प्रक्रियात्मक सरलीकरण और निर्यात संवर्धन स्कीमों में पारदर्शिता बढ़ाना; दर्जा धारकों, लघु उद्योग और अलाभकारी क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित एककों के लिए विशेष स्कीमें; अफ्रीका, एल ए सी (लेटिन अमरीकी देश) और सी आई एस (स्वतंत्र राष्ट्रकुल देश) की विशिष्ट ध्यान दिए जाने वाली स्कीमों का नवीकरण करके निर्यात बाजारों का विविधीकरण करना; निर्यात उत्कृष्टता वाले तीन कस्बों और 28 कृषि निर्यात क्षेत्रों को अधिसूचित करना तथा 429 मदों पर मूल्य सीमा समाप्त करने के साथ-साथ शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम जारी रखना शामिल हैं। भारत का पण्य निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2002-2007 अवधि के लिए मध्यकालिक निर्यात नीति (एम.टी.ई.एस.) की भी घोषणा की है। इस एम.टी.ई.एस. से प्रमुख व्यापारिक देशों के आयात हिस्सों और भारत के निर्यात हिस्से की जांच करने के बाद मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता और भारत के लिए ध्यान केन्द्रित करने योग्य उत्पाद एवं बाजारों की जानकारी प्राप्त होती हैं। इससे विश्व व्यापार में उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए भारतीय निर्यात समुदाय को समक्ष बनाने हेतु अधिक अनुकूल व्यापारिक वातावरण तैयार करना सुविधाजनक होगा। इसमें भारत के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए प्रमुख विस्तृत नीतियां और क्षेत्रवार नीतियां तैयार करने के सुझाव प्राप्त होते है।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे सहकारी बैंक

1921. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश सहकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे बैंकों के राज्यवार नाम क्या हैं और ये कब से घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) इन बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में 30 राज्य सहकारी बैंकों (एस.सी.बी.) तथा 369 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) में से 18 राज्य सहकारी बैंक तथा 204 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार घाटे में चल रही हैं। कम मात्रा में कारोबार, निम्न संसाधन आधार, अल्प उधार सदस्यता, प्रबंधन का प्रजातंत्रीकरण तथा व्यवसायीकरण की कमी तथा लगभग अवरूद्ध वसूली कार्यनिष्पादन के कारण अतिदेय राशियों अधिक घटनाओं को इन हानियों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों के रूप में पहचान की गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने देश में सहकारी बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए कई उपचारी उपाय किए हैं। इनमें कुछेक इस प्रकार हैं: विकास कार्य योजना (डी.ए.पी.) तैयार करने के लिए सहकारी बैंकों को सलाह देना, बैंकों, नाबार्ड और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना, अपने संगठनात्मक कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सहकारी बैंकों हेतु संगठनात्मक विकास मध्यवर्ती (ओ.डी.आई.) कार्यक्रम आयोजित करना आदि। नाबार्ड सहकारी बैंकों को अपनी परिचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए अपने सहकारी विकास निधि (सी.डी.एफ.) में से सहकारी बैंकों को डी.ए.पी. प्रयासों के संपूरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान

1922. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:
श्री राजो सिंह:
श्री शंकर सिंह वाघेला:
योगी आदित्यनाथ:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का पता लगाने संबंधी आधार को योजना आयोग के गरीबी अनुमानों से महापंजीयक की जनसंख्या की ओर स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा और महापंजीयक के जनसंख्या अनुमान के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के रूप में अब तक राज्यवार कितने परिवारों की पहचान की गई है;

(घ) सरकार द्वारा अंत्योदय योजना, अकाल राहत इत्यादि जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उपरोक्त योजनाओं हेतु राज्यवार कुल कितनी राजसहायता प्रदान की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या और 1.3.2000 के आबादी आधार पर योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या विवरण-I के अनुसार है।

(घ) सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई उपाय किए हैं।

(1) अंत्योदय परिवारों की अत्यंत गरीब स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सुझाव दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उचित दर दुकान पर अंतिम खुदरा मूल्य गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम बरकरार रखा जाए।

(2) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंदर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से अंत्योदय परिवारों की पहचान करें। उन्हें यह परामर्श भी दिया गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को शामिल करके अंत्योदय परिवारों की सूची को अंतिम रूप दें।

(3) अंत्योदय अन्न योजना के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में विशेष रूप से यह उपबंध किया गया है कि राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन इस बात का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने से सम्बद्ध किया जाएगा कि पहले आवंटित खाद्यान्न वास्तव में अंत्योदय परिवारों तक पहुंच गये हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के लिए अंत्योदय अन्न योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और सूखा राहत कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों के आवंटन पर वहन की गयी खाद्य राजसहायता क्रमशः विवरण-II, III और IV में दी गयी है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान

क्र.सं.	राज्य	1.3.2000 की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)	राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.63	113.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.99	1.20
3.	असम	18.36	18.85
4.	बिहार	65.23	61.63
5.	गोवा	0.48	0.08
6.	गुजरात	21.20	33.90
7.	हरियाणा	7.89	7.68
8.	हिमाचल प्रदेश	5.14	2.98
9.	जम्मू और कश्मीर	7.36	6.23
10.	कर्नाटक	31.29	62.80
11.	केरल	15.54	20.58
12.	मध्य प्रदेश	41.25	44.87
13.	महाराष्ट्र	65.34	77.00
14.	मणिपुर	1.66	1.29
15.	मेघालय	1.83	1.72
16.	मिजोरम	0.68	0.91
17.	नागालैण्ड	1.24	1.24
18.	उड़ीसा	32.98	48.57
19.	पंजाब	4.68	4.35
20.	राजस्थान	24.31	23.74
21.	सिक्किम	0.43	0.44
22.	तमिलनाडु	48.63	65.51
23.	त्रिपुरा	2.95	2.50
24.	उत्तर प्रदेश	106.79	105.75
25.	पश्चिम बंगाल	51.79	47.87
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0.28	0.17
27.	चंडीगढ़	0.23	0.23
28.	दादरा व नगर हवेली	0.18	0.16
29.	दमन और दीव	0.04	0.04
30.	दिल्ली	4.09	4.11
31.	लक्षद्वीप	0.03	0.01
32.	पांडिचेरी	0.84	0.95
33.	छत्तीसगढ़	18.75	17.48
34.	झारखण्ड	23.94	22.21
35.	उत्तरांचल	4.98	4.30
	जोड़	652.03	804.95

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राज्यों को दिए गए खाद्यान्न-राजसहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	13.708	168.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	1.03

1	2	3	4
3.	असम	–	25.46
4.	बिहार	–	114.675
5.	छत्तीसगढ़	6.326	77.970
6.	दिल्ली	–	1.729
7.	गोवा	–	0.885
8.	गुजरात	–	44.33
9.	हरियाणा	–	18.36
10.	हिमाचल प्रदेश	1.516	19.16
11.	जम्मू और कश्मीर	–	21.56
12.	झारखण्ड	–	70.05
13.	कर्नाटक	–	72.14
14.	केरल	5.243	64.621
15.	मध्य प्रदेश	11.451	140.67
16.	महाराष्ट्र	–	201.658
17.	मणिपुर	–	1.730
18.	मेघालय	–	3.178
19.	मिजोरम	–	2.854
20.	नागालैण्ड	–	2.437
21.	उड़ीसा	–	79.999
22.	पंजाब	–	13.240
23.	राजस्थान	6.161	75.337
24.	सिक्किम	–	1.063
25.	तमिलनाडु	–	32.080
26.	त्रिपुरा	–	7.159
27.	उत्तर प्रदेश	–	193.199
28.	उत्तरांचल	–	9.554
29.	पश्चिम बंगाल	–	86.598
30.	अ. और नि. द्वीपसमूह	–	0.689
31.	चंडीगढ़	–	0.287
32.	दादर नगर हवेली	.057	0.542
33.	दमन और दीव	–	0.161
34.	लक्षद्वीप	–	0.036
35.	पांडिचेरी	–	1.02

चूंकि योजना 25.12.2000 को शुरू की गई थी अतः 1999-2000 के दौरान कोई आवंटन नहीं किया गया।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन राज्यों को दिए गए खाद्यान्न राजसहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1.	छत्तीसगढ़	—	244.26	386.054
2.	गुजरात	—	83.66	54.487
3.	हिमाचल प्रदेश	—	13.62	—
4.	महाराष्ट्र	—	9.22	131.307
5.	मध्य प्रदेश	—	60.608	178.848
6.	उड़ीसा	—	118.0	180.653
7.	राजस्थान	—	101.36	541.391
8.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	1987.178
9.	कर्नाटक	—	—	106.267
10.	केरल	—	—	6.022
11.	बिहार	—	—	120.435

विवरण-IV

विगत तीन वर्षों के दौरान सूखा प्रभावित परिवारों को वितरण हेतु सूखा राहत के लिए राज्यों को दिए गए खाद्यान्न-राजसहायता

क्र.सं.	राज्य	करोड़ रुपये में
1999-2000		
1.	जम्मू व कश्मीर	7.94
2.	मणिपुर	3.62
2000-2001		
1.	आन्ध्र प्रदेश	235.95
2.	गुजरात	153.58
3.	राजस्थान	146.69
4.	उड़ीसा	34.99
2001-2002		
1.	गुजरात	164.20
2.	राजस्थान	169.13
3.	महाराष्ट्र	255.23
4.	हिमाचल प्रदेश	89.93
5.	मध्य प्रदेश	60.73
6.	आन्ध्र प्रदेश	313.64

वित्तीय घोटाले के निवारण हेतु रणनीति

1923. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल सहकारी बैंकों और ब्रोकिंग फर्मों के उजागर होने के बाद सभी सरकारी प्रतिभूतियों को डी-मैट प्रणाली में शीघ्र परिवर्तित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से भविष्य में ऐसे घोटालों से बचने के लिए रणनीति तैयार करने को भी कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे उपाय कब तक किये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि कुछ समय से यह सरकारी प्रतिभूतियों की डी-मैट रूप में धारिता को प्रोत्साहित कर रही है। वर्तमान में, सरकारी प्रतिभूतियों का 99 प्रतिशत कारोबार भारतीय रिजर्व बैंक के पास सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खातों के जरिए होता है, जिसके लिए सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डी.वी.पी.) प्रणाली निधियों के एवज में प्रतिभूतियों का समकालिक अंतरण सुनिश्चित करती है। वर्ष 2001-2002 में सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गमों का 99.9 प्रतिशत भाग एसजीएल रूप में हुआ।

तथापि, कुछ दलाली निकायों की मदद से कुछ सहकारी बैंकों द्वारा भौतिक प्ररूप में सरकारी प्रतिभूति कारोबार के वेश में हालिया कपटपूर्ण कारोबार के आलोक में भौतिक रूप में कारोबार के दायरे में और कमी के लिए विचारार्थ उपायों को त्वरित करने की परिकल्पना की गई थी। अत:, भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 मई, 2002 को "सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार" से संबंधित एक परिपत्र जारी किया, जिसमें सभी सरकारी प्रतिभूतियों का डी-मैट रूप में रूपांतरण त्वरित करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए गए हैं:

(1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी निकायों [वित्तीय संस्थाओं (एफ.आई.), प्राइमरी डीलरों (पीडी) सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों (एल.ए.बी.), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) सहित] को 1 जुलाई, 2002 से खरीद/बिक्री कारोबार अनिवार्य रूप से सहायक सामान्य बही (एसजीएल)/संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल)/डी-मैट खातों के जरिए करने की सलाह दी गई।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी निकायों को सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेशों को अनिवार्य रूप से एस.जी.एल./सी.एस.जी.एल. खाते अथवा जमाकर्ताओं के पास डी-मैट खाते में रखने की सलाह दी गई।

(3) यह विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया कि एस.जी.एल. अथवा डी-मैट सुविधा प्रदान करने वाले अभिरक्षकों को कारोबार निष्पादित करने से पूर्व यह सुनिश्चित

करना चाहिए कि क्रेताओं के खाते में निश्चित निधियां हैं तथा विक्रेताओं के खाते में पर्याप्त प्रतिभूतियां।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी निकायों को किसी भी दलाल से भौतिक रूप में कोई कारोबार करने से निषिद्ध किया गया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि इसने उक्त परिपत्र अनुपालन और इसे उसके दलाल-सदस्यों के नोटिस में लाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को अग्रेषित किया है।

गैर-भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित निकायों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों/अन्य संबंधित निकायों को उनके लिए सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता अनिवार्य रूप से डी-मैट बनाने के लिए समुचित अनुदेश जारी करने पर विचार करें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने प्रचालनों में धोखा-धड़ी का सहारा लेने से बचने के लिए संस्थाओं की क्षमताओं को सुदृढ़ करने में सहायता के लिए निम्न अतिरिक्त उपाय किए हैं:

(1) शहरी सहकारी बैंकों को प्रिंसिपल आधार पर दलालों के साथ सौदा करने से निषिद्ध कर दिया गया है।

(2) चूककर्ता बैंकों और अधिकारियों के विरुद्ध बोर्डों का अधिक्रमण जुर्माने लगाने और अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई सहित तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

(3) वे मामले, जहां दलाल मूल्य छोड़कर और अन्य अवांछित व्यवहारों में लिप्त पाए गए हैं, सेबी को भेजे गए हैं।

(4) दलालों के ट्रैक रिकार्ड और पूर्ववृत्तों के उचित कर्मिष्ठता कार्यसंचालन सहित सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेनों हेतु भारतीय प्राथमिक डीलर संघ द्वारा तैयार 'क्या करें' और 'क्या न करें' की सूची व्यापक प्रचार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी निकायों, वित्त मंत्रालयों, केन्द्रीय/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित की गई है।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित स्क्रीन आधारित प्रणाली, वार्ताकारी व्यापार प्रणाली (एन.डी.एस.) दिनांक 15 फरवरी, 2002 से प्रचालनात्मक हुई थी ताकि पारदर्शिता और सीधे अथवा क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक में निपटान के लिए सक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

(ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में वृद्धाश्रम

1924. श्री राजो सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से राज्य के कुछ जिलों में वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि के खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इन वृद्धाश्रमों की स्थापना हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रानिक ग्राहक सेवाएं

1925. श्री वी. वेद्रिसेलवन:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंककारी हस्तांतरणों को शीघ्र किये जाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक का विचार बैंकों को चेकों, ड्राफ्टों और अन्य बैंककारी उपकरणों का इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप शुरू करने हेतु अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयास से ग्राहकों को कितना लाभ होगा; और

(घ) इस संबंध में एक अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) "चेक" की परिभाषा में चेक रूण्डन (ट्रंकेशन) एवं इलैक्ट्रानिक चेक को निगमित करते हुए परक्राम्य लिखत (संशोधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2002 को दिनांक 19 जुलाई, 2002 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। इससे चेकों के समाशोधन में तेजी आएगी।

बैंक खाता खोलने में सख्ती

1926. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी ग्राहक द्वारा एक बैंक खाता खोलने की अनुमति देने के पहले बैंक ग्राहक की वित्तीय पृष्ठभूमि और ग्राहक विवरण को आवश्यक बनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी और वैयक्तिक बैंकिंग के संबंध में अन्य क्या परिवर्तन प्रस्तावित है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को समय-समय पर यह परामर्श दिया गया है कि वे खाते खोलते समय निर्धारित मानदंडों और सुरक्षापायों को पालन करें तथा वित्तीय धोखाधड़ियों को नियंत्रित करने में सहायता करने वाली प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं स्थापित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को हिदायत दी है कि वे नए ग्राहकों के खाते खोलते समय सतर्क रहें। हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में, इन हिदायतों को दोहराया जा रहा है, ताकि आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त निधियों के अन्तरण या जमा (जमा और उधार खाता दोनों के संबंध में) के लिए या आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए बैंकिंग क्षेत्र का अनजाने में लाभ उठाने से बचाव किया जा सके।

इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह परामर्श दिया जा रहा है कि वे ग्राहक की रूपरेखा तैयार करने के लिए खाता खोलते समय ग्राहक के बारे में निधियों, आय और आस्तियों के स्रोत तथा ग्राहक द्वारा बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के अनुमानित उपयोग के स्वरूप एवं सीमा जैसी सूचना प्राप्त करें। साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहकों का उत्पीड़न न हो और ग्राहक स्वीकृति की नीति का स्वरूप सीमित न होने पाए, जिसके परिणामस्वरूप आम जनता को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित होना पड़े।

नागपुर सहकारी बैंक

1927. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागपुर सहकारी बैंक संबंधी धोखा-धड़ी मामले की छानबीन के क्या निष्कर्ष निकले;

(ख) इस मामले में संलिप्त व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनकी संलिप्तता की क्या प्रकृति है और वे किस सीमा तक शामिल थे; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि नागपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डी.सी.सी.बी.) का राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा नियमित सांविधिक निरीक्षण के दौरान बैंक के निवेश लेनदेनों में कतिपय अनियमितताएं पाई गई थीं जिसमें मैसर्स होम ट्रेड लि. और कुछ अन्य दलाल फर्में शामिल हैं। यह पाया गया था कि मैसर्स होम ट्रेड लि. सहित पांच दलालों ने नागपुर डी.सी.सी.बी. को 149.82 करोड़ रु. की प्रतिभूति की सुपुर्दगी नहीं दी थी। दलाल-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

1. मैसर्स होम ट्रेड लि.	94.31
2. मैसर्स इन्द्रमणि मर्चेन्ट्स प्रा.लि.	16.20
3. मैसर्स सिंडिकेट मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	16.62
4. गिल्ट एज मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	11.20
5. मैसर्स सेंचुरी डीलर्स प्रा.लि.	11.49
कुल	149.82

महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए विशेष कृतिक बल का गठन किया है जो चल रही है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नागपुर डी.सी.सी.बी. के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की जांच चल रही है। बैंक के महाप्रबंधक को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने उन्हें निलम्बनाधीन रखा है।

[हिन्दी]

कंपनी कानून

1928. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कंपनी कानून में व्यापक संशोधन कर डी.सी.ए. को दांडिक अधिकार देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को उनके खातों में की गई अनियमितताओं के बारे में जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) इस समय, कम्पनी कानून का कोई व्यापक संशोधन विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) लेखों की सच्ची और सही तस्वीर पेश न करना या लेखों की हेरा फेरी, कम्पनी अधिनियम, 1956 क्रमश: धारा 211 और 628 के अधीन दण्डनीय अपराध है। 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में इन धाराओं के अंतर्गत आरम्भ किए गए अभियोजनों की संख्या 135 थी।

[अनुवाद]

गैर-बैंककारी कंपनियां

1929. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारी संख्या में गैर-बैंककारी कंपनियां/निजी बैंक जमाकर्ताओं की धनराशि की हेराफेरी में संलग्न है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में गैर-बैंककारी कंपनियों/निजी बैंकों को बेरोकटोक खोलने को रोकने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा जमाकर्ताओं की बचत की धनराशि की हेराफेरी में शामिल गैर-बैंककारी कंपनियों/निजी बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने चूककर्ता गैर-बैंककारी कंपनियों हेतु एक पृथक विभाग का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स तुलुनाडु फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लि., बेंगलूर और मैसर्स टाटा फाइनेंस लि., मुम्बई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को निधियों के कथित दुर्विनियोजन के दो विशिष्ट मामलों की सूचना दी गई है।

(ख) जी, हां। किसी कंपनी द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारबार प्रारंभ करने/जारी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-झक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणप्राप्त प्राप्त करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का खोला जाना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन विनियमित किया जाता है और कोई भी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के बिना बैंकिंग परिचालन आरंभ नहीं कर सकता है।

(ग) प्रश्नगत दो कंपनियों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:-

(1) तुलुनाडु फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लि. के संबंध में परिसमापन याचिका माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

(2) मैसर्स टाटा फाइनेंस लि. ने भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों सहित विभिन्न सांविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन करके 400 करोड़ रु. की कथित धोखाधड़ी/ठगी के लिए पूर्व प्रबंध निदेशक, श्री डी.एस. पेंडसे और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध

खंड, अपराध शाखा, सीआईडी, मुम्बई के पास शिकायतें दर्ज कराई हैं।

तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि मैसर्स टाटा फाइनेंस लि. ने अब तक जमाराशियों की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है; तथापि, ''चूककर्ता'' गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में बैंक के अन्दर कोई अलग विभाग नहीं है। तथापि, व्यापक नियामक ढांचा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सुदृढ़ एवं स्वस्थ आधार पर कार्य करें। नियामक ढांचे में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनिवार्य पंजीकरण, अर्थ-सुलभ आस्तियों का रख-रखाव, कम से कम 20% निवल लाभ का आरक्षित निधि में अंतरण और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के लिए चूककर्ता गैर-बैंकिंग कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न कार्रवाइयां करता है। सरकार ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 पेश किया है। यह विधेयक लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थायी वित्त समिति को भेज दिया गया है।

विदेशी मुद्रा भंडार

1930. श्री वाई.वी. राव: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि का विदेशी मुद्रा भंडार है;

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में बैंक जमाओं के आंकड़ों सहित ऐसे विदेशी मुद्रा भंडार का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की विदेशी मुद्रा बैंक जमाओं पर ब्याज दर कम करने की कोई योजना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है;

(च) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा आंकड़े की तुलना में विदेशी मुद्रा भंडार के कम आंकड़ों का सुझाव दिया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) वर्ष 2002-2003 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जून अन्त, 2002 में भारत का विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 58.04 बिलियन अमरीकी डालर था और इसमें 54.70 बिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां, 3.33 बिलियन अमरीकी डालर का स्वर्ण और 10 मिलियन एस.डी.आर. शामिल थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार, जो कई वर्षों में संचित हुआ है, भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी दोनों खातों पर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के निवल परिणाम को दर्शाता है। इसलिए, यह संभव नहीं है कि अनिवासी भारतीय जमाराशियों सहित भारत के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार के स्टाक को किसी एकल अथवा सामूहिक कारोबार में बांटा जा सके। मई अन्त, 2002 में बैंकों के पास अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा को छोड़कर बकाया अनिवासी भारतीय जमाराशियां 19.18 बिलियन अमरीकी डालर थी।

(ग) और (घ) वर्ष 2002-03 के लिए 29 अप्रैल, 2002 को घोषित मुद्रा एवं ऋण नीति के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) एफ.सी.एन.आर. (बैंक) जमाराशियों पर तद्नुरूपी परिपक्वता के लिए ब्याज दर को लिबोर/स्वैप दरों से 25 आधार अंक कम कर दिया गया है।

(ङ) से (ज) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार प्रबंधन की नीति अभिज्ञेय कारकों और अन्य आकस्मिकताओं के आधार पर उचित रूप से तैयार की गई है। इन कारकों में अन्यों के साथ-साथ ये शामिल है: चालू खाते के घाटे की मात्रा; अल्पावधि देनदारियों की मात्रा; पोर्टफोलियो निवेश और अन्य किस्म के पूंजी प्रवाहों में संभावित परिवर्तनशीलता; भुगतान संतुलन पर बाहरी आघातों और अनिवासी भारतीयों की प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा जमाराशियों में घट-बढ़ से होने वाले अप्रत्याशित दबाव। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक निरन्तर यह सुनिश्चित करते हैं कि दीर्घावधि में प्रारक्षित भण्डारों की मात्रा अर्थव्यवस्था के विकास, जोखिम सहन करने वाले पूंजी प्रवाहों और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के अनुरूप बनी रहे।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मासिक आय योजना

1931. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री जे.एस. बराड़:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे निवेशकों और पेंशनभोगियों जिन्होंने विभिन्न मासिक आय योजनाओं में अपनी धनराशि का निवेश किया है, को भारतीय यूनिट ट्रस्ट से पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने वर्ष 2000 की एम.आई.पी. (प्रथम) और एम.आई.पी. (द्वितीय) योजनाओं पर पांच प्रतिशत लाभ की घोषणा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह लाभ बचत कोष खाते और आर.बी.आई. बांडों की दर से कम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि यूटीआई की एमआईपी योजनाओं के छोटे निवेशकों को पर्याप्त लाभ दिया जाए?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) के अनुसार यह वर्तमान में 14 मासिक आय योजनाओं का प्रबंधन कर रहा है जिसमें से 9 पूर्ण अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित दर पर आप का आश्वासन प्रदान करते हैं और 5 उन दरों, जो प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में पुन: नियत किए जाते हैं, पर आय प्रदान करते हैं। वर्ष 2002-2003 के लिए पांच स्कीमों, जो वार्षिक पुन: नियतन की व्यवस्था करते हैं, के संबंध में आय का पूर्व की अपेक्षा कम दरों पर आश्वासन दिया गया है।

(ख) मासिक आय योजना 2000 (1) और मासिक आय योजना 2000 (2) ने क्रमश: 3.04 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 5.12 प्रतिशत (वार्षिकी आधार पर) पर आय वितरण घोषित किया है।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि 5 स्कीमों, जो वार्षिक पुन: नियतन की व्यवस्था करते हैं, के संबंध में वर्ष 2002-2003 के लिए निम्न आय इन स्कीमों की अन्य बातों के साथ-साथ एन.पी.ए. के लिए अधिक प्रावधान करने और इक्विटी के मूल्यह्रास का कारण बनने वाली बाजार की विद्यमान दशाओं तथा निम्न अर्जन क्षमता के कारण इस प्रकार आश्वस्त की गई है।

(घ) जबकि अप्रैल, 2002-मार्च, 2003 की अवधि के लिए दो स्कीमों के अधीन घोषित लाभांश भारतीय रिजर्व बैंक के बाण्डों पर ब्याज दरों से कम हैं, वहीं मासिक आय योजना, 2000 (2) के अधीन लाभांश बचत खाते की ब्याज दर की अपेक्षा अधिक है। यह मासिक आय योजना, 2000 (1) के मामले में कम है।

(ङ) सरकार ने जून, 2002 में परिपक्व हुई और अगस्त, 2002 में परिपक्व हो रही एक मासिक आय योजना में निवेशकों को की गई वचनबद्धता को पूरा करने के लिए विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियों और उसमें नकद अन्तर्प्रवाह के बदले यू.टी.आई. को 1000 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है।

ब्यॉल्ड राइस के खरीद मूल्य में कमी

1932. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आम चावल की तुलना में ब्यॉल्ड राइस के खरीद मूल्य में कमी करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि चालू खरीफ विपणन मौसम 2001-2002 का बड़ा भाग समाप्त हो चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) अगले खरीफ मौसम 2002-2003 के लिए लेवी चावल का वसूली मूल्य निर्धारित करते समय आंध्र प्रदेश सरकार के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

सोने का आयात

1933. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किन-किन देशों से सोने का आयात किया गया है और देशवार कितनी मात्रा में सोने का आयात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने सोने के आयात में कमी करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) गत दो वर्षों के दौरान सोने के आयात के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश*	2000-2001 के दौरान आयात किये गये सोने की मात्रा (मीट्रिक टन में)	2001-2002 के दौरान आयात किये गये सोने की मात्रा (मीट्रिक टन में)
1	2	3
आस्ट्रेलिया	1.050	13.134
बंगलादेश	0.00	00.001
बेल्जियम	0.085	0.017
कनाडा	0.00	0.260
दुबई	0.088	0.143
फ्रांस	1.225	1.897
जर्मनी	0.186	0.696
हांगकांग	0.212	0.209
इटली	0.337	0.236
कोरिया	0.313	1.220
कुवैत	0.004	0.004
मलेशिया	0.764	3.063
मस्कट	0.002	0.002
नीदरलैंड	0.001	0.00
शारजाह	0.331	0.025
सउदी अरब	1.083	0.045
सिंगापुर	0.620	23.344**
दक्षिण अफ्रीका	111.018	126.512
स्वीडन	0.00	0.008
स्विटजरलैंड	323.47	283.900
थाइलैंड	0.015	0.097
संयुक्त अरब अमीरात	4.510	18.170
इंग्लैंड	91.708	31.980
संयुक्त राज्य अमेरिका	4.996	6.313
लेबनान	0.000	0.002
तुर्की	0.019	0.146
स्पेन	0.002	0
चीन	0.998	0

*असबाब मार्ग के द्वारा मुम्बई, दिल्ली और बंगलौर स्थित अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तनों पर आयातित सोने के बारे में देश-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इन विमान पत्तनों पर असबाब मार्ग के द्वारा आयातित सोने की कुल मात्रा इस प्रकार है:

	मात्रा (मीट्रिक टन में)
2000-2001	36.12
2001-2002	22.92

**सिंगापुर से एक 100% निर्यातोन्मुख इकाई मैसर्स जी.एम. राजू ज्वैलर्स द्वारा अपरिष्कृत स्वर्ण आभूषणों की 22561 किलोग्राम की मात्रा आयातित की गई थी और इसे परिष्कृत करने के उपरांत विधिवत रूप से निर्यात किया गया था।

[अनुवाद]

चीन के साथ बहुपक्षीय व्यापार हेतु सहयोग

1934. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की ने भविष्य में होने वाले व्यापार समझौतों में विकासशील देशों के जायज हितों को सुनिश्चित करने में चीन का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिक्की ने सहयोग कार्यक्रम से संबंधित पांच सूत्री प्रस्ताव रखा था;

(घ) यदि हां, तो क्या चीन भी फिक्की द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों से सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ (फिक्की) ने डब्ल्यू.टी.ओ. से संबंधित मामलों तथा नीतियों के क्षेत्र में सहयोगात्मक तंत्र की स्थापना हेतु शंघाई डब्ल्यू.टी.ओ. कार्य परामर्श केन्द्र (एस.सी.सी.डब्ल्यू.टी.ओ.) के साथ दिनांक 11 मई को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। एस.सी.सी.डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ बैठक के दौरान फिक्की ने बाजार पहुंच, विकसित देशों में टैरिफों में कटौती, कृषि सब्सिडी, निवेश सहित सिंगापुर संबंधी मुद्दों, प्रतिस्पर्धा नीति तथा व्यापार और पर्यावरण एवं श्रम मानकों के बीच संबंधों के रूप में विकासशील देशों के कार्य क्षेत्र स्तरीय मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सूत्री समन्वय कार्यक्रम का प्रस्ताव किया था। एस.सी.सी.डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रतिनिधियों ने उपरोक्त प्रस्तावों में रुचि जाहिर की थी परन्तु इस संदर्भ में चीनी सरकार की प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं है।

नगदी फसलों का मूल्य स्थिरीकरण

1935. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़, काफी, चाय, मसाले आदि के मूल्य स्थिरीकरण एवं इससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित 300 करोड़ या इससे अधिक लागत वाली परियोजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) कीमत स्थिरीकरण निधि का प्रचालन एक नई संकल्पना है जिसके लिए बहुत सी एजेंसियों जैसे उत्पादकों, प्रसंस्करण कर्ताओं, निर्यातकों तथा नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों तथा आर्थिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके जटिलताओं का गहन मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यह इच्छुक उत्पादकों की भागीदारी पर भी निर्भर करेगा जिन्हें वस्तुओं की कीमतों के अनुकूल होने पर निधि में अंशदान करना आवश्यक होगा तथा जिन्हें कीमतों के कम होने पर लाभ होगा।

सहकारी बैंकों के उपभोक्ताओं की बचतों की अदायगी

1936. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारी बैंकों में की गई बचतों पर डिपाजिट एवं क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीमा सुरक्षा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत, बैंक का प्रत्येक बचतकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम के अनुसार अधिकतम एक लाख रुपए तक की अपनी बचतों की अदायगी का पात्र है;

(ग) क्या जनरल कॉआपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, दी अहमदाबाद अर्बन कॉआपरेटिव बैंक, अहमदाबाद, दी बड़ौदा पीपुल्स कॉआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बड़ौदा एवं छारोतर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, आनन्द के मामले में एक लाख रुपए से कम जमा करने वाले छोटे बचतकर्ताओं को भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनकी गाढ़ी कमाई से की गई बचत को उन्हें कब तक लौटाया जायेगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जी, हां। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डी.आई.सी.जी.सी.) अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत सभी पात्र सहकारी बैंकों की जमाराशियों का प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता 1 लाख रु. तक बीमा किया जाता है। किसी बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन/समामेलन/पुनर्गठन की स्थिति में जमाकर्ताओं को एक लाख रु. की पूर्वोक्त अधिकतम सीमा तक धनराशि का भुगतान किया जाता है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बीमाकृत जमाराशियों के संबंध में डीआई.सी.जी.सी. की देयता वहां बनती है जहां बीमाकृत बैंक के समापन या परिसमापन संबंधी आदेश दिया जाता है या जहां बीमाकृत बैंक के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समझौते या व्यवस्था या पुनर्गठन या समामेलन की योजना मंजूर की गई है। चार बैंकों में से सिर्फ अहमदाबाद शहरी सहकारी बैंक लि., अहमदाबाद का लाइसेंस 27 दिसम्बर, 2001 में रद्द कर दिया गया था और 3 जनवरी, 2002 में परिसमापक की नियुक्ति की गई है। दावा सूची जो उनसे अभी डी.आई.सी.जी.सी. द्वारा प्राप्त की जानी है, के जमा करने के संबंध में 18 जून, 2002 को डी.आई.सी.जी.सी. द्वारा बैंक के परिसमापक

को मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। जमाकर्ताओं की दावा सूची प्राप्त होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर डी.आई.सी.जी.सी. द्वारा दावों का निपटान किया जाएगा। जहां तक अन्य तीन बैंकों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने न तो उनके लाइसेंस रद्द किए है और न ही इन बैंकों का परिसमापन किया गया है। तथापि, ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन कार्य कर रहे हैं जिसके द्वारा कतिपय बैंकिंग परिचालनों पर कतिपय प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनमें जमाराशियों की वापसी अदायगी अधिकतम सीमा भी शामिल है।

सहकारी ऋण

1937. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में संसद द्वारा पारित नवीन मल्टी-स्टेट कॉआपरेटिव सोसायटीज एक्ट के अनुरूप अपने राज्यों के सहकारी विधेयन को आधुनिक एवं समरूप बनाने वाले राज्यों को ही सहकारी ऋण संरचना में बदलाव हेतु वित्तीय पैकेज दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस अधिनियम के संबंध में कार्रवाई की है; और

(ग) कितने राज्यों को इस कानून के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय सहायता दी गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) केन्द्र सरकार ने सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनरूज्जीवन सहायता देने के लिए 2002-2003 के बजट में 100 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। वित्तपोषण तंत्र की जांच पड़ताल कर रही संयुक्त समिति ने राज्यों और संस्थाओं द्वारा पुनरुज्जीवन सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए संशोधन पूर्व शर्तें निर्धारित की है। इन पूर्व शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं-

- विशेषत: दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने एवं नियमित चुनाव हेतु माडल सहकारी अधिनियम की आवश्यक बातों को अपनाना;
- प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पी.ए.सी.एस.) सचिव की आम संवर्ग प्रणालियों को समाप्त करना;
- सनदी लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षा;
- पारदर्शी मानव संसाधन नीतियां;
- सहकारी ऋण संस्थाओं को स्वायत्तता।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि पांच राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश और दिल्ली ने या तो माडल सहकारी अधिनियम की आवश्यक बातों को अपना लिया है या उन्हें शामिल कर लिया है। सात और राज्य माडल सोसाइटी अधिनियम को अपनाने जा रहे हैं।

(ग) अभी तक इस योजना के तहत किसी भी राज्य को पुनरूज्जीवन सहायता नहीं दी गई है।

बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज

1938. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से मासिक आधार के बजाय तिमाही आधार पर ब्याज वसूलने के लिए कहा है;

(ख) क्या इस संबंध में कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्यावेदन दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या बैंक उपभोक्ताओं को लिए गए ब्याज के अंतर को वापस करेंगे;

(घ) बैंकों ने अपने ग्राहकों को मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य करने के लिए किस सीमा तक अनैतिक कार्यों का सहारा लिया है; और

(ङ) वाणिज्यिक बैंकों की इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 9 मार्च, 2002 के अपने निदेशों के तहत बैंकों को सलाह दी थी कि उन्हें अप्रैल, 2002 से मासिक आधार पर ऋणों/अग्रिमों पर ब्याज लगाने की प्रणाली शुरू करनी चाहिए। तथापि, बाद में दिनांक 28 मई, 2002 के परिपत्र के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि बैंक 31 मार्च, 2003 तक मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाएं और 1 अप्रैल, 2003 से ही चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करें।

(ख) जी, हां।

(ग) बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मासिक आधार पर ब्याज लगाने की प्रणाली शुरू करने के कारण ही प्रभावी दर ऊपर न चली जाए।

(घ) ब्याज भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ही लगाया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मंदिरों में दलितों का प्रवेश

1939. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज भी देश के कुछ मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जाति व्यवस्था का उन्मूलन न हो पाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा (3) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति ''अस्पृश्यता'' के आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल जो उसी धर्म के मानने वाले व्यक्ति के लिए खुला है, में प्रवेश करने से रोकता है तो वह कम से कम एक मास की अवधि के लिए दंड तथा कम से कम एक सौ रुपए जुर्माना का भी भागी होगा। समस्त भारत में इसका विस्तार करते हुए यह एक केन्द्रीय विधान है।

अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

(1) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन के लिए तथा उपायों अर्थात् कानूनी सहायता का प्रावधान, अभियोजन शुरू करने या पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, समितियों तथा विशेष न्यायालयों का गठन, आवधिक सर्वेक्षणों आदि का संचालन करने के लिए राज्य सरकारों को 50:50 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

(2) सामाजिक सद्भावना को प्रोत्साहन देने और अस्पृश्यता हटाने के लिए सद्भावना शिविरों को लगाने तथा अंतर्जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सहायता भी दी जाती है।

(3) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन को अग्रता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हों, के लिए अपेक्षित सहायता का विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

(4) राज्य सरकारों जहां मामलों की लम्बितता है से इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामलों का शीघ्रता से निपटान के लिए विशेष न्यायालयों के गठन करने का भी अनुरोध किया गया है।

(5) इस ओर अनुसूचित जातियों को मुख्यधारा में जोड़ते हुए सरकारी सेवाओं में आरक्षण एक मुख्य घटक है।

(6) केन्द्र सरकार ने एक बजटीय पद्धति को अपनाया है जिसमें संबंधित मंत्रालयों के पास एक विशेष संघटक योजना है जो अनुसूचित जातियों का कल्याण और उनके उत्थान के लिए है।

(7) सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति की है जो अनुसूचित जाति की समस्याओं को देखता है। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भी है जो अनुसूचित जातियों को रियायती दर पर सांस्थानिक वित्त प्रदान करता है तथा उद्यमीय विकास और कौशल के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भी करता है।

[अनुवाद]

भारतीय आविष्कारों को पेटेंट मिलना

1940. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेड आफिस ने हाल ही में कुछ भारतीय आविष्कारों को पेटेंट प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेड ऑफिस के पास कुछ आविष्कार पेटेंट के लिए लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले को पेटेंट अधिकारियों के साथ उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ङ) पेटेंट विभिन्न देशों के प्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत उनके पेटेंट कानूनों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं और इनका क्षेत्रीय प्रभाव होता है, अर्थात् ये उसी देश में प्रभावी होते है जो उन्हें प्रदान करता हैं। भारतीय निवेशको सहित विभिन्न निवेशको द्वारा संबंधित देश के पेटेंट कानून के अनुसार विभिन्न देशों में पेटेंटों के लिए आवेदन दायर किए जाते हैं और इन्हें पाने के प्रयास किए जाते हैं जो निवेशकों के हितों पर निर्भर करते हैं।

अमरीकी पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालय द्वारा प्रदान किए जा रहे पेटेंटों संबंधी और उस कार्यालय में लंबित पड़े आवेदनों से संबंधित सूचना रखी नहीं जाती है। पेटेंटों की मंजूरी से संबंधित सूचना संबंधित पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाती है। जब कभी भी ऐसी मदों पर पेटेंट प्राप्त करने की सूचना मिलती है, जो पेटेंटनीय नहीं समझी जाती और भारतीय हितों को प्रभावित करती हों, तो इस बात का निर्धारण करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि क्या ऐसे पेटेंट को संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के तहत चुनौती दी जा सकती है।

[हिन्दी]

विकलांगों का प्रशिक्षण एवं पुनर्वास

1941. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास संबंधी क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई सहायता और किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा क्या योजनाएं आरंभ की गई है अथवा आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) विकलांगताओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान विशेष स्कूल, पुनर्वास सेवाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित अनेक कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना तथा सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठन विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान लाभार्थी क्रमश: 5.76 लाख, 6.43 लाख तथा 6.47 लाख हैं।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए संचालित वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 2002-2003 के दौरान 'विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति' नामक एक नया कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्जीवित करना

1942. श्री सुबोध मोहिते: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चलपती राव की अध्यक्षता में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा करने एवं उसको पुनर्जीवित करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना हैं;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलयन को मंजूरी दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्यकारी समूह द्वारा रिपोर्ट जल्द ही सौंपे जाने की सम्भावना है।

(घ) से (च) महाराष्ट्र राज्य में अपने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) नामत: अकोला ग्रामीण बैंक, यवतमल ग्रामीण बैंक एवं बुलधाना ग्रामीण बैंक के विलय के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई है। भौगोलिक रूप से समीपस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलयन के परिणामस्वरूप उनकी लाभप्रदता तथा बेहतर परिचालन एवं प्रबंधकीय नियंत्रण में सुधार होगा।

वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

1943. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 2002 तक सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कितनी थी;

(ख) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में संलिप्त होने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा धनराशि की वसूली करने हेतु क्या क्रियाविधि अपनाई गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियां निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये)

वित्तीय संस्था	1999-2000	2000-2001	2001-2002
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	7675	8370	6500
भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक	658	625	539
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	374	407	448
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	197	174	382

(ख) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार इन अनुपयोज्य आस्तियों में संलिप्त कम्पनियों की राज्य-वार संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देयराशियों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय करने की सलाह दी है यथा वसूली नीति तैयार करना एवं इसका कार्यान्वयन, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान और ऋण वसूली अधिकरणों डी.आर.टी. में वाद दायर करना। सरकार ने 21 जून, 2002 को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में चूक के मामलों में अपनी देयराशियों की वसूली के लिए प्रतिभूतियों के मोचन निषेध एवं प्रवर्तन की सुविधा देने के लिए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2000" प्रख्यापित किया है।

फेरा उल्लंघन

1944. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 4000 करोड़ रुपए के फेरा उल्लंघन में संलिप्त कारपोरेट एवं व्यापार फर्मों के विरुद्ध जांच की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक फेरा उल्लंघन के लिए दोषी पाए गए कारपोरेट/फर्मों के नाम क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त कारपोरेट/फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 को 1 जून, 2000 को रद्द करके उसके स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999, लाया गया था। फिर भी

फेमा की धारा 49(3) और 49(4) के प्रावधानों के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत 31 मई, 2000 तक पंजीकृत मामलों पर 31.5.2002 तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की गई थी। फेरा 1973 के प्रवृत्त रहने के दौरान कारपोरेटों और व्यापारिक फर्मों द्वारा उसके प्रावधानों का कोई उल्लंघन प्रवर्तन निदेशालय के ध्यान में नहीं आया है जिसमें 4000 करोड़ रुपए की राशि शामिल हो।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अप्रयुक्त बजट

1945. श्री रामजी मांझी: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के बजट में कुल 138164.80 करोड़ रुपए के प्रावधानों का उपयोग नहीं हुआ है और वर्ष 2000-2001 के दौरान अधिकतर मंत्रालयों में 4446.47 करोड़ रुपए का अप्रयुक्त बजट था;

(ख) यदि हां, तो संस्वीकृत प्रावधानों की तुलना में अप्रयुक्त प्रावधानों में तीव्र वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) बजट में भारी मात्रा में अप्रयुक्त प्रावधानों के रहने के लिए उत्तरदायी कारकों को ठीक न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अवास्तविक बजटीय अनुमानों के लिए दोषी अधिकरियों के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के लिए विनियोग लेखे (सिविल) में यथा प्रदर्शित 1,38,164.89 करोड़ रुपए की कुल बचतों में से 85,254.98 करोड़ रुपए तक की बचतें विनियोग ''ऋण की वापसी-अदायगी'' से और 38,658.30 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान ''राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण से थीं। चूंकि विनियोग ''ऋण की वापसी-अदायगी'' के संबंध में निवल व्यय ''शून्य है इसलिए इस विनियोग के अधीन बचतों को सामान्य अर्थ में बचतें नहीं माना जाना चाहिए। अनुदान ''राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण'' के अधीन बचतें ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2000-2001 से अपनाई गई संशोधित लेखाकरण कार्य विधि के कारण थीं।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) और (ख) के दृष्टिगत बजटीय पूर्वानुमानों को अवास्तविक नहीं माना जा सकता।

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

1946. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में कुछ अनियमितताएं/कमियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में जनजातीय क्षेत्रों को मैट्रिकपूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के उचित एवं समयबद्ध संवितरण को नियंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में राज्य सरकार को क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए एक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित करता है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों में छात्रवृत्तियों के संवितरण में अनियमितताओं के दो मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं।

(ग) और (घ) ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा भारत में अध्ययन के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना'' में निहित उपबंधों के अनुसार ''छात्रवृत्ति के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुने गए छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान भी उसी राज्य/संघ शासित प्रशासन द्वारा किया जाएगा जिसके वे हैं।'' अत: इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत आदि संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्वयं ही निर्धारित किए जाते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कल्याण योजनाएं

1947. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण एवं

विकास हेतु बनाई गई विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने संबंधी कोई क्रियाविधि है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार क्या उद्देश्य प्राप्त किए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करते हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों तथा राज्य सरकारों के नोडल विभागों द्वारा निराकरण/मूल्यांकन और सिफारिश, मंत्रालय तथा शीर्ष निकायों/राष्ट्रीय संस्थानों आदि द्वारा नामित निरीक्षण दलों/संस्थानों द्वारा की गई सिफारिशों वाले एक तंत्र के माध्यम से मानिटर की जाती है/चल रहे कार्यक्रमों के लिए अनुदान पिछले वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदान के संबंध में निष्पादन रिपोर्ट, परीक्षित लेखे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ध्यान में रखने के बाद ही निर्मुक्त किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण और विकास के लिए योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियों का राज्यवार अपेक्षित ब्यौरे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं।

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान

1948. श्री राजैया मल्याला: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामुदायिक आधारित पुनर्वास (सी.बी.आर.) के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा देश में नि:शक्तता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या नि:शक्त लोगों को शिक्षित करने और उनके बीच जागरूकता लाने हेतु इन संस्थानों द्वारा कोई अभियान चलाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत कार्यरत नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान जनशक्ति विकास तथा अनुसंधान का कार्य करते हैं और अपने-अपने क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय संस्थानों के आऊटरीच कार्यक्रम शिविरों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं जहां समुदाय आधारित पुनर्वास को सुसाध्य बनाने के लिए मूल्यांकन, विकलांगता का प्रमाणन, सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की पूर्ति, व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श तथा चेतना सृजन का कार्य किया जाता है।

परिवहन संबंधी राजसहायता योजना में पाई गई कमियां

1949. श्री प्रकाश बी. पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवहन संबंधी राजसहायता योजना की समीक्षा के दौरान कई गंभीर कमियों का पता चला है जिनमें औद्योगिक इकाइयों को अनियमित एवं अत्यधिक प्रतिपूर्ति हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ङ) मार्च, 2000, को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के फलस्वरूप वर्ष 1994-95 से 1999-2000 के लिए परिवहन राजसहायता योजना की समीक्षा करने से संबंधित मामला संसद की लोक लेखा समिति के विचाराधीन है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट 10.8.2001 को संसद में पेश की जा चुकी है।

बैंक ब्याज दर

1950. श्री सुकदेव पासवान: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 2000 के दी "इंडियन एक्सप्रेस" में "मेरा लूट महान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार लेख की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उद्योगपतियों को ब्याज की कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने और उनकी सहायता करने के उद्देश्य से बैंकों में छोटे ग्राहकों की ब्याज दर में कमी की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो छोटे निवेशकों द्वारा की गई बचतों पर ब्याज दर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एक्सप्रेस में छपे दिनांक 13.7.2002 के समाचार लेख ने मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों के मामले पर फोकस किया था।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से देयराशियों की वसूली के लिए कई कदम उठाने को कहा है जिनमें वसूली की नीति तैयार करना और उसे क्रियान्वित करना, निपटान सलाहकार समितियों के माध्यम से समझौता निपटान करना और ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमें दायर करना शामिल है। 21 जून, 2002 को सरकार ने ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002'' प्रख्यापित किया है ताकि चूक के मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी देयराशियां वसूल करने में मोचन निषेध तथा प्रतिभूतियों के प्रवर्तन को सुकर बनाया जा सके।

(घ) और (ङ) चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर, 1994 से 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है, इसलिए अग्रिमों पर ब्याज दर का निर्धारण स्वयं बैंकों द्वारा किया जाता है। दिनांक 19 अक्तूबर, 1996 को बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे मूल उधार दर (पी.एल.आर.) (जो सर्वोत्तम उधारकर्ताओं को 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के संबंध में बैंकों द्वारा प्रभावित न्यूनतम उधार दर है) के अधिकतग विस्तार की घोषणा करें। 2 लाख रुपए तक ऋण सीमाओं के लिए, बैंकों से कहा गया है कि वे मूल उधार दर (पी.एल.आर.) से अधिक की दर पर ब्याज प्रभारित न करें।

दिनांक 22 अक्तूबर, 1997 से, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को संबंधित निदेशक बोर्ड/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) के पूर्वानुमोदन से विभिन्न परिपक्वता अवधियों की घरेलू सावधि जमाराशियों पर स्वयं अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की छूट प्रदान की है। तथापि, बैंक जमाराशियों पर अदा किए गए ब्याज की दर मामले में एक जमाकर्ता और किसी अन्य जमाकर्ता के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। वरिष्ठ नागरिकों से प्राप्त जमाराशियों, 15.00 लाख रुपए से अधिक की थोक जमाराशियों और बैंक के स्टाफ सदस्यों आदि के संबंध में छूट प्रदान की गई है।

कम्पनियों की लेखापरीक्षा

1951. श्री सईदुज्जमा: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अवरोधक के रूप में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय कंपनियों के प्रति परीक्षण का अधिकार देकर उनके दोहरी परीक्षण का है जो केवल निजी सनदी लेखाकारों को मेहनताने पर रखनी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की संचित निधि से निकासी के संबंध में संसद के अधिनियम द्वारा पारित स्पष्ट सरकारी निर्देशों के बावजूद एन.डी.डी.बी. जैसे निकाय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षा के सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर रहे है;

(ग) क्या कोई अन्य संस्था भी लेखा परीक्षा संबंधी निर्देशों के पालन में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त अवज्ञा की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एन.डी.डी.बी. की लेखा परीक्षा का मामला न्यायाधीन है। मामले की नई दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है।

(ग) से (ङ) यदि कोई संस्थान या निकाय लेखा परीक्षा के बारे में कानूनी अपेक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो संबंधित कानूनों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है।

चाय बागान

1952. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितना क्षेत्र चाय बागवानी के अंतर्गत आता है;

(ख) क्या चाय बोर्ड लागत में कमी के प्रयोजन से दार्जिलिंग चाय के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या चाय उत्पादन में वृद्धि के लिए और अधिक भूमि को चाय बागवानी के अंतर्गत लाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन और इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सर्वेक्षण की गई संपदाओं और बागवानी के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कुल भूमि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में चाय की खेती के क्षेत्र के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार, चाय की खेती का राज्य-वार अनुमान क्षेत्र निम्नानुसार है:-

राज्य	चाय कृषि क्षेत्र (हेक्टेयर)
असम	267392
प. बंगाल	109690
त्रिपुरा	6623
अरुणाचल प्रदेश	2176
मणिपुर	907
सिक्किम	296
नागालैंड	1214
मेघालय	351
मिजोरम	391
उत्तर प्रदेश	1068
हिमाचल प्रदेश	2325
बिहार	1350
उड़ीसा	214
तमिलनाडु	74331
केरल	36762
कर्नाटक	2106
कुल	507196

(ख) चाय बोर्ड ने दीर्घावधि विकास उपायों एवं उन्नत विनिर्माण तकनीकों के जरिए गुणवत्ता में सुधार करके दार्जिलिंग में चाय की उत्पादकता में सुधार करने की जरूरत पर बल दिया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। उचित रूप से चुने हुए नमूना बागानों के मौके पर अध्ययन के आधार पर दार्जिलिंग चाय उद्योग की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए वर्ष 1998-99 में चाय बोर्ड द्वारा दार्जिलिंग चाय उद्योग का एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। जिन प्रमुख समस्याओं का पता लगा उनमें पुरानी झाड़ियां, कम उत्पादकता, घटती लाभप्रदता, उन्मूलन और पुनर्रोपण की कमी, ऊपरी मृदा का कटाव, पर्याप्त वित्त की कमी इत्यादि शामिल थीं। सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों में व्यापक रोपण एवं पुनर्रोपण, समुचित आपूर्णन कार्यक्रम, कम उपज वाले बागानों में उन्मूलन एवं पुनर्रोपण कार्यक्रम, अंतर पंक्ति रोपण करके नवीकरण एवं दृढ़ करना, खरपतवार नाशक का विवेकपूर्ण प्रयोग, उत्पादन में गुणवत्तात्मक उन्नयन एवं वृद्धि के लिए खेत और सांस्कृतिक प्रथाओं में नवीनतम अनुसंधान एवं विकास अंगीकार करना, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग मशीनरी का उन्नयन करना, श्रम उत्पादकता बढ़ाने के उपाय करना, खेत खासकर लघु चाय बागानों में आवश्यक कार्यों पर अधिक जोर देना और मूल बुनियादी संरचना सुविधाओं में सुधार लाना शामिल हैं। यह भी सिफारिश की गई है कि दार्जिलिंग चाय की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए भारत मे इसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। सर्वेक्षणों के प्रयोजनार्थ 46 चाय बागानों में कुल चाय बागानों का 54% है, का नमूना लिया गया था। नमूना विभिन्न आकारों की जोत और स्वामित्व के दर्जे के समानुपात प्रतिनिधित्व वाली सांख्यिकी प्रणाली द्वारा तैयार किया गया था। सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ कि कुल अनुमत क्षेत्र का औसतन 49% खेती के लिए उपलब्ध था।

जापान को समुद्री उत्पादों का निर्यात

1953. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन महीनों में जापान से ब्लेक टाइगर प्रोन/श्रिम्प की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या एम.पी.ई.डी.ए. इस संबंध में गुणता और समुद्री उत्पादों के निर्यात के अन्य पहलुओं पर निगरानी रख रही है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश से निर्यात के लिए प्रत्येक दिन लगभग 250 टन ब्लेक टाइगर प्रोन पैक की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश से ऐसे निर्यात में वृद्धि की कोई संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा विशाखापत्तनम से टाइगर प्रोन के निर्यात के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) अनंतिम निर्यात आंकड़े के अनुसार पिछले तीन महीने के दौरान जापान को हुए ब्लैक टाइगर श्रिम्प के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में नकारात्मक वृद्धि मालूम हुई है।

(ख) समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण (एम.पी.ई.डी.ए.) ने समुद्री उत्पादों की हैंडलिंग तथा प्रसंस्करण के लिए भारत निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.) की सहायता से मानदंड निर्धारित किया है। ई.आई.सी. द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात परेषण के गुणत्ता पहलुओं पर निगरानी रखी जाती है।

(ग) से (ङ) प्रसंस्कृत समुद्री उत्पादों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 2001-02 के दौरान आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पत्तन से करीब 17783 टन ब्लैक टाइगर प्रोन/श्रिम्प का निर्यात हुआ था। आंध्र प्रदेश से ऐसे निर्यातों के बढ़ने की संभावनाएं हैं। एम.पी.ई.डी.ए. विशाखापत्तनम के प्रोन/श्रिम्प निर्यातकों समेत ऐसे निर्यातकों को विभिन्न स्कीमों जैसे नए फार्म का विकास, वाणिज्यिक अंडज उत्पत्तिशालाओं की स्थापना, श्रिम्प फार्मों में बीमारियों के निदान के लिए अंडज उत्पत्तिशालाओं में पी.सी.आर. प्रयोगशालाओं की स्थापना बहि:स्रावी उपचार पद्धति तथा श्रिम्प/प्रोन कृषि क्षेत्र में शीत कक्ष सुविधाओं की स्थापना, इत्यादि के माध्यम से वित्तीय सहायता दे रहा है।

वित्तीय संस्थाओं के पास दावारहित राशि

1954. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं के पास बिना दावे की वित्तीय संस्थावार अनुमानत: कुल कितनी जमा राशि है;

(ख) क्या इनके दावे की प्रक्रिया बहुत जटिल है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिना दावे की जमा राशि के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी व्यवसायियों का घरेलू उद्योगों पर प्रभाव

1955. श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी व्यवसायियों को दी जा रही सुविधाओं से घरेलू उद्योगों को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू उद्योगों को अब तक हुए घाटे का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (घ) घरेलू निवेशकों की तुलना में विदेशी व्यावसायियों को कोई अलग से वरीयता नहीं दी जाती है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए एक समान व्यवसाय क्षेत्र उपलब्ध है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के प्रवेश ने उत्पादकता, प्रौद्योगिकी, आदि की दृष्टि से घरेलू उद्योग को ज्यादा प्रतिस्पर्धापूर्ण बना दिया है। इसके अतिरिक्त, बहुत से घरेलू व्यवसायी विदेशी कंपनियों से वित्तीय/तकनीकी सहयोग, रणनीति संबंधी गठजोड़ आदि कर रहे हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लगभग 80 प्रतिशत अनुमोदन संयुक्त उद्यमों के लिए दिए गए हैं।

मिस्त्र को गेहूं का निर्यात

1956. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मिस्त्र को दुरम गेहूं का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दुरम गेहूं का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और यह निर्यात में कितने मूल्य का था और इस पर कितनी ढुलाई लागत आई; और

(ग) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कितनी मात्रा में दुरम गेहूं पड़ा हुआ है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) केन्द्रीय पूल से मिल्स सहित विभिन्न देशों को गेहूं का निर्यात किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम उचित औसत किस्म के गेहूं की वसूली करता है और वह किस्म-वार खरीदारी नहीं करता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए गेहूं की निर्यात प्रयोजनों के लिए पेशकश की जा रही है।

[अनुवाद]

आयकर-निर्धारिती

1957. **श्री कोलूर वनवनागौड़ :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सर्किल में कुल कितने आय कर-निर्धारिती हैं;

(ख) कर्नाटक में वर्ष 2000-2001 के दौरान कितने निर्धारितियों ने प्रतिदाय के लिए आवेदन किया है;

(ग) कर्नाटक सर्किल में वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी राशि का प्रतिदाय संवितरित किया गया है;

(घ) क्या प्रतिदाय में विलम्ब से बचने के लिए इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ई.सी.एस.) को पुनः लागू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) दिनांक 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक और गोवा क्षेत्र में आयकर कर निर्धारितियों की कुल संख्या 17.49 लाख है।

(ख) धनवापसी एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। कर्नाटक और गोवा क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी की गई धनवापसियों की कुल संख्या 2,13,374 है।

(ग) कर्नाटक और गोवा क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 के दौरान वितरित की गई धन-वापसी की राशि 586.71 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ) गत तीन वर्षों से बंगलौर शहर में वेतनभोगी कर निर्धारितियों के संबंध में इलेक्ट्रानिक क्लीरिंग प्रणाली पहले से ही प्रचलन में है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय

1958. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के संबंध में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन पर कार्यदल की सिफारिशें सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया है;

(घ) ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पुनरूद्धार योजना बनाने पर भी विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) सरकार द्वारा, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की समीक्षा करने के लिए, गठित कार्यकारी दल के द्वारा अभी अपनी रिपोर्ट पेश की जानी है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने हानियां उठाई हैं। घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) सरकार ने प्रायोजक बैंकों को घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनरूज्जीवन के लिए अपेक्षित योजना तैयार करने की सलाह दी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनरूद्धार के लिए विभिन्न नीतिगत परिवर्तन शुरू किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्पूंजीकरण, विकास कार्य योजना लागू करना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निष्पादन में योजनाबद्ध

तरीके से सुधार करने के लिए वार्षिक आधार पर समझौता ज्ञापन, आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान संबंधी मानदंड, कारबार पोर्टफोलियों एवं कार्यकलापों के विविधीकरण आदि को शामिल करते हुए विवेकपूर्ण मानदंड लागू करना शामिल है।

विवरण

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम

1. ईलाक्वाई देहाती बैंक
2. मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
5. अरुणाचल ग्रामीण बैंक
6. लांगपी देहांगी रूरल बैंक
7. मणिपुर रूरल बैंक
8. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
9. चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11. नालंदा ग्रामीण बैंक
12. सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14. पुरी ग्राम्य बैंक
15. बोलंगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक
16. कट्टक ग्राम्य बैंक
17. बालासोर ग्राम्य बैंक
18. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
19. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
20. झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
21. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
22. शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
23. महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
24. क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक
25. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26. भण्डारा ग्रामीण बैंक

रिलायंस उद्योग द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन

1959. श्री शिवाजी माने:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस उद्योग के विरुद्ध कई करोड़ रुपये के सीमा शुल्क अपवंचन संबंधी मामले कई वर्षों से अधिनिर्णयन हेतु लम्बित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिनिर्णयन प्रक्रिया में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों पर कब तक अधिनिर्णय दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वापक डीलरों की सम्पत्ति की कुर्की

1960. श्री राममोहन गाड्डे :
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा नशीले पदार्थों के डीलरों की कुर्की की गई सम्पत्ति, वाहन और भारतीय और विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा इस तरह से जब्त की गई निषिद्ध वस्तुओं के भण्डारण के लिए विभिन्न एजेन्सियों को कितने किराये का भुगतान किया गया है; और

(ग) कुर्क की गई सम्पत्ति, जब्त माल आदि के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों की बैठक

1961. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मई में एशियाई वित्त मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन शंघाई, चीन में एशियाई विकास बैंक के गवर्नरों की 35वीं वार्षिक बैठक में भाग के रूप में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें एशिया के सामने 2015 तक आने वाली आर्थिक स्थिति और समस्याओं को लक्षित करने वाली किसी दीर्घकालीन कार्य योजना पर चर्चा की गई और उसे तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस कार्य योजना के अन्तर्गत भारत के लिए किस भूमिका पर विचार किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी निवेशक

1962. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त अधिनियम, 2002 से पूर्व विदेशी निवेशकों को भारत में उनके निवेश पर लाभ की अदायगी कर मुक्त होती थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त अधिनियम, 2002 में ऐसी प्राप्तियों पर कर लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति के कारण विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के सरकार के उद्देश्य को धक्का लगेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और इसे निवेशकों के लिए और अनुकूल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से किए गए संशोधन से पूर्व किसी भारतीय कम्पनी द्वारा लाभांशों के रूप में घोषित, वितरित अथवा संदत्त धनराशि पर है, 10% की दर से अतिरिक्त आयकर प्रभारित किया जाता था। वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से कर का दायित्व लाभांश प्राप्त करने वाले शेयर धारक पर डाल दिया गया है और तदनुसार 20% की दर से अथवा दोहरे कराधान के परिहार के करारों में उल्लिखित दर से, जो भी कम हो, कर लगाया जाएगा और विदेशी निवेशक अपने स्वयं के देश में भारत में रोके गये कर का क्रेडिट प्राप्त करेगा।

(ग) जी, नहीं। उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अधिक से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने पहले ही एक उदार, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति बना रखी है जिसके अन्तर्गत एक लघु सूची को छोड़कर 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अधिकांश गतिविधियां स्वत: आ जाती हैं।

निर्यात फर्मों का निरीक्षण

1963. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-01 और 2001-2002 के दौरान निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.) द्वारा कितनी निर्यात करने वाली फर्मों का निरीक्षण किया गया;

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा अब तक निर्यात करने वाली कितनी फर्मों को काली सूची में डाला गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार काली सूची में डाली गई फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.) के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण में स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ई.आई.ए.) ने गुणवत्ता नियंत्रण तथा लदान-पूर्व निरीक्षण के संबंध में वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान क्रमश: 492 तथा 441 निर्यात करने वाली फर्मों का निरीक्षण किया था।

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के पास निर्यात करने वाली फर्मों को काली सूची में डालने की शक्ति नहीं होती है। तथापि, इन फर्मों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार को अतिरिक्त अनुदान

1964. श्री राजो सिंह: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बिहार द्वारा अतिरिक्त अनुदानों की मांग से संबंधित ज्ञापन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार का इस संबंध में क्या निर्णय है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) बिहार के नए राज्य को सहायता हेतु विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बिहार प्रकोष्ठ गठित किया गया है। बिहार को अलग से एक आर्थिक पैकेज दिए जाने का मामला वर्तमान में योजना आयोग में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

[अनुवाद]

पोर्टफोलियो निवेश की सीमा

1965. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001 के दौरान 'फेमा' विनियमावली में कतिपय संशोधन किए हैं और भारतीय कंपनियों की निर्यात और चुकता पूंजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश की समग्र सीमा को 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सीमा को बढ़ाने से पूंजी बाजार किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2001-2002 के बजट भाषण में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप भारतीय कंपनियों को विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य सकल पोर्टफोलियो निवेश की सीमा 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की अनुमति दी गई थी। सितम्बर, 2001 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रिया के अन्तर्गत 49 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को और बढ़ाकर प्रयोज्य क्षेत्रक सीमा स्तर तक कर दिया गया था।

(ग) जबकि अनेक कारक बाजार की प्रवृत्तियों/संवेदनाओं को प्रभावित करते हैं, उपर्युक्त उपाय भी द्वितीयक बाजार में नकदी बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुपालन न करने पर सी. एंड ए.जी. की टिप्पणियां

1966. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 12 में इस बात का उल्लेख किया है कि विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित लाभ में कटौती की अनुमति देने में गलती हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारण वर्ष 1989-90 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण 97.49 लाख रुपये का कर संग्रहण कम हुआ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 12 के पैरा 3.25 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ऐसी गलतियों का उल्लेख किया है, जिनके कारण, उनके अनुसार, समग्र रूप से 97.49 लाख रुपये का कम कर लगाया गया था।

(ग) ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में जांच की जा रही है, ताकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पैरा-वार उत्तर दिया जा सके और उपर्युक्त लेखा परीक्षा टिप्पणियों की सत्यता अथवा अन्यथा इनका निर्धारण किया जा सके। सभी मामलों में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 7.8.95 के अनुदेश सं. 1928 के अनुसार निरपवाद रूप से उपचारी कार्रवाई की जाती है। आयकर निदेशक (लेखा परीक्षा) ने भी कर निर्धारण अधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु अनुदेश तथा जांच-सूची जारी की है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	म.पै. संख्या	कर निर्धारिती का नाम	क.नि. वर्ष	कर प्रभाव
1.	358 (सीटी)	मै. कासमोपालिटन होटल्स लि.	1997-98	37.60
2.	500 (सीटी)	सन एन सैन्ड होटल्स (प्रा.) लि.	1996-97	22.97
3.	535 (सीटी)	होटल लीला वेन्चर लि.	1996-97	17.93
4.	135 (आईटी)	एस्केपैड रिजोर्ट (प्रा.) लि.	1995-96	14.73
5.	55 (सीटी)	रिट्ज होटल्स (मैसूर) लि.	1997-98	4.24

[अनुवाद]

विजया बैंक

1967. श्री वाई.वी. राव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विजया बैंक में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी को नियत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंक को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कितनी राशि को बट्टे खाते में डाले जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) जी, हां। 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार विजया बैंक की पूंजी 359.29 करोड़ रुपए थी जिसमें सरकार की शेयरधारिता 72.16% है। बैंक ने निम्नलिखित तीन किश्तों में सरकार को 125.72 करोड़ रुपए की पूंजी को वापस करने का प्रस्ताव किया था जिससे सरकार की शेयर धारिता 15% घटकर 57.2% तक हो जाएगी।

भुगतान की तिथि	राशि (करोड़ रुपये में)
31.3.2002	25.72
31.3.2003	50.00
31.3.2004	50.00

बैंक ने 31.3.2002 को सरकार को 25.72 करोड़ रुपए की पूंजी वापस कर दी है जिसके पश्चात् सरकार की शेयरधारिता घटकर 70.02% हो गई है। 31 मार्च, 2003 एवं 31 मार्च, 2004 को वापसी के लिए देय 100.00 करोड़ रुपए (50 करोड़ रुपए का प्रत्येक निवेश) के संदर्भ बैंक ने सरकार को अभ्यावेदन किया है कि वे पूंजी की वापसी के लिए दबाव न डालें।

वस्त्र क्षेत्र में विदेशी पूंजी

1968. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र को अनारक्षित करने के पश्चात् उसमें विदेशी पूंजी का निवेश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा "इन्टिग्रेटेड एपरल पार्क स्कीम" और "स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेन्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन एक्सपोर्ट ओरेन्टेड कलस्टर" योजनाओं को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2000, 2001 तथा 2002 (जनवरी-मई) के दौरान परिधान क्षेत्र

सहित वस्त्र उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का अंत: प्रवाह निम्नानुसार हुआ है:

वर्ष	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंत: प्रवाह (मिलियन रु. में)
2000	80.99
2001	182.88
2002 (जन.-मई)	234.73

(ग) 'निर्यात अपैरल पार्क योजना' तथा 'वस्त्र केन्द्र अध्यसंरचना विकास योजना' के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। दिशानिर्देशों के अंतर्गत गठित परियोजना अनुमोदन समिति ने विचार किया तथा अब तक दो अपैरल पार्क परियोजना ट्रोनिका सिटी (गाजियाबाद, उ.प्र.) तथा सूरत (गुजरात) का अनुमोदन किया है।

आन्ध्र प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाला

1969. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में आन्ध्र प्रदेश में प्रकाश में आए 18 करोड़ के छात्रवृत्ति संबंधी घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आरम्भिक जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार समाज कल्याण आयुक्त, हैदराबाद द्वारा एक प्रारंभिक जांच की गई थी। बाद में, इस मामले की जांच आन्ध्र प्रदेश सरकार के सतर्कता एवं प्रवर्तन स्कन्ध द्वारा की गई। अब यह मामला केन्द्रीय अपराध स्टेशन, नगर पुलिस, हैदराबाद को सौंप दिया गया है, जो विस्तृत जांच कर रहा है। 21 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है तथा लगभग 40 करोड़ रु. की 241 सम्पत्तियों को सम्बद्ध किया गया है। राज्य सरकारों ने छात्रवृत्तियों की जाली निकासी से संबंधित सभी मामलों के तेजी से अभियोजन और निपटान के लिए विशेष सत्र न्यायालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

(घ) राज्य सरकार ने विभिन्न कालेजों के प्राचार्यों के बजाय मंजूरीकर्ता, आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कल्याण विभागों के जिला प्रमुखों को नियुक्त करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। सभी स्तरों पर सभी मंजूरियों और निकासी के लेखों की मॉनीटरिंग, समीक्षा तथा समन्वय छात्रवृत्तियों की मंजूरी तथा संवितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आरंभ किया गया है।

[हिन्दी]

अन्य देशों को ऋण

1970. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने किन-किन देशों को कितना-कितना ऋण प्रदान किया है और किन-किन देशों से भारत ने कितना ऋण लिया है; और

(ख) उक्त देशों के संबंध में भारत को देश-वार कितना ब्याज प्राप्त हुआ है और भारत ने कितने ब्याज का भुगतान किया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) भारत ने जिन देशों को ऋण प्रदान किए हैं, उनके संबंध में सूचना विवरण-I में दी गई है और विवरण-II उन देशों से सम्बद्ध है, जिनसे भारत ने ऋण लिये हैं।

विवरण I

वे देश जिन्हें भारत ने ऋण दिए हैं

(आंकड़े करोड़ रुपयों में, डालर में आंकड़े मि. में)

क्र.सं.	देश का नाम	मुद्रा	संवितरण (1.4.99 से)	प्राप्त ब्याज 1.4.99 से)
1	2	3	4	5
1.	बंगलादेश	रुपया	149.94	1.50
2.	गुयाना	रुपया	0.00	0.67

1	2	3	4	5
3.	वियतनाम	रुपया	68.05	16.68
4.	मॉरीशस	रुपया	0.00	0.68
		अमरीकी डालर	1.75	3.18
5.	किरगीस्तान	अमरीकी डालर	0.00	19.14
6.	मंगोलिया	अमरीकी डालर	0.00	0.21
7.	म्यांमार	अमरीकी डालर	16.69	0.55
8.	श्रीलंका	अमरीकी डालर	15.87	2.49
9.	तुर्कमेनिस्तान	अमरीकी डालर	0.72	0.06
10.	उज्बेकिस्तान	अमरीकी डालर	0.00	1.10
11.	सेशल्स	अमरीकी डालर	1.94	0.00
12.	लाओस	अमरीकी डालर	2.00	0.00

विवरण-II

वे देश, जिनसे भारत ने ऋण प्राप्त किए हैं

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	देश का नाम	संवितरण (1.4.99 से)	अदा किया गया ब्याज (1.4.99 से)
1	2	3	4
1.	जापान	10153.87	3142.28
2.	जर्मनी	919.56	557.11
3.	फ्रांस	170.68	374.19
4.	नीदरलैंड	49.52	164.20
5.	रूसी परिसंघ	194.55	119.34
6.	सऊदी अरब	6.21	5.96
7.	नार्वे	0.11	0.00
8.	कुवैत निधि	0.67	32.62
9.	आस्ट्रिया	0.00	8.93
10.	आस्ट्रेलिया	0.00	2.31

1	2	3	4
11.	बेल्जियम	0.00	1.53
12.	कनाडा	0.00	0.06
13.	चेक और स्लोवाक	0.00	1.44
14.	स्पेन	0.00	10.10
15.	इटली	0.00	30.83
16.	स्विटजरलैंड	0.00	18.47
17.	स्वीडन	0.00	4.11
18.	संयुक्त राज्य अमरीका	0.00	521.50

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विश्वसनीयता

1971. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विश्वसनीयता समाप्त होने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता बहाल करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) यू.टी.आई. की पूरी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि इसकी एन.ए.वी. आधारित स्कीमों ने अत्यधिक प्रतियोगी बाजार में अच्छा व्यापार किया है तथा इन स्कीमों में अन्तर्प्रवाहों से सतत निवेशक समर्थन दिखाई देता है।

(ख) सरकार ने दि. 28.12.2001 को यू.एस.-64 के लिए एक वित्तीय पैकेज घोषित किया। वित्तीय पैकेज के एक भाग के रूप में, यू.टी.आई. को विभिन्न विशेषज्ञ समितियों जिनमें तारापोर समिति शामिल है, की सिफारिशों पर आधारित समयबद्ध सुधारों को क्रियान्वित करने को कहा गया था। इसके अलावा, विशेषज्ञ समितियों ने यू.टी.आई. अधिनियम में संशोधनों की सिफारिश की है। इस संबंध में, यू.टी.आई. तथा सरकार द्वारा उपर्युक्त कार्रवाईयाँ की गई हैं।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा रेटिंग

1972. श्री महबूब जाहेदी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग आर्गनाइजेशन ने भारत को ऋण जाल में बुरी तरह फंसा हुआ बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्याख्या का भारत के विदेशी ऋण प्राप्त करने और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार के खजाने का घाटा 10 प्रतिशत की सीमा को पार कर गया है और आने वाले दिनों में इस घाटे के और बढ़ने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) वर्ष 2001 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय ऋण दर निर्धारण अभिकरण ने, सरकार के विदेशी मुद्रा ऋण के स्थिर रूप में अपने दर निर्धारण दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, बताया है कि सरकार के घरेलू कर्ज की दर निर्धारण पर दृष्टिकोण नकारात्मक था। यह लोक वित्तों की प्रास्थिति के बारे में उनकी चिंता पर आधारित था। तथापि, इसका भारत द्वारा विदेशी ऋण तथा निवेश हासिल करने पर कोई असर

नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके दर्जा निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन में 10 प्रतिशत से अधिक हो रहे राजकोषीय घाटे के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय जड़ी बूटियों का निर्यात

1973. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जड़ी-बूटियों की विकसित देशों में मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार कुल कितने मूल्य की जड़ी-बूटियों का निर्यात किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा अन्य देशों में जड़ी-बूटियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गई भारतीय जड़ी-बूटियों/हर्बल आयुर्वेदिक उत्पादों का कुल मूल्य निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	निर्यात (लाख रु. में)
1998-99	40235.37
1999-2000	33647.68
2000-2001	57896.00

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

देशवार आंकड़े डीजीसीआई एंड एस के प्रकाशन अर्थात् ''भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी'' में उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार विदेशी मेलों, प्रदर्शनियों में भागादीर के जरिए विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने, विदेशों में व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने तथा उनमें बाजार सर्वेक्षण करने के लिए हर्बल उत्पादों के निर्यातकों सहित सभी निर्यातकों को निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से बाजार विकास सहायता प्रदान कर रही है। भारत सरकार के अधीन भारतीय औषध पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग का उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का निवारण करने के लिए भारतीय औषध पद्धति के सभी पहलुओं पर अनन्य रूप से ध्यान देता है?

[अनुवाद]

अवसंरचनात्मक क्षेत्र हेतु इक्विटी कोष

1974. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित 1000 करोड़ रुपए के अवसंरचनात्मक क्षेत्र हेतु इक्विटी कोष की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष को कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने प्रायोजित करने वाली कम्पनियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के आरम्भिक इक्विटी अंशदान का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोष की आरम्भिक निधि को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम प्रमुख क्षेत्र की परियोजनाओं को समर्पित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो यह किस सीमा तक मददगार होगा?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) वित्त मंत्री ने वर्ष 2002-2003 के अपने बजट भाषण में 1000 करोड़ रुपए की आधारिक इक्विटी निधि की स्थापना करने की घोषणा की थी। आधारिक विकास वित्त कंपनी लि. (आई.डी.एफ.सी.) द्वारा संचालित की जाने वाली निधि में प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और कुछ बैंकों द्वारा अंशदान किया जाएगा। आई.डी.एफ.सी. तौर-तरीके को अंतिम रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

(घ) और (ङ) आई.डी.एफ.सी. ने प्रस्ताव किया है कि निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:

1. इक्विटी, इक्विटी से जुड़ी या मध्यवर्ती पूंजी प्रदान करना।
2. आधारिक परियोजनाओं या कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश करना।

3. ऊर्जा, तेल उत्पादन और संवितरण प्रणालियों, उत्पाद की निरंतर उपलब्धता (प्रोडक्ट पाइपलाइन), दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, एकीकृत परिवहन, शहरी आधारिक सुविधा, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और इन क्षेत्रों से जुड़े सेवा प्रदान करने वालों के लिए आधारिक सुविधा में निवेश।

इस निधि से आधारिक सुविधाओं में तीव्र गति से निजी निवेश में मदद मिलेगी।

राज्यों का ऋण भार

1975. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक, एशियाई बैंक और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों का राज्यों पर देय ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों के ऐसे ऋण के संबंध में पुनर्भुगतान के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से कम लागत वाले वित्त-पोषण को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों का ऋण भार कम करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) संविधान के उपबंधों के अंतर्गत, राज्य की कार्यकारी शक्तियां केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही उधार लेने तक सीमित हैं। साथ ही, संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, "विदेशी ऋण" संघ सूची के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार राज्य सरकारें विदेशों/विदेशी संस्थाओं से सीधे वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकतीं। इसलिए विदेशों/विदेशी संस्थाओं के प्रति राज्यों का ऋण "शून्य" है। विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित परियोजनाओं के संदर्भ में विदेशी ऋण केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और विभिन्न निबन्धनों और शर्तों पर राज्यों को अन्तरित किए जाते हैं।

दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न बहुपक्षीय दाताओं के प्रति भारत सरकार के ऋण की देनदारी निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	13804.37
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.)	28003.50
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.)	93880.30
अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई.एफ.ए.डी.)	1065.19
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक)	82.46
यूरोपीय आर्थिक समुदाय	178.93
(स्पेशल एक्शन क्रेडिट) [ईईसी(एसएसी)]	

गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा की गई वापसी अदायगी का ब्यौरा निम्नानुसार है

(करोड़ रु.)

विदेशी अभिकरण	मूल			ब्याज		
	1999-00	2000-01	2001-02	1999-00	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
एडीबी	419.27	534.89	578.09	637.85	726.98	812.22
आईबीआरडी	3236.89	3788.30	2686.79	1660.93	1460.29	1312.84

1	2	3	4	5	6	7
आईडीए	1430.78	1679.54	2027.48	603.56	628.46	671.90
आईएफएडी	23.70	24.83	26.69	9.54	9.85	10.01
ओपेक	53.70	47.04	26.74	1.71	1.96	2.35
ईईसी (एसएसी)	3.64	4.82	4.93	1.25	1.08	1.07

(ग) और (घ) भारत पहले ही आईडीए से कम खर्च के वित्त साधनों और विभिन्न द्विपक्षीय दाताओं से अनुदानों की सुविधा का लाभ उठा रहा है। देश में विकास परियोजनाओं के लिए कम खर्च के वित्त साधनों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशी ऋण राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 70% ऋण 30% अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों को 90% अनुदान 10% ऋण) के अनुपात में अन्तरित किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा ऋण के हिस्से पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर को प्रतिवर्ष 12.5% (दो वर्ष पूर्व) से घटाकर 11.5% (वर्तमान) कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांगों और महिलाओं की भर्ती

1976. श्री रामदास आठवले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितने विकलांग व्यक्तियों तथा महिलाओं को भर्ती किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उपक्रम में ऐसे व्यक्तियों को भर्ती करने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विकास सुधार सुविधा

1977. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके पूर्ववर्ती द्वारा घोषित की गई विकास सुधार सुविधा (डी.आर.एफ.) अभी शुरू नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो विकास सुधार सुविधा शुरू न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों में डी.आर.एफ. शुरू न होने के कारण विकास प्रक्रिया बाधित हुई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) संघ सरकार वर्ष 2002-03 के बजट आकलन में विकास सुधार समिति नीति के अंतर्गत उन क्षेत्रों में नीति सुधार के लिए जो कि राज्यों के विकास एवं उन्नति में बाधक है, 2500 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। योजना आयोग द्वारा इस सुविधा के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

गरीबों को खाद्यान्न

1978. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो दुर्गम क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन क्षेत्रों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने अपने नामित गोदामों/रेल शीर्षों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों/

रेल शीर्षों से खुदरा बिक्री केन्द्रों तक खाद्यान्नों की आगे ढुलाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

तथापि, भारतीय खाद्य निगम मुख्यत: पहाड़ी राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्यों और द्वीप समूहों सहित) के लिए लागू पहाड़ी ढुलाई राजसहायता स्कीम के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से वितरित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपुओं से नामित सार्वजनिक वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए वास्तविक आधार पर सड़क ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति कर रहा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी की बिक्री में कमी

1979. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने अप्रैल-जून 2002 के दौरान प्रथम प्रीमियम आय से ही पॉलिसी की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पालिसी की बिक्री तथा आय प्रीमियम को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि 1 अप्रैल, 2002 से 30 जून, 2002 के दौरान उनके द्वारा संग्रहीत/प्राप्त पहली प्रीमियम आय 905.88 करोड़ रु. रही है। वर्ष 2000 और 2001 की तदनुरूप अवधि के दौरान, निगम को क्रमश: 657.51 करोड़ रु. और 2961.03 करोड़ रु. की पहली प्रीमियम आय प्राप्त हुई थी। एल.आई.सी. ने बताया है कि कारोबार में वृद्धि की दृष्टि से पिछला वित्तीय वर्ष (2001-2002) विशेष रूप से अच्छा था जब वर्ष 2000-2001 के दौरान कारोबार में दर्ज की गई 64.98% की वृद्धि, जो स्वयं में रिकार्ड वृद्धि थी, की तुलना में 137.03% की वृद्धि दर्ज की गई। निगम की गारंटीशुदा आय वाली कुछ योजनाएं बहुत लोकप्रिय थीं जिनके परिणामस्वरूप गत वर्ष कारोबार में वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था में ब्याज-दरों में गिरावट के परिणामस्वरूप, इनमें से कुछ योजनाओं को परिवर्तित कर दिया या वापस ले लिया गया है। इससे कारोबार को अस्थायी सा झटका लगा है।

(ग) निगम नई पॉलिसियों की बिक्री में वृद्धि करने तथा इस प्रकार प्रीमियम आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। इनमें नए एजेंटों की भर्ती करके विपणन-बल को मजबूत बनाना, नियमित प्रशिक्षण सत्र तथा विभिन्न प्रचार-माध्यमों के जरिए नए सिरे से प्रचार गतिविधियां शुरू करना शामिल है। निगम ने विभिन्न खण्डों में उपलब्ध भारी कारोबार की क्षमता का लाभ उठाने के लिए कारपोरेट अभिकरणों की भर्ती करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं

1980. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को आयकर संबंधी छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा/बचत बैंक खातों की ब्याज दर में भी वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यष्टि करदाता जो निवासी है और 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, को धारा 88ख के अन्तर्गत 15,000 रुपए की कर छूट प्रदान की गई है। ऐसे नागरिकों को धारा 80घघख के अंतर्गत कुछ पुरानी और दुर्बल करने वाली बीमारियों के चिकित्सा उपचार के लिए 60,000 रुपए की उच्च कटौती की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) 19 अप्रैल, 2001 को घोषित वर्ष 2001-02 के लिए वित्तीय और साख नीति के अनुसार ब्याज दरों में कमी आने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैंकों को विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मियादी जमा योजनाएं प्रतिपादित करने की अनुमति दी गई है जिसमें सामान्य जमाराशियों की तुलना में ब्याज की उच्च और निर्धारित दरें प्रदान की गई हैं।

सहकारी बैंक

1981. **श्री ए. कृष्णैया :** क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष 2002-2003 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन-किन अर्बन को-आपरेटिव बैंकों को "क्रिटीकल लिस्ट" में रखा गया है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं के संबंध में नामिती निदेशक नियुक्त किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसे बैंकों को अपनी समस्याओं से निपटने हेतु अस्थायी ब्रिज ऋण देने का प्रस्ताव हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नोनिया जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

1982. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का नोनिया जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) बिहार सरकार ने बिहार से अनुसूचित जातियों की सूची में नोनिया समुदाय को शामिल करने के एक प्रस्ताव की सिफारिश की थी। राज्य सरकार के प्रस्ताव में अपेक्षित जातिगत ब्यौरे का अभाव था। अत: बिहार राज्य सरकार से अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रस्ताव की आगे जांच करने के लिए अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। किन्हीं अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोनिया जाति को शामिल करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की निगरानी हेतु समिति

1983. श्री शिवाजी माने: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्यों की निगरानी हेतु एक-एक उच्चाधिकार शक्ति प्राप्त समिति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति में कितने सदस्य हैं और उनमें कितने किसानों के प्रतिनिधि हैं; और

(घ) समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार मूल्य निगरानी बोर्ड कार्यरत है, जिसकी बैठक 12 आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा मूल्यों की निगरानी हेतु प्रतिमाह आयोजित की जाती है।

(ग) और (घ) 16 सदस्यों के इस बोर्ड में आर्थिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा भारतीय विधिक माप विभाग के महानिदेशक शामिल हैं। बोर्ड संबंधित विभागों की कार्यसूची टिप्पणियों के आधार पर प्रतिमास 12 आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करता है। बोर्ड सम्पूर्ण देश में किसी भी आवश्यक वस्तु के मूल्य में वृद्धि/उपलब्धता में कमी से निपटने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा शुरू किए जाने वाले नीतिगत उपायों तथा कार्रवाई बिन्दुओं के संबंध में सिफारिशें करता है।

[अनुवाद]

परिवहन के लिए विश्व बैंक सहायता

1984. श्री राम मोहन गाड्डे:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में मुम्बई में परिवहन प्रणाली में सुधार लाने हेतु 2,602 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में पेयजल स्वच्छता तथा परिवहन प्रणाली हेतु विश्व बैंक की सहायता के लिए केन्द्र सरकार से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और ये अनुरोध केन्द्र सरकार के पास कब से लम्बित हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) विश्व बैंक ने मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एम.यू.टी.पी.) के लिए 18 जून, 2002 को 463.00 मिलियन डालर के आई.बी.आर.डी. ऋण और 62.5 मिलियन एस.डी.आर. (79.0 मिलियन डालर के बराबर) के विकास क्रेडिट को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 945 मिलियन डालर है जिसमें से विश्व बैंक की सहायता 542 मिलियन डालर की होगी। शेष 403 मिलियन डालर के हिस्से का अंशदान रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ङ) कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि बहुत कुछ परियोजनाओं की तैयारी, उनके लिए निधियों की उपलब्धता और अन्य संबद्ध कारकों पर निर्भर करता है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना-प्रस्ताव

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	वर्तमान प्रास्थिती
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	596.00	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वार्ता किए जाने की संभावना
2.	तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य सड़क परियोजना	411.00	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्यांकन किए जाने की संभावना
3.	जम्मू और कश्मीर	बृहत जम्मू के लिए मल-व्ययन व्यवस्था	300.00	शहरी विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है
4.	जम्मू और कश्मीर	बृहत श्रीनगर के लिए मल-व्ययन व्यवस्था	355.00	-तदैव-
5.	महाराष्ट्र	द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	204.08	तैयार की जा रही है।
6.	तमिलनाडु	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तमिलनाडु जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	142.85	विश्व बैंक को प्रस्तुत
7.	उत्तरांचल	उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना-II	102.04	ग्रामीण विकास मंत्रालय की टिप्पणी की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार को अभी यह वचन देना है कि वह व्यय कार्यक्रम के अनुसार प्रतिरूप राज्य निधियां मुहैया कराएगी।
8.	महाराष्ट्र	द्वितीय महाराष्ट्र जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना	181.836	विश्व बैंक को प्रस्तुत

1	2	3	4	5
9.	महाराष्ट्र	बम्बई IV मध्य वैतरणा जलापूर्ति	116.32	विश्व बैंक को प्रस्तुत
10.	गुजरात	सूरत में जलापूर्ति एवं मल-व्ययन परियोजना	125.656	विश्व बैंक को प्रस्तुत
11.	आंध्र प्रदेश	दूसरी हैदराबाद जलापूर्ति एवं स्वच्छता	303.75	विश्व बैंक ने परियोजना को स्वीकृत नहीं किया है।
12.	तमिलनाडु	द्वितीय मद्रास जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता	225.5	विश्व बैंक को प्रस्तुत।

रेशम के मूल्यों में गिरावट

1985. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय कच्चे रेशम के मूल्यों में गिरावट की जानकारी है जिससे कोया के मूल्य गिर रहे हैं और रेशम उत्पादक क्षेत्रों के किसान प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने रेशम का उत्पादन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा चीन के रेशम के भारी आयात को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड को, रेशम का उत्पादन करने वाले किसानों के सामने पेश आ रहीं कठिनाईयों को दूर करने के लिए उचित कीमतों पर शहतूती कोसों की खरीद के लिए कर्नाटक रेशम उद्योग निगम (के.एस.आई.सी.) से वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज्य सरकार की गारंटी पर के.एस.आई.सी. को 1.50 करोड़ रु. का ऋण प्रदान करने के प्रति सहमति प्रकट की है।

(घ) सरकार मुख्य घरेलू बाजारों में कच्चे रेशम और रेशम फैब्रिकों के आयात और कोसों तथा कच्चे रेशम की कीमतों की सूक्ष्मता से मानीटरिंग कर रही है। यद्यपि पिछले वर्ष, मात्रा में वृद्धि होने, कीमतों में लगातार गिरावट आने और घरेलू बाजार में उनका प्रभाव पड़ने की दृष्टि से, आयातित कच्चे रेशम की मात्रा, अनुमानित मांग-पूर्ति के अंतर से अधिक नहीं रही है, फिर भी सरकार ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या शुल्क प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए सांविधिक उपबंधों को लागू करने की आवश्यकता है।

अमरीकी सार्वजनिक कंपनियां

1986. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी ने उन 945 अमरीकी सार्वजनिक कंपनियों की सूची जारी की है जिनका वित्तीय विवरण उनके मुख्य कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारियों द्वारा सटीक रूप में प्रकाशित किए जाने चाहिएं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कदम कारपोरेट अमरीका को धक्का पहुंचाने वाले हाल ही के लेखा संबंधी घोटाले के मद्देनजर निवेशकों में विश्वास बहाल करने के लिए उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कदम से लेखा संबंधी घोटालों को किस सीमा तक कम किए जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार इसने कंपनियों की ऐसी कोई सूची जारी नहीं की है।

(ख) से (ङ). (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

ग्लोबल सेंटर फॉर कार्पोरेट गवर्नेन्स

1987. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में ग्लोबल सैंटर फॉर कापोरेट गवर्नेन्स स्थापित करने पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को मान लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन

1988. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के जारी होने के समय से आज तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन नियमों को और कठोर बनाए जाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के लिए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 3, 4, 6 और 7 का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन आपराधिक मामला बनता है।

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा तुलनपत्र में खुलासा

1989. श्री वाई.वी. राव : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के लिए तुलन पत्र में और ज्यादा खुलासा करने के नए मानदंड बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन मानदंडों का बैंकों की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर, लेखा-विवरण और तुलन-पत्र की "लेखा संबंधी टिप्पणियों" में किए जाने वाले प्रकटीकरणों के संबंध में मार्गनिर्देश जारी करता रहा है। यह प्रकटीकरण पूंजी पर्याप्तता, सरकार की शेयरधारिता, अनुपयोज्य आस्तियों, प्रावधानों, ऋणों की अवधि पूर्ण होने के स्वरूप, अग्रिमों, निवेशों, जमाराशियों, उधार आदि के संबंध में करना होता है। 31 मार्च, 2002 से, बैंकों को अनुपयोज्य आस्तियों (एन.पी.ए.) के संबंध में किए गए प्रावधान संबंधी गतिविधि से संबंधित सूचना निवेशों पर मूल्यह्रास और वर्ष के दौरान की गई कम्पनी ऋण पुनर्संरचना से संबंधित सूचना भी प्रकट करना अपेक्षित है। इन मानदंडों से बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को अधिक पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे।

पांच रुपए के सिक्के में घोटाला

1990. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पांच रुपये के सिक्के घोटाले की जानकारी है जो हैदराबाद टकसाल में प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) सैफाबाद टकसाल, हैदराबाद और चेंरलापल्ली टकसाल, हैदराबाद के बीच दि. 12.6.2002 को ढुलाई के दौरान 5 रुपए के सिक्कों के बजाय 5 रुपए के ब्लैंक सिक्कों की चोरी की एक घटना हुई थी।

(ख) यह पाया गया कि दि. 12.6.2002 को लारी ड्राईवर और ट्रक के क्लीनर वाहन के बोनट में 5 रुपए के ब्लैंक सिक्कों को दो थैलों में छिपाकर जा रहे थे। दोनों टकसालों के बीच के परिवहन के दौरान बोनट से धुआं निकलने लगा जिसका पता सर्राफा अभिरक्षक तथा वाहन की सुरक्षा कर रहे सुरक्षा गार्ड को चला। उनके ध्यान में 5 रुपए के ब्लैंक सिक्कों का गिरना भी आया। इस पर वाहन को रोका गया तथा सामग्री को इकट्ठा किया गया और टकसाल में जमा करा दिया गया।

(ग) टकसाल प्राधिकारियों ने और टकसाल की सुरक्षा कर रहे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ड्राईवर और क्लीनर को पुलिस को सौंप दिया। मामले की जांच-पड़ताल राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है जिसने ट्रक के ड्राईवर और क्लीनर को अपनी हिरासत में रखा तथा उन्हें अदालत के सामने भी प्रस्तुत किया। टकसाल के एक वरिष्ठ कार्य प्रबंधक को प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा गया था। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उप महाप्रबंधक को एक विस्तृत जांच करने के लिए कहा गया है जो प्रगति पर है। सी.आई.एस.एफ. प्राधिकारियों ने भी अपने उप महानिरीक्षक को जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। राज्य पुलिस की जांच पड़ताल भी चल रही है। यह कहा गया है कि टकसाल प्राधिकारियों ने परिवहन संविदा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। उप महाप्रबंधक, सी.आई.एस.एफ. तथा पुलिस से पूर्ण जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी विकास कार्यक्रम

1991. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यम सहायता और विकास कार्यक्रम (टी.आर.ई.ए.डी.पी.) को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) से (ग) लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे, व्यापार संबंधी उद्यम सहायता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की दिक्कतों को दूर करके उनके उद्यमिता कौशल के विकास के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा व्यापार सुविधा नेटवर्कों को मजबूत करना है। इस स्कीम के तहत ऋणों, अनुदानों, व्यापार संबंधी प्रशिक्षण, व्यापार संबंधी जानकारी, परामर्श तथा उत्पाद व बाजार विकास संबंधी विस्तार कार्यकलापों के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में शहरी सहकारी बैंक

1992. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु में पहली बार दो शहरी सहकारी बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही की है;

(ख) क्या इन बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन्ज एक्ट के अन्तर्गत लाने के लिए इन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकरण कराने को कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही श्री के. माधव राव की अध्यक्षता में 1999 में स्थापित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के अनुसार है; और

(घ) यदि हां, तो उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को किस सीमा तक पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) भारतीय रिजर्व बैंक में सूचित किया है कि तमिलनाडु में दो शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस आवेदन को मई, 2002 में अस्वीकार कर दिया गया था और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आर.सी.एस.), तमिलनाडु से इन बैंकों को समाप्त करने तथा परिसमापक नियुक्त करने सम्बन्धी आदेश करने की मांग की गई थी। तथापि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के अनुरोध पर लाइसेंस आवेदनों को अस्वीकार करने वाले आदेशों को छः महीने के लिए आस्थगित रखा गया है।

(ख) भारत में बैंकिंग कारोबार जारी रखने के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम के उपबंधों

के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इन दो बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई सामान्य तरीके से की गई थी क्योंकि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे थे। यह कार्रवाई श्री के. माधवराव की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिश के भी अनुरूप था। चूंकि विद्यमान बिना लाइसेंस वाले शहरी सहकारी बैंकों ने कई वर्ष पूर्व लाइसेंस जारी करने के लिए तब आवेदन किया था जब प्रवेश बिन्दु मानदंड इतने ऊँचे नहीं थे, उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन बैंकों की लाइसेंसिंग की समस्या पर विचार किया और यह पाया कि लाइसेंसिंग सम्बन्धी मानदंडों को (1) जोखिम आस्ति अनुपात की तुलना में पूंजी के न्यूनतम विनियामक स्तर, (2) 10 प्रतिशत से कम निवल अनुपयोज्य आस्तियों (3) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक लाभप्रदता (4) समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंककारी विनियमन अधिनियम/निदेशों के सांविधिक ढांचों के अनुपालन पर आधारित होना चाहिए। उपर्युक्त मानदंडों के साथ-साथ उनकी वित्तीय स्थिति के आलोक में बिना लाइसेंस वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस आवेदनों की मार्च, 2002 में जांच की गई थी और लाइसेंस जारी करने/अस्वीकार करने जैसी कार्रवाई की गई थी।

परंपरागत बाजारों को निर्यात

1993. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त वर्ष 2001-2002 में अमरीका, इंग्लैंड, जापान और हांगकांग के परंपरागत बाजारों को निर्यात घटा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्ष के दौरान इन परंपरागत निर्यात बाजारों में किस सीमा तक गिरावट आयी है;

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तथा 11 सितम्बर एवं उसके पश्चात् की घटनाओं के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2001-02 में अमरीका, यू.के., जापान तथा हांगकांग के परम्परागत बाजारों को हुए निर्यात में गिरावट आई थी।

वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान इन परम्परागत बाजारों को हुए निर्यात नीचे दिए गए हैं:

(मि. अमरीकी डालर)

देश	2000-01	वृद्धि (%)*	2001-02	वृद्धि(%)*
यू.एस.ए.	9236.48	10.17	8488.15	-8.10
यू.के.	2272.02	11.82	2152.36	-5.27
जापान	1779.30	5.70	1495.28	-15.96
हांगकांग	2631.30	5.65	2363.89	-10.16

*पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में

(घ) विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक अल्पावधिक नियमनवादी उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लदान-पूर्व और लदान पश्चात् दोनों के लिए निर्यात उधार दर में कमी करना, विनिर्माता निर्यातकों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, प्रत्यावर्तन की सामान्य अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना, 400 से अधिक निर्यात की मदों के लिए डी.ई.पी.बी. के मामले में मूल्य की सीमा समाप्त करना शामिल हैं। वर्ष 2002-2007 की अवधि के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्य नीति की घोषणा की गई है जिसका लक्ष्य वर्ष 2006-07 तक विश्व निर्यात का 1% हिस्सा प्राप्त करना हैं। इनके अतिरिक्त, हाल ही में घोषित वर्ष 2002-07 की एग्जिम नीति में भी निर्यातों में सकारात्मक वृद्धि करने के अनेक उपाय शामिल किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपतटीय बैंकिंग एककों की स्थापना की अनुमति देना, कतिपय कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कुछ स्वीकार्य व्ययों की प्रतिपूर्ति की एक योजना, लघु निर्यातों में मदद करने के लिए समूहों का विकास करना, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यातों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, सौदों की लागत में और कमी करना, इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

चीनी मिल का विस्तार

1994. श्री रामदास आठवले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास कोष से वित्तीय सहायता मांगने के लिए राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आज तक उक्त कोष से जिन चीनी मिलों को वित्तीय सहायता मिली है, उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन ऋणों को देने के लिए नियम और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या इन चीनी मिलों ने उक्त धनराशि का पूर्णत: उपयोग किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) 1985-86 से आज की तारीख तक चीनी विकास निधि से चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार/पुनर्स्थापन के लिए ऋण मंजूर करने हेतु चीनी मिलों से प्राप्त आवेदनों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (ङ) वर्ष 1999-2000 से आज की तारीख तक आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से जिन चीनी यूनिटों को ऋण मंजूर किए गए हैं उनके नामों की सूची और उन्हें ऋण की किस्त वितरित करने तथा उनके द्वारा ऋण का उपयोग करने की स्थिति और जिन मामलों में ऋण का उपयोग नहीं किया गया है, जहां कहीं लागू हो, के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य	आवेदनों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	15
2.	बिहार	17
3.	गुजरात	10
4.	हरियाणा	6
5.	कर्नाटक	16
6.	महाराष्ट्र	64
7.	मध्य प्रदेश	4
8.	उड़ीसा	1
9.	पंजाब	6
10.	तमिलनाडु	13
11.	उत्तर प्रदेश	95
	जोड़	247

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 (आज की तारीख तक) आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से जिन चीनी मिलों को वित्तीय सहायता मंजूर की गई उनके नाम

1999-2000

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	रिलीज की गई किस्त	उपयोगिता की स्थिति
1	2	3	4
1.	श्री मरोली विभाग खांड उद्योग सहकारी मंडली लि., मरोली, जिला नवसारी, गुजरात	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
2.	मै. दावनगेरे शुगर कं. लि, दावनगेरे, कर्नाटक	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
3.	मै. बन्नारी अमान शुगर वर्क्स लि., अलगांची, जिला मैसूर, कर्नाटक	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
4.	मै. श्री दत्ता एसएसके लि., असुरले-पोरले, ता. पंहाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
5.	श्रीगौंडा एसएसके लि., श्रीगौंडा, ता. श्रीगौंडा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई

1	2	3	4
6.	एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि., पीलीभीत, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
7.	गणपति शुगर्स लि., सांगारेड्डी, जिला मेडक, आन्ध्र प्रदेश	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई

2000-2001

1.	इस्टर्न शुगर्स लि., मोतीहारी, जिला पूर्व चम्पारन, बिहार	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
2.	पिकाडीली एग्रो इंड. लि., भडसोन, जिला करनाल, हरियाणा	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
3.	जवाहर एसएसके लि., हुपारी, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
4.	श्री तात्या साहेब कोरे वारना एसएसके लि., वारनानगर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई
5.	शक्ति शुगर्स लि., शक्तिनगर, जिला इरोड, तमिलनाडु	1 और 2	पूर्णतया उपयोग की गई
6.	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नदेही, जिला उधम सिंह नगर, उत्तर प्रदेश	राज्य परिसंघ के अनुरोध पर दिनांक 13.3.2001 को रद्द	
7.	यूनाईटिड प्रोविनसेज शुगर कं. लि., सिरोही, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	I और II	पूर्णतया उपयोग की गई

2001-2002

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	रिलीज की गई किस्त	टिप्पणी	उपयोगिता की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कोवूर को. शुगर फै. लि., नेल्लौर, आ.प्र.	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई
2.	मूला एसएसके लि., सोनाई, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र (एसटीएम मामला)	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई
3.	इंदापुर एसएसके लि., इंदापुर, जिला पूणे, महाराष्ट्र	I (पूर्ण राशि)		पूर्णतया उपयोग की गई
4.	तरना सहकारी एसएसके लि., डोकी, महाराष्ट्र (एसटीएम मामला)	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई
5.	रामगढ़ चीनी मिल्स लि., रामगढ़ जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश	शून्य	ऋण वितरण की कार्रवाई चल रही है	
6.	छत्रपति साहू एसएसके लि., कागल, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई
7.	प्रतापपुर शुगर एंड इं. लि., प्रतापपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश (एसटीएम मामला)	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई

1	2	3	4	5
8.	रावलगांव शुगर फार्म. लि., रावलगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र	I	कार्यान्वयन पूर्णतया अधीन	पहली किस्त पूर्णतया उपयोग नहीं की गई
9.	अपर गंगेज शुगर एंड इंड. लि., सिद्धवालिया, जिला गोपालगंज, बिहार	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई
10.	जय जवान जय किसान एसएसके लि., नालेगांव, महाराष्ट्र	शून्य	अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण अभी तक वितरित नहीं किया गया	
11.	धाघरा शुगर्स लि., अजाबपुर, जंगबहादुरजंग, जिला लखीमपुर खीरी, महाराष्ट्र	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई
12.	मै. मवाना शुगर वर्क्स, मवाना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश	शून्य	अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण अभी तक वितरित नहीं किया गया	
13.	गोदावरी शुगर मिल्स लि., समीरवाडी, जिला बागलकोट कर्नाटक (एसटीएम मामला)	I	कार्यान्वयन अधीन	पहली किस्त पूर्णतया उपयोग की गई
14.	माजलगांव एसएसके लि., तेलगांव, ता. माजलगांव, जिला बीड, महाराष्ट्र	शून्य	औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण अभी तक वितरित नहीं किया गया	
15.	वारालक्ष्मी शुगर्स (डिवीजन ऑफ जीएमआर टैक. एंड इंड. लि.) संकीली, जिला श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश	शून्य	अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण अभी तक वितरित नहीं किया गया	
16.	दन्यानेश्वर एसएसके लि., नेवासा, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	I	कार्यान्वयन अधीन	पहली किस्त जो हाल में रिलीज की गई
17.	बन्नारी अमान शुगर्स लि., सत्यमंगलम, जिला इरोडे, तमिलनाडु	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई
18.	विठल एसएसके लि., गुरुसाले, पोनधारपुर, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	I	कार्यान्वयन अधीन	पहली किस्त जो हाल में रिलीज की गई

1	2	3	4	5
19.	इआईडी पैरी (इंडिया) पुगालपुर, जिला करूर (तमिलनाडु)	शून्य	अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण अभी तक वितरित नहीं किया गया	पूर्णतया उपयोग की गई
20.	संजीवनी (तकली) एसएसके लि., कोपरगांव, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	I	कार्यान्वयन अधीन	पहली किस्त हाल में रिलीज की गई
21.	चोडावरम को. शुगर्स लि., चोडावरम, जिला विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश	I और II		पूर्णतया उपयोग की गई

2002-2003

क्र.सं.	चीनी मिल का नाम	रिलीज की गई किस्त	उपयोग की स्थिति
1.	मै. श्री तलाला तालुका सहकारी खांड उद्योग मंडली लि., तलाला, जिला जुनागढ़, गुजरात	शून्य	वितरित करने की अपेक्षित औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की
2.	सिम्भावली शुगर मिल्स लि., सिम्भावली, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश	शून्य	वितरित करने की अपेक्षित औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की
3.	श्री सिद्धेश्वर एसएसके लि., कुमाठे, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	शून्य	वितरित करने की अपेक्षित औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की

टिप्पणी: चीनी विकास निधि से चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए दिया गया ऋण दो समान किस्तों में वितरित किया जाता है। ऋण मंजूर होने के बाद चीनी यूनिटों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे प्रथम किस्त के वितरण से पूर्व कई औपचारिकताएं/दस्तावेज पूरे करें। प्रथम किस्त के पूर्ण उपयोग होने के विधिवत प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने के बाद ही दूसरी किस्त रिलीज की जाती है। ऋण के उपयोग की स्थिति संबंधित मानीटरिंग एजेंसी अर्थात् आई.एफ.सी.आई./एन.सी.डी.सी. द्वारा प्रमाणित की जाती है।

आधुनिकीकरण/विस्तार/पुनर्स्थापन के लिए ऋण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर किया जाता है:

(1) कुल परियोजना लागत में प्रवर्तक के अंशदान में कमी होने के कारण ऋण की राशि का उपयोग चीनी उपक्रम द्वारा इस देयता के लिए किया जाएगा।

(2) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण वितरित करने से पूर्व चीनी उपक्रम चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 के नियम 16 के उपनियम (9)(i) के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित समझौता निष्पादित करेगा।

(3) चीनी उपक्रम अपनी अचल और चल परिसम्पत्तियों पर केन्द्र सरकार के पक्ष में द्वितीय चार्ज सृजित करेगा।

(4) चीनी उपक्रम उन समस्त राशियों की अदायगी करेगा जो चीनी विकास निधि और लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि के संबंध में देय हो गई हैं।

(5) चीनी उपक्रम मंजूरी की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के अंदर मंजूर की गई राशि की प्रथम किस्त

लेगा ऐसा न करने पर मंजूरी स्वत: व्यपगत हो जाएगी।

(6) ऋण का वास्तविक वितरण चीनी विकास निधि के बजट में निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाएगा; और

(7) चीनी उपक्रम अलग से खाता रखेंगे और इससे किए जाने वाले सभी भुगतान केवल चैक के माध्यम से किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस प्रयोजन के लिए राशि मंजूर की गई है उसी के लिए रिलीज की जाए।

[अनुवाद]

साझी मुद्रा की शुरूआत

1995. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक साझी मुद्रा को शुरू करने के संबंध में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और अन्तर क्षेत्रीय व्यापार में बढ़ोत्तरी की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना

1996. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने वाले कर्मचारियों के हित में 20 जून, 2002 को बी.ए.ए. आयकर नियम के नियम 2 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संशोधन उन बैंक कर्मियों के मामलों में भी लागू होगा जिन्होंने 31 मार्च, 2001 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार की थी और मई-जून, 2001 में उन्हें वीआरएस की राशि मिल गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) दिनांक 19.6.2002 की अधिसूचना सं. 151/2002 के माध्यम से आयकर नियमावली के नियम 2खक में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि किसी अधिसूचित संस्था जिसका पूरे भारत में अथवा किसी राज्य अथवा राज्यों में महत्व है, किसी कर्मचारी द्वारा अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त धनराशि को तभी छूट मिलेगी यदि स्वैच्छिक सेवानिवत्ति की स्कीम उक्त नियम 2 ख क में विहित शर्तों के अनुसार बनाई जाती है। इस अधिसूचना के माध्यम से कर्मचारियों को और कोई लाभ नहीं दिया गया है जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए विकल्प दे रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त संशोधन बैंक कर्मचारियों से संबंधित नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एकसमान ग्राहक संहिता

1997. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेबी को मर्चेंट चैम्बर ऑफ कामर्स, कोलकाता से एक ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अमरीका में लागू प्रणाली की तर्ज पर स्टॉक दलालों को ग्राहकों के पैसों का प्रबंधन करने की शक्ति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेबी को इस नई प्रणाली शुरू करने से पहले बैंकिंग उद्योग में धनराशि के इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण के विषय में सावधानी बरतनी होगी;

(घ) यदि हां, तो सेबी द्वारा सुझाए गए एक समान ग्राहक संहिता की नई प्रणाली पर क्या प्रारंभिक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई; और

(ङ) देश में स्टॉक दलालों और निवेशकों की चिन्ताओं को सुलझाने के लिए नई प्रणाली शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि इसे मर्चेंट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कोलकाता से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि संयुक्त राज्य अमरीका में प्रचलित प्रणाली की तर्ज पर ग्राहक निधि-प्रबंधन की शक्ति स्टॉक दलालों को दे दी जाए।

(ख) से (ङ) ऊपर (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सेवा क्षेत्र के लिए बाजार

1998. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन के निर्यात के लिए एक नीति बनायी है या बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में विश्व के सेवा क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व बाजारों में सेवा क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) सेवाओं के निर्यात के लिए मध्यावधि कार्यनीति तैयार करने हेतु आवश्यक निविष्टियां एकत्र की जा रही हैं।

(ग) वर्ष 2001 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का हिस्सा 1.4% है।

(घ) और (ङ) सेवाओं के निर्यात के लिए प्रस्तावित मध्यावधि कार्यनीति में संभावित क्षेत्रों/बाजारों की पहचान निर्यातकों के साथ परामर्श करके तथा आन्तरिक अध्ययनों के जरिए की जाएगी।

[अनुवाद]

राज्यों के समक्ष वित्तीय संकट

1999. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्रीमती प्रभा राव:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2002 को नई दिल्ली में पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन, राज्यों पर विगत ऋणों का बोझ, केन्द्रीय करों में उनकी हिस्सेदारी में कमी तथा राज्यों की ओवर-ड्राफ्ट सीमाओं के मद्देनजर राज्यों के समान आ रहे वित्तीय संकट पर चर्चा करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका समाधान निकालने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाभोल विद्युत निगम द्वारा लिया गया ऋण

2000. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने तत्कालीन डाभोल विद्युत निगम में धनराशि का निवेश किया है/इसको ऋण दिये है और प्रत्येक बैंक/वित्त संस्थान द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ख) क्या ये बैंक और वित्तीय संस्थान डीपीसी से अपनी बकाया राशि वापस पाने में सफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो वापस पायी गयी राशि तथा अभी भी बकाया राशि का बैंकवार और संस्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष बकाया को वापस पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं (एफआई) में से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), केनरा बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने डाभोल विद्युत निगम में एक्सपोजर किया है। कंपनी ने सितम्बर/अक्तूबर 2001 तक परियोजना के चरण-I और चरण-II दोनों के लिए अपना सभी ऋण चुकाया था और इस प्रकार परियोजना के चरण-II के लिए जनवरी 2002 में देयराशि के अधिकांश हिस्से के लिए भी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपना ऋण चुकाया था। बैंकों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसरण में और सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांवधियों के उपबंधों और इसके साथ-साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों से संबंधित और ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

(घ) वित्तीय संस्थाएं/बैंक अपने हितों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने में खुद सक्षम हैं।

हस्तशिल्पों का निर्यात

2001. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा निर्यातकों को क्या रियायतें और सुविधाएं दी जा रही हैं;

(ख) हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात कर रही पंजीकृत इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने एक हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद को स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त परिषद ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो विदेशी क्रेताओं द्वारा इस परिषद से कितना लाभ उठाया जा रहा है;

(च) सरकार द्वारा वस्त्र क्षेत्र में अधिक रोजगार के लिए हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का देश में विशेषत: राजस्थान में हस्तशिल्प व्यापार के विकास के लिए नई योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) हस्तशिल्प का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्यातकों को दी जाने वाली रियायतें व सुविधाएं इस प्रकार हैं: निर्यात पर शुल्क वापसी वरचुअल प्रदर्शनी के लिए वेबसाईट विकसित करने हेतु मार्किट ऐक्सेस इनिशिएटिव स्कीम से निधि प्राप्त करने की पात्रता; पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5.00 करोड रुपये के न्यूनतम औसत निर्यात निष्पादन प्राप्त करने पर निर्यात गृह स्तर के लाभ की पात्रता, विदेशों में मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा; अनुसंधान करने हेतु निर्यातकों को विपणन विकास सहायता योजना के अन्तर्गत विशिष्ट मदों पर निर्यात और सहायता के एफ.ओ.बी. मूल्य के 3 प्रतिशत तक शुल्क मुक्त आयात की पात्रता।

(ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.एच.) के पास पंजीकृत हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात करने वाली पंजीकृत इकाइयों की संख्या 6692 है।

(ग) और (घ) जी हाँ। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई.पी.सी.एच.) ने वर्ष 1986-87 में अपना कार्य करना शुरू किया।

(ङ) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किए जा रहे विभिन्न संवर्धनात्मक निर्यात कार्यकलापों के कारण हस्तशिल्प का निर्यात वर्ष 1986-87 में 386.58 करोड़ रुपये से धीरे-धीरे बढ़कर 2001-02 के दौरान 6967.50 करोड़ रुपये हो गया है और इसका लाभ निर्यातकों तथा विदेशी-क्रेताओं, दोनों को ही प्राप्त हो रहा है। तथापि, परिषद, नई दिल्ली में वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार मेलों का आयोजन कर रही है, जिसमें अनेक विदेशी क्रेता और उनके खरीददार एजेंट सीधे ही भाग लेते हैं और भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए मौके पर ही आर्डर बुक करते हैं।

(च) वस्त्र क्षेत्र में अधिक रोजगार जुटाने के लिए हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए या किए जा रहे उपाय निम्न प्रकार हैं: क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन; विदेशों में प्रचार; डिजाइन विकास सम्बन्धी कार्यशालाओं का आयोजन; निर्यात विपणन तथा पैकेजिंग इत्यादि; विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना; विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना; मुरादाबाद तथा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन केन्द्र स्थापित करना तथा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा वार्षिक रूप से भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला (ऑटम एवं स्प्रिंग) का आयोजन।

(छ) और (ज) जी, हां। राजस्थान राज्य सहित देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना" नामक एक नई स्कीम हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्त पर चयनित कारीगर समूह का व्यावसायिक प्रबन्ध एवं आत्मनिर्भर समुदाय उद्यमी के रूप में विकास करना है।

नोट मुद्रणालय

2002. श्री ए. नरेन्द्र: क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नकली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में कार्य कर रहे सरकारी नोट मुद्रणालयों की मुद्रण क्षमता क्या है और वर्तमान में विभिन्न मूल्य वर्ग के कितने नोट मुद्रित किए जा रहे है; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य वर्ग के और कितनी संख्या में फटे-पुराने नोट बदले जा रहे हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) और (ख) देश में नकली करेंसी नोटों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ नकली करेंसी नोटों की अनन्य जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में विशेष इकाई की स्थापना करना, देश में नकली करेंसी नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता को बढ़ाना, उच्च मूल्यवर्ग के नोटों में विशेष सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करना और जनता के लाभ के लिए प्रचार माध्यमों और दूरदर्शन द्वारा सुरक्षा संबंधी सूचना का प्रसारण करना शामिल है। नकली नोटों के परिचालन के कारण उत्पन्न समस्याओं की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, भारतीय रिजर्व बैंक और मुद्रणालयों के प्रतिनिधियों सहित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें समस्या के समाधान के लिए बहुत सी सिफारिशें की गई हैं।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, दोनों के अधीन कार्यरत नोट प्रिंटिंग मुद्रणालयों की मुद्रण क्षमता 15,540 मिलियन अदद प्रति वर्ष है तथा इन मुद्रणालयों द्वारा 5 रु., 10 रु. 20 रु., 50 रु., 100 रु., 500 रु. और 1000 रुपए के करेंसी नोट मुद्रित किए जाते हैं।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदले गए कटे-फटे/गंदे करेंसी नोटों की संख्या और उनका मूल्य निम्नानुसार है:

जनवरी-दिसम्बर	कुल अदद (हजार में)	कुल मूल्य (लाख रुपए में)
1999	30976	6652
2000	28789	6479
2001	42589	8312

[हिन्दी]

आयकर विवरणी दाखिल करना

2003. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्रीमती कृष्णा बोस:

क्या **वित्त और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर रिटर्न दाखिल करने की जटिल प्रक्रिया और आयकर कार्यालयों के अधिकारियों के असहयोग के कारण आयकर दाता अपनी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में आयकर दाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है जिससे वे आसानी से सही रिटर्न भर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए पहले से ही सरलीकृत प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है, और आयकर कार्यालयों में अधिकारियों का पूरा सहयोग प्रदान किया जाता है। विवरणी दाखिल करने को कर कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सुविधाजनक बनाया गया है। गत पांच वर्षों में ऐसे सरलीकरण से करदाताओं की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है।

(ग) आयकर दाताओं को अपनी विवरणियां सुविधापूर्वक एवं पूर्ण रूप से दाखिल करने में समर्थ बनाने हेतु अनेक उपाय किये गये हैं। इन उपायों में से कुछ में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) विवरणियों के सरलीकृत फार्मों को प्रारंभ करना जैसा कि निगमेतर करदाताओं के लिए एक पृष्ठीय फार्म (सरल के नाम से ज्ञात)।

(2) इस बात की व्यवस्था करते हुए कि विशिष्ट जानकारी के आधार पर सत्यापन के लिए लिये गये मामलों की बहुत कम प्रतिशतता को छोड़कर दायर की गई विवरणी की पावती को घोषित आय की स्वीकार्यता के रूप में लिया जाए।

(3) वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अधिकांश विवरणियों को दाखिल करना नामक एक योजना, 2002 पहली जुलाई, 2002 से शुरू की गई है जो वेतन भोगी करदाताओं को अपने कर दायित्वों को पूरा करने और आयकर विभाग के साथ बिना किसी इंटरफेस के बहुत ही कम अवधि के भीतर धन वापसियां यदि कोई हों, को प्राप्त करने में समर्थ बनाती है।

(4) 1 अगस्त, 2000 से शुरू की गई "सहायता (हेल्पलाइन आयकर)" स्कीम के अंतर्गत "हेल्पलाइन आयकर" के रूप में नामोनिर्दिष्ट विशेष कक्ष बनाया गया था जिससे कि वह व्यष्टि और निगम कर दाताओं की तत्काल और गंभीर समस्याओं की जानकारी विभाग के ध्यान में लाने के लिए केन्द्रीय प्वाइंट के रूप में कार्य कर सके। यह कक्ष आयकर आयुक्त के स्तर के एक अधिकारी की निगरानी में कार्य कर रहा है।

(5) 1 अगस्त, 2000 से शुरू की गई "सुविधा" स्कीम के अंतर्गत, छः में से एक स्कीम द्वारा शामिल कस्बों एवं शहरों में स्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की कम्प्यूटीकृत शाखाओं को यह प्राधिकार दिया गया है कि वे भिन्न-भिन्न बैंकों की वर्तमान प्राधिकृत शाखाओं के अलावा प्रत्यक्ष कर भुगतान प्राप्त करें।

(6) विभिन्न आयकर कार्यालयों में अनेक अतिरिक्त प्राप्ति काउन्टर खोले गए हैं ताकि करदाता आसानी से आयकर विवरणियां दाखिल कर सकें और असुविधा एवं विलंब से बच सकें।

[अनुवाद]

खाद्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2004. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खाद्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या मुख्य कारण बताए गए हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा अनुमोदित, खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देश में बल्क अनाज की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई सुविधाओं के विकास और प्रचालन के लिए दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात संवर्धन परिषदों के स्थानों की समीक्षा

2005. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निर्यात संवर्धन परिषदों के वर्तमान मुख्यालय अपने निर्यात के स्रोतों से काफी दूर स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन परिषदों के वर्तमान संगठनात्मक और स्थानगत ढांचे की समीक्षा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के मुख्यालयों का स्थान उनके उत्पादों के उत्पादन के आधार के साथ-साथ निर्यात सुविधाओं, जनशक्ति तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। निर्यात संवर्धन परिषदों के मुख्यालयों का पता लगाया जाता है तथा संबंधित उद्योगों द्वारा स्वयं स्वीकृति दी जाती है और यह सामान्यतया उन स्थानों पर स्थित होते हैं जो उनके प्रभाराधीन वस्तुओं तथा उत्पादों के निर्यात के मुख्य केंद्र होते हैं। ईपीसी संबंधित उद्योग द्वारा स्थापित स्वायत्त संगठन होते हैं और वह अपने कार्यों का स्वयं विनियमन करते हैं। निर्यात संवर्धन परिषदों को कार्यकरण संबंधी स्वायत्ता को ध्यान में रखते हुए इनके स्थानों के संबंध में मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

इंडोनेशिया को गेहूं का निर्यात

2006. श्री रामसिंह कस्वां :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व बाजार में राज सहायता प्राप्त गेहूं की बिक्री कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गेहूं के निर्यात के लिए इंडोनेशिया के निर्यात आदेश प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कई देशों ने अमरीकी गेहूं के मुकाबले भारतीय गेहूं को प्राथमिकता दी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन देशों को और गेहूं का निर्यात करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू): (क) और (ख) निर्यातकों को भारतीय खाद्य निगम की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के मूल्य पर गेहूं की पेशकश की जा रही है। तथापि, विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप सुपुर्दगी उपरांत और अन्य संबंधित खर्चें, भी अदा किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम किसी भी देश को गेहूं का सीधे निर्यात नहीं कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम निर्यात के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय पूल के स्टाक से गेहूं उपलब्ध कराता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इंडोनेशिया उन देशों में से है जिन्हें गेहूं निर्यात किया गया है।

(ङ) और (च) भारतीय गेहूं का निर्यात कई देशों को किया जा रहा है। निर्यातकों को विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप सुपुर्दगी उपरांत और अन्य संबंधित खर्चें अदा किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना

2007. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के आरम्भ से विद्युतकरघा, जूट और वस्त्र क्षेत्र में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.4.1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) आरंभ की गई है। इस योजना में नामित नोडिए एजेंसियों तथा सहयोजित बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा, इस योजना की पुष्टि करते हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना के लिए चार्ज किए जाने वाले ब्याज के 5% की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना गुजरात सहित पूरे भारत में लागू है। यह योजना तीन नोडिए अभिकरणों नामत: भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई.एफ.सी.आई.) के माध्यम से लागू की जा रही है। इन नोडिए अभिकरणों ने ऋण की मंजूरी एवं संवितरण के लिए वित्तीय संगठनों का तंत्र उपलब्ध कराने के लिए लगभग 240 अन्य संस्थाओं को सहयोजित किया है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) को मॉनीटर करने एवं पुनरीक्षा हेतु व्यय, वाणिज्य उद्योग, बैंकिंग विभागों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों सहित सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आई.एम.एस.सी.) गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, इस योजना की प्रगति को मॉनीटर

करने तथा पुनरीक्षा हेतु, इसके कार्यान्वयन की गति प्रदान करने के साथ-साथ इस योजना के सुगम प्रचालन हेतु तकनीकी/वित्तीय मानदंडों तथा अन्य आयामों में आवश्यक परिवर्तनों के लिए सुझाव देने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टी.ए.एम.सी.) भी गठित की गई है।

विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन किए जा रहे हैं।

यह योजना, 1 जनवरी, 2002 से, लघु उद्योग क्षेत्र के वस्त्र एवं पटसन उद्योग को 12% अपफ्रंट ऋण संबंधित पूंजीगत सब्सिडी अथवा विद्यमान 5% ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ देने के लिए विकल्प भी प्रदान कर रही है।

गुजरात में 992 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के लिए राज्य में 266 आवेदनों के लिए 431 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई।

विद्युतकरघा पटसन एवं वस्त्र क्षेत्रों के लिए इस योजना से लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत दिनांक 31.5.2002 की घटकवार (अनंतिम) प्रगति

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	औद्योगिक घटक	प्राप्त किए			स्वीकृत			संवितरित			
		आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत राशि	ऋण की राशि	आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	राशि	आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	मंजूर की गई राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कताई	323	3595.19	2168.95	233	2541.68	1412.10	199	2357.96	1274.64	1082.07
2.	विस्कोस फिलामेंट यार्न का विनिर्माण	2	15.01	12.12	2	15.01	12.12	2	15.01	12.12	12.11
3.	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न का टैक्सचर क्रिम्पिंग और ट्विस्टिंग	163	483.97	286.88	143	327.67	190.71	132	306.80	177.71	152.76
4.	बुनाई	62	787.41	436.77	50	519.40	290.67	37	458.96	248.18	205.58
5.	विद्युतकरघा	112	90.76	53.91	104	78.62	42.57	83	54.31	27.75	22.34
6.	सम्मिश्रित उन्नयन	134	4388.79	2511.79	111	3821.22	1712.90	86	2836.33	1489.50	1069.74
7.	रेशम का धागा तैयार करना	44	38.52	23.34	38	14.64	10.31	29	10.43	6.98	6.45
8.	निटिंग	237	1198.19	635.99	223	1004.01	239.42	161	823.00	168.97	148.39
9.	परिधानों की कढ़ाई	71	298.66	165.29	67	179.65	91.37	49	96.20	61.02	48.46
10.	स्वतंत्र बनाई के प्राथमिक कार्य	8	72.47	51.50	7	58.47	40.00	6	22.47	15.00	22.68
11.	मेड-अप्स विनिर्माण	24	352.85	124.00	17	108.44	59.62	13	92.15	52.69	43.55
12.	परिधान विनिर्माण	164	427.53	253.71	145	342.11	181.11	112	293.81	157.77	130.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	रेशे, यार्न, फैब्रिक, परिधान तथा मेड-अप्स का प्रसंस्करण	253	2344.75	1351.51	225	1723.67	845.90	181	1581.55	755.26	620.50
14.	कपास जिनिंग एवं प्रैसिंग	32	71.46	37.74	30	67.94	26.23	26	62.82	24.42	17.88
15.	तकनीकी वस्त्र	8	36.78	18.96	7	32.61	16.34	6	25.94	13.64	13.38
16.	ऊन प्रक्षालन एवं कॉम्बिंग	6	16.95	13.73	6	16.95	13.74	5	1.60	1.74	1.09
17.	पटसन उद्योग	9	65.35	37.04	7	46.58	17.81	6	45.81	17.30	9.62
18.	गैर-बुने हुए	4	89.31	22.80	4	89.31	22.66	3	3.71	2.66	2.34
	कुल	1656	14373.95	8206.03	1419	10987.98	5225.58	1136	9088.86	4507.35	3609.31

टिप्पणी:

(1) बीएचएफ-बैंक, सोसाइट जनरल, सैन्वा बैंक, दि बैंक ऑफ टोरियो-मित्सुबीशी लि., एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनैशनल बैंक लि., बीएनपी परिबास ने शून्य सूचना भेजी है।

टिप्पणी: घटकवार आंकड़े कुल योग के आंकड़ों से मेल नहीं खाते क्योंकि आंकड़ों को राउंड-अप कर दिया गया है।

हथकरघा बुनकरों को प्रशिक्षण

2008. श्री के.ए. सांगतम: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों विशेषकर नागालैंड के बुनकरों को बुनाई, रंगाई और हथकरघा उत्पादों के विविधीकरण से परिचित कराने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन प्रशिक्षण केन्द्रों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) सरकार हथकरघा बुनकरों को बुनाई, रंगाई और हथकरघा उत्पादों के विविधीकरण से परिचित कराने हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। ऐसे प्रशिक्षण का प्रावधान निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत विद्यमान रहा है।

1. बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण योजना
2. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, और
3. निर्यात योग्य उत्पादों के विकास और विपणन से संबंधित योजना

(ख) और (ग) बुनकरों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत बुनकरों को उनके कार्यस्थल अथवा घर पर या समीप अर्थात् हथकरघा समूह में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का वस्त्र मंत्रालय के अधीन देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे 24 बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा निरीक्षण किया जाता है जिनमें से गुवाहाटी, अगरतला तथा इम्फाल के केन्द्र पूर्वोत्तर राज्यों के हथकरघा बुनकरों की जरूरतों को पूरा कर रहे है, इसमें से इम्फाल स्थित केन्द्र नागालैण्ड के हथकरघा बुनकरों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को कवर करता है। जहां तक नागालैण्ड राज्य के हथकरघा बुनकरों का संबंध है, मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त पायी गई है।

वस्त्र उत्पादों का शुल्क मुक्त प्रवेश

2009. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ (ईयू) ने पाकिस्तान को वस्त्र उत्पादों के शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वस्त्र उत्पादों को भी शुल्क मुक्त प्रवेश न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय वस्त्र उत्पादों का शुल्क मुक्त प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल): (क) से (ग) यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा दिनांक

1 जनवरी 2002 से 31 दिसंबर, 2004 तक की अवधि के लिए, सामान्य तरजीह प्रणाली संबंधी योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, उन सभी उत्पादों के सीमा शुल्क को यूरोपीय संघ द्वारा निरस्तीकरण प्रदान करती है जो नशीली दवाओं के उत्पादक तथा इसके व्यापार को रोकने के लिए टैरिफ के अंतर्गत नहीं आई हैं। पाकिस्तान इस विशेष व्यवस्था के तहत लाभ पाने वाले देशों में से एक है। भारत द्वारा फरवरी 2002 में द्विपक्षीय वार्ताओं के आयोजन के माध्यम से यूरोपीय संघ के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया है। चूंकि यूरोपीय संघ अपने आकलन के आधार पर इस प्रकार की रियायतें भारत को प्रदान करने पर सहमत नहीं है, इसलिए इन द्विपक्षीय वार्ताओं से भारत के दृष्टिकोण से, अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं।

विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली के तहत, यूरोपीय संघ के साथ उठे इस उपरोक्त विवाद को निपटाने के लिए शुरूआती कदम के रूप में, यूरोपीय संघ के साथ बैठकों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार की एक परामर्श संबंधी बैठक 25 मार्च, 2002 को की गई थी, जिसके दौरान हमारे व्यापार पर पड़ रहे विपरीत प्रभावों के संबंध में विस्तृत विवरण यूरोपीय संघ को उपलब्ध कराए गए। तथापि, इन विचार-विमर्शों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। यूरोपीय संघ के साथ इस प्रकार के परामर्श का एक अन्य दौर दिनांक 9 जुलाई, 2002 को भी आयोजित किया गया। जबकि हम अभी भी यूरोपीय संघ की ओर से उपचारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं, इससे आगे की कार्रवाई विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार की जाएगी।

[हिन्दी]

बिना उद्योग वाले औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

2010. **श्री रामरती बिन्दः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बिना उद्योग वाले जिले अथवा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में राज्य-वार घोषित किए गए जिले कौन-कौन से हैं;

(ख) ऐसे जिलों का पता लगाने हेतु क्या मापदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के कुछ और जिलों विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ और जिलों को बिना उद्योग वाले, अथवा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले घोषित करने पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से उनके पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह): (क) केन्द्र सरकार ने वित्त मंत्रालय की दिनांक 7 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 713 (ई) के द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को अधिसूचित किया था। इन जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी हुई है।

(ख) पिछड़े जिलों को वर्गीकृत करने के लिए स्थापित किये गये अध्ययन दल द्वारा उनके चयन के लिए अपनाये गये मानदण्ड निम्नानुसार थे:

(1) वित्तीय मानदण्ड

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति ऋण

(2) अवसंरचनात्मक मानदण्ड

- प्रति हजार आबादी में फोन
- प्रति व्यक्ति विद्युत खपत
- प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पक्की सड़कें
- दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र के जिले और
- रेल शीर्ष रहित जिला

(3) औद्योगिक मानदण्ड

- पंजीकृत कारखानों में प्रति हजार जनसंख्या में श्रमिक
- उद्योग रहित जिला

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछड़े जिलों की सूची

श्रेणी क	श्रेणी ख
1	2
आन्ध्र प्रदेश	
शून्य	श्रीकाकुलम
	महबूबनगर
बिहार	
अररिया	कटियार
मधेपुरा	भागलपुर
खगड़िया	गोपालगंज
किशनगंज	दरभंगा
मधुबनी	वेस्ट चम्पारन
जेहानाबाद	सारन
सहरसा	भोजपुर
नवादा	समस्तीपुर
सीतामढ़ी	नालंदा
औरंगाबाद	गया
ईस्ट चम्पारन	मुजफ्फरपुर
पूर्निया	रोहतास
सिवान	
वैशाली	
झारखण्ड	
गोड्डा	देवघर
गुमला	
दुमका	
पालामाऊ	
साहेबगंज	
लौहारडग्गा	

1	2
गुजरात	
द डांगस	बनासकांठा
	साबरकांठा
कर्नाटक	
शून्य	बीदर
केरल	
वायानाड़	शून्य
इडुकी	
मध्य प्रदेश	
मांडला	सिओनी
पन्ना	टीकमगढ़
छतरपुर	शिवपुरी
	बालाघाट
	झाबुआ
	सिधी
	विदिशा
	मुरैना
	बेतुल
	राजगढ़
	सागर
छत्तीसगढ़	
बस्तर	रायगढ़
सरगुजा	राजनंदगांव
महाराष्ट्र	
गादचिरोली	बीड
उड़ीसा	
फूलबानी	बोलांगीर

1	2
कालाहांडी	मयूरभंज
	बालासोर
	गंजम
राजस्थान	
जालौर	डुंगरपुर
बाडमेर	धौलपुर
जैसलमेर	सवाई माधोपुर
चुरू	टॉक
बांसवाड़ा	नागौर
	झालावाड़
	सीकर
उत्तर प्रदेश	
सिद्धार्थ नगर	हरदोई
बहराइच	ललितपुर
प्रतापगढ़	हमीरपुर
महाराजगंज	बदायूं
बांदा	फतेहपुर
बस्ती	आजमगढ़
	एटा
	बाराबंकी
	इटावा
	देवरिया
	घापुर
	बलिया
	जौनपुर
	सीतापुर
	जालौन
	उन्नाव
	फैजाबाद
	कानपुर देहात
	मैनपुरी
	गौंडा
	फर्रूखाबाद
	सुल्तानपुर
	मिर्जापुर
	मऊ
उत्तरांचल	
चमोली (और रुद्र प्रयाग)	
उत्तरकाशी	
अलमोड़ा (और बागेश्वर)	
पिथौरागढ़ (और चम्पावत)	
टिहरी गढ़वाल	
पश्चिम बंगाल	
माल्दा	पुरूलिया
पश्चिम दिनाजपुर (जो अब उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में बंट गया है)	बीरभूम
मुर्शिदाबाद	मिदनापुर
कूच बिहार	
बांकुरा	
जलपाईगुडी	

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के पुनरूद्धार में आने वाली लागत

2011. श्री रमेश चेन्नितला: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत केरल राज्य में कताई मिलों के पुनरुद्धार पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केरल राज्य में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) एन.टी.सी. के तहत केरल में स्थित मिलों की कताई मशीनों के नवीनीकरण के लिए व्यय की गयी राशि निम्नानुसार है:

1999-2000	36.24 लाख रुपए
2000-2001	14.92 लाख रुपए
2001-2002	शून्य

(ख) केरल में स्थित एन.टी.सी. मिलों के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु आवेदनों तथा प्रदान की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्त आवेदन	प्रदान की गयी स्वै.सेवा.नि.यो.
1999-2000	40	26
2000-2001	शून्य	शून्य
2001-2002	शून्य	शून्य

वर्ष 2000-2002 के दौरान केरल में कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना ऑफर नहीं की गई थी, क्योंकि ये मिलें पुनरुद्धार हेतु प्रस्तावित हैं।

फेरा से संबंधित मामले

2012. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेरा के निरसन से संबद्ध खंड के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय को 31 मई, 2002 से पूर्व किए गए सभी विदेशी मुद्रा उल्लंघन से संबंधित अपराधों की जांच एवं दण्डात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय ने फेरा से संबंधित सभी शिकायतें दर्ज की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे कितने मामले छोड़ दिए गए जिनके संबंध में शिकायतें दर्ज नहीं की गई हैं;

(ङ) मामले दर्ज न करने के कारण कितने व्यक्ति छूट गए; और

(च) मई, 2002 से पूर्व कितनी शिकायतें लंबित थीं और उनमें से कितनी जांच या दण्डात्मक कार्रवाई के लिए दर्ज की गई?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन): (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के तहत 31.5.2000 तक पंजीकृत विदेशी मुद्रा के उल्लंघनों के सभी मामलों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत 1.6.2000 से 31.5.2002 तक की अवधि के दौरान न्यायनिर्णयन या अभियोजन द्वारा दंडात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ करके अंतिम रूप दिया गया था। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 49(3) और 49(4) के तहत यह "समापन" की अवधि थी जो 31.5.2000 को फेरा, 1973 को रद्द करके यह उसके स्थान पर 1.6.2000 से प्रभावी हुआ। दिनांक 31.5.2000 के बाद किए गए विदेशी मुद्रा विनियमनों के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कार्रवाई करना संभव नहीं है क्योंकि यह अधिनियम उक्त तारीख तक रद्द हो चुका था।

31.5.2000 के बाद हुए उल्लंघनों पर नए अधिनियम अर्थात् विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अनुसार कार्रवाई की जानी है जो 1.6.2000 को प्रभावी हुआ था।

(ख) और (ग) जी हां। फेरा 1973 के विभिन्न प्रावधानों के तहत विदेशी मुद्रा विनियमनों के उल्लंघन के सभी मामलों पर, जिनमें साक्ष्य की प्रथम दृष्टया उपयुक्तता के संदर्भ में अभियोजन का औचित्य सिद्ध होता था, फेमा 1999 की धारा 49(3) के तहत दी गई समापन अवधि की समाप्ति से पूर्व अभियोजन दाखिल करके कार्रवाई की गई।

31.5.2000 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत अभियोजन के 1235 मामले लंबित थे। दिनांक 1.6.2000 से 31.5.2002 की अवधि के दौरान अभियोजन को 1168 मामले दाखिल किए गए जिनमें से 131 शिकायतों का निपटान उक्त अवधि के दौरान संबंधित न्यायालयों द्वारा किया गया। अत: 31.5.2002 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत अभियोजन के 2272 मामले लंबित थे।

(घ) दिनांक 31.5.2000 तक दर्ज किए गए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के उल्लंघन के सभी मामले समापन अवधि की समाप्ति तक फेरा, 1973 के उपबंधों के अनुसार निपटाए गए थे।

(ङ) शून्य

(च) दिनांक 31.5.2002 की स्थिति के अनुसार फेरा, 1973 के उपबंधों के अन्तर्गत अभियोजन के 2272 मामले लम्बित थे।

जहां तक दिनांक 31.5.2000 तक दर्ज किए गए फेरा, 1973 के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों में न्यायनिर्णयन के माध्यम से दण्डात्मक कार्रवाई करने का सम्बन्ध है, दिनांक 31.5.2000 की स्थिति के अनुसार 'कारण बताओ नोटिस' के 4503 मामले बकाया थे। दिनांक 1.6.2000 से 31.5.2002 तक की अवधि के 4503 मामले बकाया थे। दिनांक 1.6.2000 से 31.5.2002 तक की अवधि के दौरान फेरा, 1973 के अन्तर्गत 13,996 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 3091 कारण बताओ नोटिसों को न्यायनिर्णयन किया गया। इस प्रकार दिनांक 31.5.2002 की स्थिति के अनुसार फेरा, 1973 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिसों के 15408 मामलों में न्यायनिर्णयन लम्बित था।

परिधान-डिजाइन प्रदर्शनियां

2013. **श्री रामदास आठवले** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में खास तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी परिधान-डिजाइन प्रदर्शनियां आयोजित की गई;

(ख) इन प्रदर्शनियों के माध्यम से, अभी तक, जो निर्यात के लिए क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में देश में ऐसी और प्रदर्शनियां आयोजित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: (क) से (घ) मंत्रालय के तत्वावधान में पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी ड्रेस डिजायनिंग प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया। हालांकि, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, जो मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य कर रहा है, शैक्षणिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में जनजातीय क्षेत्रों में शिल्प प्रलेखन परियोजनाओं को चलाता है जहां छात्र और शिक्षक जनजातीय लोगों से बातचीत करते हैं तथा देशी उत्पादों का प्रयोग करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में शिल्प और वस्त्र के क्षेत्र में डिजायन मध्यस्थ द्वारा उत्पाद विकास में योगदान करते हैं। निफ्ट ने भी पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई ड्रेस डिजायनिंग प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया है।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री बसनगौड़ा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)]: महोदय, मैं जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 736(अ) जो 12 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कतिपय वस्तुओं की जूट पैकेज सामग्री में अनिवार्य पैकिंग विनिर्दिष्ट करने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5866/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, डा. रमण सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

माल भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 87 की उपधारा (3) के अंतर्गत माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 जो 8 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5867/2002]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 353(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11खख के अंतर्गत धन-वापसी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 354(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11कक के अंतर्गत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 355(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11कख के अंतर्गत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर निर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 360(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 18/2002-के.उ.शु. को निरस्त करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 361(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप मोटर स्पिरिट और एच.एस.डी. पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की मौजूदा रियायती दर को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 362(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर में स्थित विशेष रिफाइनरियों से निकले माल पर उत्पाद शुल्क की मौजूदा रियायती दर को आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 398(अ) जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 10/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 444(अ) जो 24 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि इन अधिसूचनाओं को नयी आयात और निर्यात नीति, 2002-2007 और प्रक्रियाओं से संबंधित पुस्तिका में शामिल किया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 448(अ) जो 25 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) दिनांक 2 मई, 2002 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 83/3/2002-एक्स जिसका आशय कोंकण रेलवे कारपोरेशन को आपूर्ति किए गए प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपरों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 468(अ) जो 3 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5868/2002]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 356(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 27क के अंतर्गत विलम्बित धन वापसी पर ब्याज की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 357(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के अंतर्गत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 358(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कख के अंतर्गत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 359(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 के अंतर्गत शुल्क के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 363(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2002 के अधिनियमन के परिणामस्वरूप 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 22/2002-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि 364(अ) जो 13 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि मक्खन पर अब तक उपलब्ध मूल सीमा शुल्क की रियायती दर को वापस लिया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 377(अ) जो 22 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 399(अ) जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि तकनीकी स्वरूप के परिवर्तन किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 416(अ) जो 7 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्राकृतिक या परिष्कृत और बहुमूल्य या अर्ध-मूल्यवान रत्नों, बिना जड़े हुए और बिना तराशे हुए अपरिष्कृत मोतियों का भारत में आयात किए जाने पर उन पर उद्ग्रहणीय मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्कों से पूर्णतः छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 445(अ) जो 24 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है ताकि वे नई आयात एवं निर्यात नीति, 2002-2007 के उपबंधों के अनुरूप हों तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 449(अ) जो 25 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उनमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 452(अ) जो 26 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 460(अ) जो 24 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 461(अ) जो 24 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 475(अ) जो 1 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-

सी.शु. (गै.टै.) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 490(अ) जो 11 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 515(अ) जो 16 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 574(अ) जो 28 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. 575(अ) जो 28 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का.आ. 631(अ) जो 13 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 669(अ) जो 26 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ. 670(अ) जो 26 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 466(अ) जो 3 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5869/2002]

(3) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 375(अ) जो 21 मई, 2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर यूरोपीय संघ और सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन एडी-3 500/100 पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 378(अ) जो 22 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी की सिफारिशों के अनुसार ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सभी लैड एसिड बैटरियों, सिवाए उन औद्योगिक लैड एसिड बैटरियों के जिनका चीन के मैसर्स शीनयांग मतसुशिता स्टोरेज बैटरी कंपनी तथा मैसर्स बी.बी. बैटरी कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया हो और जब उनका निर्यात क्रमशः मैसर्स पैनासोनिक इण्डस्ट्रियल एशिया प्रा. लि., सिंगापुर तथा मैसर्स नेशनल ट्रेडिंग लिमिटेड, हांगकांग द्वारा किया गया हो तथा उनका भारत में आयात किया गया हो, पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 397(अ) जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 73/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 406(अ) जो 5 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर नेपाल में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जिंक आक्साइड पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 407(अ) जो 5 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर पौलैण्ड और ब्राजील में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स-अल्ट्रा हाई पावर ग्रेड पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 415(अ) जो 7 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 फरवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या 2/98-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 432(अ) जो 17 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और चीनी ताइपे (ताइवान) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम ट्राइपोलीफास्फेट पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 397(अ) जो 31 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 22 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 73/2000-सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 472(अ) जो 5 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डी(-) पैरा हाईड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसिंन बेस पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 488(अ) जो 10 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, ताइवान और थाइलैण्ड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित 0.8 से 4.5 रैंज वाले डेनियर्स पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (पी.एस.एफ.) पर अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5870/2002]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियम, 2002 जो 11 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 420(अ) में प्राकशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5871/2002]

(5) सीमा शुल्क टैरिफ (संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क) नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464(अ) जो 28 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सीमा शुल्क आयुक्त (सामान्य), नई दिल्ली को महानिदेशक (विनिर्दिष्ट सुरक्षा) के रूप में नियुक्त करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 5872/2002]

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नेत्रवति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 26 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन.जी.बी./एस.टी.एफ./488/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भागलपुर-बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 18 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या प्रा.का./का.प्रा./विविध/51/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 20 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 109 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ठाणे ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 8 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या टीजी-बी/एचओ/2001/134 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 8 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीईआर/44/2001-02 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सोलापुर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 6 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडमिन./पर./18/177 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 11 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/कार्मिक/183/2001-02 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ढेंकानाल ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 18 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स्टाफ/मिस/140/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) बुन्देलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 26 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स./गिरा./97/229 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सहयाद्री ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 3 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 14 एचओ/382/2001-02 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 4 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 31 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 18 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 33 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) पुरी ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 30 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएच/विज./39/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कामराज रूरल बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 24 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.एम.ओ./ओ.जेड./2001/182 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 24 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेक्ट. 136/2001 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) रेवा-सिधि ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 1 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 03/1859 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) वल्लालर ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 12 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 17 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 28 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या केकेजीबी/कार्मिक/2001-02/439 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) गोमती ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 16 मार्च, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर.सेक/पर्स/1716/02 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 4 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचओ/एसएफ मिस./122/2001-02 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) कावेरी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 15 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएओ/763/2001-2002 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 15 अप्रैल,

2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 75 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) फरीदकोट भटिण्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिण्डा (पंजाब) (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2002 जो 20 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आरआरबी/एसएस/स्टाफ/2002/136 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) इलाकाई देहाती बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 20 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएमएस में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) श्री गंगा नगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 जो 6 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या न्यू पर्स/281 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) हिन्डन ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 4 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 69 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 10 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या एचजीबी/1178/2002 में प्रकाशित हुआ था।

(सत्ताईस) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2000 जो 15 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 74 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 21 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या के.जी.बी.पी.डी./3406/02 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5873/2002]

(7) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ मैसूर और स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के वर्ष 2001-2002 में वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5874/2002]

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) देना बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छः) ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5875/2002]

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अंतर्गत रबड़ (संशोधन) नियम, 2001 जो 12 दिसम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 897(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5876/2002]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): महोदय, मैं बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) जो 6 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 9 नवम्बर,

2001 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842(अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5877/2002]

अपराह्न 12.06 बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): महोदय, मैं राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध के बारे में श्री रमेश चंद्र बेहेरा, महासचिव एनपीईयू, स्मेल्टर प्लांट, नाल्को, नाल्को नगर, जिला अंगुल (उड़ीसा) तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5878/2002]

[हिन्दी]

श्रीमती हेमा गमांग (कोरापुट): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री के.पी. सिंह देव जी द्वारा प्रस्तुत याचिका हेतु मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करती हूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): इसका एक भाग इनके निर्वाचन क्षेत्र में भी है।

अपराह्न 12.07 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 29 जुलाई, 2002 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

3. परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (क) शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक, 2002

   (ख) कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001

   (ग) जैव विविधता विधेयक, 2000

   (घ) इम्प्रीरियल लाइब्रेरी (अनुबन्ध विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2003

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (क) केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002

   (ख) गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002

7. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) निरसन विधेयक, 2002

   (ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002

   (ग) पैट्रोलियम (बरार विस्तार) निरसन विधेयक, 2002

   (घ) सामुद्रिक नौपरिवहन तथा स्थिर प्लेटफार्म (भारत की महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में) सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 2002

8. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:

(क) वर्ष 2002-2003 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

(ख) वर्ष 1999-2000 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)।

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन अपने विचार प्रकट करेंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, कृपया मुझे एक मिनट की अनुमति दीजिए। केन्द्रीय हॉल में राष्ट्रपति के विदाई भाषण के उपरांत हमने सोचा था कि सरकार अब कम से कम महिला आरक्षण विधेयक को अपने एजेंडा में स्थान देगी। इसे छोड़ दिया गया *...(व्यवधान)* यहां तक कि उन्होंने निवर्तमान माननीय राष्ट्रपति की सलाह पर भी विचार नहीं किया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, अगले सप्ताह के एजेंडा में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

(एक) केरल में नारियल के पेड़ बीमारी से ग्रस्त हैं। मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि नारियल संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन में, बीमारी ग्रस्त इन पेड़ों को काटना और हटाना शामिल किया जाए।

(दो) केरल को नदियों तथा संपर्क नहरों का उपहार मिला है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि क्विलोन-कोवलम नहर को चौड़ा करने का कार्य यथाशीघ्र किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

वाराणसी में गंगा नदी पर ब्रिटिश शासन काल में बना "मालवीय पुल" की समयावधि 1983 में ही समाप्त हो चुकी है। इस पुल की विशेषता यह है कि इस पर नीचे रेलवे का पुल है और ऊपर भूतल वाहन चलते हैं। यह पुल रेल तथा सड़क मार्ग से पूर्व भारत जिसमें बंगाल, असम तथा पूर्वी भारत के अनेक प्रदेश को जोड़ता है। पुल की स्थिति जर्जर होने के कारण सुरक्षात्मक दृष्टि से उपरिगामी भूतल मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे वाहनों को घूमकर करीब 20-25 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करके नगर में आना पड़ता है।

अस्तु भारत सरकार इसकी मरम्मत तत्काल कराये तथा इसी के साथ वैकल्पिक पुल का भी निर्माण तत्काल प्रारम्भ कर दे।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये:

1. उत्तर-दक्षिण कारीडोर श्रीनगर-कन्याकुमारी 4 लेन एक्सप्रेस हाइवे के झांसी-सागर हिस्से का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जाये।

2. कानपुर सागर-भोपाल-देवास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 को शीघ्र आवंटित कर इस मार्ग को शीघ्र बनाया जाये।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, अगले सप्ताह के एजेन्डे में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

1. सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, विशेषकर एच.एस.सी.एल. में, 34 माह से वेतन का भुगतान न किया जाना।

2. घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता और इस उद्देश्य के लिए 'भारतीय खरीदिए विधेयक' को लाना।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने की कृपा करें:

1. भारत के उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्रों में हर वर्ष दिमागी बुखार और इन्सैफैलाइटिस से होने वाली मौतों पर सदन में चर्चा।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी एवं निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चर्चा।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में रीवा संभाग विशेषकर सतना जिला में बढ़ती हुई डाकू समस्या पर केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को विशेष सशस्त्र बल तथा मोबाइल वाहन आदि प्रदान करने बाबत चर्चा।

[श्री रामानन्द सिंह]

मध्य प्रदेश के सतना जिला की खोह एवं हरदुआ कला की आदिवासी आवासीय शालाओं का केन्द्र द्वारा दो वर्ष से अनुदान रिलीज न करने से शिक्षिकाओं एवं बालिकाओं के समक्ष उत्पन्न संकट पर चर्चा।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये-

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अकाल की स्थिति से निपटने हेतु किसानों को निशुल्क ट्यूबवैल खनन कर तथा 10 पोल विद्युतीकरण कर, शासकीय भूमि खनन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये दिये जायें जिससे किसान रबी फसल ले सके।

2. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ को केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति दी जाये।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

1. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत रोपड़, हरिके एवं फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंध मंडल को देने का प्रावधान है लेकिन पिछले 35 वर्षों से तीनों हैडवर्क्स पर पंजाब कब्जा जमाये हुए हैं। अत: रोपड़, हरिके एवं फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंध मंडल को सुपुर्द करने की आवश्यकता।

2. अजमेर में स्थित रेलवे के सबसे बड़े और पुराने लोको एवं कैरीज कारखाने अजमेर की जीवन रेखा है। अत: इन कारखानों में नई भर्ती पर लगी रोक को हटाकर खाली पड़े रिक्त स्थानों को भरने और ब्रॉडगेज एवं मीटरगेज की आवश्यकताओं के अनुरूप यहां पर उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

1. 18 नवम्बर, 1997 को वजीराबाद पुल पर एक बस हादसा हुआ था जिसमें 28 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और 62 बच्चे घायल हो गए थे। उस समय इस पुल के साथ एक अतिरिक्त पुल बनाने का सुझाव दिया गया था जिसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसे शीघ्र शुरू किया जाए।

2. गीता कालोनी शमशान घाट से शांति वन तक एक पन्टून पुल बना हुआ है जो हर बरसात के मौसम में टूट जाता है और उसे दुबारा बनाने में लाखों रुपये व्यय होते हैं। यहां पर भी एक पुल बनाने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। इसे शीघ्र शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा आई.पी.सी.एल. इत्यादि में हाल ही के विनिवेश पर विनिवेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री किरीट सोमैया द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है *...(व्यवधान)* श्री किरीट सोमैया द्वारा यह महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए हम उनके आभारी हैं।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): धन्यवाद, महोदय।

श्री सोमनाथ चटर्जी: केवल एक नाम आया है। दूसरे मुद्दे की ही भांति हम सभी इस पर उचित चर्चा चाहते हैं। कृपया इसे '193' में बदल दीजिए। इस पर अगले बृहस्पतिवार को चर्चा होने दीजिए। मुझे पता चला है कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि योजना पर चर्चा करने के बारे में कुछ कठिनाई है। इसके बजाए हम 'विनिवेश' पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक मिनट के लिए मुझे सुनिए। श्री चटर्जी कार्यमंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक सप्ताह ध्यानाकर्षण के दो नोटिस लिए जाएंगे। इसलिए, मैं पहले ही इस एक नोटिस को स्वीकार कर चुका हूं।

मेरा अनुरोध केवल इतना है कि यदि मंत्री महोदय सहमत हों तथा कार्यमंत्रणा समिति समय दे तो विनिवेश पर सामान्य चर्चा हो सकती है। मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। किंतु इस बीच, चूंकि कार्य की सूची पहले ही तय है, मेरा अनुरोध है कि हम श्री किरीट सोमैया द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा करें। मैं उन्हें पहले ही यह बता चुका हूं कि हमने 10-15 मिनट का समय ही निर्धारित किया है। तब, यह प्रक्रिया ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भाग लेने वाले श्री रूपचंद पाल ने मुझे बताया कि पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने के लिए सहमति हो गई है। इसके एवज में, क्या इस मामले को उठाया जा सकता है? *...(व्यवधान)* हम इसके बदले में विनिवेश पर पूरी तरह से चर्चा कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने भी आपको लिखा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री भी इस सभा के सभी वर्गों का विचार जानना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: मेरी आपसे प्रार्थना है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूं। आपने एक कार्य किया है।

अध्यक्ष महोदय: आप कार्यवाही पर गौर करें। अगले सप्ताह क्या कार्यवाही होगी? इस मुद्दे पर चर्चा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में अथवा मेरे कक्ष में हो सकती है।

मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि मंत्री महोदय सहमत होते हैं तो मुझे यह चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा एकमात्र अनुरोध यह है कि मुझे दस-पन्द्रह मिनट में उस कार्यवाही को पूरा करने दीजिए जो अभी हमारे सामने है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, पहले शून्यकाल लिया जाए, यह बाद में होता रहेगा। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): शून्य काल पहले नहीं होता, कालिंग अटैंशन पहले होता है। जिस दिन आपका कालिंग अटैंशन होगा, उस दिन आप कहेंगे नियम बताएं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कैसे होगा, यह नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हाँ, इसे मैं पंद्रह मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: चलिए, पन्द्रह मिनट में क्या फर्क पड़ता है। *...(व्यवधान)* छोटी-छोटी बातों में नियम क्यों तोड़ते हैं। *...(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, हमने महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको समय दे दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कालिंग अटैंशन पहले होता है, आप तो जानते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, आपने उदारतापूर्वक इस बात पर गौर किया है कि हम लोग गुरुवार को इस मुद्दे पर पूरी चर्चा करवाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: जी।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): ध्यानाकर्षण सूचना हेतु आवंटित समय के दौरान सिर्फ पांच सदस्य बोल सकते हैं। परन्तु यहां सिर्फ एक सदस्य को सूचीबद्ध किया गया है *...(व्यवधान)*

मैंने भी एक सूचना दी है। आप मुझे भी एक या दो प्रश्न रखने की अनुमति दें।

श्री प्रमोद महाजन: अधिकतम पांच माननीय सदस्यों को एक ध्यानाकर्षण सूचना के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्यों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों का विनिवेश

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर विनिवेश मंत्री का ध्यान दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में वक्तव्य दें:

"आई पी सी एल, पारादीप फॉस्फेट और मारुति उद्योग लिमिटेड में हाल ही में किए गए विनिवेश और बी पी सी एल, एच पी सी एल आदि के प्रस्तावित विनिवेश और इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मुझे विश्वास है कि यह विवरण, जिसे मैं संलग्न कर रहा हूं। अनुबंध सहित वितरित किया गया है, परन्तु मैं आपकी अनुमति से सिर्फ दो-तीन मिनट में इसके मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करूंगा।

प्रश्न यह था कि पिछले कुछ महीनों में हमने कितने का विनिवेश किया है। हमने जनवरी की शुरुआत से विनिवेश के 17 सौदे पूरे किये हैं तथा इन सौदों के माध्यम से करीब 5,114 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप जानते हैं हमने मारुति में विनिवेश हेतु सुजुकी मोटर कंपनी के साथ एक समझौता किया है जिसे मैं विनिवेश के क्षेत्र में मील का पत्थर मानता हूं। इसके तहत, सुजुकी मोटर कम्पनी ने मारुति को अधिकार निर्गम के रूप में 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी है। इस शेयर की कीमत मात्र 269 रुपये, जिस पर पहले मारुति को शेयर हस्तांतरित किए जाते थे, की तुलना में 3,280 रुपये प्रति शेयर आंकी गयी है।

दूसरा, यद्यपि सरकार ने इसके पहले किसी भी सौदे में सुजुकी से कोई नियंत्रण प्रीमियम प्राप्त नहीं किया था, हमने सरकार के एक भी शेयर का त्याग किए बगैर सुजुकी मोटर कंपनी से 1000 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं। भविष्य में, सरकार अपने मौजूदा शेयरों को बेचेगी तथा यहां तक कि बाजार में शेयरों को बेचने के लिए हम सुजुकी मोटर कंपनी को सरकार के शेयर 2320 रु. प्रति शेयर की दर से खरीदने के लिए राजी करने में सफल रहे हैं।

तीसरा, वर्ष 1991 से 1997 के दौरान, बाजार में सरकार के शेयरों की बिक्री कम थी तथा इनमें से अधिकांश को वित्तीय कम्पनियों पर जबर्दस्ती लादा जाता था। उस अवधि के दौरान सरकार का कीमत-कमाई अनुपात 4.6 से 6 के बीच था। मुझे इस सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने तरीकों से 11 से 89 तक का उपार्जन अनुपात प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं।

चौथा, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि हमने अब तक लगभग 890 करोड़ रुपये मूल्य के सरकार द्वारा धारित मात्र 1.02 प्रतिशत इक्विटी का ही विनिवेश किया है तथा हमने इन सौदों से 11,335 करोड़ रुपये व उससे अधिक प्राप्त किए हैं। वर्तमान में विनिवेश के करीब 31 मामलों में कार्यवाही की जा रही है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय सदस्य ने एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के बारे में पूछा है। सरकार ने फरवरी 2002 में इन दो कंपनियों में भी विनिवेश करने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया था। विनिवेश की जाने वाली वास्तविक प्रतिशतता तय की जानी है और तत्पश्चात् हमें मंत्रिमंडल के पास पुन: जाना है। यह पैट्रोलियम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के बीच तय की जानी है।

मैंने लक्ष्य के संबंध में वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि वित्त मंत्री ने विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में मंत्रिमंडल और सभी मुख्य मंत्रियों द्वारा अनुमोदित दसवीं योजना के दृष्टिकोण पक्ष में दसवीं योजना के लिए संसाधन जुटाने हेतु इस वर्ष यह राशि 12,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष न रखकर 16,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रखी गयी है, क्योंकि उन्होंने पूरी योजनावधि के लिए यह राशि 80,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। सभी मुख्यमंत्रियों और केन्द्र सरकार ने इस राशि को अनुमोदित कर दिया है। मुझे पता चला है कि दसवीं योजना के लिए अंतिम रूप दिये जा रहे अंतिम अनुमान में वस्तुत: यह राशि 16,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से भी अधिक होगी।

अब प्रश्न यह है कि इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। हमने वित्त मंत्री के पास उनके विचारार्थ कुछ प्रस्ताव भेजे हैं तथा वे जिस क्षण इन मामलों पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं हम कार्य करना आरम्भ कर सकते हैं। यदि सभा चाहती है कि मैं ऐसा करूं तो मैं कुछ चरण बता सकता हूं, अन्यथा, जैसाकि सुझाव दिया गया था, हम गुरुवार को इन मामलों पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हमें इस पर गुरुवार को चर्चा करनी चाहिए।

श्री अरुण शौरी: इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण*

"आई पी सी एल, पारादीप फॉस्फेट और मारुति उद्योग लिमिटेड में हाल ही में किए गए विनिवेश और बी पी सी एल, एच पी सी एल आदि के प्रस्तावित विनिवेश और इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

जनवरी, 2002 में सरकार ने निम्नलिखित उद्यमों में विनिवेश कार्य पूरा कर लिया है:

क्र.सं.	उद्यम	विनिवेशित	प्राप्त की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम	33.58	1153.68
2.	वी एस एन एल	25	1439.25
3.	पी पी एल	74	151.70
4.	ए जैड एल	26	445
5.	आई पी सी एल	26	1490.84
6.	आई टी डी सी		
	(क) आगरा		3.61
	(ख) मामल्लापुरम		6.13
	(ग) मदुरै		4.97
	(घ) कुतुब		34.46
	(ङ) लोधी		71.93
	(च) लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर		6.77
	(छ) मनाली		3.65
	(ज) कोवलम		40.39
	(झ) एयरपोर्ट कोलकाला		19.39
	उपयोग		191.30
7.	एच सी आई		
	(क) जुहू मुम्बई		153
	(ख) राजगीर		6.51
	(ग) एयरपोर्ट मुम्बई		83
	उप-योग		242.51
	कुल योग		5114.28

*सभा-पटल पर रखा गया।

2. इसके अलावा, मारुति उद्योग लि. में 400 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यु को पूरा किया गया जो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन द्वारा पूर्ण रूप से अभिदत्त थी। सुजुकी, 3280 रुपए प्रति शेयर की दर पर सुजुकी के पक्ष में सरकार द्वारा परित्यक्त राइट्स शेयर सहित, राइट्स इश्यु का अंशदान करती है। इसके अलावा सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने नियंत्रण प्रीमियम के रूप में सरकार को 1000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। दूसरे चरण में सरकार मारुति उद्योग लि. में अपने मौजूदा शेयरों को बेचेगी जिसके लिए सुजुकी 2300 रुपये प्रति शेयर की दर से लगभग 36 लाख शेयरों की पहली खेप को खरीदने तथा सरकार को "विक्रय विकल्प" की सुविधा प्रदान करने पर भी सहमत हो गई है।

3. 1991-97 के दौरान भारतीय तेल निगम तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, गेल, विदेशी संचार निगम जैसी प्रतिष्ठित निवेश कंपनियों के अधिकांश शेयरों की बाजार बिक्री ने 4.4 से 6 का मूल्य/अर्जन अनुपात प्राप्त किया—यह ऐसे समय में हुआ जब ये कंपनियां अपने क्षेत्र में एकाधिकार की कंपनियां थी। अनुकूल साझीदारों को विनिवेश के माध्यम से सरकार को 11 से 89 तक का मूल्य/अर्जन अनुपात प्राप्त हुआ है।

4. 885 करोड़ रुपये मूल्य के सरकार द्वारा धारित मात्र 1.2 प्रतिशत की बिक्री से सरकार को 11,335 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

5. इस समय विनिवेश मंत्रालय, विनिवेश के 31 मामलों में कार्रवाई कर रहा है। उद्यमों के नाम अनुबंध I में दिए गए हैं।

6. एच पी सी एल और बी पी सी एल पर सरकार ने फरवरी, 2002 में एच पी सी एल और बी पी सी एल में विनिवेश करने का सिद्धांत रूप में निर्णय लिया। विनिवेशित की जाने वाली ठीक-ठीक प्रतिशतता तथा कुछ अन्य मसले विनिवेश मंत्रालय, तेल तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच तय किये जाने थे।

[श्री अरुण शौरी]

7. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के बजट में, विनिवेश के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये तथा सरकार और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित दसवीं योजना के नीतिगत दस्तावेज में हर वर्ष लगभग 16,000 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार किया गया है। इस स्रोत से अपेक्षित संसाधनों का अंतिम अनुमान और अधिक होने की संभावना है।

8. इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, विनिवेश मंत्रालय ने, सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत विनिवेश मामलों को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। इसको अनुमोदन के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. यहां तक कि प्रारंभिक चरण में भी अनुकूल विनिवेश के लाभ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मॉडर्न फूड्स की बिक्री लगभग दुगुनी हो गई है। पारादीप फॉस्फेट्स का उत्पादन तीन गुणा बताया गया है।

10. मॉडर्न फूड्स के कर्मचारियों की आमदनी में 1600 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। पारादीप फॉस्फेट्स के कामगारों की आय में औसतन 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बाल्को के नए प्रबंधन ने यूनियनों के साथ एक नया वेतन करार सम्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के मूल वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

11. नए प्रबंधन ने बाल्को के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपये की लागत की एक विस्तार योजना की घोषणा की है। आई पी सी एल के नए प्रबंधन ने लगभग 1000 करोड़ की लागत के एक विस्तार की योजना बनाई है।

अनुबंध

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनमें विनिवेश का निर्णय ले लिया गया है और विनिवेश प्रक्रिया चल रही है

1. एयर इंडिया लि.*
2. बामर लॉरी एण्ड कंपनी लि.
3. भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि.
4. भारत पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.
5. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी
6. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी
7. इंजीनियर्स इंडिया लि.
8. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.
9. हिन्दुस्तान केबल्स लि.
10. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.
11. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.
12. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.
13. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.
14. इंडियन एयरलाइंस लि.*
15. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
16. मेकॉन लि.
17. भारत खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.
18. राष्ट्रीय उर्वरक लि.
19. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
20. नेशनल इंस्ट्रूमैन्ट्स लि.
21. शिपिंग कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.
22. स्पांज आयरन इंडिया लि.
23. भारत राज्य व्यापार निगम लि.
24. तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि.
25. टायर कॉर्पो. आफ इंडिया लि.
26. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि.
27. नेपा. लि.
28. इंस्ट्रूमैंटेश कंट्रोल वाल्वस लि.
29. भारत पर्यटन विकास निगम (शेष होटल)
30. होटल कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि. (शेष होटल)
31. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5879/2002]

*पूर्व की बिक्री की प्रतिक्रिया न मिलने के बाद प्रक्रिया फिर से आरंभ नहीं की गई है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मुझे जरा प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अभिनन्दन कैसे करना है। मैं डिसइन्वैस्टमेंट मिनिस्टर का अभिनन्दन करना चाहता हूं और साथ में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे प्रोसीजर मालूम है, जब इस विषय पर चर्चा होगी, तब अभिनन्दन करना।

...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मुझे यह प्रोसीजर समझ में नहीं आता, डिसइन्वैस्टमेंट मिनिस्टर का तो हम डायरैक्ट अभिनन्दन कर सकते हैं। लेकिन मारुति उद्योग के बारे में जो इन्होंने बताया, जो जवाब दिया और जो जानकारी मेरे पास है, तो मैं हैवी इंस्ट्रीज मिनिस्टर का अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी मेरे सहयोगी बाला साहेब विखे पाटील जी हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, उनका नहीं, जिनके समय में यह कार्य हुआ, उन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब का अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे प्रोसिजर समझ में नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय: इस काम के लिए आप जितना चाहें, उतना समय ले सकते हैं।

श्री किरीट सोमैया: अभी मंत्री जी ने मारुति उद्योग के बारे में जानकारी दी, लेकिन मेरे पास यह जानकारी है कि अभी मारुति उद्योग में सरकार ने जो एक हजार करोड़ रुपया कंट्रोल प्रीमियम प्राप्त किया, जो भूतकाल में मारुति उद्योग के शेयर सरकार ने बेचे थे,

[अनुवाद]

मेरी जानकारी के अनुसार 1994 में इसे 269 रु. प्रति शेयर की दर से बेचा गया था। यह क्यों हुआ? यह कैसे घटित हुआ? सरकार का कितना घाटा हुआ है? उस समय भारी उद्योग मंत्रालय तथा विनिवेश विभाग 1,000 करोड़ रुपये का नियंत्रण प्रीमियम कैसे प्राप्त कर सके?

[हिन्दी]

मैं आपके द्वारा एक और अभिनंदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं स्माल इंवैस्टर्स के लिए खासतौर पर इस मंत्रालय में भी 20 प्रतिशत का खुला प्रस्ताव है। पहले की सभी सरकारें आईं और गईं, किसी भी सरकार ने 20 प्रतिशत ओपन आफर का क्लाज मान्य नहीं किया था। मैं आपके सामने दो आंकड़े रखना चाहता हूं। आई.बी.पी. का विनिवेश हुआ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यह चुगली प्रस्ताव है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है। यह क्या हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: मैं कहना चाहूंगी आई.बी.पी. में जो उसके स्माल इंवैस्टर्स का 20 प्रतिशत शेयर होल्डिंग था, वह 70 करोड़ रुपए की वैल्यू का था। महोदय, आपको पता है कि हमने कितना प्राप्त किया। इस महत्वपूर्ण बिक्री से 770 करोड़ रुपये मिले। आई.बी.पी.सी.एल. में 20 प्रतिशत आफर जो स्माल इंवैस्टर्स ने किया, उनकी वैल्यू 200 करोड़ रुपए थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि छोटे निवेशक को इतना अधिक लाभ हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, वह केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वह भाषण दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: जैसे स्माल इंवैस्टर्स का 200 करोड़ रुपए से 1200 करोड़ रुपये हो गया, 70 करोड़ रुपए से 770 करोड़ रुपए का फायदा हआ और अभी जो फायदा मिलेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री किरीट सोमैया, आप मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

मैंने उनको कहा है कि वह स्पष्टीकरण मांगें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाल): गरीब की बात होनी चाहिए, दबे हुए लोगों की समस्या की बात होनी चाहिए। यहां पर सरकार की प्रशंसा नहीं होगी ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विनिवेश से जो पैसा मिला है, क्या उसको हैल्थ में, स्कूल बनाने

[श्री किरीट सोमैया

में या अन्य पब्लिक एमिनिटीज में लगाएंगे? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जो स्ट्रेटेजिक सेल की बात हुई, सरकार सीधे डिसइंवैस्टमेंट करने की बजाय पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइजेज की जो 75,000 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है, उसमें सरकार स्ट्रेटेजिक सेल करेगी, उसमें कितना इंवैस्टमेंट हुआ था और स्ट्रेटेजिक सेल करने के लिए क्या कदम उठाएगी? विनिवेश मंत्रालय ने बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. के बारे में बताया, जैसे आई.बी.पी. का 140 करोड़ रुपये के बदले 1500 करोड़ रुपया हुआ और आई.बी.पी.एल. को 40 करोड़ रुपये के बदले 140 करोड़ रुपया मिला ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह कालिंग एटेंशन फिक्सिंग हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। माननीय संसद सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है। इसलिए मैं पहले ही उनसे यह अनुरोध कर चुका हूं कि वे और बातों में जाने की अपेक्षा उनके वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि जिन मामलों का स्पष्टीकरण देना है उन्हें वे स्पष्ट करें। मैं सदन को इस मुद्दे पर सूचित कर दूं कि उन्होंने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या विनिवेश से प्राप्त धनराशि का उपयोग लोगों को सुविधायें प्रदान करने में किया जायेगा। उन्होंने यह प्रश्न पूछा है? मंत्री जी को इसका स्पष्टीकरण देने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष जी, मेरे तीन स्पष्टीकरण हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं हो सकता जिसमें मंत्री द्वारा किए गए कार्य का उनके द्वारा केवल स्पष्टीकरण दिया जाए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): जब अपोजीशन के लोग बोलते हैं तो 15-20 मिनट बोलते हैं, तब उन्हें बोलने की अनुमति दे दी जाती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

इन्हें 20 से 25 मिनट तक बोलने दिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें स्पष्टीकरण मांगने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): मेरा पहला स्पष्टीकरण है कि क्या यह डिसइंवेस्टमेंट समाज कल्याण के काम में होगा? दूसरा प्रश्न है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल या आईपीसीएल में सरकार को स्ट्रैटेजिक प्राइस मिली तो वह उस समय 200 रुपये में पब्लिक इश्यू करना चाहती थी। क्या यह सरकार का नुकसान नहीं होगा? इस संबंध में सरकार क्या करेगी? मेरा तीसरा स्पष्टीकरण है कि जो माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि 12000 करोड़ रुपये रेज करना है और केवल 5000 करोड़ रुपया आया है तो बाकी पैसा वह किस प्रकार लाएंगे और वह टार्गेट पूरा करने के लिए वह क्या-क्या कदम उठाएंगे? ...*(व्यवधान)* इसी के साथ-साथ अंत में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहले तो यह डिसइंवेस्टमेंट म्युचुअल फंड के द्वारा हो रहा था और म्युचुअल फंड के गल्ले से पैसा मारकर स्मॉल इंवेस्टर्स का नुकसान हो रहा था तो क्या यह सरकार वही नीति कंटीन्यू करेगी और म्युचुअल फंड इंडायरेक्ट इस प्रकार का करने के बजाय क्या कोई स्ट्रैटेजी तय करेगी? इस विषय में मैं जानना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय पांच मिनट में उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर आप पांच मिनट बोलने के लिए उनको को-आपरेट करेंगे तो पांच मिनट में जवाब होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): यह सब फिक्सिंग है, हमें पता है।

श्री अरुण शौरी: आप पूछ लीजिए, मैं आपका जवाब दे दूंगा। ...*(व्यवधान)* पहले इन्होंने कहा है कि प्रोसीड्स के बारे में क्या किया जाएगा? इसी हाउस में जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि इस साल के बजट में जो 12000 करोड़ रुपये का एस्टीमेट रखा है, उसमें से पहले 7000 करोड़ रुपये जो डिसइंवेस्टमेंट से आएंगे, वे तीन चीजों के लिए यूज होंगे। पहले री-स्ट्रक्चरिंग पीएसयूज हेतु, सेफ्टी नैट फॉर वर्कर्स और तीसरे रिडक्शन ऑफ डैब्ट बर्डन के लिए है। उसके बाद जो 5000 करोड़ रुपये आयेंगे, उन्होंने कहा था कि वह सारे 5000 करोड़ रुपये एडीशनल बजटरी सपोर्ट प्लान के लिए दिये जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह प्राथमिक रूप से सामाजिक और अवसंरचना क्षेत्र के लिए है ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य: आप यह कैसे कह सकते हैं? सामाजिक क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मुझे उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: क्या किसी माननीय सदस्य को जवाब सुनने का अधिकार नहीं है? जब फुल-फ्लैज्ड डिसकशन होता है तो

[अनुवाद]

आप आपत्ति कर सकते हैं व स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आप मंत्री जी को मुझे उत्तर क्यों नहीं देने दे रहे हैं? क्या यह मेरा अधिकार नहीं है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसमें पौंछा लगाने का काम कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: क्या बात करते हैं? ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: एकदम सही बात कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। वे कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं? उन्हें खेद प्रकट करना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देखिए, इस प्रश्न का उत्तर पांच मिनट में पूरा हो सकता है, यदि आप जीरो आवर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स रेज करना चाहते हैं। मैंने मंत्री जी को इजाजत दी है और उनका उत्तर पांच मिनट में पूरा हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं इस बारे में भी कहूंगा कि मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि अनपार्लियामेंट्री शब्द होंगे, तो मैं निकाल दूंगा। मैंने आप भी से प्रार्थना की है कि उत्तर पूरा हो जाने दीजिए।

[अनुवाद]

मैं सदन की कार्यवाही संबंधित प्रक्रिया और अधिकांश माननीय संसद सदस्यों की सुविधानुसार चलाना चाहता हूं। अत: कृपया सहयोग करें। उन्हें पांच मिनट में उत्तर देने दें। उसके बाद हम 'शून्य काल' शुरू कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं बार-बार आपसे विनती कर रहा हूं। अगर आप नहीं सुनेंगे, तो इसमें नुकसान आप लोगों का होगा और हमारी गरिमा भी नहीं बढ़ेगी।

श्री अरुण शौरी: जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दिया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, प्रायोजित प्रश्न पूछने की यह नई परम्परा शुरू हो रही है। यह हमारी संसदीय परम्परा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसको हतोत्साहित करना चाहिए और आपकी तरफ से दिशा-निर्देश जारी होना चाहिए। ऐसी परम्परा पर प्रतिबंध लगाया जाए। यह सब मिलीभगत के साथ हो रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मुझे इस पर घोर आपत्ति है। वे मेरे कथन पर आपत्ति कैसे कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यदि इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो, तो उत्तर मुझसे मिलेगा, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है, प्रश्न पूछने का। आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा, लेकिन यह बार-बार प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। यहां जो कुछ हो रहा है, नियम के अुसार हो रहा है। उन्होंने भाषण करते हुए, मंत्री जी का अभिनन्दन किया, तो अभिनन्दन करना तो उनका अधिकार है। इसके लिए हम आब्जैक्शन कैसे कर सकते हैं। कोई नियम एक संसद सदस्य को एक मंत्री को बधाई देने से नहीं रोकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अभिनन्दन करना उनका हक है, तो अभिनन्दन का अर्थ निकालना हमारा राइट है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जो कुछ सदन में हो रहा है वह बहुत अनुचित और घृणात्मक है।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, एक बार पुन: मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। माननीय संसद सदस्य हमारी भावना पर संदेह कर रहे है। क्या एक संसद सदस्य का अपने मतदाताओं, समान और देश के प्रति कोई कर्त्तव्य नहीं है? वे आपत्ति कैसे कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: महोदय, वास्तव में श्री प्रियरंजन दासमुंशी और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया के उपयोग के संबंध में वाद-विवाद के दौरान कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। महोदय, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं क्योंकि आपने पूछे गए तीनों प्रश्नों में से उसे इंगित किया है। यह एक विशेष प्रश्न है क्योंकि स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे दोहराया जाना एक विशेष बात है। मैंने उन शीर्षों की सूची बना ली है जिन्हें माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में रखा था और जिन्हें इसी सदन ने पारित किया था।

यहां दूसरा प्रश्न अल्पसंख्यक शेयरों के टुकड़ों-टुकड़ों में विनिवेश से संबंधित है। यह सत्य है, जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी है कि हमारे विश्लेषण में यह प्रदर्शित भी होता है। विनिवेश आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है या और उसने सरकार को इसके बारे में बताया था। विनिवेश आयोग का गठन इस सरकार के सत्ता में आने से पूर्व किया गया था। सिफारिश यह थी: "टुकड़ों-टुकड़ों में विनिवेश न करें, महत्वपूर्ण बिक्री जारी रखें।" हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।

जहां तक पेट्रोलियम कंपनियों का संबंध है माननीय संसद सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि अल्पसंख्यक शेयरों का विनिवेश किया जाता है तो उस मामले में भी सरकार को हानि उठानी पड़ेगी। मैं सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना दे दूंगा। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.39 बजे

श्रीमती फूलन देवी, भूतपूर्व संसद सदस्य की हत्या की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड में डोमेसाइल के संबंध में उठाया गया कदम असंवैधानिक है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पहले आपका नाम एनाउन्स तो करने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं जो पहला विषय उठाना चाहूंगा उस पर श्री रामदास आठवले बोलेंगे। वह हमेशा अंत में बोलते हैं परंतु आज उन्हें सबसे पहले बोलना है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): मैं प्रतिदिन अंत में बोलता हूं परंतु आज मैं सर्वप्रथम बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, फूलन देवी इस सदन की दो बार सदस्या थीं। 25 जुलाई, 2001 को अशोक रोड पर उनका मर्डर हुआ था।

अपने देश और संसद के लिए यह बहुत गम्भीर बात है। एक साल बाद कुछ लोग अरैस्ट किए गए हैं लेकिन इसके पीछे क्या राज था क्योंकि इसके पीछे कई सूत्रधार थे। क्या इंटैंशन थी? श्रीमती फूलन देवी के चरित्र पर अलग-अलग आरोप जरूर थे लेकिन एक महिला की इज्जत पर हाथ लगाने के बाद उन्होंने जो क्रांति की, वह हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने अपना पूरा जीवन चरित्र बदला और समाजवादी पार्टी की संसद सदस्य बनीं। उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की विचारधारा को अपनाया। जीवन में इतना परिवर्तन करने के बाद उनकी हत्या हुई जो अच्छी बात नहीं है। मेरा सरकार से

सवाल है कि अभी तक इसकी जांच ठीक से क्यों नहीं हुई है? हमारी मांग है कि इस प्रकरण की सीबीआई द्वारा जांच करानी चाहिए और पूरी रिपोर्ट लाने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय इस बारे में अवश्य विचार करे। यहां गृह राज्य मंत्री बैठे हैं। वह इसका जवाब दें।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैंने इसे नोट कर लिया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रमोद जी, प्रश्न यह है कि श्रीमती फूलन देवी की हत्या को एक साल हो गया है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार था, इसकी जल्दी सीबीआई से जांच करवायी जाए, यह मांग माननीय सदस्य ने की है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को इन भावनाओं से व्यक्तिगत रूप से अवगत करा दूंगा *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.44 बजे

अधिवास नीति पर झारखंड में आन्दोलन के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

[हिन्दी]

वैसे यह एडजर्नमैंट मोशन है लेकिन जीरो आवर में इसे उठाने के लिए एलाऊ कर रहा हूं। इसके अलावा श्री प्रभुनाथ सिंह और श्री बसुदेव आचार्य जी का एक ही विषय पर है।

[अनुवाद]

एक संसद सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। अत: उन्हें वरीयता मिलेगी। उसके बाद मैं दोनों संसद सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हमने एक सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको एक अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, नए राज्य झारखंड में वहां की सरकार ने एक नई डोमिसाइल नीति अख्तियार की जो असंवैधानिक है, अवैध है। इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। वहां हथियार-बंद प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें पांच लोग मारे गए और दो स्थानों पर कर्फ्यू लगा है। इतना लड़ाई होने के बाद फिर झारखंड का बंटवारा हो जाएगा, वहां ऐसा सवाल उत्पन्न हो गया है। वहां संविधान की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं और असंवैधानिक कार्रवाई हो रही है। केन्द्र सरकार उसे देखने और दिशा-निर्देश देने में अभी तक विफल रही है। किसी राज्य में इस तरह के उत्पात, आगजनी और मारकाट हो और केन्द्र सरकार चुपचाप बैठी रहे, यह ठीक नहीं है। केन्द्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह देखे कि देश के हर राज्य में अमन-चैन रहे और कोई भी राज्य ऐसा काम न करे जो असंवैधानिक हो और जिससे वहां के लोगों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण हो। इसी तरह एक बार 1950 के दशक में कर्नाटक में हुआ था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने डोमिसाइल की गलत नीति को खारिज कर दिया। वहां पर मारकाट को बंद किया जाए। दो करोड़ 70 लाख की आबादी और जिस में एक करोड़ लोगों को कहा जा रहा है कि 1932 के बाद के लोंगों को वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी जो अवैध हैं। इससे वहां बड़ा भारी कोलाहल और हाहाकार मचा है। संविधान की धारा 19 के अंतर्गत बिना हथियार जुटने और प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन वहां के लोग हथियार लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। वहां नंगा नाच हो रहा है। इसे रोकने में प्रशासन विफल है। मेरा आग्रह है कि वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए क्योंकि वह इसे रोकने में विफल रहे हैं। वहां अमन-चैन कायम रहे, संवैधानिक स्थिति बनी रहे, और देश के टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति पैदा न हो। नेशनल इंटिग्रेशन को देखने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। केन्द्र सरकार अभी तक इसके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। मैं इस बारे में सरकार से तुरन्त वक्तव्य देने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद सिंह जी, वक्तव्य की मांग करना उचित है लेकिन मैंने आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है जो झारखंड में पिछले 7 दिन से चल रहा है। कर्फ्यू आज भी वहां जारी है। रोज झारखंड बंद हो रहा है। मंत्रियों और ट्रेनों पर हमले हो रहे हैं। कम से कम 12 आदमियों की मौत हो गई है। यह इतना गंभीर मामला है। डौमिसाइल पॉलिसी को लेकर यह मामला बना है कि 1932 के बाद झारखंड में जो लोग आये हैं, उन्हें ग्रुप 'बी' और 'सी' में नौकरी का अधिकार नहीं रहेगा। क्या यह संवैधानिक है? क्या वहां की सरकार ऐसा कर सकती है? वहां पर सब्सटेंशियल परसेंटेज आफ बंगाली पापुलेशन है। बंगला मीडियम स्कूल्स बंद हो रहे हैं, किताबें नहीं मिल रही हैं। वहां लिंग्वैस्टिक माइनौरिटीज पर इस तरह से आक्रमण हो रहा है। उड़िया और बंगाली पर हो रहा है।

[अनुवाद]

उड़िया माध्यम से विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। बंगाली माध्यम से विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। बंगाली पुस्तकों की आपूर्ति नहीं हो रही है *...(व्यवधान)*

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): तेलगु माध्यम के विद्यालयों का क्या हाल है।

श्री बसुदेव आचार्य: वहां तेलगु माध्यम का कोई विद्यालय नहीं है, वहां केवल उड़िया और बंगाली माध्यम के विद्यालय हैं। तेलुगु, तमिल और अन्य विद्यालय केवल हमारे राज्य में हैं- कोलकाता, खडगपुर, आद्रा और मेरे क्षेत्र में हैं। डा. सेनगुप्ता यह जानते हैं। बंगाल बहुत उदार है।

[हिन्दी]

इसलिए हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): ध्यान तो दिया है लेकिन क्या किया है?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: परसों मुख्यमंत्री वहां थे। हम नहीं जानते कि केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने, इस परिस्थिति को सुलझाने हेतु क्या परामर्श दिया। झारखंड जल रहा है। सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रेलों पर हमला किया जा रहा है। पहला मुद्दा रेलवे जोनों के पुनर्गठन का है जिसने बंगाल और बिहार को विभाजित किया है और दूसरा मुद्दा यह है जिसने झारखंड के लोगों को विभाजित किया है *...(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): महोदय, हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: वे लोगों में 1932 से पहले राज्य में रह रहे और 1932 के बाद राज्य में आए लोगों में विभेद कर रहे हैं। केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह समस्या हल हो सके।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा और श्री बसुदेव आचार्य जी ने शून्यकाल में झारखंड में निर्मित हुई चिन्ताजनक स्थिति के बारे में विषय उठाया है। झारखंड सरकार की ओर से डौमिसाइल पॉलिसी घोषित हुई है। इस नीति के विरोध में और कहीं-कहीं इस नीति के पक्ष में आन्दोलन हो रहे हैं जिसके कारण वहां हिंसा बढ़ रही है। निश्चित रूप से स्थिति चिन्ताजनक है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं। इसलिए सोमवार या मंगलवार तक राज्य सरकार से सम्पर्क और जानकारी होने के पश्चात् माननीय गृह मंत्री जी इस विषय पर सदन में वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 12.49 बजे

गुजरात की स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजी लाल सुमन और श्री प्रियरंजन दासमुंशी दोनों ने ही एक ही मुद्दे, अर्थात् 23.7.2002 को नियम 193 के अधीन गुजरात के बारे में चर्चा पर उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के उत्तर पर आगे स्पष्टीकरण के संबंध में सूचना दी है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने भी आपको लिखा है।

अध्यक्ष महोदय: आपने पत्र लिखा होगा, परन्तु आपका नाम सूची में नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, आपने इस मुद्दे को 'शून्य काल' के दौरान पुनः उठाने की अनुमति प्रदान की है अतः, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने गुजरात के मुद्दे पर

अल्पावधि चर्चा करने की अनुमति प्रदान की है। अत: हम आपके अत्यंत आभारी हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

सरकार की किसी भी कार्यवाही के लिए उसे सभा को संतुष्ट करने हेतु सभा में स्पष्टीकरण देना होता है। महोदय, किसी भी अल्पावधि चर्चा में आप पिछली परम्पराओं अथवा किसी ठोस प्रस्ताव, प्रश्न जो सदस्यों द्वारा किये जाते हैं को भी देख सकते हैं। यह अलग बात है कि सदस्य सरकार के उत्तर से सहमत न हों, परन्तु प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए और सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस अल्पावधि चर्चा में, कई वरिष्ठ नेताओं जैसे श्री बसुदेव आचार्य, जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री कमल नाथ, श्री रामजीलाल सुमन, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री जी.एम. बनातवाला, श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा, मैंने खुद और कुछ अन्यों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। यदि प्रश्नों का उत्तर दिया गया होता और हम उससे सहमत नहीं होते तो यह अलग बात होती, परन्तु प्रश्नों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया अथवा उत्तर भी नहीं दिया गया। ये मुद्दे निम्न प्रकार हैं:

(1) यदि इन परिस्थितियों में गुजरात राज्य में लोगों में एकता और सद्भाव बनाए रखने में राज्य के चुनाव से पहले ही कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो इसके लिए कार्यवाहक सरकार किसके प्रति जवाबदेह होगी?

(2) साबरमती एक्सप्रेस नरसंहार के सभी 60 पीड़ितों की सूची से सभा को अवगत कराया जाये और इसे सभापटल पर रखा जाना चाहिए।

(3) फारेंसिक रिपोर्ट को सभापटल पर रखना।

(4) शिविर में रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या और गुजरात के विभिन्न भागों से गायब लोगों की संख्या।

(5) प्रधानमंत्री पैकेज की कुल राशि जो व्यय की गई और किस में।

(6) गुजरात के दंगों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

(7) ऐसे पीड़ितों जिनके पास बैंक खाते भी नहीं हैं, को 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आदि के चेक जारी किये जाने के क्या कारण हैं?

(8) महिलाओं पर हमला करने वाले व्यक्तियों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करवाने के लिए आतंकित क्यों किया गया और पुलिस ने शिविर में महिलाओं द्वारा दोषी व्यक्तियों की सार्वजनिक रूप से पहचान करने पर बल क्यों दिया?

(9) शिविर से अपने घर लौटते समय कितने लोग मारे गए अथवा हताहत हुए।

(10) विहिप और आर.एस.एस. के कार्यकलापों के समर्थन हेतु अमरीका से आईडीआरएफ निधि क्यों भेजी गई जैसाकि 22.7.2002 के आउटलुक में प्रकाशित हुआ है?

(11) यह अच्छी तरह जानते हुए कि अनुच्छेद 355 लागू है, राज्यपाल ने राज्य की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को नहीं भेजा और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में उसी व्यक्ति को कार्य करने दिया जिसकी सरकार के खिलाफ अनुच्छेद 355 लाया गया था।

(12) गायब व्यक्तियों की पहचान और उनकी वास्तविक स्थिति का पता कैसे चल पाएगा?

(13) यह कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि लोगों को उनके पहचान-पत्र मिले और ऐसे लोगों को राशन कार्ड कैसे मिल पाएगा जिनके राशन कार्ड खो गए हैं, जो अपने घरों को वापस नहीं जा सके हैं और इनके नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल हो पाएगा?

(14) क्या यह मंत्री के अनुसार वहां सामान्य स्थिति बहाल हो गई है और चुनाव के लिए अनुकूल माहौल है?

(15) क्षतिग्रस्त किए गए 256 दरगाह, 18 मस्जिद, 16 मन्दिर और तीन चर्च की अब तक मरम्मत क्यों नहीं की गई और इन्हें बहाल क्यों नहीं किया गया।

ये प्रश्न हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि माननीय गृह मंत्री ने केवल एक मुद्दे का ही संदर्भ दिया है कि वह मतदाता सूची में लोगों के नाम के पंजीकरण के संबंध में सहयोग अथवा कोशिश करेंगे।

मैंने विगत में सभी चर्चाओं में श्री आडवाणी का भाषण सुना है। वे प्रश्नों के उत्तर बड़ी निष्ठापूर्वक देते हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं। यह तो अलग बात है। सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं। यदि आप कार्यवाही पर गौर करेंगे तो यह पाएंगे कि ज्योंही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया और त्योंही सभा भी स्थगित हुई। उन्होंने इनमें से किसी भी प्रश्न के बारे में कुछ भी

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

नहीं कहा। हमने ये प्रश्न उठाए हैं और हम सरकार की स्थिति के बारे में जानना चाहते थे, परन्तु मंत्री जी चले गए।

महोदय, वह हमारे उपप्रधानमंत्री भी हैं। कुछ कहते हैं कि वे वस्तुतः प्रधानमंत्री ही हैं। यह अलग बात है। वे कम से कम प्रश्नों का उत्तर तो दे सकते हैं। एक व्यापक प्रस्ताव पर लोक सभा में इन प्रश्नों का उत्तर मिले बिना अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत उनकी जवाबदेही कहां पूरी होती है, विपक्ष चुप कैसे बैठ सकता है? अतः, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इन बातों से उप प्रधानमंत्री को अवगत कराये। मैं जानता हूं कि वे व्यस्त हैं और उनके कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं। वे स्वयं समय निकालकर इस सभा में आकर हमें इन प्रश्नों का उत्तर और स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यदि वे यहां आकर उत्तर देंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम यह मानते हैं कि हम उनकी बात से असहमत हो सकते हैं परन्तु यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा और इस सभा के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जाएगा, यदि विपक्ष के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाएगा और यदि वस्तुतः प्रधानमंत्री अथवा उप प्रधानमंत्री द्वारा संसद की पवित्रता के मामले में इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा तो हमें सरकार के साथ सहयोग करने में बहुत कठिनाई होगी।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह अत्यधिक गंभीर मामला है। अभी दो दिन पहले गुजरात पर जो चर्चा हुई तो लगातार पुरानी बातों की पुनरावृत्ति भारत के उप-प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी करते रहे, जिसकी वजह से प्रति पक्ष द्वारा सबसे अधिक शोर मचाता जाता रहा। गोधरा में साबरमती एक्सप्रैस में जो हादसा हुआ, हम जानना चाहते हैं कि जो लोग सफर कर रहे थे, उनके नामों की सूची क्यों प्रकाशित नहीं की गई? किनके नाम से आरक्षण था वह इन लोगों ने नहीं बताया। हम यह भी जानना चाहते हैं कि ऐमनैस्टी इंटरनेशनल के जो लोग गुजरात में आने वाले थे, उनको भारत सरकार ने आने से क्यों रोक दिया। उसका क्या कारण है? इन लोगों के मुताबिक *...(व्यवधान)* निश्चित रूप से एम.एल.ए. और एम.पीज. के नाम से आरक्षण रहा होगा और सफर दूसरे लोग कर रहे होंगे। *...(व्यवधान)* 50-100 रुपये के चैक रिलीफ के नाम पर दिए गए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) एक-एक लाख रुपया दिया गया है. यह रेकार्ड पर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री जाधव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: कहां दिया गया है? बीजेपी के एम.एल.ए. के नाम पर लोग सफर कर रहे थे। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, जान-बूझकर एम.एल.एज. के नाम पर उन लोगों को अयोध्या भेजा जा रहा था इसी वजह से लोगों के नाम नहीं देना चाहते। यह गंभीर सवाल है। जो भी दरगाहें और मस्जिदें ध्वस्त की गईं, उनको ठीक करने का कोई बंदोबस्त नहीं है। *...(व्यवधान)* 150 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसका क्या हुआ? कहां वह खर्च हो रहा है? जो लोग घरों से वापस जा रहे हैं, उनको मारने का काम निरंतर हो रहा है, दहशत पैदा करने का काम निरंतर हो रहा है। जो लोग गुम हो गए उनकी कोई सूचना नहीं है। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा सहयोग करना चाहता हूं। जब किसी सवाल पर सरकार कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दे, सरकार जान-बूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश करती है तो अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। हम चाहते हैं कि जो सवाल हमने उठाए, गृह मंत्री जी उनका जवाब दें, यही हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने भी आपको पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आज की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध सूचनाओं पर विचार किया। उनमें केवल दो सूचनाएं थीं—एक सूचना श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने दी थी और दूसरी सूचना श्री रामजीलाल सुमन ने दी थी।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: हमने आपको चिट्ठी लिखी है।

अध्यक्ष महोदय: चिट्ठी लिखी है मगर इसके बाद नोटिस नहीं आया है।

श्री बसुदेव आचार्य: चिट्ठी लिखी है कि मामला उठाना चाहता हूं, यह बात लिखी है।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर): ये क्या रोज हाउस में गुजरात का ही मामला उठता रहेगा? *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अगर गुजरात में ऐसी हालत रहेगी तो रोज यह सवाल उठेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): क्या मैं एक मिनट का समय ले सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी की बात सुनना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास, आप सोमनाथ चटर्जी को बोलने देना नहीं चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप प्लीज बैठिये। मैंने सोमनाथ चटर्जी को परमीशन दी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं इस मामले को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि माननीय उप प्रधानमंत्री ने यहां पर दिए अपने भाषण के संबंध में हमारे लिए एक वक्तव्य भेजा है, इसे प्रैस सूचना ब्यूरो के माध्यम से परिचालित किया है। अपने भाषण का उद्धरण देने के अलावा प्रैस सूचना ब्यूरो के उस नोट में उन्होंने कहा है: ''जब मैंने यह कहा, नामत:, इस मुख्य मंत्री ने समुचित ढंग से कार्य किया है, तो उस समय मेरे मन में सरकार के की गई कार्यवाही संबंधी आंकड़े थे।'' उन्होंने कतिपय बातों का उल्लेख किया है। मैंने यह सोचा कि ऐसे अनुभवी व्यक्ति और सक्षम गृह मंत्री को कम से कम जब वे सभा में दिए अपने वक्तव्य में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वे सभा में आते और वक्तव्य देते। यह मामला प्रैस सूचना ब्यूरो द्वारा टिप्पण के माध्यम से परिचालित करने का नहीं है जिसमें उन्होंने यह कहा: ''मेरे मन में ह बात है जो मैं उस समय कहना चाहता था।'' यह उचित नहीं है।

इस तथ्य के मद्देनजर मुद्दे उठाए गए हैं, और इस मामले पर सदस्य उद्वेलित हैं—वे यहां आकर एक स्पष्ट वक्तव्य दें और वे पीआईबी के परिपत्र को वापस लें कि इस सभा के अभिलेख का हिस्सा बनेगा। ऐसी घटना के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मैंने अपने व्यापक अनुभव में अभी तक ऐसी घटना कभी नहीं देखी है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह तो सभा की अवमानना है। उन्हें इस सभा में आकर वक्तव्य देना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): हम लोग सवाल उठाते हैं तो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार कार्रवाई करेगी लेकिन जब सरकार द्वारा और माननीय उप प्रधान मंत्री जी द्वारा जवाब भी नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या होगा सवाल उठाकर? सदन की क्या मर्यादा रह जाएगी, सदन की क्या उपयोगिता रहेगी?

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्रवाई करे। यहां तो स्थिति यह है कि सदन में भी बयान नहीं दिया बल्कि पी.आई.बी. के थ्रू बयान दिया गया है जिसकी कापीज सांसदों को उपलब्ध कराई गई हैं। यह ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इस मुद्दे पर आठ घंटों तक चर्चा हुई। हमने कई मुद्दे उठाए। परन्तु माननीय गृह मंत्री ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल श्री नरेन्द्र मोदी को चरित्र प्रमाण-पत्र देने का एकमात्र कार्य किया है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, इस बहस के प्रारंभ होने पर हमारी ओर से केवल दो ही सवाल उठाए गए थे और अभी तक हम उन्हीं दोनों पर कायम हैं कि अयोध्या जाने के लिए रिजर्वेशन किस-किस के नाम पर थे और किन-किन की मृत्यु हुई क्योंकि हमारी पक्की खबर है कि विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के नाम पर आरक्षण कराया गया था और उनके नाम से अन्य लोगों को अयोध्या में हिंसा करने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन उनकी मौत हो गई।

जिनकी मौत हुई, उनके लिए मेरी सहानुभूति है, लेकिन उनकी जो हत्याएं की गईं उनके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। उनकी नृशंस हत्या के प्रति मेरी सहानुभूति है, सम्वेदना है और दुख है।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कितने लोगों को पैसा मिला, किन-किन लोगों को पैसा मिला। उनकी सूची क्यों प्रकाशित

[श्री मुलायम सिंह यादव]

नहीं की जा रही है। यह मामूली सा सवाल है, लेकिन इसका भी उत्तर नहीं दिया गया, इसे क्यों छिपाया जा रहा है। जिन लोगों की हत्या हुई है उनकी सूची जारी करने में सरकार को क्या परेशानी है?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं अभी देखता हूं।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, मैं आपको बता दूं कि मैं इस मुद्दे पर कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें विनिर्णय दे सकने जैसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ टिप्पणियां कर रहा हूं। टिप्पणियों के अधिकांश हिस्से से आप परिचित हैं।

हमने गुजरात के महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक बहुत अच्छी चर्चा की है। माननीय संसद सदस्य भी इस मुददे पर बोले और माननीय गृह मंत्री जी ने चर्चा के अंत में उसका उत्तर दिया। बहस समाप्त हो गई थी और सभा स्थगित हो गयी थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि जब एक मंत्री उत्तर देता है तो उसे सभी संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। मैंने यह भी देखा है कि अधिकांशत: मंत्री सभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमेशा ऐसी स्थिति रहती है कि जब मंत्री पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं होते हैं। कुछ प्रश्न हमेशा छूट जाते हैं। इसके बाद, जब भी प्रश्न छूटते हैं तो सभा के नियमों, विनियमों और प्रक्रिया के अनुसार माननीय संसद सदस्य कुछ अन्य तरीकों से उन मुद्दों को उठाने के हकदार होते हैं। यह प्रक्रिया रही है कि जैसे ही कोई वाद-विवाद समाप्त होता है मंत्री से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मंत्री साधारणतया उनका उत्तर देते हैं। जब कभी भी उन्हें किसी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो वे अनुरोध करते हैं कि वह सूचना बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसाकि मुझे याद है उस दिन चर्चा समाप्त होने के बाद सभा स्थगित हो गयी थी और माननीय संसद सदस्यगण अपने प्रश्न नहीं पूछ पाए थे। मैं उन्हें लेने के लिए तैयार हूं। मैंने सभी नियमों का अध्ययन कर लिया है। मैंने पूर्व-उदाहरण भी देखे हैं क्योंकि जब ये प्रश्न सभा में उठाए गए थे तो मेरे विचार से यह देखना मेरा कर्त्तव्य था कि जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछा है उन्हें समुचित उत्तर दिया जाए और अन्य सदस्यों को भी वह सूचना मिल जाए। कम से कम मैं तो ऐसा करने में स्वयं को अक्षम मानता हूं कि क्योंकि कोई उत्तर दिए जाने से छूट गया है केवल इसलिए किसी मंत्री को वह उत्तर देने हेतु पुन: बुलाया जाए। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और आप सभी इस बात को जानते हैं कि मैं इस सभा की कार्यवाही के संचालन में नियमों से बंधा हुआ हूं। मान लीजिए कि कोई माननीय संसद सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं और यदि नियमानुसार वे प्रश्न पूछे जाने की अनुमति है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमेशा ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि कार्यमंत्रणा समिति सलाह देती है तो आप उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका यह है कि नेताओं के साथ आप मिलकर बैठें और इस प्रकार हम, प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाएं इसका कोई तरीका निकाल सकते हैं।

दूसरा तरीका यह सुझाया गया था कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा जितने प्रश्न पूछे जाने हैं वे मंत्री महोदय को लिखकर भेज दें और मुझे भी लिखकर बता दें कि इन-इन प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हैं। मंत्री महोदय उनके द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर उन्हें दे सकते हैं क्योंकि यदि कोई भी संसद सदस्य कोई जानकारी चाहता है तो वह मंत्री महोदय को लिख सकता है और मंत्री उन्हें उसका उत्तर दे सकते हैं। मेरे विचार से इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता। ये मेरी टिप्पणियां हैं। यह मेरा विनिर्णय नहीं है। यदि सदस्यगण ऐसा चाहें, चूंकि वरिष्ठ नेताओं ने मुद्दा उठाया है...

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, आइये आपके कक्ष में चर्चा करते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप अपने कक्ष में एक बैठक आमंत्रित कीजिए। हम सभा में इसका उत्तर चाहते हैं, बस! यह सभा की सम्पत्ति है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर चर्चा हेतु तैयार हूं। इसी के साथ-साथ यह भी समझ लिया जाना चाहिए कि मुझे वर्तमान नियम और विनियमों का ही पालन करना पड़ेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): आप यह कह चुके हैं कि यह आपकी टिप्पणी है विनिर्णय नहीं है। इसलिए आपका दिमाग खुला है।

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में मैं इस संबंध में उदार हूं। यदि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने से रह जाता है तो आप हमेशा मंत्री महोदय को लिख सकते हैं और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि सरकार कोई टिप्पणी करना चाहती है तो मुझे सरकार के किसी कथन पर कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा, मैं यह मान लेता हूं कि मैं बैठक बुलाने और इस मामले में अपने कक्ष में चर्चा करने की स्थिति में हूं।

अब सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.10 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत हुई।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है। नियम 193 के अधीन बहस में लास्ट वक्ता श्री रामदास आठवले हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): सभापति जी, मुझे सभापटल पर अपना लिखित भाषण रखना है। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी): सभापति जी, मेरा भाषण तो हुआ ही नहीं। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने नियम 193 के अंतर्गत ...*(व्यवधान)* मेरी बात तो सुन लें। मैंने नियम 193 के अंतर्गत सूखे के ऊपर प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसके ऊपर जब आगे डिस्कशन होगा तो आपको अवसर दिया जायेगा। मैंने दो दिन जीरो ऑवर में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में सूखे के बारे में प्रश्न भी उठाया। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि नियम 193 के अधीन चर्चा के समय आपको मौका दिया जायेगा। मैं चेयर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चेयर ने जो बातें कहीं हैं, चेयर को याद हैं कि नहीं? अगर याद हैं तो मेरा नाम पुकारा जाना चाहिए।

सभापति महोदय: आपने कहा कि मैंने दो बार सवाल उठाये, अब सरकार का जवाब आप सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: मेरा सवाल यह था कि चेयर ने हमें यह कह दिया कि नियम 193 के अधीन डिस्कशन के समय आपको समय दिया जायेगा। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या चेयर अपनी बात से पीछे हटेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, कल अध्यक्ष जी के आदेशानुसार जो लोग बाढ़ और सूखे की बहस में भाग लेने से वंचित रह गये थे, उनके लिए यह कहा गया था कि वे अपना लिखित भाषण दाखिल कर दें तो उसको वृत्तान्त में शामिल कर लिया जायेगा। तमाम लोगों ने भाषण दिये हैं, हमारा भी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको कार्यवाही में शामिल किया जाये।

सभापति महोदय: आपका लिखित भाषण है तो दे दीजिए। श्री रामजीलाल सुमन और श्रीमती कांति सिंह का लिखित भाषण प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनेगा और आपका भी बनेगा।

***श्री रामजी लाल सुमन:** अध्यक्ष महोदय, हम सदन में नियम 193 के अधीन बाढ़ एवं सूखे पर चर्चा कर रहे हैं, प्रतिवर्ष इस सदन में मानसून सत्र के दौरान चर्चा होती है, लेकिन उसकी कितनी सार्थकता है, यह अहम सवाल है। जहां एक ओर देश के 11 प्रांतों में भयंकर सूखा है वहीं बिहार, असम एवं गुजरात का एक हिस्सा बाढ़ से बर्बाद है। अभी कृषि मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाकर उनसे त्वरित आपात योजना बनाने को कहा है, लेकिन कोई समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गयी है। देश की 65 प्रतिशत भूमि वर्षा पर निर्भर है और वर्षा अनिश्चित है। उत्तर प्रदेश के 26 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं जबकि पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची है। जब तक हम कोई ठोस नीति बाढ़ एवं सूखे के संबंध में नहीं बनायेंगे तब तक स्थिति यथावत बनी रहेगी और संसद में बहस मात्र रस्म अदायगी तक सिमट जायेगी।

सही मायनों में हम खेती के प्रति सदैव उदासीन रहे हैं। हमने कृषि के विकास की परिकल्पनायें तो कीं लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं किया। सिंचाई की तमाम परियोजनाओं को पूरा करने में हमने अपेक्षित दिलचस्पी नहीं ली। प्रथम पंचवर्षीय योजना की 5 सिंचाई परियोजनाएं, दूसरी पंचवर्षीय योजना की 7 सिंचाई परियोजनाएं तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की 12 सिंचाई की 146 परियोजनाएं ऐसी हैं जो लम्बित हैं, जिन्हें पूरा करने हेतु 90 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। पानी से सिंचाई की व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। 1970-71 में नहरों से 41 प्रतिशत सिंचाई होती थी जो अब 31 प्रतिशत हो रही है। तालाबों से 3 दशक पूर्व 13 प्रतिशत

---

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

सिंचाई होती थी, जो अब 5 प्रतिशत हो रही है और नलकूपों से 14 प्रतिशत सिंचाई होती थी जो अब 33 प्रतिशत हो रही है। इसका मतलब यह है कि हमने भूमिगत जल का दोहन किया और भूमि के अंदर पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि जलस्तर नीचे गिरता चला गया। यदि स्थिति यही रही तो देश के अधिकांश हिस्से रेगिस्तान हो जायेंगे। सूखे को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। यह सच नहीं है। यह मानव निर्मित समस्या है। देश में 20 नदियों के वेसिन हैं, जिनमें सालाना 1869 बिलियन क्यूक मीटर पानी बहता है। नदियों का 55 प्रतिशत पानी बगैर प्रयोग के समुद्र में बह जाता है। मई, 2000 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जल के कुप्रबंधन के कारण 74 हजार 730 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि देश को होती है। हमारे देश में अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र 15 प्रतिशत है और इसमें 150 क्यूबिक मीटर वर्षा होती है, जो सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र है, उसमें 75 क्यूबिक मीटर से कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र 21 प्रतिशत है।

यदि 15 प्रतिशत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से 21 प्रतिशत, जो जल अभाव का क्षेत्र है, वही पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दें तो न सूखा रहेगा और न बाढ़, लेकिन यह काम हमने नहीं किया। इस वर्ष भारत सरकार और मौसम विभाग दोनों ने मौसम के संबंध में गलत सूचनायें दीं। उन्हें अंदेशा था कि सच्चाई सामने आने पर प्रतिकूल माहौल बनेगा। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय को एक किया जाये। किसानों के ऋण माफ हों। उ.प्र. सहित सूखा प्रभावित राज्यों को अकालग्रस्त घोषित किया जाये। छोटे एवं मझौले किसानों के लिए ऋण की विशेष व्यवस्था की जाये। सिंचाई परियोजनाओं को अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाये। बिजली की आपूर्ति नियमित हो तथा किसानों के लिए डीजल एवं बिजली की दरों में कमी की जाये तथा कृषि मंत्री सूखा से निपटने हेतु क्या प्रभावी पहल कर रहे हैं, उसका खुलासा अभी सदन में किया जाये।

*श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): महोदय, आज देश बहुत तकलीफदेह हालात से गुजर रहा है और मुल्क को बड़े संकटों का सामना करना पड़ रहा है। 15 सालों में यह देश का सबसे बड़ा सूखा है। पूरा मुल्क सूखे की लपेट में है और कुछ हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। यहां तक कि आंध्र, कर्नाटक भी इससे प्रभावित हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईंडिया तो पूरी तरह सूखे से प्रभावित है।

सरकार को इसका एहसास नहीं है। मौसम विभाग तो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। किसानों को गुमराह किया है। किसानों की फसलें तबाह व बरबाद हो चुकी हैं। बुरी तरह सूखे से प्रभावित हैं। जानवरों के लिए चारा भी नहीं है। खेतीहर मजदूर बड़े संकट में हैं, वह भुखमरी की कगार पर हैं। बिजली पानी का बहुत भारी संकट है। बिजली की स्थिति और भी कठिन हो गयी है। जब से 1000 मेगावाट उत्तरांचल में चली गयी और करीब 900 मेगावाट के पावर स्टेशन उ.प्र. सरकार ने ऊंचाहार और टांडा एन.टी.पी.सी. को बेच दिये। दस सालों में करीब 2000 मेगावाट नये उपभोक्ता बढ़े हैं। इस तरह 3900 मेगावाट की कमी है।

कांग्रेस की सरकार जब से गयी है, कोई बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा है और जो उ.प्र. के पॉवर स्टेशन हैं, उनकी हालत भी ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें सही तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। सिंचाई के लिए नहरों का कोई नया निर्माण नहीं हुआ है जबकि इस संबंध में नयी नीति बननी चाहिए थी ताकि पानी का सही बंटवारा हो सके और किसानों को सिंचाई की अधिक सुविधा हो सकती। पूरा उ.प्र. सूखे से बरबाद हो चुका है और किसान जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। भारत सरकार और उ.प्र. सरकार एक महीने से खामोश बैठी है, इस दशा में कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

बिजली का प्रदेश में बहुत बड़ा संकट है और उ.प्र. सरकार बिजली देने में पूरी तरह असफल हो चुकी है। ऐसे समय में सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए ताकि मुल्क के किसानों को बचाया जा सके, उद्योग को बचाया जा सके, इस समय जानवरों के लिए चारे का प्रबंध और गरीब लोगों के लिए गेहूं, चावल की व्यवस्था होनी चाहिए, जो नहीं हो पायी। उ.प्र. सरकार ने कुछ जिलों में सूखे की घोषणा की जबकि पूरा प्रदेश इससे प्रभावित है। मेरठ तो इस सूखे से बहुत प्रभावित हुआ है। सिर्फ लगान की वसूली रोकी है। किसानों के बाकी कर्जे के खिलाफ वसूली की कार्यवाही हो रही है जबकि यह अत्यंत दुखदायी है। ऐसे समय में सरकार को किसानों के खिलाफ सभी वसूली की कार्यवाही रोक देनी चाहिए। इसको पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए ताकि किसान इन मुश्किलात का सामना कर सकें।

किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान, जो सरकारी फैक्टरियों पर बाकी है, उसको तुरंत दिया जाना चाहिए। किसानों ने गन्ना डाला है, उनकी फसल का दाम तीन महीने से अब तक क्यों नहीं दिया गया। जबकि सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सरकारी चीनी मिलें क्षमता कम होने और अधिक खर्चा होने के कारण किसानों का भुगतान करने में असफल हो रहे हैं। शुगर मिलों ने जो बैंकों से कर्जा ले रखा है, इसमें चीनी को बंधक किया गया है। हर फैक्ट्री में दो-दो, तीन-तीन लाख बोरे बंद पड़े हैं और चीनी काश्तकारों के भुगतान के लिए रिलीज नहीं की जा रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसानों का भुगतान तुरंत कराये, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। किसान चीनी मिलों पर भूख हड़ताल और धरना कर रहे हैं, अगर सही समय पर भुगतान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नहीं किया गया तो भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। सकौती शुगर मिल के किसान 20 तारीख से धरने पर बैठा है।

मेरा उ.प्र. और केन्द्र की सरकार से अनुरोध है कि सरकार इसमें तुरंत ऐसे प्रभावी कदम उठाये, किसानों का भुगतान कराये, चारे का प्रबंध कराये, गरीब लोगों के लिए गेहूं, चावल का तुरंत प्रबंध करे, किसानों की देनदारी को स्थगित करके माफ किया जाये। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बिजली व पानी की प्रभावी व्यवस्था की जाये ताकि इन मुश्किलात का सामना किया जा सके। आने वाली रबी की फसल को देखते हुए सरकार को अभी से इस संबंध में योजना तैयार करनी चाहिए ताकि रबी की फसल को बचाया जा सके और सभी राज्यों के साथ इन कठिनाइयों में समानता का व्यवहार होना चाहिए और जल नियंत्रण बिजली के संबंध में कोई नयी योजना बननी चाहिए ताकि आने वाले समय में इन मुश्किलात का सामना करने में सक्षम रहें।

***श्रीमती कांति सिंह** (बिक्रमगंज): महोदय, बिहार में बाढ़ से 12 जिलों में तो भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। साथ ही साथ सूखे की भी त्रासदी से शेष जिला रोहताश, बक्सर, कैमुर, औरंगाबाद, गया, पटना, शेखपुरा, भागलपुर में वर्षा के अभाव में वहां के किसानों की स्थिति भयावह हो गयी है। ऐसे हालात में वहां की स्थिति में सुधार लाने के लिए डी पी ए पी कार्य को लागू किया जाये। साथ ही जो किसानों ने ऋण लिये हैं उसको माफ किया जाये और नये तरीके से ऋण देने की सुविधा मुहैया करायी जाये, जिससे वहां के किसानों को सूखे से राहत मिल सके।

इस साल मानसून के कमजोर रहने के कारण अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु काफी प्रभावित हुए हैं लेकिन इसके अलावा बिहार राज्य भी बाढ़ एवं सूखे की विभीषिका से गुजर रहा है। एक ओर उत्तर बिहार के 12 जिले, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी आदि गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी वर्षा और नेपाल से इसे नदी में बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के मद्देनजर इस क्षेत्र में रेड एलर्ट घोषित किया गया है और बिहार सरकार ने सेना से मदद मांगी है। रेल सेवा भी इन जिलों में बाधित हो रही है। करीब 65 प्रखंड प्रभावित हैं, 274 गांव एवं 6.65 लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित क्षेत्र 25 हजार हेक्टेयर फसल क्षतिग्रस्त है, जिसकी कीमत लगभग 26.05 लाख है। मकान 724 क्षतिग्रस्त, मृत्यु की संख्या है। यह आंकड़े 23.7.2002 के हैं। उसके बाद दो दिनों के अंदर और भी स्थिति भयावह हो गयी है।

बिहार के पास अपनी जीविका के लिए कृषि के अलावा कुछ नहीं है। बिहार के सोन नदी पर कदवन जलाशय के निर्माण हेतु नेशनल जल विद्युत कारपोरेशन (एनएचपीसी) के 1111 करोड़ की योजना राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजी है। इस जलाशय के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बाधक बनी हुयी है। झारखंड और बिहार सरकार सहमत हैं। इस वर्ष भी बाण सागर और रिहन्द द्वारा बिहार के हिस्से का पूरा पानी नहीं देने के कारण राज्य के आठ जिलों रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना जिलों के किसानों की मांग के अनुसार सोन नहरों में पानी नहीं दिया जा सका, जिससे इन जिलों में 30 से 40 प्रतिशत धान के बिचड़े खत्म हो गये और पानी के अभाव में लाखों एकड़ भूमि में बोआई का काम नहीं हो सका है। इन्द्रपुरी बैराज से इन आठ जिलों के 1,105 वर्ग मील में फैले लगभग 10 लाख एकड़ भूमि में सोन नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है।

इसके लिए इन जिलों में 209 मील में मुख्य नहरों का जाल बिछा हुआ है। 149 मील में शाखा नहरें और 1235 मील में वितरणियों का निर्माण किया गया है।

केन्द्र सरकार बिहार के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सरकारों से तत्काल पहल कर रिहन्द और बाण सागर जलाशयों से बिहार के हिस्से के पानी को दिलाये और भविष्य के लिए भी सुनिश्चित किया जाये कि आगे इस तरह की नाइंसाफी बिहार के साथ न हो।

केन्द्र सरकार तत्काल उ.प्र. सरकार से कदवन जलाशय के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कराये और कदवन जलाशय के निर्माण की मंजूरी दे।

सोन नहर प्रणाली का निर्माण अंग्रेजी सरकार ने डिहरी-ओन-सोन के एनीकट में बैराज बनाकर 1870 में किया था। उस समय 1860 में बिहार में भयंकर सूखा पड़ा था और इस क्षेत्र में खून खराबा अपराध बढ़ गया था। यहां की भूमि उपजाऊ थी। लेकिन सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण लोग अपराध करते थे। यानि आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो गया था। 1873 में अकाल पड़ने पर पश्चिमी सोन नहर के आरा कैनाल मुख्य नहर के जगह-जगह किसानों ने काटकर खेतों में सिंचाई किया था।

कदवन जलाशय के निर्माण नहीं होने से सोन नहरों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा और लगभग डेढ़ शताब्दी बाद

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती कांति सिंह]

पुन: इस क्षेत्र में आसुरी शक्तियों के बोलबाला होने से खून खराबा बढ़ने की आशंका बढ़ जायेगी।

अत: सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार पहल कर वहां के लोगों को राहत पहुंचाने की कार्रवाई करे।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): मेरा भी लिखित भाषण सूखे से ही संबंधित है। नियम 193 के तहत हमारा भी था, हम भी लिखकर दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): शून्य काल में मुद्दा उठाने के लिए हम पांच दिन से नोटिस दे रहे हैं, वह कहां जायेगा। आज भी हमारा नम्बर दो पर नाम था। ...*(व्यवधान)* जब शून्य काल में समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा लिखित भाषण मान लें। हमारा नाम पांच दिन से शून्य काल में एक नम्बर पर आ रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका भाषण लिखा हुआ है तो आप भी दे दें, आपका लिखा हुआ भी माना जायेगा। सभी पार्टियों का जो समय था, वह समाप्त हो गया। जिनका नाम आया, उन सभी माननीय सदस्यों को एकोमोडेट किया गया। अब केवल श्री रामदास आठवले का भाषण होगा और सरकार का जवाब होगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: हमारा नियम 193 के अंतर्गत नोटिस था। मैं भी लिखकर दे रहा हूं।

सभापति महोदय: आपके भी लिखित भाषण को प्रोसीडिंग्स का हिस्सा मान लिया जायेगा। आपने भाषण जमा कर दिया है न? आप लिखित भाषण दे सकते हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: कार्यवाही के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमसे यह कहा कि नियम 193 की चर्चा के समय आपको अवसर दिया जायेगा। अगर कार्यवाही के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी का यह आश्वासन नोटिड है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सभापति महोदय, आप माननीय अध्यक्ष जी के इस आश्वासन के खिलाफ रूलिंग देंगे?

सभापति महोदय: यह नियम और परिपाटी है कि किसी विषय के निर्धारण के पश्चात पार्टी की तरफ से व्हिप के द्वारा नाम आता है। जो माननीय सदस्य बोलने को उत्सुक हैं, रुचि लेते हैं, वे अपने व्हिप के मार्फत अपना नाम यहां भिजवाते हैं। ऐसे लगभग सभी लोगों को एकोमोडेट किया गया है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: माननीय सभापति जी, क्षमा करेंगे, नियम 193 के अंदर, शून्य काल के अंदर भी हमें चेयर की तरफ से आश्वासन दिया गया था, फिर मैं वाया पार्टी क्यों जाऊं, सीधा चेयर से आश्वासन था।

सभापति महोदय: आपने कहा कि दो बार उठा चुका हूं, तब जवाब सुनिए।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): इन्होंने नोटिस दिया था, इनको बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: ऐसा नहीं है। नियम 193 में बहुत सारे सदस्य नोटिस देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्यता नहीं है कि उनको बुलाया ही जाए। पार्टी की तरफ से नाम आना जरूरी है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: आप बताएं कि चेयर के आश्वासन के बावजूद, अध्यक्ष महोदय के कहने के बावजूद भी आप हमें बोलने का मौका देंगे या नहीं। आप इस पर रूलिंग दे दें तो मैं बैठ जाता हूं या मुझे बोलने का समय दें।

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत सदन में कल से बाढ़ और सूखे पर चर्चा हो रही है। देश आजाद होने के बाद जब से संसद का गठन हुआ है, हर साल मानसून सत्र में इस विषय पर चर्चा होती है। इस विषय पर चर्चा होना कोई गलत बात नहीं है। मगर यह अपने देश के लिए कोई गौरवपूर्ण भी नहीं है कि हर साल हम सूखे और बाढ़ पर चर्चा करते रहें। जब हम भूकम्प और तूफान का सामना कर सकते हैं तो फिर इसका क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बाढ़ को रोकने के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता है। जहां-जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां का पानी सूखाग्रस्त क्षेत्र में ले जाने के लिए हमें योजना बनानी चाहिए। अजित सिंह जी को मेरा इतना ही कहना है कि हमारे यहां महाराष्ट्र में कई जगह बाढ़ आई हुई है। वहां कम से कम 86 लोग मर गए हैं। मुम्बई में बहुत बारिश होती है। मैंने राज्य सरकार को भी कहा है और आपसे भी कहना चाहता हूं कि जहां अधिक बारिश आती है, वहां से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की तरफ पानी ले जाया जाए, जिससे इस समस्या का निदान हो सकता है। इस बारे में संसद को गम्भीरता से सोचना चाहिए। बिहार में बाढ़ आई हुई है और कई राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है। इसका सामना करने के लिए हमें पानी को रोकना चाहिए। पानी रोक कर ही हम इस इश्यू को हल कर सकते हैं। जहां-जहां बाढ़ आती है, वहां के लिए भी सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है।

अब स्थिति ऐसी है कि आतंकवादी चूस रहे हैं हमारा ब्लड जम्मू-कश्मीर हो या कहीं भी हो, जगह-जगह पर बर्बादी कर रहा है फ्लड।

अजित सिंह जी,

आपका नाम है सिंह अजित, आपको करना होगा किसानों का हित।
गाना होगा आपको सूखे और बाढ़ नष्ट करने का गीत।
नहीं तो आने वाले चुनावों में आपकी नहीं होगी जीत।

इसलिए आपको इस बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

जब-जब आप लोगों को मिला है मौका
तब-तब आपने किसानों को दे दिया है धोखा
इसलिए देश में पड़ गया है सूखा।
अगर हमें सत्ता में आने का मिलेगा मौका,
कभी नहीं रहेगा देश में सूखा।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा न बोलकर केवल इतना ही कहूंगा।

जीवन दान देता है पानी, प्राण लेता भी है पानी,
किसान का प्राण है पानी, प्राण की शान है पानी,
मकान को तोड़ता है पानी, मकान को जोड़ता भी है पानी,
सूखे को खत्म करता है पानी, इसलिए धान को अगर आपकी,
सरकार नहीं पिलाएगी पानी, तो उनके जीवन में हो जाएगा
पानी ही पानी।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखा खत्म करने के लिए आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि सूखा और बाढ़ का सामना हम लोग कर सकें।

अपराह्न 2.22 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

उनतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का उनतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.24 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति–*जारी*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: शंकर प्रसाद जायसवाल जी, केवल एक-दो मिनट ही बोलें।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धनयवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी परम्परा की रक्षा की है। सदन के इस सत्र के प्रथम दिन सबसे पहले सूखा के ऊपर मैंने 'जीरो ऑवर' में प्रस्ताव भेजा था।

श्री चन्द्रनाथ सिंह: हमने आपसे पहले प्रस्ताव दे रखा था। हमारा और सुमन जी का प्रस्ताव पहले है। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: आप तो पैदा भी हमसे पहले हो गये हैं। ...*(व्यवधान)* सभापति जी, यू.पी. के साथ कई राज्यों में सूखे की स्थिति इसलिए बन गई कि बंगाल की खाड़ी पर जो दबाव था, वह कमजोर पड़ गया। मौसम विभाग ने जो सूचनाएं दी, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए, वह कम है। सरकार को मौसम विभाग के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति सूखा के मामले में और कई दूसरे मामले में बहुत ही खराब है। पूरे उत्तर प्रदेश के एकाध जिलों को छोड़ दिया जाये तो मंत्री जी, आप भी हमारी राय से सहमत होंगे कि बाकी पूरा प्रदेश सूखे से ग्रस्त है। जिलाधिकारी ने जिले की संस्तुति भेजने में देर कर दी और उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा नहीं की, ये सब बातें अलग बातें हैं। इसमें प्रशासनिक कमजोरियां हो सकती हैं लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोगों की राय इस प्रकार की होगी और पूरा यू.पी. सूखे की चपेट में आ गया तो पूरे यू.पी. को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार एक दल यू.पी. में भेजे जो सूखे का निरूपण करे और अपनी ओर से यू.पी. के सूखाग्रस्त इलाके के लिए जो भी सुविधाएं हैं या पैकेज है, वह भिजवाने का कष्ट करे।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि यू.पी. में बिजली की भी बहुत समस्या है। अब बरसात नहीं हुई तो केवल नलकूप ही वहां किसानों की खेती का आधार बन जाते हैं। धान की फसल चली गई, मोटा अनाज की फसल भी जा रही है। अगर नलकूप ठीक होते और बिजली की सप्लाई ठीक होती तो नहरों से पानी मिलता और यू.पी. में किसानों के आंसू पुछ जाते लेकिन बिजली की सप्लाई की दिक्कत होने के कारण आज वहां की स्थिति है कि नलकूप के द्वारा सिंचाई के लिए जो पानी दिया जाना चाहिए, वह भी हम नहीं दे पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि विद्युत विभाग पर अगर कुछ बकाया है, तो आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि की ओर केन्द्र को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उदारतापूर्वक बिजली की सप्लाई करनी चाहिए, ताकि नहर से सिंचाई और नलकूपों को बिजली की सप्लाई हो सके। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को अन्य छूटें दो दी जा सकती हैं, उनके बारे में भी विचार करना

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

चाहिए, जैसे बैंकों से बकाया वसूली को स्थगित किया जा सकता है। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, जिन राज्यों में सूखा पड़ा है, उन राज्यों में किसानों से बकाया वसूली को स्थगित करना चाहिए। इसके साथ ही अगर कर्ज को माफ किया जा सकता है, तो इस पर भी केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिए।

महोदय, 'काम के बदले अनाज' योजना को चलाए जाने के लिए मैं केन्द्रीय सरकार की प्रशंसा करता है। दक्षिण के कई राज्यों में 'काम के बदले अनाज' योजना लागू है। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों में अगर इस योजना की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार को पीछे नहीं रहना चाहिए और इस योजना को भारी मात्रा में लागू करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं, सभापति महोदय, आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

***श्री चन्द्र विजय सिंह** (मुरादाबाद): महोदय, मैं वर्तमान सूखे की स्थिति के संबंध में राष्ट्र की चिंता और संताप में शामिल हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सर्वाधिक निष्ठुर तरीके से कार्य किया है।

अधिकांश चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है डीजल की कीमत अधिक है; उर्वरक महंगे हैं। अभी भी डीजल के दामों में कमी लाने हेतु; उर्वरकों पर राज-सहायता में वृद्धि करने या मिल मालिकों पर किसानों के बकाया भुगतान करने हेतु दबाव डालने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

सूखा संभावित जिलों का चयन वहां हुई वर्षा के आधार पर नहीं अपितु राजनैतिक कारणों से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मुरादाबाद को छोड़ दिया गया और उसके पड़ोसी क्षेत्रों बिजनौर और रामपुर को उस सूची में शामिल कर लिया गया।

किसानों से वसूली न हो पाने के कारण उन्हें जेल में डाला जा रहा है। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और सभी बकायों की वसूली रोकनी चाहिए; किसानों को परेशान करना बंद करना चाहिए; डीजल और उर्वरक पर राज-सहायता देनी चाहिए और यदि पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं तो कम से कम मेरे जिले मुरादाबाद को सूखा प्रवण क्षेत्र घोषित करना चाहिए।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): सभापति महोदय, इस विषय पर कल सारा दिन और रात बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण दूरगामी सुझाव भी आए हैं। आमतौर पर प्रदेश सरकारों की शिकायत रहती है कि इमीडिएट रिलीफ में सीआरएफ और एनसीसीएफ में जो पैसे दिए जाते हैं, वे रोक दिए जाते हैं। *...(व्यवधान)* बहस में ज्यादा चर्चा बाढ़ से ज्यादा सूखे की हुई है, क्योंकि देश में आठ प्रदेश फ्लड से प्रभावित हैं और सूखे से तकरीबन सारा देश प्रभावित है, इसलिए माननीय सदस्यों को ज्यादा चिन्ता है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): बाढ़ से लोग मर रहे हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: बाढ़ से लोग मर भी रहे हैं, सड़कें भी टूट रही हैं, रेल लाइन भी टूट रही हैं और नेशनल हाईवेज को भी नुकसान हुआ है। इसमें ज्यादातर असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को ज्यादा नुकसान हुआ है। *...(व्यवधान)* बहस के दौरान एक बात की चर्चा ज्यादा है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है, चाहे सूखा हो, फ्लड हो, हेलस्टार्म हो, इनको देखने के लिए एक हाई लैवल कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन सदस्य होंगे। इसके साथ जो सेन्ट्रल टीम्स जायेंगी, वे अपनी रिपोर्ट इनको देंगी। इसके अलावा इनटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप बनाया गया है, जिसमें होम सैक्रेटरी और दूसरे विभागों के सचिव होंगे। ये सब बैठकर स्थिति को देखेंगे। सैन्ट्रल टीम की रिकमैंडेशन्स, इन्टर-मिनिस्टीरियल ग्रुप की रिकमेंडेशन्स को हाई लेवल कमेटी देखेगी कि कहां-कहां कितनी-कितनी कन्टिनजेंसी फन्ड में पैसे की जरूरत है।

आमतौर पर यह इम्प्रैशन होता है कि स्टेट्स के पास इम्मिडिस्ट राहत के लिए पैसा नहीं होता है। पांच साल के बाद फाइनान्स कमीशन बैठता है और वह इस बारे में पूरी व्यवस्था करता है। 10वें फाइनान्स कमीशन ने जो व्यवस्था की थी, उसे 11वें फाइनान्स कमीशन ने बढ़ा दिया और छः हजार की बजाय 11 हजार करोड़ रुपये के करीब उसमें व्यवस्था की गई है। तमाम कैलेमिटी रिलीफ फंड प्रदेशों को दिया जाता है। उसका पैसा भी उन्होंने हर प्रदेश के लिए निश्चित किया है। केन्द्र सरकार बगैर किसी रिपोर्ट और मांग के मई में यानी फ्लड आने से पहले का जो समय होता है, पहली किश्त सब प्रदेशों को भेजती है।

सभापति महोदय, आप बिहार की बात कर रहे थे और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी बिहार के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि पैसा रोक दिया गया। ऐसी बात नहीं है। पहली इनस्टॉलमैंट मई में दे दी जाती है लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ प्रदेश एकाउंट्स नहीं भेजते हैं। उसके लिए अलग एकाउंट है और उस पैसे को अलग एकाउंट में क्रैडिट करना पड़ता है। उससे जितना पैसा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इम्मिडिस्ट राहत के लिए देना होता है, फ्लड आने से पहले प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वह नहरों की सफाई कर दे, चैनल्स को ब्लॉक न होने दें, जहां फ्लड की संभावना है वहा वार्निंग दे दे। ये सब करने के बाद जो पहली इनस्टॉलमैंट उनके पास गई है, उससे राहत कार्यों, ग्रेच्युअस रिलीफ और लोगों को शिफ्ट आदि की व्यवस्था की जाती है। यदि उन्होंने पैसा क्रैडिट कर दिया और जो पैसा उन्होंने कैलेमिटी रिलीफ फंड से खर्च किया है, किन-किन मदों में किया है, उन सबकी रिपोर्ट आने के बाद अगली किश्त दी जाती है। यदि नवम्बर से पहले शदीद फ्लड आ जाए या नैचुरल कैलेमिटी का डाइमैंशन बहुत बड़ा हो तो एंटीसिपेशन में इसे दिया जाता है। मैं बिहार के बारे में यह जरूर कहना चाहूंगा कि वहां से अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बिहार की मुख्यमंत्री प्रधान मंत्री से मिलीं। उनको अभी तक यही कहा जा रहा है अगर सर्टिफिकेट आ जाए तो अच्छा होगा। ऐसा इम्प्रैशन है कि कुछ स्टेट्स के साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसी बात नहीं है। 7-8 स्टेट्स ऐसी हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): पश्चिम बंगाल और असम के बारे में बताएं, वहां अभी तक क्या भेजा है?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): संकट का अनुमान लगाते हुए आपने पश्चिम बंगाल को अग्रिम के रूप में कितनी धनराशि दी हैं? प्रश्न यह है।

[हिन्दी]

हमें इसके आंकड़े दे दीजिए जिससे जानकारी हो जाए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: बिहार से सर्टिफिकेट नहीं आया है। जुलाई में वहां की मुख्यमंत्री मिली थी। वहां पहले केन्द्र का पैसा इन एंटिसिपेशन भेज दिया गया था। अभी इंतजार किया जा रहा है कि वह एकांट्स भेजकर उसमें क्रैडिट करके जितना पैसा खर्च हो चुका है उस सर्टिफिकेट को वह भेज दें। इससे पिछले साल की दूसरी इनस्टॉलमैंट और इस साल की पहली इनस्टॉलमैंट तुरन्त उसी वक्त रिलीज कर दी जाएगी। यह इम्प्रैशन गलत है कि केवल बिहार ही नहीं 6-7 राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक सर्टिफिकेट क्रैडिट करके एक्सपैंडिचर सीआरएफ का नहीं आया है। जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा उनको अगला पैसा, अगली किश्त तुरन्त भेज दी जाएगी। आपने पूछा कि कौन-कौन सी स्टेट्स में कितना पैसा दिया? फाइनान्स कमीशन ने 2001 से 2005 तक का रखा था ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: पहले पैसा भेजा, वह खर्च हुआ या नहीं उसका हिसाब लेते-देते रहेंगे। अभी तत्काल बिहार बाढ़ से डूब रहा है। राहत कार्यों के लिए तत्काल सरकार कुछ काम करना चाहती है या नहीं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: आपने कल कहा था कि सैंट्रल टीम भेज दी जाए। मैंने कल कह दिया था कि मेमोरेंडम आते ही सैंट्रल टीम वहां भेज दी जाएगी।

श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या तत्काल रिलीफ के लिए व्यवस्था कर रहे हैं या सर्वेक्षण ही करते रहेंगे?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): अभी प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि आप बिहार को पहले खत्म कर दीजिए। बिहार तो पहले ही खत्म होता जा रहा है, वहां क्या बचा है।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): माननीय मंत्री जी ने सूखे और बाढ़ को प्राकृतिक आपदा का नाम दिया है, जबकि मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1988 से लेकर आज तक मौसम विभाग यह कहता है कि मानसून नार्मल है, वर्षा भी नार्मल रही है। जब देश में वर्षा नॉर्मल है, मानसून समय पर आया है। अब की बार मानसून थोड़ा लेट हुआ है, जब ये सारी बातें हैं तो आप प्रकृति को क्यों दोष दे रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि यह प्राकृतिक आपदा है। क्या हम यह नहीं कह सकते कि इसमें सरकार की कमी रही है। चाहे वह पिछली सरकारों की कमी रही हो या अब की सरकार की कमी रही हो, लेकिन इसमें सरकार की कमी रही है। जहां अधिक जल है, वहां वाटर मैनेजमेंट के बारे में आप बतायें। आप इसे प्राकृतिक आपदा का नाम क्यों दे रहे हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: उसके बारे में लांग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या प्लानिंग है, उसके बारे में हमारे वाटर रिसोर्सेज के आदरणीय मंत्री श्री सेठी जी आपको पूरे डीटेल में बतायेंगे। कृषि मत्री जी स्वयं उसमें पूरा जवाब देंगे। मैं सिर्फ इतना क्लियर करना चाहता हूं कि जो कोऑर्डीनेशन का काम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है, यह रीसेन्टली जून में ही होम मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया गया है और इसीलिए अब उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बना दी है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये सारे डीटेल्स वह आपको बतायेंगे, लेकिन जो आपने पूछा है कि अभी तक कितना पैसा सैन्टर ने दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, बुनियादी सवाल यह है कि इस काम को गृह मंत्रालय भी देखता है, सिंचाई मंत्रालय भी

[श्री रामजीलाल सुमन]

देखता है और कृषि मंत्रालय भी देखता है। कृषि और पानी के सवाल को देखने के लिए अन्य मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक मंत्रालय काफी है। कृषि मंत्रालय से इन सब चीजों को सम्बद्ध कर दिया जाए तो वह ज्यादा सार्थक होगा।

श्री अमर राय प्रधान: आपने पश्चिम बंगाल में कितना पैसा दिया है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: जो पैसा दिया गया था, इसमें जो सैन्टर का शेयर है, इसमें बिहार के लिए वर्ष 2002-2003 में 5537 लाख रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 578 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश के लिए 12095 लाख रुपये, राजस्थान के लिए 17,116 लाख रुपये दिये हैं। यह टोटल पैसा बांटकर ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान: आप वैस्ट बंगाल और असम के बारे में बतायें। वहां आपने कितना पैसा दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: असम और वैस्ट बंगाल में अभी जो फ्लड आ रही है, उसके लिए आपने कितना-कितना पैसा दिया है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: वैस्ट बंगाल को 8161 लाख रुपया दिया गया है। लेकिन सी.आर.एफ. का पैसा है ...*(व्यवधान)*

असम को 2001-2002 में 79.92 करोड़ रुपया सी.आर.एफ. सैन्ट्रल शेयर दे दिया गया था। 2002-2003 में 41.96 करोड़ रुपये सैन्ट्रल शेयर दिया गया था। लेकिन जो एन.सी.एफ. और सी.आर.एफ. का पैसा है, उसमें 75 परसेन्ट सैन्टर का और 25 परसेन्ट राज्यों का शेयर होता है। उसमें अगर स्टेट अपना शेयर न डाले, वह सर्टीफिकेट न भेजे या 75 परसेन्ट को क्रेडिट न करे, उसका एकाउंट न दे। उसके बाद उन्हें अगली किस्त में दिक्कत आती है। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो जो टीम जाती है, उस टीम को भेजते हुए हम उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसमें बिहार को बहुत कम मिला है। यह किस आधार पर पैसे का आवंटन करते हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: बिहार को 2001-2002 की पहली किस्त मिली हुई है। उसे कैलामिटी रिलीफ फंड वर्ष 2002-2003 की किस्त जानी चाहिए थी, वह 6-7 स्टेट्स को अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि वहां से सूचना नहीं आई कि प्रथम उन्होंने क्रैडिट किया या नहीं, उन्होंने एकाउंट खोला या नहीं। बिहार ने अभी तक एकाउंट नहीं खोला था। जब उन्होंने एकाउंट खोल लिया है, लेकिन अभी तक सर्टीफिकेट नहीं आया है कि उन्होंने कितना पैसा जमा करके कितना खर्च किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान: पश्चिम बंगाल को आपने एक पैसा नहीं दिया।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: पश्चिम बंगाल को वर्ष 2001-2002 में 3981 लाख रुपये दिये थे। वर्ष 2002-2003 में 81.61 करोड़ रुपये पहले ही दिये जा चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): सर, 8 हजार करोड़ रुपये में से केवल 81 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अभी तक पश्चिम बंगाल और असम में बाढ़ का जायदा लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी टीम नहीं भेजी है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सेंट्रल शेयर के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि गोवा, मणिपुर, मिजोरम की फर्स्ट इंस्टालमेंट रिलीज नहीं हुई है। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब और त्रिपुरा की भी इंस्टालमेंट रिलीज नहीं हुई है। ये कहते हैं कि बिहार की नहीं हुई है, पश्चिम बंगाल की नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, अन्य राज्य भी ऐसे हैं जिनकी इंस्टालमेंट रिलीज नहीं की गई हैं। केवल बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ से ही एकाउंट नहीं आए, ऐसी बात नहीं है अन्य राज्यों की तरफ से एकाउंट और सर्टिफिकेट नहीं आए हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बात एक मिनट सुनने के लिए बैठ जाएं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह ही हमने "आज तक" में एक समाचार देखा कि बिहार के मधुबनी और अन्य जिलों में बाढ़ आई हुई है। लोग वहां चिड़ियों की तरह पेड़ों पर बैठे हैं। वहां बाढ़ से 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और केन्द्र सरकार ने उनकी मदद के लिए आर्मी का केवल एक हैलीकॉप्टर भेजा है। इतनी संख्या में और इतने सारे क्षेत्र में प्रभावित लोगों को एक हैलीकॉप्टर कैसे राहत पहुंचा पाएगा, यह बात मैं उनसे कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि और हैलीकॉप्टर भेजे जाएं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: सभापति महोदय, मैं मानीय सदस्य की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि वहां एक नहीं, बल्कि तीन हैलीकाप्टर भेजे गए हैं। दो स्टेंडबाई हैं। तीनों हैलीकॉप्टर अलग-अलग क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने और जनता को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। दो कॉलम आर्मी के आज ही सरसावा एयरफील्ड से भेजे गए हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह: महोदय, आज प्रात: काल के आज तक के समाचार में मैंने स्वयं देखा है कि आर्मी का केवल एक ही हैलीकॉप्टर उड़ रहा है, यह बताया गया है। कृपया इस बात की जांच करा लीजिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल यह बात हमारे ध्यान में श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने लाई थी। मैंने आज सुबह ही जानकारी ली है और कन्फर्म किया है कि आज प्रात: से बिहार में तीन हैलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और दो स्टैंडबाई रखे गए हैं। सरसावा एयरफील्ड से आर्मी के दो कॉलम और भेज दिए गए हैं। दो कॉलम असम में काम कर रहे हैं और दो बिहार में काम कर रहे हैं। वे 40 टन सामान आलरेडी उठा चुके हैं और सारा काम किया जा रहा है।

आदरणीय सांसदों ने मेरे कहने का मतलब यही है कि वे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वे अपनी-अपनी राज्य सरकारों को कहें कि उनका पैसा सेंटर में रुका हुआ है, इसलिए वे सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी भेजें और जितना खर्च हुआ है उसको दिखा दें कि आपने क्रेडिट कर दिया कि नहीं। हम केवल सर्टिफिकेट चाहते हैं और कोई चीज नहीं मांगते हैं। जैसे ही राज्य सरकारों की ओर से हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा हम सी.आर.एफ. के तहत उनकी सैकिंड इंस्टालमेंट अगर रुकी हुई है, तो वह भी रिलीज कर देंगे। यदि इससे पहले की भी उनकी इंस्टालमेंट नहीं पहुंची है, तो वह भी हम रिलीज कर देंगे।

अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसी कैलेमिटी होती है, तो उनके पास साधन कम न हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए 11वें वित्त आयोग ने जो पैसा बांटा है, उसकी पहली किस्त की रकम पहले ही राज्य सरकारों को भेज दी है, जो उनके पास होती है ताकि यदि कहीं राहत की जरूरत हो, तो तुरन्त राहत कार्य प्रारंभ करने हेतु, राशन देने के लिए, टैंट देने के लिए, जनता को वहां से शिफ्ट करने के लिए, ये सब काम करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा रहे। इन कामों पर ज्यों ही वे खर्च करें और उसका सर्टिफिकेट हमें भेजें, हम दूसरी किस्त तुरन्त रिलीज कर देंगे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट देना नितान्त आवश्यक होता है।

महोदय, दोनों मंत्री महोदय इस बारे में पूरा विस्तार से जवाब देंगे। मैंने सिर्फ संक्षेप में ही अपनी बात बताई है। मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि एक हाई पॉवर कमेटी का भी गठन किया गया है। प्रदेशों में बाढ़ एवं अन्य कारणों से जो सड़कें इत्यादि टूट जाती हैं, तो रिलीफ सामग्री पहुंचाने के लिए उनकी तुरंत मरम्मत पर हुए व्यय को देने के लिए यदि वे केन्द्र की इस हाई पावर कमेटी के पास पैसा देने के लिए प्रस्ताव भेजेंगे, तो उस पर भी हाई पॉवर कमेटी विचार करेगी। मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए वह पैसा खर्च नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने यह प्रावधान किया है, यह व्यवस्था की है कि जो हाई पॉवर कमेटी है उसके पास ऐसे जितने भी प्रपोजल प्रदेशों की ओर से आएंगे उनके ऊपर विचार किया जाएगा और ऐसा करते समय पहले सेंट्रल टीम की रिपोर्ट देखी जाएगी फिर जो इंटर-मिनिस्टर ग्रुप बना हुआ है, उसकी रिक्मेंडेशन होगी, उसके बाद वह हाई पॉवर कमेटी के पास जाएगा। हाई पावर कमेटी उप प्रधान मंत्री महोदय की अध्यक्षता में होगी।

उसमें दूसरे मंत्री भी होंगे। वे देखेंगे और उसमें जितना पैसा रिकमंड होगा, वह दे दिया जायेगा। यह इल्जाम गलत है, कई दफा यह कहा जाता है कि सी.आर.एफ. का पैसा हमारा खत्म हो गया है इसलिए एन.सी.सी.एफ. से पैसा दिया जाये। ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि नैशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड सब लोगों पर जो इनकम टैक्स पेयी हैं, उन पर सेस लगाकर इकट्ठा किया जाता है। उसको जब परपस हो, तब इस्तेमाल किया जाता है। जब एक्सट्रीम कैलेमिटी आती है और सी.आर.एफ. के सारे पैसे खत्म होने के बाद ऐसी पोजीशन हो जाये, जहां उस प्रदेश को इस फंड से मदद करनी है, तब देते है। इसीलिए यह हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, आपके माध्यम से मुझे माननीय मंत्री महोदय को एक सुझाव देना है और वह इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उसे माननीय प्रधानमंत्री जी को अग्रेषित कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जब-तब आती रहती हैं। गृह मंत्री जी राष्ट्र के हितों की रक्षा करने में पहले ही पूर्णतया व्यस्त हैं। वे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद से लड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय से सम्बद्ध किए बिना राहत कार्यों और प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु एक अलग और स्वतंत्र डेस्क होना चाहिए। वह इस सुझाव पर प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। गृह-मंत्रालय पर उसकी क्षमता से अधिक कार्यभार है। मंत्रालय इससे कैसे निपट सकता है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

***श्री चन्द्रनाथ सिंह** (मछलीशहर): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि नियम 193 के अंतर्गत बाढ़ एवं सूखा पर आपने मुझे अपने विचार रखने की अनुमति दी है। सदन में सूखा के विषय पर चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सूखा नहीं है भयंकर अकाल है। 100 वर्षों में इतना भयंकर सूखा मेरे क्षेत्र

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चन्द्रनाथ सिंह]

मछलीशहर में नहीं पड़ा जनपद जौनपुर एवं प्रतापगढ़ की सभी फसल नष्ट हो गयीं। किसानों को आने वाले दिनों में भूखों मरना पड़ेगा। अकाल इसलिए है कि भारतीय खाद्य निगम के भंडारों से अनाज गायब हो गये हैं। गरीबी रेखा के नीचे लोगों में अनाज नहीं बांटा जा रहा है। काला बाजारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के लूट के कारण गरीबों तक को अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। यदि सूखा पीड़ित किसानों को अब तक कुछ सहायता मिल जाती तो इतनी बुरी हालत नहीं होती लेकिन सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मेरे जनपद जौनपुर तथा प्रतापगढ़ में कागज पर चल रहा है, अधिकारियों की तिजोरी भर रही है और अनाज मजदूरों को नहीं मिल रहा है। अधिकारियों के लूट, भ्रष्टाचार के चलते गरीब मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए अकाल की स्थिति बन गयी है।

महोदय, आज 26 जुलाई हो गयी, 15 जून से मानसून आना चाहिए था, किंतु लगभग डेढ़ माह हो गया, मानसून नहीं आया। केन्द्र सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। उ.प्र. में बसपा भाजपा के गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ट्रांसफर-पोस्टिंग उद्योग चल रहा है। मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री ने जौनपुर एवं प्रतापगढ़ को अब तक सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया। एक कहावत है—राजा के दुष्कर्म का परिणाम प्रजा भोगेगी। जब से यह सरकार बनी है, भूकम्प, तूफान, सूखा, बाढ़ और अब अकाल की स्थिति आ गयी। यदि श्री वाजपेयी अपनी सरकार का इस्तीफा दे दें तो निश्चित रूप से उसी दिन मानसून आ जायेगा। यह सरकार लापरवाही, गुजरात में भूकम्प तथा दंगा पीड़ितों को कुछ नहीं मिला। इसी तरह इस सरकार द्वारा अकाल पर राहत कार्य कागजों पर करेगी।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): सभापति महोदय, मुझे इस विशेष बहस में, जो कि हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भाग लेने का अवसर देने हेतु मैं आपका आभारी हूं। आज तक इस बहस में 57 से अधिक माननीय संसद सदस्य भाग ले चुके हैं। अत: मैं आपका और उन सभी संसद सदस्यों का, जिन्होंने इसमें भाग लिया और मूल्यवान सुझाव दिए, आभारी हूं।

मैं उठाए गए कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर देना बहुत कठिन होगा। जबकि, मैं निश्चित रूप से उन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। फिर भी मैं कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत विशाल है। हमारी जनसंख्या एक अरब से अधिक है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल भी 329 मिलियन हेक्टेयर से अधिक है। मोटे तौर पर यह देखा गया है कि बाढ़ या सूखा प्रतिवर्ष हमारे देश को प्रभावित करते हैं। यही समस्या है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं। यहां सभी माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है।

प्रारंभ में, मैं यह स्वीकार करूंगा कि बाढ़ प्रवण 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से सरकार द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों से केवल 32 मिलियन हेक्टेयर भूमि को ही बचाया जा सकता है। स्वतंत्रता से आज तक हमने लगभग 16 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बचाने का प्रयास किया है। अत: आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी भी बहुत सी भूमि को बाढ़ से बचाया जाना बाकी है।

जैसा कि मैंने अभी कहा कि सारे बाढ़ प्रवण क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। न केवल केन्द्र सरकार अपितु राज्य सरकारें भी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को बचाने का प्रयास करती हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों के प्रति उत्तर में केन्द्र सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है जिससे कि लोगों को पर्याप्त स्तर तक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आपने दसवीं योजना के अंतर्गत बाढ़ प्रबंधन नीति तैयार कर ली है? यदि आज यह सूचना उपलब्ध नहीं है तो आप सदन को यह सूचना बाद में उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: मैंने अभी-अभी अपना भाषण शुरू किया है। आपने जो विषय उठाया है, मैं उसी पर बोलने की कोशिश करूंगा।

हम सभी जानते हैं कि बाढ़ को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। जैसा कि मैंने यहां कहा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों में केवल सहायता करती है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह: जो पैसा भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को दिया जाता है, क्या आप उसकी मौनीटरिंग करते हैं कि कहीं वह पैसा राज्य सरकार तनख्वाह में तो नहीं बांट रही या उस पैसे से तालाब खुदवाये जा रहे हैं? आप जितने भी आंकड़े पेश कर रहे हैं, वे केवल कागजों के ही आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी जिले में तालाब नहीं खुदवाये गये हैं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, मैंने अपना भाषण अभी-अभी आरम्भ किया है। माननीय सदस्य ने जो भी विषय उठाये हैं मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम सभी

जानते हैं कि जो निधियां केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित की जाती है उनका उपयोग राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के कार्यक्रम भी हैं जिनकी निगरानी करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को है जैसे तीव्र सिंचाई लाभ कार्यक्रम। लेकिन राज्य सरकार के कार्य में केन्द्रीय सरकार हर वक्त हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हम सभी स्वीकार करते हैं और यह प्रथा बन गयी है कि जो भी निधियां केन्द्र द्वारा जारी की जाती हैं तो यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह उनका उपयोग करे और आवश्यक उपयोग प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार को भेजे।

जैसाकि मेरे साथी ने उल्लेख किया है, जो अभी-अभी बोल रहे थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: ये प्रबंधन की बात कर रहे हैं लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आती है, सब लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष चर्चा चलती है कि जब नेपाल से पानी छूटता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल से केन्द्र सरकार वार्ता करेगी, राज्य सरकार वार्ता नहीं करेगी। उस मामले में केन्द्र ने अभी तक क्या किया है, कोई प्रगति हुई है या नहीं, इस विषय में सरकार को बताना चाहिए।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): भूटान से जो नदियां आती हैं, उनके बारे में भी बताइए।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह ने बहुत ही उचित मुद्दा उठाया है, कि नेपाल तथा भूटान से उद्भव होने वाली विभिन्न नदियों में बाढ़ आने के कारण प्रत्येक वर्ष बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: बांग्लादेश से भी।

श्री अर्जुन चरण सेठी: हां, बांग्लादेश से भी, उत्तर में स्थित सभी पड़ोसी देशों से। हम सभी यहां हैं और हम जानते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि देशों के साथ हमारा विचारों का आदान-प्रदान होता है, लेकिन हम उनके साथ सीधी बातचीत नहीं कर सकते। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और इस संबंध में हम बड़े लम्बे समय से कोशिश कर रहे हैं। हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, और मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि कम से कम नेपाल के साथ हमने पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए हमने महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किये हैं। कोसी बांध परियोजना के लिए भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं।

इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत ही नाजुक मुद्दा है क्योंकि अतिरिक्त पानी को बांटने के लिए हम अपने देश के अंदर आसानी से सहमति नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए किसी विशेष परियोजना के लिए और एक निर्धारित समय के अंदर दूसरे देश के साथ मसझौता करना बहुत कठिन है। फिर भी हमारे प्रयास जारी हैं और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं विशेषकर नेपाल और भूटान के साथ। हम ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जिससे कि कोसी बांध परियोजना और पंचेश्वर बांध परियोजना निश्चित समय अवधि के अंतर्गत पूरी हो जाये। हम भूटान और बांग्लादेश से निकलने वाली नदियों के संबंध में भी समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विभिन्न राज्यों को प्रभावित करने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जलाशय बनाया जा सके।

हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर जहां कहीं भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं लागू की गयी हैं उनके साथ अनेक समस्याएं जुड़ी मिली हैं। क्षेत्रों का डूब जाना एक समस्या है और इसके कारण लोग प्रभावित होते हैं। हमारे अपने देश के अंदर समस्याएं हैं और नेपाल की भी अपनी अंदरूनी समस्याएं हैं।

हाल ही में नेपाल के प्रधान मंत्री श्री दिऊबा ने भारत का दौरा किया। मैंने उनके साथ बैठकों में भाग लिया और प्रधानमंत्री स्तर पर भी हमने चर्चा की।

दुर्भाग्य से नेपाल में उनकी अपनी अंदरूनी समस्याएं खड़ी हो गयीं। ये अंदरूनी समस्याएं माओवादी विद्रोह के कारण हैं। वहां कानून और व्यवस्था की समस्या है। वहां आपातकालीन स्थिति लागू कर दी गयी है। जो भी प्रयास हमने किये थे वह सब बेकार गये। उनको वहीं छोड़ दिया गया है। इसलिए हम उन्हें सहमत कर रहे हैं और सच तो यह है कि पंचेश्वर बांध परियोजना लागू करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ हमने इसमें सफलता भी हासिल की है।

इसी तरह हाल ही में हमने चीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। यह समझौता चीन से उद्भव होने वाली नदियों में आने वाली बाढ़ की पूर्व चेतावनी हमें देने के संबंध में है। यह एक तरह से बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली है, जिसमें हमने सफलता प्राप्त की है।

इसी प्रकार भूटान के साथ भी हम यही ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपसे सहमत हूं। मैं तहे दिल से आपके प्रयासों की सराहना करता हूं। क्या आप इस बात से

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

सहमत नहीं कि देश में अनेक नदियां प्रतिवर्ष गाद जमा करती हैं विशेषकर पश्चिम बंगाल में और यह एक अत्यंत गंभीर विषय है। जहां नदी समाहित होती है। जब तक वहां तल को साफ नहीं किया जाता, सभी कोशिशों के बावजूद बाढ़ का प्रबंध उचित तरह से नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि मेरे राज्य में तीन नदियों में महानन्दा, नागर और भागीरथी में गाद जमा होने के कारण बाढ़ आती है। इस गाद को हटाने के लिए अभी तक कोई तकनीकी योजना नहीं बनायी गयी। आप दूसरों को दोष क्यों दे रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी: यह सच है कि नदियों के तल में गाद जमा हो रही है। इसीलिए राज्य के विभिन्न भागों में जल्दी-जल्दी बाढ़ आ रही है। इन्हीं कारणों को देखते हुए हमने अपने मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति पूरे देश की विभिन्न नदियों की समस्याओं का अध्ययन करेगी तथा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जायें इसके बारे में भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हमने इस समिति का गठन केवल छह माह पहले ही किया है। अब तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात राज्य सरकारों के सहयोग से हम निश्चित तौर से उस पर निर्णय लेंगे।

महोदय, केन्द्रीय स्तर पर जो हम प्रयास करते हैं, आप उसकी सराहना करेंगे। जब तक राज्य सरकारों से हमें सभी तरह का सहयोग नहीं मिलता। हमारे लिए जल्द कार्यवाही कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान: माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने भारत-भूटान संयुक्त नदी आयोग का संदर्भ किया। मैं मंत्री महोदय से इस संबंध में अद्यतन प्रगति की जानकारी जानना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, जहां तक प्रगति का प्रश्न है, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि पानी के बंटवारे के लिए देश के अंदर पानी बंटवारे से संबंधित समझौता करना बहुत ही कठिन है। एक पड़ोसी देश से इस संबंध में कार्यवाही हो रही है। निश्चित रूप से वह भी प्रभुता सम्पन्न देश है और उनके साथ चर्चा आरम्भ करने के लिए समय की आवश्यकता है। इसे हम एक ही चर्चा में हासिल नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान: क्या हम भूटान के साथ बातचीत कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी: हां, अधिकारिक स्तर पर हम भूटान के साथ भी चर्चा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया): सभापति महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मसला है, उससे नेपाल की वजह से दो स्टेट प्रभावित होते हैं, इसलिए यह कहना कि यह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाये या मैं सोच रहा हूं। इसी बीच में पिछले पांच साल में चार दफा बाढ़ आ चुकी है, चार दफा वहां का जनमानस बहुत परेशान हो चुका है, इसलिए दो ट्रैक में साथ ही साथ, एक फौरन और दूरगामी इलाज करने पड़ेंगे। यह ठीक है कि आपने आफिसर्स को बताया है, लेकिन जहां पर दो स्टेट्स को एक नदी प्रभावित कर रही है और वह नेपाल से मतलब रखती है तो उसका कुछ न कुछ फौरी इलाज होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा तबाही पिछले चार साल में तीन दफा बाढ़ आ चुकी है। जब बाढ़ नहीं आ रही है तो सूखा पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी तबाही के लिए एक पैकेज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए हम लोगों के साथ बैठकर, आफिसर्स को थोड़ा दूर रखकर इसका कुछ फौरन सोचा जाये। इसमें बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें प्रदेश का सवाल नहीं है, एक ही नदी दो स्टेट्स को प्रभावित करती है और वह नेपाल से आती है। इसमें आप लोगों को बहुत तेजी से पहल करनी पड़ेगी, इसमें अरजेंसी है।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री अर्जुन चरण सेठी: महोदय, मैं श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ही नहीं बल्कि यहां पर उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंता को समझ सकता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर): सूखे पर भी कुछ कहें।

सभापति महोदय: जल संसाधन मंत्री हैं इसलिए बाढ़ पर ही बोलेंगे।

श्रीमती जस कौर मीणा: जल के कारण बर्बादी हो रही है। जल के लिए बहुउद्देशीय योजना क्यों नहीं बनाई जाती, जिससे राजस्थान जैसे सूखे राज्य में जल पहुंचाया जाए। वहां सूखी नदियों को बाढ़ वाली नदियों से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम लोग दस साल से यह भुगत रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आपने कहा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है।

श्री अर्जुन चरण सेठी: कृपया मुझे बोलने दें। एक-एक करके मैं सभी को जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अगर एक साथ इतने प्रश्न पूछे जायेंगे, तो मैं उन सबका जवाब कैसे दे पाऊँगा?

जहां तक नेपाल की बात है, मैंने पहले भी यहां कहा है कि नेपाल सरकार के साथ हमारे निरंतर संबंध रहे हैं। निश्चित रूप से हमने बहुत प्रगति की है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा महाकाली संधि के बारे में पंचेश्वर बांध परियोजना लागू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का निर्णय जून, 2002 तक पूरा कर लिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): क्या आपको मालूम है कि नेपाल ने अपनी नदियों के पानी का रुख बहार की तरफ किया है? 9 अगस्त को भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।

[अनुवाद]

अर्जुन चरण सेठी: नेपाल सरकार के साथ हम निरंतर पारस्परिक संबंध बनाये हुये हैं। इसलिए पंचेश्वर बांध परियोजना को लागू करने के लिए हम महाकाली संधि पर हस्ताक्षर पर पाये हैं। इसी प्रकार आपके राज्य बिहार को कोसी, समकोसी तथा अथूवारा समूह की नदियों से बचाने के लिए हम नेपाल सरकार से सहमति हासिल कर पाये हैं। हमारे उनके साथ पारस्परिक संबंध हैं लेकिन इसमें बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है। हमारी अपनी भी समस्याएं हैं। उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले या हस्ताक्षर करने से पहले वे सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। इस प्रकार की वार्ता में हम सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने जो कुछ भी यहां कहा, राज्य के अन्दर केन्द्र द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन होता है या उस पर विचार होता है और राज्यों को इसे भेजना पड़ता है। संबंधित राज्य सरकार को परियोजना रिपोर्ट केन्द्र के पास भेजनी होती है। जब तक वे नहीं भेजते, केन्द्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और यह नहीं कह सकता कि तुम इसे भेजो। इसलिए नियंत्रण और अंकुश की बहुत नाजुक प्रणाली हमने अपनायी हुई है। जब तक हम इसका पालन नहीं करेंगे। अनेक विवाद उत्पन्न होंगे और गलतफहमी होगी। उन्होंने उल्लेख किया कि हम अतिरिक्त पानी वाले बेसिन क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी उन क्षेत्रों में क्यों नहीं ला पा रहे हैं, जहां पानी की कमी है। लेकिन यह बहुत ही नाजुक समस्या है। नदी अनेक राज्यों से गुजरती है।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं?

[हिन्दी]

आप जो बात कह रहे हैं सारा सदन चिंतित है। देवेगौड़ा जी, जो देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, उन्होंने डा. के.एल. राव की रिपोर्ट पढ़ी थी कि गंगा-कावेरी लिंक प्रोजेक्ट पर

[अनुवाद]

राष्ट्रीयजल विकास एजेन्सी ने पहले ही इसका सर्वेक्षण किया है।

[हिन्दी]

उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं अमल में लाते हैं। सारी रिपोर्ट धूल खा रही है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: जी नहीं।

श्री लक्ष्मण सिंह: उस रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सम्भव है या नहीं।

[हिन्दी]

जो सरप्लस वाटर है, वह आ सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। जब उन्होंने ठीक ही कहा, और श्रीमती जसकौर मीणा ने भी इसका उल्लेख किया है। वाद-विवाद चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा जी ने भी इसका उल्लेख किया था। मैं समझता हूं कि देश में बाढ़ और सूखे का समाधान केवल यही है कि अतिरिक्त जल वाले नदी बेसिन क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में जल को अंतरित किया जाये, जहां इसकी कमी है। देश के अंदर जब तक ऐसा नहीं किया जाता बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसी तरह सूखे की समस्या से भी निजात नहीं मिल सकती।

हमारे समक्ष यह समस्या है और इससे निपटने के लिए हमने राष्ट्रीय संदर्शी योजना बनायी है। 1980 में इसे तैयार किया गया था। राष्ट्रीय संदर्शी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयजल विकास योजना एजेन्सी का गठन किया गया और वह कार्य कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा और महानदी में कैसे पानी लाया जाये इस बारे में यह एजेंसी हर तरह से इस पहलू का अध्ययन कर रही है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: रिपोर्ट बना ली है तो पटल पर रखिए, धूल खा रही है।

[अनुवाद]

वह इसे सार्वजनिक करें। इस सदन को और इस देश को इससे अवगत होने दें।

श्री अर्जुन चरण सेठी: कृपया मुझे पूरा करने दें। आप इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं एक कनिष्ठ सदस्य हूं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पर्क नहर का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया जा चुका है। ठीक इसी तरह हमने तीस सम्पर्कों में से छ: के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने पानी की अधिकता वाले नदी बेसिन से पानी की कमी वाले क्षेत्र में जल के स्थानांतरण की परिकल्पना की है।

श्री लक्ष्मण सिंह: इसे सार्वजनिक कीजिए।

श्री अर्जुन चरण सेठी: जब मैं यहां बोल रहा हूं तो इसे सार्वजनिक ही कर रहा हूं। यह सर्वोच्च निकाय है।

श्री लक्ष्मण सिंह: हम रिपोर्ट को देखना चाहते हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: इसे सभा पटल पर निश्चित रूप से रखा जाएगा। जनता निश्चय ही इससे अवगत होगी।

श्री लक्ष्मण सिंह: कब?

श्री अर्जुन चरण सेठी: जब तक डी.पी.आर. पूरी नहीं हो जाती तब तक इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता।

राष्ट्रीय संदर्शी योजना के तहत तीस संपर्क सुझाए गए हैं। पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं और व्यवहार्यता अध्ययन अब जारी है। मैं आपसे और यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि हम सभी को जो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं कम से कम राष्ट्रहित के लिए इस बात पर राजी हो जाना चाहिए कि किसी भी नदी का चाहे वह ब्रह्मपुत्र हो अथवा गंगा या महानदी हो अतिरिक्त जल जलाभाव वाले क्षेत्रों को स्थानांतरित किया जाए। जब तक राज्य इस बात के लिए राजी नहीं हो जाते तब तक केन्द्र सरकार के लिए कोई भी निर्देश देना बहुत ही कठिन है। जल एक नाजुक संतुलन है, हमें इसे बनाये रखना चाहिए। संविधान के तहत, यह राज्य का विषय है और निश्चित रूप से राज्य यह आपत्ति उठा सकते हैं कि इसमें केन्द्र क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए कई एक कठिनाइयां हैं। सौभाग्यवश, जैसाकि श्री लक्ष्मण सिंह और पूर्व प्रधान मंत्री, श्री एच.डी. देवगौड़ा ने उल्लेख किया है हम कार्य कर रहे हैं किन्तु जब तक सभी राज्य सहमत नहीं हो जाते तब तक यह हमारे लिए बहुत कठिन होगा। कुछ राज्य कहते हैं कि 'वर्तमान में किसी खास नदी में अतिरिक्त जल हो सकता है परन्तु तीस वर्षों के बाद हो सकता है उसमें अतिरिक्त जल न हो।' इस प्रकार, अनेक पेचीदगियां हैं। मैं जल संसाधनों के अंत: बेसिन स्थानांतरण का बहुत पक्षधर हूं। इसे किए बगैर, देश में बाढ़ और सूखे की समस्या से निजात नहीं पायी जा सकती।

माननीय श्री अजय सिंह चौटाला ने इस वाद-विवाद को शुरू करते हुए कुछ खास मुद्दे उठाए थे। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि अनेक परियोजनाएं दस से बीस वर्षों से अधूरी पड़ी हुई हैं। यह सच्चाई है परन्तु हम राज्य सरकारों को काफी समय से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम के तहत निधियां मुहैया करा रहे हैं। मुझे इस सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने इस कार्यक्रम के तहत 1996 से लेकर आज तक विभिन्न राज्यों को 8,400 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। ठीक इसी प्रकार, भारत के माननीय प्रधान मंत्री के निर्देश के तहत हमने इस वर्ष भी कुछ फास्ट ट्रैक परियोजनाएं चुनी हैं जिन्हें एक वर्ष अथवा दो कार्य-ऋतुओं के भीतर पूरा किया जाएगा। हम इन परियोजनाओं को शत-प्रतिशत ऋण देंगे। परन्तु जब तक राज्य सरकारें परियोजनाओं को चिन्हित नहीं करतीं और संबंधित प्रस्ताव केन्द्र के पास नहीं भेजती तब तक हम स्वयं राज्यों की मदद कैसे कर सकते हैं। हम इस कार्यक्रम के तहत, अनेक वर्षों से विलम्बित सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप अपनी खत्म करिए।

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा: मंत्री जी, आपने कहा कि जल परियोजनाएं बहुत बढ़ाई हैं। महोदय, जल परियोजनायें बहुत बनाई गई और उन पर 90 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन यह सब पैसा व्यर्थ हो गया है, क्योंकि परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी? *...(व्यवधान)* हरियाणा के बारे में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 जनवरी तक योजना पूरी हो जानी चाहिए।

सभापति महोदय: आप अपनी बात कह कर कन्क्ल्युड करिए।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी: उन्होंने एस.वाई.एल. का उल्लेख किया है। ...*(व्यवधान)* उच्चतम न्यायालय ने इन मुद्दों पर अपना फैसला पहले ही दे दिया है। हम निश्चित रूप से इससे बंधे होंगे तथा हम इसका सम्मान करेंगे। इसलिए, मुझे इसके बारे में आगे और कुछ नहीं कहना है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने भूमिगत जल के स्तर में ह्रास की बात कही है। सचमुच यह हम सभी के लिए एक चिन्ता का विषय है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन अथवा निष्कर्षण किया जा रहा है। इसलिए, हमने भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन और निष्कर्षण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए राज्यों को मॉडल विधेयक परिचालित किया है। परन्तु, मुझे यह बताते हुए दु:ख हो रहा है कि इस संबंध में राज्यों का प्रत्युत्तर बिल्कुल उत्साहजनक नहीं है। निश्चय ही कुछ राज्यों ने भूमिगत जल के इस निष्कर्षण को विनियमित करने हेतु कानूनों को लागू किया है। परन्तु यही काफी नहीं है। हम इन्हें लागू करने के लिए राज्यों को कह रहे हैं। जब तक भूमिगत जल के निष्कर्षण को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू नहीं किया जाता तब तक सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में भी यह कार्य काफी दुष्कर होगा।

महोदय, मुझे इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। तथापि, मैं जो कुछ भी मुद्दे अभी बाकी रह जाते हैं उन्हें लिखित रूप में निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को दे दूंगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात पूरी कर ली है।

[हिन्दी]

श्रीमती जस कौर मीणा: महोदय, गंगा-कावेरी परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने का मंत्री जी सदन में आश्वासन देंगे?

श्री अर्जुन चरण सेठी: इस बारे में बोल दिया है। राज्यों के को-आपरेशन की जरूरत है।

श्री रामजीलाल सुमन: महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में पांच सिंचाई योजनायें शुरू की गई थीं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सात सिंचाई परियोजनायें शुरू की गई थीं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। उन योजनाओं को अब दसवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उन परियोजनाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

दसरी बात—महोदय, 15 प्रतिशत क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और 21 प्रतिशत क्षेत्र में कम वर्षा होती है। ज्यादा पानी वाले क्षेत्र से कम पानी वाले क्षेत्र में पानी पहुंचाने की बात पर विचार करने के लिए आप राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाइए।

श्री अर्जुन चरण सेठी: बुलायेंगे।

श्री रामजी लाल सुमन: महोदय, सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करे।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी, दोनों सदन में उपस्थित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ और सुखाड़ की समस्या को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले। यह समस्या राज्य सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, वरना कोई भी मदद नहीं हो सकेगी।

श्री सईदुज्जमा: महोदय, सरकारी चीनी मिलों में गन्ना काश्तकारों का काफी बकाया है। सुकौती शुगर मिल के काश्तकार 20 तारीख से धरने पर हैं और 3 तारीख से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि काश्तकारों को बकाया राशि कब तक दिलवायेंगे, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके।

***प्रो. एस.पी. सिंह बघेल** (जलेसर): महोदय, इस समय पूरा देश या तो सूखाग्रस्त है अथवा बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। देश को विशेष तौर से उ.प्र. को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त होगा कि प्रदेश को और देश को अकालग्रस्त घोषित किया जाये।

महोदय, उ.प्र. के किसानों का कर्जा माफ किया जाना चाहिए तथा रिकवरी समाप्त कर दी जानी चाहिए। हर प्रकार का लगान माफ कर देना चाहिए। सभापति महोदय, उ.प्र. सरकार ने कुछ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। हमारी मांग है कि सम्पूर्ण उ.प्र. को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। विशेषतौर से पूरा आगरा मण्डल के सभी जिले। आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस एवं मथुरा, मैनपुरी एवं अलीगढ़ को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। महोदय, सूखे से पूरी धान की फसल चौपट हो गयी है। धान की पौध तक नहीं डल पायी है। बरसात नहीं हुयी। उ.प्र. में किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। अत: नलकूप भी नहीं चल पा रहे हैं। डीजल के दाम इतने महंगे हैं कि उससे पम्पिंग सेट चलाकर खेती नहीं की जा सकती है। नहरों में पानी नहीं है। सरकार को

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[प्रो. एस.पी. सिंह बघेल]

चाहिये कि यह जुलाई विगत वर्षों की जुलाई से भिन्न है। बारिश तो होगी, लेट होगी लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी और उ.प्र. सरकार उतना ही नहर पम्पों में पानी दे रही है जितना आम दिनों में देती थी। इस समय सूखा होने के कारण अतिरिक्त पानी देना चाहिये। यह इंतजाम जून से लेकर अगस्त तक सरकार को करना चाहिये था। महोदय, मेरी लोक सभा जलेसर में एटा जनपद के त्रिपोली, जलेसर के रजवाहे माहचुआ, सीतापुर, जिनावली, पुन्हेरा, नूहखेड़ा तथा ओडरी माइनर पोडरी माइनर नरोरा रजवाहा, बरहन रजवाहा, सादावाद में गोविन्दपुर रजवाहा जुगसना रजवाहा सिकरारी रजवाहा में पानी नहीं दे रहा है। निधौली एटा के माहचुआ रजवाहा तथा सीतापुर रजवाहा तथा सादावाद एतलादपुर का सहपऊ एवं वरहन रजवाहे की स्थिति बहुत खराब है। महोदय यदि इन रजवाहों में पानी आ जाते तो सूखे से निपटा जा सकता है। महोदय, मैं चाहता हूं कि शहर को सरकार चाहे तो 24 घंटे बिजली दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक माह के लिए उ.प्र. की सरकार को चाहे अपनी कितनी बड़ी योजना की ही क्यों न रोक देना पड़े एन.टी.पी.सी. पर अन्य किसी संस्थान से अतिरिक्त बिजली लेकर देहात और किसानों को 16 घंटे बिजली अवश्य दी जानी चाहिए। डीजल के दाम कम कर देना चाहिए।

महोदय, दो दिन से जो सूखे पर चर्चा हो रही है, उसमें ऐसे नेताओं ने भाषण दिया, जो गेहूं और जौ के बारे में फर्क नहीं जानते। जिनके बाप-दादाओं ने कभी खेती नहीं की। मैं थोड़ा हटकर बोलना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि दो दिन की बहस से किसान को क्या मिला। सभापति महोदय जब तक बाढ़ और सूखे पर दीर्घकालन योजना नहीं बनायी जायेगी काम नहीं चलेगा।

महोदय, क्या सरकार गारंटी ले सकती है कि अगले वर्ष सूखा नहीं पड़ेगा। यदि अगले साल सूखा पड़ा तो इस वर्ष हमने क्या इंतजाम किया। बहस से हल नहीं निकलेगा। विशेषज्ञों को बुलाकर ठोस इंतजाम करना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि पूरे देश में चैक डैम, छोटी-छोटी नदियों में बनाये जायें। मेरी लोक सभा की निधौली (एटा) में बहने वाली नदी इसन, करौं, सिरसा नदी तथा एतमादपुर जिला आगरा तथा सादावाद हाथरस जिले में बहने वाली करबन नदी पर चैक डैम बनाये जायें, जिससे इन नदियों के पानी को रोका जाये, जिससे सिंचाई के अतिरिक्त पशुओं के पानी का भी इंतजाम किया जाये। पानी न होने के कारण पशु रिश्तेदारियों में भेजे जा रहे हैं। भूसे का भाव बढ़ गया है। पशुओं को चारा नहीं है। बिना पानी के जो चरी है, वह जहरीली हो गयी है। उसें कीड़ा पड़ गया है, जिसे पशु खाकर मर रहे हैं।

महोदय, भविष्य में पड़ने वाले सूखे से बचाने के लिए नदियों पर चैक डेम सभी रजवाहें पम्पों की सफाई, नयी नहरों की योजना पूरे उ.प्र. के प्रत्येक गांव को या तो नहर अथवा नदी का पानी अथवा सरकारी ट्यूब वैल अथवा झील, तालाब में से किसी एक साधन से आपको जोड़ना पड़ेगा। गांवों के लोगों को सड़क, स्कूल, बिजली, पानी के अलावा ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। गिरता हुआ भू-जल स्तर जीवन के लिए खतरा होता जायेगा। वृक्षारोपण पर भी ध्यान देना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। श्री राजेन्द्र सिंह मैगसेसे पुरस्कार विजेता जैसे लोगों को प्रोत्साहन देना होगा। सेमीनार करके लोगों को जागरूक करना होगा तथा मौसम में आये परिवर्तन में अपने आपको ढालना पड़ेगा। मैं जब किशोर था, हमारे गांव के कुओं से बिना रस्सी के पानी खींच लेते थे। आज 40 फुट पर पानी है। वहां की समस्या अतिवर्षा से मक्का न होना था लेकिन धान हो जाती है, किंतु आज कम वर्षा से न तो धान हो रहा है, न ही मक्का, धान की फसल।

महोदय, मक्का की फसल पूरी तरह चौपट हो गयी है। बाजरा के लिए किसान लेट हो गया है। महोदय, सरकार उ.प्र. में किसानों को अतिरिक्त बिजली दे, अविलम्ब नहरों एवं पम्पों की पूरी तरह सफाई, जो 10 साल से नहीं हुयी है, करवाये तथा पानी भिजवाये, डीजल के दाम कम करे तथा कर्जा माफ करे। लगान और रिकवरी माफ कर दें।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): महोदय, यह चिन्ता का विषय है। सभी माननीय सदस्यों को चिन्ता है और उनके द्वारा उनके क्षेत्र की जानकारी, प्रदेश की जानकारी और बाकी जानकारियां मिल रही हैं। ऐसा व्यापक सूखा देश में आज तक नहीं पड़ा है। इस विषय पर चर्चा कल 12 बजे शुरू हुई और आज भी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं और अपनी चिन्ताओं से सदन को अवगत कराना चाहते हैं। इसकी जानकारी सबको है। 17 तारीख की सूखे की जो परिस्थिति थी वह अखबारों में भी आ चुकी है और सदस्यों ने भी इसका यहां जिक्र किया। मेरे पास जो जानकारी है और 24 तारीख तक जो वर्षा की स्थिति है तथा जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं जहां नॉर्मल से 73 परसैंट कम वर्षा पहली जून से 24 जुलाई तक हुई है और वह पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड का इलाका है। अगर सिर्फ 17 से 24 तारीख तक की स्थिति देखें तो पता लगेगा कि स्थिति और खराब हुई है। वहां नॉर्मल से 85 परसैंट कम बारिश हुई है। इसके बाद दूसरी खराब स्थिति हरियाणा और दिल्ली की है। वहां करीब नॉर्मल से 70 परसैंट कम बारिश हुई है। पिछले हफ्ते नॉर्मल से 51 परसैंट कम बारिश हुई। राजस्थान में पिछले सात हफ्तों की स्थिति देखें तो करीब 66-68 परसैंट बारिश कम हुई है। पिछले हफ्ते वहां हालात खराब हुई है। वहां नॉर्मल से 84-87 परसैंट कम बारिश हुई है। यह समस्या कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में भी

है। वहां बारिश कम हुई है। पिछले हफ्ते सौराष्ट्र और कुछ दूसरे इलाकों में यही स्थिति थी। यदि पिछले सात हफ्तों का देखें तो और राज्यों के मुकाबले स्थिति बेहतर है। हमने इसके बारे में दो दिन पहले 12 राज्यों के कृषि मंत्रियों और राजस्व मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। इसका यह मतलब नहीं है केवल सूखा उन्हीं राज्यों में है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, और नागालैंड में भी सूखा है। केरल में बारिश कम हुई है लेकिन उसका असर अभी खेती पर नहीं हुआ है। इसलिए 12 राज्यों की मीटिंग बुलायी गई थी। यह आकलन है। सूखे से सबसे ज्यादा खेती पर असर इन राज्यों में हो रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में बहुत से जिले हैं जो सूखे से प्रभावित हैं और उससे नुकसान हआ है। बारिश आगे कितनी होगी, कब होगी यह अलग सवाल है लेकिन ऑलरेडी इससे नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान कोर्स सीरियल, ऑयल सीड्स में हुआ है। प्लसिज में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मौसम विभाग का क्या अनुमान है?

श्री अजित सिंह: प्रभुनारायण जी, मौसम विभाग का भी बताएंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: प्रभुनारायण नहीं, प्रभुनाथ सिंह कहिए। *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: नारायण की कृपा हो जाती तो यह समस्या आने वाली नहीं थी। कोर्स सीरियल की अभी तक जितनी फसल बोई जाती थी, पिछले साल वह 152 लाख हैक्टेयर थी। इस साल 95 लाख हैक्टेयर फसल बोई जा सकी है। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई का समय निकल चुका है। अगर बाजरा अभी बोया जाएगा तो वह चारे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसे खाद्यान्न के लिए इस्तेमाल करना संभव नहीं है। राजस्थान की मुख्य फसल बाजरा है। हरियाणा में भी काफी बाजरा होता है। लेकिन राजस्थान की मुख्य फसल बाजरा है। इस साल समस्या सबसे ज्यादा है। सोयाबीन पिछले साल इस समय करीब 108 लाख हैक्टेयर में बोया गया था। इस समय 71 लाख हैक्टेयर में बोया गया है। सोयाबीन पर काफी असर पिछले हफ्ते पड़े हैं। यह हमारा आकलन है लेकिन पिछले हफ्ते कुछ बारिश हुई है और कुछ स्थिति में सुधार हुआ है। मैं बता चुका हूं कि नुकसान हुआ है लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि जितनी आशंका थी *...(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह: मध्य प्रदेश में पुनः बुआई करनी पड़ी जिससे बीज बेकार चला गया। यदि कुछ अनुदान दे दें तो किसानों की मदद हो जाएगी।

श्री अजित सिंह: समस्या पैडी में भी है। यह सही है कि अगले दो हफ्ते में बारिश होती है तो पैडी में काफी सुधार हो सकता है। बहुत सी पैडी अपलैंड में बोई जाती है तो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है। वहां इसका बुरा असर पड़ चुका है। अगर बारिश होती तो प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा यह बात सब जानते हैं। यह आकलन करने के बाद पता लगा कि समस्या गंभीर है। सवाल यह है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है? बहुत से माननीय सदस्यों ने लांग टर्म और शॉर्ट टर्म सुझाव दिये हैं। लेकिन इस समय हमारे सामने यह सवाल है कि जो आपदा आई है, इसमें हम क्या रिलीफ दे सकते हैं। मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमैन्ट के बारे में कुछ सवाल उठाये गये हैं। मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमैन्ट वर्षा की संभावना बताता है, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बता सकता है। हम लोगों ने दिमागों में कुछ ऐसी भावना बना ली है कि मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमैन्ट जैसे वरुण देवता हो गया है। वह वर्षा नहीं कर सकता है। *...(व्यवधान)*

मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह: सी.एन.एन. और बी.बी.सी. सही बताते हैं, लेकिन हमारे मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमैन्ट सही नहीं बताता है। उसकी भविष्याणी में थोड़ा बहुत फर्क होता है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी केवल उत्तर दें। ये सभी उत्तर का नोटिस नहीं ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप सुन लीजिए।

श्री अजित सिंह: मैं मानता हूं कि माननीय सदस्यगण काफी उद्वेलित हैं, चिंतित और परेशान हैं। वे किसानों की समस्याओं से चिंतित हैं। लेकिन यदि आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए, आपको और बात करनी हो तो आप इस सभा के बाद कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप घंटे भर मीटिरियोलाजिकल डिपार्टमैंट ने जो संभावना बताई वह सही नहीं निकली, यह ठीक है। अमरीका और इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ है। मैं उन्हें डिफैन्ड नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि वह ऐक्जैक्ट साइंस नहीं है। अगर कहीं 15 हजार किलोमीटर दूर एटमॉस्फियर में कोई डिस्टर्बैन्स हो जाए तो उसका असर यहां पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत वैरिएबल्स हैं। सब वैज्ञानिक उपकरण होने के बाद, इतना पैसा होने के बाद अमरीका और इंग्लैंड के मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमैन्ट की भविष्यवाणियां भी कई बात गलत निकली हैं। मै यह नहीं कह रहा हूं कि इस बार उनकी भविष्यवाणी सही हुई है। इससे कठिनाई हुई है। लेकिन साथ ही हम यह भी समझ लें

[श्री अजित सिंह]

और इस गलतफहमी में न रहें कि हमारे किसान मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमैन्ट की फोरकास्ट अंग्रेजी या हिन्दी के अखबारों में पढ़कर फसल बोने का काम करते हैं। मैं कई दिन से यह कह रहा था और मैंने मंत्रियों की बैठक में भी कहा कि ऑल्टरनेट क्रॉप के लिए ही बीज देख रहे हैं। इस बारे में क्या होना चाहिए। क्या वह सरकार के पास हैं या नहीं। ज्यादातर हमारा सोचना यही है कि इस बारे में हमारे किसान ज्यादा जागरूक हैं। जितने बीज की जरूरत है, वह अपने आप देखते, अपने पास रखते हैं और इंतजाम भी करते हैं। इसमें सवाल यह नहीं है कि मीटिरियोलॉजिकल डिपार्टमैन्ट का आकलन ठीक था या नहीं, लेकिन हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, आज यह सबसे बड़ी समस्या है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और साफ कह दूं कि अभी रिलीफ शुरू कर दिया जाए, यह संभव नहीं है। रिलीफ जब दिया जायेगा, जब समस्या पूरी हो जायेगी। अभी क्या आप फोडर बैंक शुरू कर देंगे, क्या अभी आप पीने का पानी देना शुरू कर देगे। अभी हमें तैयार रहना है, हमें तैयारी करनी है, हमें आकलन करना है, ताकि उस समय हम बैठकर प्लानिंग न करें। हम पहले से प्लानिंग और तैयारी कर लें और कहां कितनी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम तैयारी करें। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्र विजय सिंह: मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के चयन का क्या आधार है-वर्षा या राजनीति। मेरा जनपद रामपुर और बिजनौर के बीच में आता है। दोनों जनपद सूखाग्रस्त घोषित हो गये हैं, मेरे यहां वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन वह सूखाग्रस्त डिक्लेयर नहीं हुआ, इसका क्या आधार है।

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य अगर थोड़ा सा धैर्य रखें तो इन सब चीजों पर मैं आने वाला हूं। मेरे बोलने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और जानकारी चाहिए, भले ही यहां समय न हो, आप मेरे पास आकर फिर से बात कर सकते हैं। आप इसकी चिंता न करें। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो बातें उभर कर आई हैं, उसमें पहली यह है कि केन्द्र सरकार से यह डिमांड हो रही है, हमारे पुराने मित्र जो कभी-कभी हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप नाराज होते हैं, हम नाराज नहीं होते हैं।

श्री अजित सिंह: उन्होंने अभी कहा कि केन्द्र को यह अधिकार ले लेने चाहिए और पूरे देश में सूखे की घोषणा कर देनी चाहिए। जिस दिन केन्द्र जरा सा कदम उठाती है, सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि राज्यों को ज्यादा पावर्स देनी चाहिए। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है इसलिए इसे हम कैसे करेंगे? हमें यह खबर तो एस.डी.एम. से, पटवारी से, डी.एम. से आनी है कि कितनी फसल पैदा हई है। यह अधिकार राज्यों का है और वह घोषणा करे कि यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि हम मदद करना चाहते हैं।

अभी जो मंत्रियों की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन तक बॉय एंड लार्ज हम इतना आंकलन नहीं कर सकते कि कितना पैसा चाहिए, कितना फूड फार वर्क चाहिए या किस तरह की मदद चाहिए। अभी यह आंकलन संभव नहीं है। कुछ प्रिमिलनरी फिगर्स उन्होंने दी है। यह अधिकार क्षेत्र राज्यों का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, आज मेरे पास जो जानकारी है, शायद 39 डिस्ट्रिक्ट्स की घोषणा की है। उसका मापदंड भी प्रदेश सरकारें ही बनाती हैं और वह ज्यादातर राज्यों में यही है कि अगर 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है तो वह सूखाग्रस्त क्षेत्र की घोषणा करते हैं। कर्नाटक ने कुछ ताल्लुकों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने काफी डिस्ट्रिक्ट्स की घोषणा की है।

हम आशा करते हैं कि और राज्य भी, जैसे-जैसे वह आंकलन कर लेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। इससे काम रुक नहीं रहा है जैसा मेरे हरियाणा के साथी श्री स्वामी जी ने बताया कि कैलेमिटी रिलीफ फंड स्टेट के पास है। ज्यादातर स्टेट्स ने वह पैसा ले लिया है। कुछ स्टेट्स बची हैं जिन्होंने पहली किश्त भी नहीं ली है।

श्री लक्ष्मण सिंह: यह बिल्कुल गलत है। पिछले साल ...*(व्यवधान)* आपने कहा कि स्टेट के पास है। कृपया आप सदन को तो सही जानकारी दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैंने आंकड़े पढ़कर बताये हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उनका भाषण सुनिये।

श्री अजित सिंह: मध्य प्रदेश अपनी पहली किश्त ले चुका है। लेकिन सवाल यह नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर स्टेट्स ने ले लिये हैं और कुछ स्टेट्स ने नहीं लिया है। जैसी उन्होंने फार्मेलिटी बताई है, वह पूरी करें। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को आज सुबह ही लिखा है कि जो दूसरी किश्त अक्तूबर में दी जायेगी, स्टेट्स अगर उसे अभी मांगे तो हम उसे फौरन रिलीज करने के लिए तैयार हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह: अगर छत्तीसगढ़ नहीं बनता तो हम आपके पास नहीं आते। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारी मजबूरी है।

श्री अजित सिंह: आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूं। आपकी मजबूरी के बारे में अगर मैं कुछ निदान कर सकूं तो वह मैं करूंगा। मैं जोगी जी से बात करने की कोशिश करूंगा। शायद वह फिर आपके पास वापिस चले जायें तो आपकी समस्या हल हो जायेगी।

श्री लक्ष्मण सिंह: मेरा यह मतलब नहीं है। आप इसे थोड़ा गंभीरता से लें। *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: सभापति जी, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस विषय को गंभीरता से लें। यह गंभीर विषय है इसलिए इसमें पार्टी पोलिटिक्स के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ आदि नहीं होना चाहिए क्योंक आलरेडी समस्या है।

अभी जैसा हमारे सेठी साहब ने बताया कि हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि की समस्या है। इस समय हमको कम से कम इस तरह की बात करना कि छत्तीसगढ़ के अलग होने से मध्य प्रदेश में प्रौब्लम है या झारखंड अलग हुआ इसलिए बिहार में प्रौब्लम हुई, यह शोभा नहीं देता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कल बिहार के माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने एक सवाल उठाया था कि आप 524 डिस्ट्रिक्ट्स ही क्यों कह रहे हैं जबकि डिस्ट्रिक्ट्स तो इससे ज्यादा हैं। वह हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि 524 डिस्ट्रिक्ट्स के ही हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं। आपने सही कहा कि डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा हैं।

पहली बात तो यह है कि कैलेमिटी रिलीफ फंड है, नैशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड है जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। इसके अलावा कुछ कदम ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार भी उठा सकती है और केन्द्र सरकार भी उठा सकती है। पहली बात तो यह है कि कैलेमिटी रिलीफ फंड के अनुसार जहां फसल नष्ट हो गई है, वहां पैसा दिया जा सकता है। छोटे और सीमांत किसान को दो हैक्टेयर से कम वाले किसान को असींचित क्षेत्र के लिए एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर और जो सिंचित क्षेत्र है, उसमें ढाई हजार रुपये प्रति हैक्टेयर और जो पेरेनीयल क्राप है, उसमें चार हजार रुपये प्रति हैक्टेयर कैलेमिटी रिलीफ फंड से दिया जा सकता है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वह अपने प्रदेश सरकारों को कहें कि यह काम वह फौरन शुरू कर दें। अगर इसमें कैलेमिटी रिलीफ फंड पूरा नहीं पड़ता तो नैशनल कंटीजैंसी फंड से इसमें हम पूरी मदद देने के लिए तैयार हैं। कैलेमिटी रिलीफ फंड में यह भी प्रावधान है कि यह सहायता सिर्फ दो हैक्टेयर तक के किसानों को दी जा सकती है। हम इस सीमा को खत्म करना चाहते हैं, हम और किसानों को भी यह सुविधा देना चाहते हैं।

इसके अलावा ऐनीमल हसबैंड्री के लिए इसका बड़ा असर पड़ रहा है। उसके लिए भी इसमें कैलेमिटी रिलीफ फंड से पैसा दिया जा सकता है। फॉडर के लिए बड़े जानवरों के लिए 12 रुपये प्रतिदिन और छोटे जानवरों के लिए 6 रुपये प्रतिदिन, फिशरमैन को भी इस प्रावधान के अंदर मदद दी जा सकती है। हैंडलूम वीवर्स को भी एक हजार पर लूम की मदद और यार्न वगैरह खरीदने के लिए एक हजार पर लूम दिए जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि ओवरॉल यह काफी नहीं है लेकिन जिसकी फसल नष्ट हो गई, जिसने बीज और खाद पर खर्च किया, कम से कम उसे वह पैसा वापिस मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकारें इस पर फौरन कदम उठाने का काम करें। लेकिन उसके लिए उनको सूखाग्रस्त जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। राजस्थान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां सूखे के चौथे साल में भी किसी सूखाग्रस्त क्षेत्र की अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा।

श्री अजित सिंह: अगर माननीय सदस्य बोलने दें तो मैं और दस मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय: आपका भाषण खत्म होने के बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिजनस लिया जाएगा।

श्री अजित सिंह: फूड फार वर्क की योजना है। इसका जो असर खेतीहर मजदूरों पर पड़ रहा है, उनके लिए काम के बदले अनाज की योजना है जिसमें 50 प्रतिशत अनाज है, जो 50 प्रतिशत कैश कम्पोनैंट है, उसमें आधा केन्द्र सरकार देती है, प्रदेश सरकारों को उसमें सिर्फ 25 प्रतिशत पैसा देना है। हम उनको ऐलाऊ कर देंगे कि और जितनी योजनाएं हैं, वे अपने संसाधनों से करें या केन्द्र की और योजनाओं में जो पैसा मिलता है, उसको भी वे उसमें इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसका आकलन प्रदेश सरकारों को अभी से करना पड़ेगा कि वे क्या काम कराना चाहते हैं, किस इलाके में कराना चाहते हैं, कितने अनाज की जरूरत पड़ेगी। अभी मंत्री जी की मीटिंग में उन्होंने करीब 50 लाख टन की मांग की थी। हिमाचल प्रदेश को छोड़ कर एफ.सी.आई. के पास सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अनाज पर्याप्त मात्रा में है और हिमाचल प्रदेश में भी उसे जल्दी पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन और जो राहत हम चाहते हैं, इस बार जो सूखा पड़ा है, पहले जो सूखा पड़ता रहा है, वह उससे फर्क है-एक तो अब रबी और खरीफ का योगदान हमारी कृषि में करीब करीब बराबर है। एक बारिश या मानसून फेल होने से पूरे कृषि क्षेत्र के उत्पादन पर उतना असर अब पड़ने वाला नहीं है। दूसरा फर्क यह है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है,

[श्री अजीत सिंह]

इसलिए भुखमरी की समस्या नहीं आने वाली है। अगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ठीक काम करे, अगर प्रदेश सरकारें उचित समय पर ठीक जगह पहुंचा सकें, जिनको जरूरत है, तो भुखमरी की कोई आशंका इस बार नहीं है। मैंने कहा, ऑयल सीड्स में कुछ कमी हो सकती है लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा है। अभी भी काफी ऑयल सीड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं। इस बार कन्ज्यूमर्स को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और खेतीहर मजदूरों पर ज्यादा पड़ने वाला है। इसलिए किसानों ने जो लोन ले रखा है, हम उनको ऐडवाइज कर रहे हैं कि आप इसकी वसूली अभी रोक दें। जैसे-जैसे परिस्थितियां होती हैं, अगर कुछ समय का ऋण, एक फसल के लिए जो ब्याज वे देते हैं अगर उसे माफ कर सकें, यह भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि यह मामला आर.बी.आई. में जाएगा, कोआपरेटिव बैंक का मामला है जो स्टेट के अधिकार में है और हम आपके माध्यम से यह भी कहना चाहेंगे कि कोआपरेटिव से जितना फर्टीलाइजर किसानों ने लिया है, उसमें भी वसूली पर प्रदेश सरकारें रोक लगाने का काम करें।

यह आशंका जताई गई कि फूड फार वर्क का पैसा कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा। सबको मालूम है कि यह आशंका ही नहीं है, बहुत सी जगह सत्य भी है। लेकिन इसका निदान क्या है, क्योंकि हम प्रदेश सरकारों का अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हम वहां जाकर चैक नहीं कर सकते हैं कि क्या काम किया, क्या नहीं किया, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर माननीय सदस्यों को किसी तरह हम इस काम में इन्वोल्व कर सकें, लोक सभा के सदस्य, राज्य सभा के सदस्य, एम.एल.एज, जिला परिषद के सदस्य और जितने इलैक्टिड लोग इसमें इन्वोल्व हैं, जितना जनता को पता हो कि इतना पैसा आ रहा है, उसी में उसके दुरुपयोग की आशंका कम हो सकती है, इसलिए हम यह कोशिश करेंगे कि जितने भी राहत के काम के लिए यहां से पैदा दें, उसमें माननीय सदस्यों को इन्वोल्व करने का काम करे।

पानी की समस्या के बारे में आपने सुना। पानी की समस्या सूखे की नहीं है। यह आशंका है कि आगे जाकर पानी की समस्या होनी है, यह सब को मालूम है। इसके दो ही निदान हैं। एक तो हमारे देश में बहुत दिनों से एक भावना, पब्लिक ओपिनियन बन रही है कि बांध बनाना खराब चीज है, इससे पर्यावरण खराब हो जाता है, इसलिए या तो कोर्ट में चले जाओ या धरना दो और बांध मत बनने दो, किसी तरीके से तीन महीने हमारे यहां मानसून है। सारी वर्षा तीन महीने में ही होनी है और वह बह जायेगी, अगर आप उसको रोकने का काम नहीं करोगे तो पानी की समस्या हल होने वाली नहीं है। ठीक है जो डिस्पेस्ड होते हैं, उनका ठीक से इन्तजाम करना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए, उनका ठीक तरह से इन्तजाम होना चाहिए, लेकिन आप सारे देश की परिस्थिति अगर देखेंगे तो कब तक आप जो पानी बह रहा है, उसको रोकने का काम नहीं करेंगे, तब तक पानी की समस्या हल होने वाली नहीं है। दूसरी बात है कि जो हमारे ट्रैडीशनल मैथड्स रहे हैं, हमको फिर से उसमें जाना है, जो पानी के संचारण की, वाटर कंजर्वेशन के जो हमारे ट्रेडीशनल मैथड्स रहे हैं, हमारे कुएँ, बावड़ी, जोहड़, तालाब और इस बारे में सरकार ने कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इसमें कम्युनटी इन्वोल्वमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये योजनाएं वहीं सफल हुई हैं, जहां कम्युनिटी इन्वोल्वमेंट हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह लांग टर्म अगर पानी की समस्या को देखना है तो बाकी सेठी साहब ने कहा कि आपस के झगड़े तो निपटाने हैं, लेकिन जो एक भावना, पब्लिक ओपीनियन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग चुप हैं, अगर बड़े बांधों की भी जरूरत है और साथ ही कंजर्वेसन की स्कीम है। इसमें कई मिनिस्ट्रीज ने बहुत सी स्कीम्स चला रखी हैं। समय नहीं है, मैं आप सब को डिटेल देने के लिए तैयार हूं और जब से ये योजनाएं चली हैं, करीब-करीब 28 मिलियन हैक्टेयर में हमने कोशिश की है कि जो रेन फैड एरियाज हैं, उसमें पानी का वाटर लेवल कैसे ऊपर हो, किस तरह पानी का इस्तेमाल हो। 28 लाख हैक्टेयर जमीन को उसमें ट्रीट किया गया है।

एक बात और भी है कि सिंचाई का इन्तजाम नहीं किया गया, इसलिए यह सारी समस्या आई है। पंजाब तो सिंचित एरिया है, हरियाणा भी सिंचित एरिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी सिंचित एरिया है। इरीगेशन मानसून को रिप्लेस नहीं कर सकता, मानसून को सप्लीमेंट कर सकता है। पानी तो वहीं से आना है, आज हमारे जो पानी के बड़े-बड़े 70 भण्डार हैं, रिजर्वायर्स हैं, उनमें पिछले साल के मुकाबले में 47 परसेंट पानी इस समय है। जब तक पानी नहीं आयेगा, यह समस्या होगी।

हम रिलीफ के लिए तैयार हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस समय इस रिलीफ में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रदेशों से बात कर रहे हैं। रिपोर्ट तो वैसे भी आती रहती हैं। कैबिनेट सैक्रेटरी ने भी मीटिंग ली थी, एग्रीकल्चर सैक्रेटरी ने भी सब स्टेट्स से बात की थी, लेकिन मंत्री लोग और राजनैतिक लोगों को सिर्फ सरकारी रिपोर्ट ही नहीं मिलती, उनके कांस्टीट्वेंट्स भी उन्हें आकर बताते हैं कि क्या समस्या है। जो परेशानियां हो रही हैं, उस आधार पर ऐसी मीटिंग बुलाई थी, उसमें एक आकलन हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि वर्षा होने वाली है, यह तो मैं क्या, मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी नहीं कह रहा है। लेकिन अगर 5-10 दिन में वर्षा आ जाती है तो स्थिति में फर्क होगा। अगर वर्षा नहीं होती है तो स्थिति बहुत भयंकर होगी। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए

और यह आशा करनी चाहिए कि अगर वर्षा हो जाये तो सभी का इसमें भला है। धन्यवाद।

श्री सईदुज्जमा: जो गन्ने के काश्तकारों का मिलों पर बकाया है, उसके जवाब आपने नहीं दिया।

श्री अजित सिंह: एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा गन्ना किसानों का पैसा अभी मिलों ने उनको नहीं दिया है। हमने कृषि मंत्रियों को भी कहा है और हम मुख्य मंत्रियो को भी लिख रहे हैं। जितनी जल्दी आप इस समय किसानों के ऊपर जो पैसा बकाया है, रोक लगनी चाहिए और किसानों को जो देना है, वह जल्दी से देने की कोशिश करें। इसमें आप सबके सहयोग की जरूरत है।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): फसल बीमा योजना के बारे में भी कुछ कहें।

श्री अजित सिंह: फसल बीमा योजना में बहुत कमी आई है। बहुत से सदस्यों ने इस पर अपने सुझाव दिए हैं। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कमी है, लेकिन जिन राज्यों ने इसे लागू किया है, वहां बहुत फायदा नहीं हुआ है। पंजाब, हरियाणा में यह लागू नहीं है। गुजरात में सन् 1999 से अभी तक चार सीजन में 77,500 लाख रुपए बीमा योजना में केन्द्र सरकार ने दिए। इसी तरह से यहां से 11,800 लाख रुपए आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं। करीब-करीब 12,000 लाख रुपए कर्नाटक को दिए हैं। 12,000 लाख रुपये से ज्यादा महाराष्ट्र को दिए हैं। 10,000 लाख रुपए के लगभग मध्य प्रदेश को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 800 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। इसलिए बीमा योजना के बारे में मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। आप इंडिविजुअली आंकड़े पूछ रहे थे, यह सब दिये जा सकते हैं। झारखंड में नहीं है, न ही वहां कोई क्लेम हुआ है। यह सब सूचना मैं आप लोगों को दे दूंगा। कृषि बीमा योजना एक अच्छी योजना है। कम से कम राजस्थान जैसे राज्य से मैं बहुत आशा करता था, लेकिन उतनी वह पूरी नहीं हुई। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात आदि राज्यों में जहां प्राकृतिक आपदाएँ आई हैं, वहां किसानों ने आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। उसका फायदा भी उन्हें हुआ है। हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सिंचाई के साधन हैं, लेकिन वहां के किसानों को लग रहा था कि कोई रिस्क नहीं है इसलिए उन्होने ज्यादा हिस्सा नहीं लिया मैं चाहूंगा सब राज्य इसमें भागीदारी करें।

श्री मुलायम सिंह यादव: सभापति जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने आंकड़े दिए कि इतनी फसल बोई जा चुकी है, लेकिन क्या आपके अधिकारियों ने यह भी रिपोर्ट दी है कि उसमें से कितनी फसल सूख गई हैं? मेरी जानकारी के अनुसार फर्रुखाबाद, इटावा में जो मक्का बोया गया, उसमें से 90 प्रतिशत सूख गया है। जहां तक सोयाबीन की बात है, वह कई जगह दोबारा बोया गया। बुंदेलखंड में भी जो बोया था, वह भी बर्बाद हो गया है। क्या अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी कि इतना बोया गया और उसमें से इतना नष्ट हो गया? अगर यह जानकारी आपके पास है तो हमें बताएं। आप यह कहते हैं कि गल्ले की कोई कमी नहीं है, भंडार भरे पड़े हैं, हम पहुंचा देंगे। क्या इन मजदूरों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा है, क्या छोटे किसानों के पास इसे खरीदने के लिए पैसा है? मैंने कल कहा था कि हमने ऐसे अवसर भी देखे हैं कि भंडारों में अन्न भरा है, लेकिन उसके बाद भी हमने लोगों को सड़कों पर भूख से मरते देखा है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे है? किसानों पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वह कर्जा बैंकों का हो। आपने वसूली के बारे में कहा कि स्थगित करेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि वह बढ़ता चला जाएगा। अगले साल पूरी वसूली करेंगे तो उनके पास पैसा कहां से आएगा। आपने कहा है कि थोड़ा बहुत ब्याज माफ करेंगे। क्या कर्जा भी माफ करने का विचार है?

श्री अजित सिंह: हमें क्षेत्रफल की पूरी खबर है कि कितना बोया गया। जैसे मक्का है, बाजरा है, यह काफी कम बोया गया है। कुछ क्षेत्रों से खबर है कि वह नष्ट हुआ है। लेकिन राज्यों के राजस्व मंत्रियों और कृषि मंत्रियों का कहना है कि पूरा आंकलन करने में समय की जरूरत है। जो रिलीफ की बात है, किसानों को पैसा देने की बात, सी.आर.पी.एफ. से शुरू कर सकते हैं। हम उसके लिए तैयार हैं। फूड फार वर्क भी लागू करेंगे। गरीब आदमी के पास खरीदने की क्षमता नहीं है इसलिए हम 50 प्रतिशत फ्री फूड फार वर्क के लिए पैसा दे रहे हैं। उसमें 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे ही है, प्रदेश सरकारों से भी कह रहे हैं कि वह 25 प्रतिशत दें, कैश कम्पोनेंट वह और योजनाओं से ले सकती हैं। 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है। प्रदेश सरकार से हम कह रहे हैं कि वह कंपोनेंट के रूप में 25 प्रतिशत दे तथा अगर उसको जरूरत पड़े तो अन्य योजना भी वह ले सकती है। लेकिन बहुत सी प्रदेश सरकारें ऐसी हैं कि मैं मानता हूं कि उनके लिए यह पैसा भी देना मुश्किल हो जायेगा। उसके बारे में भी हम यहां वित्त मंत्री जी से और प्रधान मंत्री जी से बात कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो प्रदेश सरकारों को वह पैसा दे जिससे वह फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जैसा मैंने पहले कहा, खासकर खेतिहर मजदूरों और सीमान्त किसानों के लिए यह बहुत जरूरी योजना है। आपने यह सही कहा है और हम जानते हैं कि इस समय तुरंत रिलीफ देने की जरूरत है और उनसे वसूली न की जाए लेकिन अगर उनका ऋण बढ़ता रहेगा, ब्याज बढ़ता रहेगा तो इससे समस्या तो होगी। उस पर मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये ऐसे सवाल हैं

[श्री अजीत सिंह]

जो ब्रोडर सवाल हैं और वित्त मंत्री जी से और सबसे बात करके कुछ होगा और हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रदेश सरकार भी इसमें कर सकती है। को-आपरेटिव के लोन से भी वह कर सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): कल मैंने कहा था कि एफसीआई का 65 लाख टन गेहूं खुले में पड़ा है और अधिकारी लोग उस सड़े हुए गेहूं को सूखा राहत कार्यक्रम में लेने की योजना बना रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देंगे? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सब लिखा-पढ़ी करके बाद में मंत्री जी से मिल लेना।

श्री चन्द्र विजय सिंह: सभापति महोदय, मुरादाबाद को सूखा प्रभावित जिला घोषित नहीं किया गया है जबकि बिजनौर और रामपुर को किया गया है क्योंकि मेरे जनपद में माननीय मुलायम सिंह जी का भी क्षेत्र आता है। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: न इटावा इंक्लूड हुआ है और न ...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: देखिए, इटावा और मैनपुरी सबसे पहले किये गये हैं। ...*(व्यवधान)* मेरे पास रिपोर्ट है। ...*(व्यवधान)* हो सकता है कि पदाधिकारियों ने रिपोर्ट न भेजी हो। जब मेरठ हुआ तो मैनपुरी उसके साथ हआ। ...*(व्यवधान)* हम आपसे आशा करते हैं कि आप भी वहां जागरूक रहेंगे और उस सड़े हुए गेहूं का इस्तेमाल नहीं हो सके, उसके लिए कहेंगे।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हम तो कहेंगे।

श्री अजित सिंह: हम भी कहेंगे। मेरे पास 39 की लिस्ट है। मुझे नहीं मालूम, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं। यह प्रदेश सरकार का काम है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.48 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए नीति बनाना– *वापस लिया गया*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अब आज की कार्यसूची की मद संख्या 14 पर चर्चा प्रारंभ करेगी।

श्री पुन्नूलाल मोहले द्वारा प्रस्तावित पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए नीति संबंधी संकल्प पर आगे चर्चा शुरू करने से पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस संकल्प पर $2^{1}/_{2}$ घंटा चर्चा पहले ही हो चुकी है। इस संकल्प पर चर्चा हेतु आवंटित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। सभा इस संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाती है।

क्या यह सभा इस बात के लिए अपनी सहमति देती है कि इस संकल्प के लिए आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: क्या इस पर सभा की सहमति है?

कई माननीय सदस्य: जी हां।

श्री सुबोध राय (भागलपुर): मैं श्री मोहले जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस संकल्प के माध्यम से, देश के करोड़ों लोग जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के बारे में अपनी चिंता जाहिर की है और भारत सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। आजादी के पचास साल के दरम्यान हमने अभी तक देखा है कि अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी जो गांवों में रहती है, अनेक राज्यों में देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े लोग हैं। इसके अलावा और भी समुदायों के लोग हैं जिनकी स्थिति इतनी बदतर है कि वर्णन करना मुश्किल है। कोई भी राष्ट्र तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता है, तब तक प्रगति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है, तब तक क्षमता के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक कि उसका समग्र विकस न हो। सभी जातियां, सभी समूह और सभी क्षेत्रों के लोगों को समग्र विकास का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए खास तौर से इस संकल्प में छत्तीसगढ़ राज्य की चिन्ता व्यक्त की गई है। छत्तीसगढ़ के लोगों का विकास होना ही चाहिए, लेकिन मैं अपने राज्य बिहार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि जब बिहार का पुनर्गठन भी नहीं हुआ था, तब भी बिहार की स्थिति बदतर थी। बड़े पैमाने पर घरेलू उद्योग या बड़े उद्योग हों, चाहे शिक्षण संस्थायें, हों, चाहे स्वास्थ्य की स्थिति हो, कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। आज जबकि बिहार का पुनर्गठन हो गया है, विभाजन हो गया है, तो स्थिति और भी बदतर है। बिहार शिक्षण संस्थाओं से पूरी तरह से वंचित हो गया है। आपको जानकारी होगी, जब पुनर्गठन अधिनियम बनाया था, तो उसके प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, भारत सरकार के रक्षा

विभाग के अधीन जो सैनिक स्कूल थे, तिलैया और हजारीबाग में, जहां पर बिहार के छात्रों का नामांकन होता था, वहां कुछ ऐसे नियम बनाकर, कछ ऐसे प्रावधान करके, बिहार के मेधावी छात्रों और छात्राओं को वंचित करने का काम किया जा रहा है। उसमें अब 67 परसेंट नामांकन झारखण्ड के लिए जायेंगे और 33 परसेंट नामांकन मैरिट टैस्ट के आधार पर किया जाएगा। इस तरह से बिहार के छात्रों के साथ काफी नुकसान होगा। ऐसा करने से बिहार में शिक्षा का स्तर और गिरेगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक बिहार में उसी स्तर की शिक्षण संस्थायें, सैनिक स्कूल का निर्माण नहीं हो जाता, उसकी स्थापना नहीं हो जाती, तब तक बिहार के साथ इस तरह से घोर अन्याय होता रहेगा।

प्रदेश में पावरलूम सैक्टर और हैण्डलूम सैक्टर में लाखों-लाख लोग हैं, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनायें हैं, चाहे रेशम से संबंधित हों या अन्य क्षेत्रों से, उनको हटाने का काम कर रही है। इस तरह से कार्यवाही की जा रही है, जिससे जो पिछड़े लोग हैं, बड़े पैमाने पर जो अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनकी स्थिति को और खराब करने का काम किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि बिहार के ऐसे इलाके जो पिछड़े हैं, जहां कृषि कार्य बाधित है, जहां बड़ी-बड़ी योजनाएं लम्बित हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की समस्या है, उनमें सुधार लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटाए जाएं। बिहार के पिछड़े इलाकों को ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाने के लिए केन्द्र सरकार को अवश्य जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संकल्प में ठीक कहा गया है कि सरकार को इसके लिए एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। उसे पांच साल का समयबद्ध कार्यक्रम बना कर उसे पूरा करने की गारंटी देनी चाहिए। केन्द्र सरकार ऐसे तमाम इलाकों को चिंहित करने का काम करे। वहां के जन प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के साथ बैठकर, इस संबंध में विचार-विमर्श करके कार्य योजना तैयार करे तभी इलाके के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जा सकते हैं। इस ओर सरकार तत्काल कदम उठाए। आज देश में बहुत सी अलगाववादी और आतंकवादी ताकतें हैं। लोगों में क्षेत्रवाद का भूत पैदा हो रहा है। इससे अनेकों तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। सरकार उन नीतियों पर अमल करना बंद करें जिनसे यह समस्या उत्पन्न होती है।

हम देख रहे हैं कि आज रेल का सवाल है। यह समस्या जिस तरह पैदा हो रही है उससे निपटना होगा। आज उद्योग की समस्या है। इसी तरह और भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। केन्द्र सरकार को ऐसी नीति पर अमल करना चाहिए जिससे देश का विकास हो। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कोई हानि न पहुंचे, इसके प्रति गम्भीर रवैया अख्तियार करना चाहिए। जनतंत्र को कायम रखने के लिए उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। सबसे आखिरी बिन्दु पर जो इन्सान है, उनके उत्थान के लिए भारत सरकार को पुरजोर कदम उठाने चाहिए। आज गरीब दलित शिक्षा और दूसरे साधनों से वंचित है। उसे ऊपर उठाने की आवश्यकता है। सरकार सही दृष्टिकोण और नीति अख्तियार करके कार्यक्रम पूरा करने के लिए कार्य योजना पर अमल करे ताकि चारों तरफ से देश के विकास की तस्वीर सामने आ सके। जनता का विश्वास देश की परम्पराओं, संविधान और जनतंत्र के प्रति ज्यादा से ज्यादा बना रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आज सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन एक वैश्विक घटना है। यह किसी खास क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसलिए हमें इस परिप्रेक्ष्य में भारत में हो रहे असमान विकास की जांच करनी होगी। यहां तक कि हमारे देश को इस आधार पर विभाजित किया गया। इसका विभाजन सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। भारत का पाकिस्तान और भारतीय संघ में विभाजन इसी असमान विकास और एक खास समुदाय के लोगों के प्रति बरते जा रहे भेदभाव की वजह से हुआ था। महोदय, सिर्फ प्रशासनिक परिवर्तन से यह समस्या नहीं सुलझेगी। हाल ही में, हमने सिर्फ इस वजह से कि छोटी प्रशासनिक ईकाई समस्या को सुलझाने में समर्थ होगी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तथा बिहार से झारखंड को अलग करके अपने देश को भी विभाजित कर दिया है।

अपराह्न 4.00 बजे

हमने यह सोचा कि हम अपेक्षाकृत छोटी प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से पिछड़ेपन से मक्ति पा सकते हैं। परिस्थितियां इस हद तक पहुंची हैं कि हाल में अभी परसों पी.एम.के. नेता, श्री रामदास द्वारा एक नया सिद्धांत विकसित किया गया है। वे चाहते हैं कि जाति के आधार पर देश को और बांट दिया जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि तमिलनाडु के दो राज्यों में विभाजित कर देना चाहिए जिसमें से एक की सत्ता उच्च वर्गों के हाथों में होगी तथा दूसरे की सत्ता तथाकथित पिछड़े वर्गों के हाथों में। यही सिद्धांत है जिसे पी.एम.के. नेता श्री रामदास ने हाल ही में प्रतिपादित किया है। हम इस संकट तक पहुंच चुके हैं।

हम झारखंड को बिहार से तथा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इसी वजह

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

से यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। पूरे विश्व में यही स्थिति है। आज स्वयं भारत में विकास की दृष्टि से शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अंतर है। हमारे देश में अभी भी असमान विकास हो रहा है। शहरों का विकास उच्च स्तर का होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र स्वाभाविक रूप से प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किए जाएंगे।

भारत में सामाजिक पिछड़ेपन के अन्य कारण हैं क्योंकि यहां युगों से जाति-प्रथा रही है जिसमें समाज ने एक बड़े वर्ग को अछूत के रूप में माना जाता रहा है। उनको सार्वजनिक रास्तों पर चलने व सार्वजनिक संस्थानों में प्रवेश पाने की अनुमति नहीं थी, वे सार्वजनिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। इससे एक गम्भीर स्थिति पैदा हुई जिसके तहत समाज का एक बड़ा वर्ग अछूत के रूप में बना रहा और उन्हें भारत के नागरिक के रूप उन्नति करने की अनुमति नहीं दी गयी। यह सामाजिक पिछड़ेपन के कारणों में से एक है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में धार्मिक भेदभाव भी व्याप्त है जिसने असमान विकास को संभव बनाया है। इस प्रकार, ऐतिहासिक कारणों के साथ-साथ धार्मिक कारण भी हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हमारे देश में प्रचलित जाति-प्रथा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस बात को स्वीकार करेगा कि वैश्विक स्तर पर असमान विकास की स्थिति है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफ्रीका में काले लोगों के देशों के लिए जो मानदंडों के हिसाब से काफी नीचे थे तथा जहां लोग गरीबी रेखा से काफी नीचे गुजर-बसर कर रहे थे एक सामाजिक विकास योजना तैयार की। भारत में भी यही स्थिति है। जब आप भारत के विकास के बारे में सोचते हैं तो आप पायेंगे कि लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पूरे भारत से लोग मुम्बई में आ रहे हैं क्योंकि यह औद्योगिक दृष्टि से विकसित नगर है, सभी उद्योग वहां केन्द्रित है, यह रेलवे का एक मुख्यालय है तथा लगभग सभी विकास एक खास जगह पर केन्द्रित है। ठीक इसी कारण से अन्य महानगरों जैसे चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में वृद्धि हुई है। इसलिए लोग इन स्थानों के लिए रुख कर रहे हैं। इस दौरान प्रशासनिक ढांचा का पूरी तरह से नजरअंदाज हुआ है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हमें ट्रेन पकड़नी है लेकिन पैनल ऑफ चेयरमैन में से कोई चेयरमैन उपस्थित नहीं है। इसलिए अगर सदन सहमत हो तो श्री अनादि साहू को पीठासीन अधिकारी के लिए बुलाया जाता है।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): ठीक है, हम सहमत हैं।

अपराह्न 4.05 बजे

[श्री अनादि साहू *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं भारत में शहरों के असमान विकास के बारे में बात कर रहा था। अब, हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ शहरों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे अधिक जनसंख्या विस्फोट मुम्बई में हुआ है। अधिकतर उद्योग अब बन्द हो गए हैं। मुम्बई में विकसित हुआ वस्त्र उद्योग अब इस जनसंख्या विस्फोट और इस असमान विकास के कारण बन्द हो गया है। पूरे भारत से लोग, विशेषकर बेरोजगार लोग कुछ स्थानों पर, विशेषकर मुम्बई जैसे शहरों में, एकत्र हो रहे हैं। इससे ही जनसंख्या विस्फोट हुआ है। इसमें न केवल जनसंख्या विस्फोट हुआ है बल्कि इससे पर्यावरणीय प्रदूषण भी फैला है। दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरणीय प्रदूषण की है। दूसरी यातायात की समस्या है। इन शहरों में असमान विकास के कारण यातायात की स्थिति बहुत दयनीय है।

इस बीच, अब हम शहर में मैट्रो रेलवे का निर्माण कर रहे हैं। किंतु हम ग्रामीण सड़कों की उपेक्षा कर रहे हैं। क्या गांवों की सड़कों पर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है? यह विकास समान कैसे हो सकता है? हम करोड़ों रुपयों से शहर में मैट्रो रेलवे का निर्माण कर रहे हैं, किंतु हम पूरे देश में गांवों की सड़कों की उपेक्षा कर रहे हैं। ग्रामीण लोगों को प्रकृति की दया पर छोड़ दिया गया है। क्या स्थिति यह नहीं है? पूरा धन विशेष पर ही खर्च किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। अब, इस संबंध में हमने कई कदम उठाए हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि प्रशासनिक ढांचे से इस मामले में कोई मदद करेगी तो इसमें को मदद नहीं मिलेगी। हमने छोटे राज्यों का सृजन किया है, यहां तक कि छोटी प्रशासनिक इकाईयां के सृजन से भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। यदि इससे समस्या का समाधान हो सकता तो छत्तीसगढ़ और झारखंड का विकास हो जाता; किंतु उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी कई शिकायतें हैं। हम यह नहीं कह सकते कि ये क्षेत्र विकास कर चुके हैं।

पहले हमारा विचार यह था कि भाषा के आधार पर देश का विभाजन करके, हम विकास कर सकते हैं। अत: यहां भाषायी प्रांत हैं। तेलगुभाषी बहुल क्षेत्र को आंध्र प्रदेश के रूप में पृथक राज्य बना दिया गया। तमिल भाषी बहुल क्षेत्र को तमिलनाडु राज्य बना दिया गया। मलयालम भाषी बहुल क्षेत्र को केरल के रूप में अलग कर दिया गया। इसी प्रकार, महाराष्ट्र बनाया गया। अत: भाषायी

प्रांतों का गठन किया गया। असमान विकास का एक कारण यह भी है। यहां तक कि भाषायी आधार पर राज्यों के गठन से भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्थिति अब भी पहले जैसी ही है। इसकी अपनी ही समस्याएं हैं। भाषायी आधार पर देश के विभाजन से समस्या का समाधान नहीं होगा। देश के विभाजन या प्रशासनिक आधार पर गांवों के विभाजन से समस्या का समाधान नहीं होगा। मूल समस्या है मामलों के प्रति हमारा गलत दृष्टिकोण। जब तक हम इन मामलों को सही दृष्टिकोण नहीं अपनाते, तब तक समस्या जस की तस बनी रहेगी। अभी भी हम राज्यों के प्रति भेदभाव वाला दृष्टिकोण अपना रहे हैं। पहले जब हमने स्थिति पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी, उस समय भी मध्य प्रदेश के सदस्यों ने बहुत सी शिकायतें की थी कि उनके राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार की भी कई शिकायतें हैं कि केन्द्र सरकार उसके साथ भेदभाव करती है। इस प्रकार लगभग सभी राज्यों की शिकायतें हैं। सूखे की स्थिति पर चर्चा के दौरान हमने यह जाना। इसलिए, जब तक हम व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते, जब तक प्रशासक व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाते तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, क्या आप अब अपना भाषण समाप्त करेंगे?

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे आपका परामर्श स्वीकार है।

तो मुद्दे पर आता हूं। इस समस्या का समाधान विभाजन से नहीं किया जा सकता। इन सभी सिद्धांतों से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका समाधान तभी होगा जब हम व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायेंगे। किंतु निकट भविष्य में यह संभव नहीं है। यह मेरा विचार है। अत: मुद्दा अभी ऐसा ही रहेगा। हमें किसी प्रकार इसका समाधान खोजना ही होगा। लोगों को वचनबद्ध होना होगा। उन्हें महसूस होना चाहिए कि वे इस मुद्दे के प्रति गंभीर हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। समानता के लिए शोर मचाने वाले लोगों को स्वयं को पुन: संगठित करना पड़ेगा और उन्हें इस मामले के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। केवल इस प्रतिक्रिया से ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: इससे पहले कि मैं श्री रामजीलाल सुमन को इस मुद्दे पर बोलने के लिए बुलाऊँ, मैं सभी माननीय सदस्यों से इस बात का ध्यान रखने का अनुरोध करूंगा कि इस चर्चा के लिए हमने केवल आधे घण्टे का समय ही नियत किया है। यदि हम इसे अगले पांच-सात मिनटों में समाप्त नहीं करेंगे तो माननीय मंत्री के लिए इसका उत्तर देना संभव नहीं होगा। उसके बाद, श्री मोहले कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कम से कम मुद्दे उठाएँ।

अब श्री सुमन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति जी, श्री पुन्नू लाल मोहले का यह संकल्प अच्छा है जिसमें देश के और विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने की बात कही गई है और पांच वर्षों में उस नीति का क्रियान्वयन हो जाए, यह भी है। क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए इस पर लम्बी बात ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विषय पर अभी छ: माननीय सदस्यों ने बोलना है। अगर एक-एक माननीय सदस्य को पांच-पांच मिनट भी दिए जाएं तो तीस मिनट हो जाएंगे। यदि सदन की सहमति हो तो इस विषय पर तीस मिनट का समय एक्सटैंड कर दें।

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): इस पर चर्चा करने के लिए हम कुल 45 मिनट का समय ले सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अध्यक्षपीठ का विनिर्णय है कि इसके लिए केवल तीस मिनट तक का ही समय बढ़ाया जायेगा। हम इसके लिए तीस मिनट का समय बढ़ा चुके हैं। बढ़ाया गया समय ही समाप्त होने को है। दो ही मिनट में बढ़ा हुआ समय भी समाप्त हो जाएगा। तब किसी और संकल्प पर विचार करना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह उचित होगा यदि श्री सुमन इसे दो-तीन मिनटों में ही समाप्त कर दे। यदि अन्य माननीय सदस्य इस पर आगे और न बोलने पर सहमत हों तो हम माननीय मंत्री से उत्तर देने और इसे समाप्त करने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम दूसरे संकल्प पर विचार नहीं कर पाएंगे। फिर समय पुन: बढ़ाना होगा।

श्री विक्रम केशरी देव: दूसरे संकल्प, यह अगली बार विचार किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैंने बोलने के लिए नोटिस दिया है।

सभापति महोदय: आपका नोटिस है। मेरा, माननीय सदस्यों से केवल सहयोग करने का अनुरोध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम इसे अभी समाप्त कर सकते हैं या आप इसके लिए तीस मिनट और देना चाहेंगे क्योंकि इस चर्चा के लिए हमने तीस मिनट का समय ही बढ़ाया था। पहले इस चर्चा के लिए केवल दो घण्टे ही नियत किये गये थे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): क्या दूसरे संकल्प पर आज ही विचार किया जायेगा या उस पर बाद में विचार किया जायेगा?

सभापति महोदय: यदि यह समाप्त होता है तो दूसरे संकल्प पर आज ही विचार किया जायेगा। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि इस संकल्प विशेष के लिए पुन: तीस मिनट का समय बढ़ाया जाये या फिर हम इसे यहीं समाप्त कर दें। सभा बताए कि इसके लिए समय बढ़ाया जाये या नहीं।

[हिन्दी]

अगर सब सहमत हों तो इसका समय एक्सटैंड किया जाएगा।

श्री विक्रम केशरी देव: एक्सटैंड कर दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: तो आप समय बढ़ाने के पक्ष में हैं। क्या यह सभा की राय है कि समय को आगे बढ़ाया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: तो, हम इसके लिए तीस मिनट का समय और बढ़ाते हैं। श्री सुमन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): पिछले काफी समय से मेरा रैजोल्यूशन स्टैंड करता आया है। इस चर्चा को बहुत लम्बा समय हो गया है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो समय सीमा है, उस समय सीमा के भीतर यह पूरा हो।

सभापति महोदय: अभी सहमति हो गई। अब 30 मिनट का एक्सटेंशन हो जायेगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान: सभापति महोदय, मेरा भी आग्रह है कि प्रहलाद जी जिस विषय पर अशासकीय संकल्प लाने वाले हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कई सप्ताहों से वह लम्बित है, इसलिए समय सीमा में इस विषय को आप समाप्त करें ताकि उनको अवसर मिल सके।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मद पर चर्चा 30 मिनट में, ही समाप्त की जाए और इसके लिए आगे समय न बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री रामजी लाल सुमन, कृपया संक्षेप में कहिए और पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति जी, यह एक अच्छा संकल्प है और मैं समझता हूं कि जो देश के गरीब सूबे हैं, गरीब राज्य हैं, उन सूबों की गरीबी दूर करने के लिए, वहां के लोगों की माली हालत ठीक करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को कुछ सार्थक प्रयास करने चाहिए। हमारे देश में दौलत की कमी नहीं है, मैं नहीं कहता कि आजाद हिन्दुस्तान में दौलत न बढ़ी हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दौलत अगर बढ़ी है तो उन्हीं लोगों के पास में, जहां पहले से दौलत थी। आम आदमी के साथ जो इंसाफ होना चाहिए, आम आदमी की जो माली सुधरनी चाहिए, वह नहीं सुधरी। जहां तक ग्रामीण अंचल का सवाल है, हम लोग ईमानदारी से देखें तो अगर मतदाता सूचियां ठीक बन जायें, तो लगभग आधे मतदाता गांव में रहते नहीं हैं। गांव का जो सम्पन्न व्यक्ति है, वह सबसे पहले अपना ठिकाना शहर में बनाता है, जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वही गांव में काम कर रहा है और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कोई स्थाई रोजगार का बन्दोबस्त गांव में नहीं है। इसलिए वे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। काम शहर में भी नहीं है। जो गांव का आदमी शहर में चला जाता है, उसके सामने बड़ी अजीब दुविधा पैदा हो जाती है।

"तुम्हारे शहर में आये तो गांव से भी गये,
मकां की आस में पेड़ों की छांव से भी गये।"

रोजगार कहीं नहीं है। कृषि को पर्याप्त संरक्षण नहीं है। पिछले बजट में कृषि के लिए कितने धन का प्रावधान किया गया, मैं उनसे नहीं जाना चाहता। विकास के नाम पर एक रुपया पहुंचाने के लिए कितने रूपये की आवश्यकता होती है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। 65-70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, यह राग रोज अलापा जाता है, लेकिन कृषि, जिसमें सबसे ज्यादा

रोजगार मिल सकता है या मिलता है, उसको संरक्षण देने का काम हमारे देश में नहीं हुआ। शिक्षा व्यवसाय हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है और हमारे जो परम्परागत उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वित्तीय संस्थाओं से उदार भाव से उनको ऋण नहीं मिलता है। कुल मिलाकर किसी भी तरह से जो गरीब लोग हैं, उनको जो सही मानों में इमदाद की, मदद की आवश्यकता है, उनको मदद नहीं मिल रही है।

मैंने जैसा कहा कि हमारे देश में कुछ राज्यों की वार्षिक आय बहुत ज्यादा है और कुछ राज्यों की वार्षिक आय बहुत कम है। महराष्ट्र की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 23,398 रुपये है, जबकि बिहार की वार्षिक आय 6,328 रुपये है। दिल्ली की 2000-2001 की फीगर्स के अनुसार प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 25,162 रुपये और गुजरात की 13,022 रुपये है। राजस्थान की 8088 रुपये प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है। कुल मिलाकर हमारे देश में जहां एक ओर सम्पन्न राज्य हैं, दूसरी तरफ बेतहाशा गरीब राज्य भी हैं। उसमें जो विभिन्नता है, यह भी समाप्त होनी चाहिए। गरीब परिवारों की संख्या का जहां तक सवाल है, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्रमश: ऊपर हैं। गरीब लोगों की संख्या के आंकड़े भी मेरे पास हैं, लेकिन चूंकि समय कम है, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 1998-99 में 22 सूबों में 102.80 करोड़ रुपया जन सुविधाओं के नाम पर खर्च हुआ, लेकिन लाभान्वित सिर्फ 13 प्रतिशत लोग ही हुए। हम कितने भी अच्छी योजनाएं बना लें, कितने भी अच्छे कार्यक्रम बना लें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योजनाओं का लाभ उन वर्गों तक नहीं पहुंचा, जिनको सही मायनों में आवश्यकता है। फिर इन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं है। व्यावहारिक बात है, सदन में रोज सवाल उठता है कि हिन्दुस्तान की सरकार से जो पैसा पिछड़े सूबों में जन कल्याण के नाम पर जाता है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। पिछली नौ पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो धन यहां से राज्य सरकारों को भेजा गया था, पता चला कि उसमे से करीब 900 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यह अत्यंत गम्भीर सवाल है और इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

सरकारी कार्यकुशलता के हिसाब से 1998 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व में 37वां स्थान था। अब 2000 के आंकड़ों के हिसाब से भारत का 44वां स्थान हो गया है। इस तरह हमारे यहां कार्य कुशलता का भी बुरा हाल है। मैं चाहूंगा कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्यों का पिछड़ापन, गरीबी कैसे दूर हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की सूची बनी हुई है। यह सूची अत्यंत दोषपूर्ण है। जो तिकड़माज लोग हैं, वे चालाकी से अपना नाम उस सूची में लिखा देते है और उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए इसकी छानबीन करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं पूरे हिन्दुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो सूची बनी है, उसको आधार मानकर हम कार्यक्रम बनाएं और उस पर अमल करें, तो निश्चित रूप से अच्छा काम होगा।

शरद यादव जी, महत्वपूर्ण यह नहीं है सरकार कितना चली है, पांच साल चली है या दस साल चली है। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की दिशा क्या है, सरकार के काम करने का तौर तरीका क्या है। अगर पिछड़ों का भला नहीं होगा, गरीबों का भला नहीं होगा, पिछड़ी प्रांतों का भला हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि सरकार चलाने की कोई सार्थकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव से हम कुछ अच्छी सोच निकालेंगे और गरीब प्रांतों को अधिक से अधिक संरक्षण देंगे और उनके लिए अच्छे कार्यक्रम देने की कोशिश करेंगे।

श्री चिंतामन वनगा (दहानू): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। पुन्नू लाल मोहले जी ने जो संकल्प यहां पेश किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। बी.पी.एल. के लोगों के बारे में जो लिस्ट आई है, वह दोषपूर्ण है या नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बारे में जो सर्वे पूरे देश में हुआ है, उसके अनुसार देश में 26 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगर आदिवासियों के बारे में सोचा जाए तो आज के तारांकित प्रश्न संखया 188 में उनके बारे में आंकड़े दिए हैं। वे क्या दर्शाते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

पिछले वर्षों में, देश भर में अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है जैसाकि मानव विकास के विभिन्न सूचकों से परिलक्षित होता है। अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता 1961 में 8.50% से बढ़कर 1991 में 29.60% हो गई। गरीबी रेखा से नीचे रह रही अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 1977-78 में 68.10 से गिरकर वर्ष 1993-94 में 41.4 (शहरी) और 51.94 (ग्रामीण) रह गया। भारत सरकार में विभिन्न रोजगारों में नियुक्त अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या वर्ष 1965 में 50,889 से बढ़कर वर्ष 1995 में 2,17,705 हो गई।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, देश में आदिवासियों की संख्या करीब आठ करोड़ है। उसमें से कितने लोग भारत सरकार में कार्य कर रहे

[श्री चिंतामन वनगा]

हैं, यह इस उत्तर से पता चलता है। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरी देने के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं। जो बड़ी पोस्ट के लिए विज्ञापन आता है, उसमें भी आदिवासी केंडीडेट उपलब्ध न होने के कारण वे सर्विस में नहीं जा सकते हैं। यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई? यह इसलिए पैदा हुई क्योंकि आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के लिए जो योजनाएं बनी, वे कागज पर ही रही। संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को जो विशेष सहायता दी जाती है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं होता। इसलिए जो धनराशि अनेक योजनाओं में पिछड़े वर्गों के लिए दी जाती है, उसके लिए मोनीटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भी आदिवासियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव देती है। सरकार का उद्देश्य होता है कि आदिवासी क्षेत्र में इंडस्ट्री जानी चाहिए और इंडस्ट्री आती भी है। हमारे यहां महराष्ट्र सरकार दादरा नगर हवेली में इंडस्ट्री लाई भी है। केन्द्रीय सरकार इंसेटिव देती है लेकिन इंसेटिव देते समय जब आदिवासी क्षेत्र में इंडस्ट्री बनती है तो एरिया के लिए कुछ रिजर्वेशन देना चाहिए। दसवीं योजना अभी चल रही है। केन्द्रीय सरकार को आदिवासी क्षेत्र में पिछड़ापन दूर करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए नहीं तो जितनी भी धनराशि दी जाएगी, उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को जो विशेष सहायता दी जाती है, उसके लिए भी एरिया आइडेंटिफाई होना चाहिए। मेरे जिले में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या है। लेकिन इतनी संख्या होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विशेष सहायता मेरे क्षेत्र में नहीं पहुंचती है, इसलिए जो नॉर्म्स हैं, उन्हें बदलना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): सभापति महोदय, आज हम लोग एक संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। पिछड़े लोगों के चहुंमुखी विकास की नीति देश में बनी। सही मायने में यह आवश्यकता है कि गांवों में जो लोग रहते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन पर राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, जिस तरह से उनकी दशा सुधारने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए, वह सही मायने में आज आजादी के 55 वर्ष बीतने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया है। गांवों में जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं, गांवों में 40-45 प्रतिशत की सूची में अभी तक उनके नाम दर्ज नहीं हुए हैं। वे इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि गांवों में जो लोग जनगणना के लिए जाते हैं, वे जमींदारों के यहां बैठकर सूची तैयार करते हैं। उन गरीबों का नाम वास्तव में सूची में रहना चाहिए, लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे रहने के बावजूद भी उनका नाम सूची में नहीं रहता है। बिहार में वास्तव में 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन उनका नाम सूची में नहीं है। इस बारे में कई बार जिले में चर्चा होती है कि निरीक्षण किया जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। यही स्थिति इंदिरा आवास योजना की है। इस योजना में दस साल पहले भी 20 हजार रुपए की राशि थी और आज भी इंदिरा आवास योजना के लिए 20 हजार रुपए मिलते हैं। इन रुपयों में गांव में एक शौचालय भी नहीं बन पाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर 40 हजार रुपए किया जाए, ताकि ये गरीब लोग एक छोटा सा मकान बना सकें, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है।

महोदय, हमारे क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर होस्पिटल नहीं है। 20-25 किलोमीटर दूर लोगों को स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना पड़ता है। एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी तरफ सड़कों का अभाव है। मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल सीमा के पास है और आजकल बाढ़ से प्रभावित है। हम लोग सड़क के अभाव में रोगी को खाट पर डालकर होस्पिटल ले जाते हैं। वहां बहुत की दुखद स्थिति है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पूर्ण सम्मान भी नहीं मिलता है। अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस रूप में सम्मान मिलना चाहिए, वह सम्मान भी नहीं मिल पाता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार में 25 साल पहले एक प्राथमिक विद्यालय सैंक्शन हुआ था। वहां की जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां एक हजार की आबादी के आधार पर विद्यालय स्वीकृत हुआ था, वहां अब आबादी पिछले 20 सालों में 15 हजार हो गई है और 15 हजार की आबादी पर 5-7 किलोमीटर तक एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालय है, तो अध्यापक नहीं है। अध्यापक है, भवन नहीं है। भवन है, तो वह जगह-जगह से टूटा हुआ है। किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। एमपीलैड योजना से वहां उच्च विद्यालय का निर्माण कराया, अपने संसदीय क्षेत्र में और छः छः कमरों का निर्माण कराया, लेकिन दो करोड़ रुपये से इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि निश्चितरूप से एक ऐसी योजना बनाई जाए, जो समय सीमा के अन्दर कार्य को पूरा करे। पांच वर्षों की अवधि निर्धारित की जाए, ताकि देश के करोड़ों लोग जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर लाने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। जब तक न्यूनतम वर्ग के लोगों को देश की प्रगति में भागीदार नहीं बनायेंगे, देश के विकास में उनका सहयोग नहीं मिलेगा और देश आगे नहीं बढ़ सकता है।

अंत में, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब देश के इन कमजोर वर्ग के लोगों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): आरम्भ में, मैं माननीय सदस्य श्री पुन्नू लाल मोहले को धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह इस सम्मानित सभा में यह संकल्प लाये हैं।

मैं इस संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के निदेशक सिद्धांतों में यह लिखा है कि: "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।"

अत: मैं जानना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अब तक कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। मेरा विचार यह है कि न केवल वर्तमान सरकार ने बल्कि पहले की सरकारों ने भी दलितों और समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु बहुत ही कम कार्य किया है। इसलिए दलित लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उत्थान करने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। यहां पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है। मैं यही बातें दोहराना नहीं चाहता।

सामान्यत: अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इनमें बेरोजगारी की समस्या है। इन जातियों में अधिकतर लोग बेरोजगार हैं। इनमें से अधिकतर निर्माण कार्य करने वाले मजदूर हैं। इनमें निरक्षरता बहुत अधिक है। उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इस प्रकार यह बात सभी जानते हैं कि हमारे समाज में ये लोग सामाजिक रूप से बहुत उपेक्षित हैं। जहां तक आदिवासी समुदाय का संबंध है, सभी जानते हैं कि झाड़-फूंक की व्यवस्था है क्योंकि उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह झाड़-फूंक की व्यवस्था अब भी जारी है। वे कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

मेरा कहना यह है कि दलितों के लिए बनाई गई कोई भी विस्तृत योजना खण्डों में न होकर व्यापक होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि हमारे देश के दलित लोगों के उत्थान के लिए, भूमि सुधार बहुत ही जरूरी है। जहां तक हमारे राज्य का संबंध है, हम पश्चिम बंगाल से हैं-भूमि सुधार से बहुत सहायता मिली है। अधिकांश राज्यों में इस कार्यक्रम की उपेक्षा की गई है।

दूसरे, पंचायत प्रणाली देश भर में लागू नहीं की जा रही है। अनेक राज्य हैं जहाँ पंचायत प्रणाली अभी तक लागू नहीं की गई है। उस पर विचार किया जाए। जहां तक जनजातीय लोगों का संबंध है, उनकी अनेक भाषाएं हैं। उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए।

शिक्षा का माध्यम उनकी अपनी भाषाएं होनी चाहिए किन्तु ऐसा अनेक राज्यों में नहीं किया गया है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

दलितों के विकास और उत्थान को महत्ता दिए बिना हमारा देश दृढ़तापूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। अत: देश की भलाई के लिए दलितों के उत्थान को प्राथमिकता पर लेना चाहिए।

मुझे अपनी बात गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत करते हुए समाप्त करने दें। उन्होंने कहा था "पश्चाते रेखेचा जारे से तोमारे तनिचे पश्चाते"। इसका अर्थ है कि यदि आप दलितों को पीछे रखते हैं तो वे आपको पीछे खींच लेंगे। अत: मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और हमारे समक्ष दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए व्यापक कार्यक्रम लाएगी।

मेरे पास कहने को अनेक बातें हैं किन्तु समयाभाव के कारण मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदय मैं, मध्य प्रदेश के माननीय संसद सदस्य श्री पुन्नू लाल मोहले द्वारा लाए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प का पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि इस विशेष संकल्प का उद्देश्य देश के ऐसे अविकसित क्षेत्रों का विकास करना है, जिनकी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गत 50 वर्षों से तथा उससे भी पहले से उपेक्षा की गई है।

यह देखा गया है कि विकास के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं रोटी, कपड़ा और मकान। आज आप देख सकते हैं कि अधिकांश अविकसित क्षेत्रों में आज भी भोजन में कैलोरी की मात्रा प्रतिदिन 800 से ज्यादा नहीं है जबकि एक आम आदमी को सामान्य जीवनचर्चा के लिए प्रतिदिन 2200 कैलोरी चाहिए। अविकसित क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक राज्य के कुछ विशेष क्षेत्र जैसे आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र सदैव विकास के लिए छटपटा रहे हैं। अत: इस संकल्प पर इस चर्चा के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आश्वासन लेना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 371 में एक प्रावधान है जहाँ कि 371(क) से (झ) तक मैं विशेष प्रावधान, विभिन्न राज्यों, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के लिए एक पृथक विकास बोर्ड के गठन के लिए है जिसके माध्यम से अविकसित क्षेत्रों के लिए धन का एक समान आबंटन किया

[श्री विक्रम केशरी देव]

जा सके ताकि वे अपने राज्य विशेष के विकसित क्षेत्रों के समतुल्य हो सके। जब माननीय मंत्री इस चर्चा का उत्तर दें तो मैं उनसे यह आश्वासन चाहूंगा कि इसे कालाहांडी के लिए भी लागू किया जाएगा।

इस विशेष संकल्प का उद्देश्य अविकसित क्षेत्रों का सुधार और विकास है। विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए सदैव ही अविकसित क्षेत्रों का दोहन कया गया है। आप खनन, वानिकी अथवा मत्स्य पालन का उदाहरण ले सकते हैं। आज सभी खानें जनजातीय क्षेत्रों में हैं। जब बांध का निर्माण होता है जनजातीय लोग, अनुसूचित जाति के लोग तथा वंचित वर्ग अपनी जमीन से हाथ धो बैठते हैं। उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जाती है? पुनर्वास पैकेज मात्र कागज का एक टुकड़ा होता है किन्तु वास्तव में पुनर्वास नहीं किया जाता।

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार का, उड़ीसा के कुछ पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने केबीके कार्यक्रम आरंभ किया और दीर्घावधि कार्ययोजना को संशोधित किया। याचिका संबंधी समिति ने राज्य सभा को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मैं यह बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में यह केबीके सेल किस प्रकार कार्य कर रहा है। यदि आप प्रतिवेदन को देखें तो यह खेदजनक बात सामने आएगी कि उस पर नौकरशाही का नियंत्रण है। कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी नहीं है। आज पश्चिमी उड़ीसा विकास परिषद का गठन किया गया है जिसकी सीमित शक्तियाँ है और जिसके पास थोड़ा सा ही धन है।

हम पहले ही जानते हैं कि उड़ीसा राज्य में आन्दोलन होते रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र की सदैव ही अपेक्षा हई है जबकि उड़ीसा राज्य में इसके पास सर्वाधिक संसाधन हैं। अत: इस अंतर को दूर करने के लिए, मैं, माननीय सदस्य श्री पुन्नू लाल मोहले का इस प्रस्ताव को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, देश की जनजातियों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। यदि आप किसी पिछड़े क्षेत्र में जाएंगे तो पाएंगे कि भावी माताएं जो कि भावी पीढ़ी पैदा करने वाली हैं का हीमोग्लोबिन स्तर 7 एमजी से कम है। यह 5.67 एमजी है जबकि हीमोग्लोबिन का स्तर 12 एमजी होना चाहिए। अत: इस स्थिति में, मैं समझता हूं कि, हमारी सरकार को इन अविकसित क्षेत्रों के विकास को गंभीरता से लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संविधान का उस हद तक संशोधन किया जाना चाहिए कि अन्य पिछड़े क्षेत्रों, जो कि अनेक कारणों से जानबूझकर उपेक्षित रखे गए हैं, के सुधार के लिए अतिरिक्त अनुच्छेद जोड़ा जा सके। कुछ अन्य राजनैतिक विचार भी हैं।

महोदय, कुछ क्षेत्रों में लगभग 50 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया किन्तु कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी सदैव हारी ...*(व्यवधान)* वे कभी नहीं जीते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात कहने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव: तत्कालीन सरकारों ने जानबूझकर उन क्षेत्रों की उपेक्षा की है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है। इस सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों के लिए क्या किया है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विक्रम केशरी देव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आपको उड़ीसा में चक्रवात के लिए कितना पैसा मिला? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें अपनी बात कहने दें। उस मामले में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कृपया आप उड़ीसा का भला कीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए। श्री बिक्रम केशरी देव, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। क्या मैं आप सभी से यह अनुरोध कर सकता हूं कि आप अध्यक्षपीठ से सहयोग करें? एक नया व्यक्ति यहां बैठा है। अत: कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, इससे पूर्व कि मैं अपनी बात समाप्त करूँ, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार से पिछड़े क्षेत्रों को संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत लाने की सिफारिश करें, जिसका कि इस सदन को करने का अधिकार है। मुझे आशा है कि वे इसे अवश्य करेंगे।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: श्री बिक्रम केशरी देव, यह रचनात्मक भाग है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव, आपने एक अच्छा फार्मूला दिया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अभी दो और सदस्य-श्री माणिकराव होडल्या गावित और श्री रवि प्रकाश वर्मा बोलने के लिए शेष हैं। फिर मंत्री महोदय उत्तर देंगे। तत्पश्चात श्री पुन्नू लाल मोहले द्वारा कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे। अत: सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया संक्षेप में बोलें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आधा घंटा तो खत्म हो गया है। मेरे ख्याल से इस संकल्प के लिए 15 मिनट और एक्सटैंड कर देते हैं।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी: ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे आशा है कि आप सभी इससे सहमत हैं। श्री माणिकराव होडल्या गावित, कृपया अपना भाषण आरंभ करें।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दुरबार): सभापति महोदय, श्री पुन्नू लाल मोहले द्वारा जो संकल्प रखा गया है, उसमें यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह पूरे देश के विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाये। इस संकल्प के लिए मैं श्री पुन्नू लाल मोहले जी को धन्यवाद देता हूं।

अभी तक जो भी सरकारें आई हैं, उसने इस देश के विकास के लिए बहुत से कानून बनाये हैं।

लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जैसे आदिवासी लोगों के लिए ट्राइबल सब-प्लान बनाया गया। ट्राइबल सब-प्लान के लिए बजट में प्रोवीजन होता है लेकिन उसका अमल हर राज्य में ठीक तरह से नहीं हो रहा है। ट्राइबल सब-प्लान के अंतर्गत हर गांव को जोड़ने वाली सड़क, वहां का आश्रम स्कूल और दवाखाना आदि होना चाहिए। सामाजिक विकास के बारे में कहना चाहता हूं कि गांवों में अभी भी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। कांग्रेस ने इंदिरा विकास योजना बनाई, जो बहुत अच्छी है। गांव में जो लोग छोटी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए यह योजना बनाई गई है। लेकिन उस योजना में अभी धनराशि कम दी जा रही है। उस राशि को बढ़ाना चाहिए। शैक्षणिक विकास के बारे में बताना चाहता हूं कि देश के हर पिछड़े और आदिवासी इलाके में आश्रम स्कूल की व्यवस्था केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण वहां शैक्षणिक विकास नहीं हो रहा है।

आदिवासी लोगों पर सामाजिक अन्याय भी हो रहा है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सरदार सरोवर योजना के अंतर्गत विस्थापित आदिवासी लोगों को इरीगेटेड भूमि दी जाएगी, ऐसा आश्वासन लिखित रूप में दिया गया, लेकिन पन्द्रह साल हो गए, उनकी जमीन को एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है। यह भी बहुत बड़ा अन्याय है और इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकतर गांवों में सड़कें नहीं हैं, रेल की सुविधा भी बहुत कम है। मैं सूरत-भुसावल की सिंगल लाइन के दोहरीकरण के लिए बहुत सालों से मांग करता आ रहा हूं। अलवर स्टेशन के पास एक ब्रिज के टूट जाने के कारण 27 जून से 8 जुलाई तक सब यातायात सूरत-भुसावल रेलवे लाइन से लाया गया। यह लाइन महाराष्ट्र और गुजरात के आदिवासी इलाके से गुजरती है। इसलिए श्री मोहले जो संकल्प लाए हैं, उसमें चहुंमुखी विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने की जो मांग की गई है, वह सही है और मैं उसका समर्थन करता हूं। जिन लोगों को खेती के लिए जमीन दी गई है, उसके लिए पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वहां पर इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से योजना भी लम्बित है, वह योजना पूरी हो जानी चाहिए। उन पर जो अन्याय हो रहा है, वह दूर हो सकता है। यहां पिछड़े इलाकों के लिए हर राज्य सरकार और भारत सरकार भी बोलती है, लेकिन पिछड़े इलाकों में सरकारी उद्योग खोलना भी बहुत जरूरी है। वहां के सब गरीब मजदूरों को शहर में मजदूरी के लिए आना पड़ता है, इसलिए पिछड़े इलाकों में सरकारी उद्योग खोलने चाहिए। मैं यह मांग करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, माननीय पुन्नू लाल मोहले जी के संकल्प पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

इसी सभा भवन में संसद् के अन्दर 14 अगस्त, 1947 को हमारे पहले प्रधानमत्री माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने जो पहला भाषण दिया था, उसमें उन्होंने यह कहा था कि 14 अगस्त की रात को जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत जागेगा और उस संकल्प को रिडीम करने के लिए जागेगा, जो हमने बनाये थे। 200 वर्ष की गुलामी और संघर्ष ने हमें कुछ लक्ष्य दिये थे और हिन्दुस्तान की आजादी के बाद न लक्ष्यों के लिए हमने कार्य किया है। यह सबूत है कि हमारी संसद और हमारी पूरी व्यवस्था इस बात की गवाह रही है, लेकिन 54 वर्षों की आजादी के बाद आज हम झांककर देखते हैं कि सरकार ने यह एजेण्डा तय किया था कि हमें गरीबी हटानी है, मुल्क को आगे ले जाना है, आज की सरकार ने यह एजेण्डा बदल दिया है। आज उसका एजेण्डा फण्डामेण्टलिज्म और आतंकवाद पर काम करने का है। जहां तक हमारा समाज है, वह इतना बिखरा हुआ है, हर जगह आतंकवाद चल रहा है, कहीं बिखराव चल रहा है और शहरों में तो हालत यह है कि जितनी भी अर्बन लोकेशंस हैं, जितने भी अर्बन एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके जीवन का अंतिम सत्य कौन बनेगा करोड़पति और प्रियंका चोपड़ा हो गया है।

हम कहां से चले और कहां आ गये, यह बहुत गहराई से समझने की बात है। ज्यादा लम्बी बात कहने का समय नहीं है। अभी हमारे एक हिन्दुस्तानी विद्वान, जिनको नोबल पराइज मिला है। डॉ. अमर्त्य सेन, उन्होंने बहुत ही प्रिसाइज फार्मूला हमें दिया है, एजुकेशन, हैल्थ, न्यूट्रीशन और एम्प्लायमेंट का। जाहिर सी बात है कि जो हिन्दुस्तान के पिछड़े इलाके हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रोजैक्टिड प्लान बनाकर, एक कंसोलिडेटिड प्लान बनाकर उस पर काम किये जाने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो हमारा डिलीवरी मकेनिज्म है, जो सिस्टम हमारे लक्ष्यों को डिलीवर करता रहा है, उसका परफोर्मेंस लेवल क्या है। हमने इलाकों को ऊपर उठाने के लिए नये-नये कारखाने खड़े किये थे, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि वे कारखाने घाटे में चले गये। हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव परफोरमेंस है, आज उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है।

आज हमारा मुल्क आर्थिक सुधारों की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की ओर भी आगे बढ़ेंगे? अगर हम नहीं बढ़ पाएंगे तो हम कैसे इन गरीबों की गरीबी दूर कर पाएंगे? सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वही डिलीवरी सिस्टम, हमारा वही तंत्र जिसे गरीबों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन वही तंत्र गरीबों को आगे नहीं बढ़ा सका है, वह लक्ष्य पूरे नहीं कर सका है, उन कारखानों में नौकरियों के और आरक्षण के जो लक्ष्य तय किये गये थे, वे कभी पूरे नहीं किये गये, लेकिन आज बहुत ही खूबसूरती के साथ उदारीकरण के नाम पर वे कारखाने बेचे जा रहे हैं। आखिर कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे गरीब आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर आयेगा, कैसे हमारे जो कमजोर इलाके हैं, वे गरीबी की रेखा से ऊपर आयेंगे? ये बहुत गम्भीर सवाल हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि 25 जनवरी के दिन हमारे राष्ट्रपति महोदय ने जो संदेश दिया था कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर जो रीजनल डिस्पैरिटी है, जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो अन्याय है, जो अनजस्टिस है, आज उसके कारण हिन्दुस्तान को अपना एजेण्डा बदलना पड़ा है। उसके कारण क्या हम अपनी संसद के अन्दर यह संकल्प पैदा कर पाएंगे या राष्ट्र के अन्दर यह संकल्प पैदा कर पाएंगे कि किसी तरीके से हम किस लक्ष्य के लिए चले थे और आज कहां तक पहुंचे हैं और उसे कैसे पूरा करें। निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसा मैंने आपसे बताया कि अमर्त्य सेन जी ने एक फार्मूला दिया है, लेकिन जो हमारा डिलीवरी मकेनिज्म है, जो हमारी विल पावर है, जो हमारी काम करने की इच्छाशक्ति है और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार का एजेण्डा है।

अपराह्न 5.00 बजे

क्या हम सारा का सारा फोकस इस विषय पर ले जा पाएंगे, अगर नहीं ले जा पाएंगे, जैसा अभी हो रहा है, तो यह निश्चित हो गया है कि आज हिन्दुस्तान किसी न किसी माध्यम से इसकी बड़ी कीमत दे रहा है। जिस तरह से देहाती क्षेत्रों से ड्रेन का प्रोसेस चल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। यह बात नहीं है कि गांवों में पिछड़ापन है। गांव के लोग इसलिए नहीं पिछड़े हैं कि वे कमजोर थे इसलिए पिछड़े हैं कि जो कुछ वहां पैदा होता है, जो कैपिटल और टेलेंट पैदा होता है, उसका ड्रेन हो जाता है। हालत यह है कि जो गरीब और पिछड़े इलाके हैं, वहां बिजली नहीं है, रोजगार के साधन नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार बहुत से कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर दृढ़ इच्छाशक्ति से काम करे।

मैं एक बात शिक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूं। आजादी के 54 वर्षों के बाद हमने क्रांतिकारी स्टेप हासिल किया है कि हमने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। लेकिन हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि गरीबों के लिए अलग शिक्षा का प्रबंध है और अमीरों के लिए अलग शिक्षा का प्रबंध है। इस स्थिति में कैसे हम सबको शिक्षित और समान शिक्षा देने का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से मानवाधिकार के लिए हमने कमीशन बनाया है, उसी तरह से शिक्षा को जो मौलिक अधिकारों में शामिल किया

गया है, उसकी रक्षा करने के लिए, गरीबों को उचित शिक्षा देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमीशन बनाया जाए। जिससे हम शिक्षा के अच्छे स्तर की गारंटी कर सकें। जिस दिन शिक्षा एक समान और उच्च स्तर की तथा उपयोगी स्तर की देने की गारंटी कर पाएंगे, मुझे आशा है कि बहुत कम समय के अंदर जो हमारा पिछड़ापन हटाने का लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य है, वह हम पूरा कर पाएंगे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक तथा शैक्षणिक कल्याण का यह विषय है। वसुंधरा राजे जी यहां बैठी हैं, उनको इसका जवाब देना है। जवाब में इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जिस समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो सामाजिक रूप से दुर्बल हैं, शैक्षणिक रूप से दुर्बल हैं, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए ही सरकार होती है। जो ऊपर उठ गए हैं, उनको और ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। जो नीचे के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। उसमें सरकार किस तरह काम कर रही है, यह सरकार पर निर्भर करता है। हमारी मांग यह है कि अगर दरिद्र और आदिवासियों का कल्याण करना है, तो इनके लिए एक पंचवर्षीय योजना लागू करने की दिशा में विचार करना चाहिए। हमारी यह भी मांग है कि जिस तरह से सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में अनसूचित जाति और जनजाति की आबादी क्रमश: 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत है, उसके आधार पर भारत सरकार को अपने बजट में साढ़े 22 प्रतिशत राशि इन वर्गों के लिए एलाट करनी चाहिए। इसके लिए आप वित्त मंत्री जी से बात करें।

पहले यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, अब जसवंत सिंह जी हैं। यशवंत सिन्हा जी ने दलितों और आदिवासियों के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया इसलिए अटल जी ने उनका हटाकर जसवंत सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया है। इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी है कि जिस समाज ने आपको सत्ता में पहुंचाया है, उसको ऊपर उठाने के लिए आप काम करें।

अगर देहात में दलितों को आर्थिक रूप से विकसित करना है तो उनको जमीन देने की आवश्यकता है। जमीन के लिए कर्जा भी उनको मुहैया कराया जाए। गांव में एक भी आदमी ऐसा नही होना चाहिए जिसके पास जमीन न हो, इस बात का सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी है। जिसके पास ज्यादा जमीन है, उससे फालतू जमीन लेकर, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको दी जाए, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने दलितों और आदिवासियों को ढाई एकड़ जमीन देने का संकल्प किया है और उस पर काम भी कर रहे हैं।

सभापति महोदय: इस विषय पर 15 मिनट का टाइम एक्सटेंड किया गया था। लगता है कि इतने समय में यह खत्म नहीं होगा। अगर सभा की अनुमति हो तो 15 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाए।

श्री पुन्नू लाल मोहले: आधा घंटा बढ़ा दें, क्योंकि अभी मंत्री जी को भी जवाब देना है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, यह बिल्कुल अनुचित है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैं जानता हूं कि यह अनुचित है किन्तु कृपया सहयोग करें।

श्री रामदास आठवले: हमारे पन्द्रह मिनट में से ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका पन्द्रह मिनट नहीं, अभी बैसमुथियारी जी भी बैठे हैं। अब आप कंक्लूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कर दिया है, उसी तरह से भारत सरकार को करना चाहिए। शिक्षा के बारे में हम समझते हैं कि जो हॉस्टल हैं, अगर एक जिले की किसी जगह पर दो-तीन हजार स्टूडेंट वहां एडमिशन के लिए एप्लाई करते हैं तो पचास को भी एडमिशन नहीं मिलता है। इसलिए हॉस्टल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, आज एससी, एसटी की पोपुलेशन 27 प्रतिशत है। भारत सरकार ने 22.5 प्रतिशत रिजर्वेशन रखा था, इसे साढ़े चार प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है। पोपुलेशन के मुताबिक 1950 में एससी, एसटी को 22.5 प्रतिशत रिजर्वेशन मिल जाता, इसका मतलब है कि उनकी पोपुलेशन 22.5 प्रतिशत थी। अब जो संख्या बढ़ गई है,

सुनो, सुनो वसुंधरा राजे,
जाग रहा है दलित आदिवासी सारा,
अब हम दे रहे हैं हमारे हक का नारा।

इसलिए हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अच्छा काम करिए। इस बिल के द्वारा आपको कोई न कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है।

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में कहिए। कृपया अपने सुझाव दीजिए उसके ब्यौरों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: महोदय, मैं इस संकल्प का जोरदार समर्थन करता हूं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस महान देश के जनजातीय लोग की अनेक प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें विशेष ठोस और प्रभावी नीति संबंधी उपाय करने चाहिए ताकि उनकी ज्वलन्त समस्याओं को सुलझाया जा सके। मैं भारत सरकार में बोडोलैण्ड सहित सभी जनजातीय अवधि वाले क्षेत्रों को, विशेषत: संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सर्वाधिक राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करने की अपील करता हूं।

महोदय, 1993 में हम, बोडो लोगों ने भारत सरकार और असम सरकार के साथ करार पर हस्ताक्षर किये थे। उस करार के अनुसरण में बोडोलैंड स्वायत्तता परिषद का गठन किया गया था। लेकिन बोडो लोगों को कोई अर्थप्रद शक्ति नहीं दी गई और सरकार की इस आधी अधूरी नीति के कारण इस समस्या को अभी तक हल नहीं किया जा सका।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अपील करना चाहूंगा कि भारत सरकार को बोडोलैण्ड की पृथक राज्य की चिरकालिक मांग को मान लेना चाहिए। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की इस ज्वलंत बोडोलैण्ड समस्या का यही राजनीतिक समाधान है। इस देश के विभिन्न जनजातीय लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए मैं भारत सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि उसे इस महान देश में बसे हुए जनजातीय बाहुल्य वाले भाग को अधिकतम राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए। यहां मैं डा. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई एक अत्यन्त महत्वपूर्ण टिप्पणी को उद्धृत करना चाहूंगा उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति मुख्य चाबी है जिससे हम प्रत्येक बन्द दरवाजे को खोल जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से जनजातीय लोगों को भारत सरकार द्वारा दी जा रही रियायतें भीख देने के समान है। जनजातीय लोग भिखारी नहीं है। हमारी अपनी वंश परम्परा है। हम इस महान देश भारत के देशज लोग हैं। इसलिए इस देश के सभी जनजातीय लोगों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों अथवा किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत संबंधित राजनीतिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

बोडोलैण्ड के संबंध में मैं भारत सरकार से पुन: अपील करूंगा कि उत्तरांचल, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ की भांति बिना किसी विलम्ब को बोडोलैण्ड को पृथक राज्य बनाये जाने की लम्बे समय से की जा रही मांग को पूरा किया जाए ताकि भारत में रहने वाले वंशज जनजातीय लोगों को देश के अन्य लोगों के बराबर भारतीय नागरिक के रूप में रहने का अवसर प्रदान किया जा सके क्योंकि हमारी अपनी भाषा, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दशकों से हमारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है यह भेदभाव और नहीं चलने देना चाहिए इसे दूर करना चाहिए।

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं। सभा के सभी वर्गों के बड़े भाग ने विगत दो ऐसे सत्रों मे चली इन चर्चाओं में भाग लिया।

प्रत्येक सदस्य ने कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं विशेषरूप से श्री रामदास आठवले की युक्तिपूर्ण और श्री बैसीमुथियारी द्वारा की गई भावो उत्तेजित दलील में विशेषरूप से प्रभावित हुई हूं। मुझे विश्वास है कि ये सभी महत्वपूर्ण सुझाव विकास आयोजना के ढांचे की निरन्तर क्रिया में मंत्रालय में हम सभी को सहायता करेंगे।

मूलत: स्वतंत्रता प्राप्ति में हमने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। मैंने पाया है कि चर्चा में भाग लेने वाले विभिन्न पक्षों के सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि देश की प्रगति की रफ्तार काफी धीमी है और इसमें निश्चित रूप से तेजी आनी चाहिए। इस बात पर मैं यह कहना चाहूंगी कि कुछ आर्थिक और सामाजिक सुधार है जिन्हें मैं सदन के सन्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी जिससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हमने छोटे परन्तु उचित दिशा में कदम उठाए हैं और ये कदम मजबूत हैं।

यदि आप प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों पर वास्तव में नजर डालें जैसाकि अनेक सदस्यों ने इसका संदर्भ दिया है तो पता चलता है और कि प्रति व्यक्ति आय 1950-51 में 3687 रुपये से बढ़कर 2000-01 में 10254 रुपये हो गई है। इसी प्रकार 1983 में प्रतिव्यक्ति व्यय 125 रुपये प्रति मास में बढ़कर 1999-2000 में 591 रुपये प्रति मास हो गयी है। खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन आदि में निरन्तर वृद्धि हुई है। अनाज और दालों की निवल उपलब्धता 1957 में 395 ग्राम से बढ़कर 1999 में 470 ग्राम हो गई है। औद्योगिक उत्पादन में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में

भी वृद्धि दर्शायी गयी है। 1983 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जाने वाली जनसंख्या की प्रतिशतता जिसके ऊपर काफी चर्चा की गई है 46 थी जो 1999 में घटकर 27 प्रतिशत पर आ गयी है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता में भी काफी कमी आयी है।

सामाजिक परिवर्तन जो हमें दिखाई देते हैं वह बताते हैं कि साक्षरता प्रतिशतता जो 1981 में 44 प्रतिशत थी वह 2001 में बढ़कर 65% हो गयी। महिला साक्षरता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति साक्षरता प्रतिशतता में भी वृद्धि हुई है। यहां मैं बताना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में काफी प्रगति की है। 1971 में साक्षरता दर 24 प्रतिशत थी वह 2001 में बढ़कर 65 प्रतिशत हो गई है। 14 मई 2002 को जब श्री मोहले ने अनिवार्य शिक्षा के संबंध में उल्लेख किया था और राज्य सभा ने 93वां संवैधानिक (संशोधन) विधेयक पारित किया है। जिससे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

इससे देश में शैक्षिक स्तर को उठाने में दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे।

श्री अधीर चौधरी ने जो यहां आज नहीं बैठे हैं ने 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में एक बात उठायी थी। मैं समझती हूं यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसीलिए मैं इसका उल्लेख कर रही हूं यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में था।

हमने मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति के लिए 589 करोड़ रुपये लगभग 600 करोड़ रुपये दिये है जिसे लगभग 71.6 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ के लिए खर्च किया गया था। अनुसूचित जनजाति के मामले में नौवीं योजना में 265 करोड़ रुपये खर्च किये गए जिससे लगभग 21 लाख अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

इसके बाद उन्होंने एक अन्य मुद्दा उठाया था वह है 75 प्राथमिक जनजातीय समूहों की पहचान करना। सरकार ने 75 जनजातीय समूहों की प्राथमिक जनजातीय समूहों के रूप में पहचान की है जिसकी 1991 में 1.36 मिलियन कुल अनुमानित जनसंख्या है जो लगभग 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई है। इनमें से कुछ लुप्त होने के कगार पर है। इन समूह को लुप्त होने में बचाव के लिए, संरक्षण देने और विकास की दृष्टि से एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने की जरूरत है। हाल में गठित की गई जनजातीय कार्य मंत्रालय-मुझे विश्वास है-कि इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का उसे सुझाव दिया जायेगा और वह मामले में उचित कार्यवाही करने के लिए उपाय करेगी। मैं अत्यंत खुशनसीब हूं कि माननीय जनजातीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित है। हम इसका यहां उल्लेख ठीक प्रकार कर पायेंगे।

महोदय, स्वास्थ्य और जनसंख्या सूचकांक भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनमें भी निरन्तर सुधार दर्शाया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताबः महोदय, क्या यह उचित है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री को सदन में सलाह दे?

श्रीमती वसुन्धरा राजेः मैं किसी को सलाह नहीं दे रही हूं ...*(व्यवधान)*

महोदय, स्वास्थ्य और जनसंख्या सूचकांक में स्पष्ट पता चलता है कि इसमें निरन्तर सुधार और उत्थान हुआ है।

पक्के मकानों, घरों में सुरक्षित पेयजल और सड़कों से जुड़े गांवों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है।

अब हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात करते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए हमारे पास विशेष संघटक योजना है तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय आयोजन है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए धन दिया जाता है ताकि सम्बद्ध क्षेत्र का विकास किया जा सके।

वर्ष 1997-2001 के दौरान विशेष संघटक योजना के अधीन 45,000 करोड़ रुपये दिये गये थे जो कि काफी अधिक धनराशि है। वार्षिक योजना 2001-02 के अनुसार विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को क्रमशः लगभग 150 करोड़ रुपये और 379 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

केन्द्र सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों के अन्तर को समाप्त करने के लिए और विभिन्न परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों से शुरू करने के लिए जो अ.जा. और अ.ज.जा. गरीबी रेखा से नीचे रह रही थी के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

2000-01 से 2001-02 की अवधि के दौरान, एस एल पी के अंतर्गत टी एस पी को छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए 83 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

मैं समझता हूं ऊपर उल्लिखित विकास के अंतर्गत ही यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि प्रगति वास्तविक रूप में हुई है और सरकार ने देश के गरीबों, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान को ध्यान में रखा है।

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

परन्तु संसद के कई सदस्यों ने उल्लेख किया है कि विकास का लाभ सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। इस समस्या की ओर ध्यान देने के लिए सरकार ने गरीबी उन्नयन की एक बहुत व्यापक नीति तैयार की है जिसके अंतर्गत तीन बातों नामत: रोजगार पर मूल रूप से प्रकाश डालते हुए आर्थिक विकास को तेज करना; और लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के रूप में राज्य का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना शामिल है।

महोदय, गरीबी उन्मूलन संबंधी कई कार्यक्रम हैं। जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, कृषि और उन सभी अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देना आवश्यक है जहां अधिक रोजगार की संभावना है।

साक्षरता, शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा, स्वच्छ पेय जल और पोषण सुरक्षा जैसी न्यूनतम मौलिक सेवाओं के लिए निधियां निर्धारित करके इन सेवाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है।

सरकार का ध्यान मूल रूप से पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे की स्वास्थ्य रक्षा संस्थाओं में समुचित संपर्कों द्वारा समेकित, प्रतिषेधात्मक, प्रोन्नति वाला, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने पर है।

मध्याह्न भोजन स्कीम, जिला प्राथमिक शिक्षा स्कीम; लघु व उद्योग मंत्रालयों के लिए समेकित आधार संरचना विकास स्कीम; कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के ग्रामीण औद्योगिकीकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विकास केन्द्र स्कीम; वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की पूंजी निवेश सब्सिडी स्कीमें भी हैं।

ऐसे सभी कार्यक्रम हैं जिनका लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों में आधार संरचना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम है जो रोजगार और आय में तीव्र उतार-चढ़ाव से होने वाली हताशा से गरीबों को बचाने के लिए वृद्धि के प्रयास के अनुपूरक हैं। इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्व रोजगार और मजदूरी रोजगार के सृजन के लिए लागू किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के कई कार्यक्रम है। ग्रामीण गरीबी कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित और पुनर्गठित किया गया है ताकि गरीबों पर उनका अधिकतम प्रभाव हो और वे स्वयं कार्यक्रम की निरन्तरता सुधार सके।

इसके अलावा, हमारे यहां स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है। हमारे पास राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अन्नपूर्णा स्कीम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना और कई अन्य योजनाएं हैं। इसके अलावा विकास प्रक्रिया में गरीबों के सक्रिय योगदान द्वारा भी गरीबी को प्रभावी रूप से दूर किया जाता है। इसलिए इस कार्य हेतु हम पंचायती राज संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और स्वसहायता समूह आधारित समुदायों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारों को ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निधियों का आवंटन सुनिश्चित करना होता है और उन्हें यह फैसला भी करना होता है कि उनकी वरीयताएं क्या होंगी। केन्द्र सरकार भी इन उपायों का समर्थन देने और सहायता करने में समर्थनकारी भूमिका निभाती है। ...*(व्यवधान)* पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन उपायों में से एक उपाय मूल रूप से पिछड़ेपन को वरीयता देना है। तदन्तर वित्त आयोगों ने केन्द्रीय कर आयों के अंतर-राज्यीय भाग के निर्धारण के सूत्र में पिछड़ेपन पर बल दिया है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2000-2005 के लिए 12.5% का भार विनिर्दिष्ट किया है जो कि पूर्व आयोगों द्वारा विनिर्दिष्ट भार से अधिक है।

फिर, क्षेत्र और आधारभूत संरचना का सूचकांक हमारा मानदंड है जो पिछड़े राज्यों को सहायता करता है। अंतत: राजस्व अंतराल अनुदानों की मांग का मूल्यांकन भी हम करते हैं जो पिछड़े राज्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने का एक प्रयास है। वे राज्य जो अपना राजस्व जुटा पाने में सक्षम नहीं है और जो अन्य राज्यों की भांति संपन्न नहीं है, राजस्व अन्तराल अनुदानों के इस मूल्यांकन में अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। इन बातों का ध्यान रखा जाता है।

वित्त आयोग भी अपने दौरों के दौरान प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखता है। फिर, चिन्हित क्षेत्रों, जैसे जनजातीय उप योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम इत्यादि की विशेष समस्याएं हैं। ये कार्यक्रम इन क्षेत्रों की पहचान करने और आवंटन का स्तर निश्चित करने के लिए विशेष विकास समस्याओं की मुख्य विशेषताओं का उपयोग करते हैं।

तीव्र औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' जिलों की पहचान की गई है। इसके अलावा, विकास स्तर योजना, समेकित आधार संरचनात्मक विकास केन्द्र इत्यादि जैसी योजनाएं हैं।

जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य का संबंध है। उस राज्य के पास बहुत शक्ति है। इसकी साक्षरता दर अपेक्षाकृत अधिक है; इसकी

कार्य भागीदारी दर अधिक है; इसकी महिला भागीदारी दर अधिक है; इसका राजस्व घाटा बहुत कम है और चालू राजस्व शेष पर्याप्त है; राज्य गैर-योजना व्यय कम है; इसका खनिज संसाधन अच्छा है; इसमें अधिक वन है; इसका विद्युत उत्पादन अधिशेष है और इसका राज्य विद्युत बोर्ड लाभकारी है।

छत्तीसगढ़ राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2001-2002 के लिए 1312 करोड़ रुपये है; वर्ष 2002-2003 के लिए यह 1757 करोड़ रुपये है। दसवीं योजना के लिए सहमत परिव्यय 11,000 करोड़ रुपये है। योजना निधियों का उपयोग शैक्षिक नेटवर्क में सुधार करने, स्वास्थ्य रक्षा डिलीवरी पद्धति मजबूत करने के लिए प्रयोग किया जाएगा और इन सभी को अधिक तेजी से पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

अब, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। आरम्भ में, मैं यह कहना चाहूंगी कि माननीय सदस्य, श्री बिक्रम केशरी देव ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों के गठन के लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ और शेष गुजरात और सौराष्ट्र के लिए विकास बोर्ड का गठन करने का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र में इन विकास बोर्डों का गठन किया जा चुका है।

जहां तक उड़ीसा का संबंध है, हमारे पास अभी केबीके स्कीम है जिसे अभी तक, मैं समझती हूं, सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। परन्तु मैं सोचती हूं कि राज्य ने हाल ही में 6000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 1998-99 से 2001-02 तक संशोधित योजना तैयार की है जिसमें कृषि, बागवानी, पनधारा विकास, वानिकी, सिंचाई, पेय जल और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रामीण समुदायों के कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित स्कीमें शामिल हैं। इस बड़े अंतर को भरने के लिए केबीके जिलों का 1998-99 से 2001-02 तक लगभग 244 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई है। इसलिए मैं सोचती हूं कि जहां तक उड़ीसा का संबंध है, राज्य और माननीय सदस्यों के साथ परामर्श करके इस अन्तर को भरने और केबीके क्षेत्रों की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

जहां तक इस चर्चा का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां तक देश के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों का संबंध है हमारे संकल्प और हमारे प्रयासों की दिशा में कोई अंतर नहीं है, सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। सरकार द्वारा प्रत्येक प्रयास यह देखने के लिए किया जाएगा कि हम यह कर रहे हैं। जैसाकि मैंने अभी उल्लेख किया है सभी के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दे उसी दिशा में हैं। अत: मैं यह कहना चाहूंगी कि स्वतंत्रता के पश्चात् गत पांच वर्षों के दौरान आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में पर्याप्त प्रगति हुई है और हम गरीबी उन्मूलन की बहुत लम्बी नीति को जारी रखेंगे। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में असमानताएं दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि संतुलित क्षेत्रीय विकास में गंभीर भूमिका का काम राज्य सरकारों का है और इस देश में संघीय ढांचे का है, क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के सर्वांगीण विकास की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसी संदर्भ में देश में मानव विकास की उस गति में सुधार करने के लिए प्रभावी और सक्षम प्रशासन महत्वपूर्ण है। प्रशासन में सुधार के बिना तथा केवल निधियों और नीतियों के कार्यान्वयन के बिना गरीबी और अल्प विकास को दूर नहीं किया जा सकता।

मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मैं प्रत्येक से यह कहना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में केन्द्र और राज्य सरकारें यह जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और बल के साथ निभाएंगी। इन परिस्थितियों में जब सरकार कार्य कर रही है और माननीय सदस्यों ने जो कहा है, मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों को उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मुझे खुशी होगी यदि माननीय सदस्य संकल्प के लिए जोर नहीं दें।

सभापति महोदय: समय की इस कमी के कारण, अन्य सदस्यों को फिर से स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देना संभव नहीं है। तथापि, श्री बैसीमुथियारी को उस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जाएगी जिसे वे उठाना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं सिर्फ दो मामले आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह गंभीर मामला है। असम सरकार द्वारा नई अपार्टमैंट्स पर बैन लगा हुआ है।

[अनुवाद]

असम सरकार ने सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इस कड़े निर्णय के कारण, जनजातीय लोगों को कठिनाई हो रही है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस मामले का माननीय मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकती। इस समय वे इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं। अत: इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: सभापति जी, मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए, उनमें कहा कि गरीबी खत्म करने के लिए बहुत काम किया गया है। अगर यह सही है तो क्या आप बताएंगे कि तीन दिन पहले जो ह्यूमन डैवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें भारत का स्थान जहां पिछले वर्ष 115 था, अभी वह 124 पर क्यों आ गया है? आपके हिसाब से अगर गरीबी घटी है तो ऐसा क्यों हुआ है? *...(व्यवधान)*

श्रीमती वसुन्धरा राजे: आपने जो आंकड़ों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है उसका जवाब अभी दे देती हूं।

[अनुवाद]

वे इस सूचकांक में देशों को श्रेणीबद्ध करने हेतु औसत आयु, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के संयुक्त उपाय का सहारा लेते हैं। आप इसके बारे में पहले ही जानते हैं। भारत को इस रिपोर्ट में 124वां स्थान मिला है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि गत वर्ष इसमें भारत का स्थान 115वां था। लेकिन इस श्रेणी की तुलना नहीं की जाती क्योंकि इस सूचकांक में दर्ज देशों की संख्या 162 से बढ़कर 173 हो गई है। यदि इस संख्या में वृद्धि नहीं होती तो हम वास्तव में एक बिंदु ऊपर खिसककर 114वें स्थान पर आते।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैंने पिछले सत्र में इस बहस में भाग लिया था। मैं माननीय मंत्री जी से पश्चिम बंगाल क्षेत्र के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूं। दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व क्या मंत्री जी देश को ऐसे अल्प सुविधा प्राप्त, अल्प-विकसित और पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान देंगे और उन्हें सामूहिक रूप से अनुच्छेद 371 के अंतर्गत लाने की सिफारिश करेंगे? आप ऐसा विकास, प्रति व्यक्ति आय और अवसंरचना संबंधी अन्य कमियों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करेंगे। फिर वह चाहे उड़ीसा हो या पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ क्या आप इस पर ध्यान देंगे?

सभापति महोदय: कोई उत्तर नहीं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: सभापति जी, स्पेशल कंपोनेंट प्लान और स्पेशल ट्राइबल सब-प्लान के शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हें मैं पर्याप्त नहीं समझता। इन जातियों की आबादी के अनुसार बजट का 22.5 प्रतिशत एलोकेशन होना चाहिए, लेकिन जो आंकड़े मंत्री महोदया ने दिए हैं वे बजट का 22.5 प्रतिशत नहीं हैं। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन जातियों और वर्गों के कल्याण के लिए बजट का कितने परसेंट धन आबंटित किया गया है?

श्री पुन्नू लाल मोहले: माननीय सभापति महोदय, मेरा इस संकल्प लाने का मतलब है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं समाज के कोई भी वर्ग के आदमी हों, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उनके लिए हमारे देश में और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लोगों के कल्याण के लिए आपने कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं, क्योंकि इन वर्गों के कल्याण हेतु पूर्व में बनाई गई योजनाएं पर्याप्त नहीं है। इसलिए अब सरकार इन वर्गों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाना चाहती और दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं इन सभी वर्गों का पांच वर्षों में संपूर्ण विकास हो, क्या सरकार इस बात को स्वीकार करेगी और उसके अनुरूप कार्य करेगी, यदि सरकार हां, करती है, तो मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

महोदय, मेरा प्रस्ताव संविधान की धारा 371 के अनुक्रम में लाया गया है। इस धारा के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार प्रावधान करेगी, तो क्या सरकार संविधान की उस धारा के अनुसार काम करेगी और उसको पूरा करेगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार समाज के सबसे नीचे के आदमी को, पिछड़े वर्ग के आदमी को ऊपर उठाने की बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधान मंत्री हैं और हमारी सरकार सभी सहयोगी दलों के सहयोग से चल रही है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि वे संविधान की उक्त धारा और भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार काम करेंगी या नहीं?

श्रीमती वसुन्धरा राजे: सर, मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में माननीय सदस्य के प्रत्येक बिन्दु का जवाब देते हुए इस संबंध में पूरा ब्यौरा दे दिया था। मैंने उन्हें यह क्लीयर कर दिया था कि जो चिन्ता उन्होंने व्यक्त की है, उसके साथ हम लोग भी अपने को सम्बद्ध करते हैं और सरकार उस चिंता को ध्यान में रखते हुए अभी नहीं, बल्कि पहले से ही और आगे भी एस.सी.एस.टी., बैकवर्ड, मानयारिटीज के लिए पूरी तरह से सहयोग करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कदम उठाएगी और उस काम में हम और हमारी सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। इन वर्गों के कल्याण के

लिए कई स्कीमें हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, वह किसी भी योजना में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, परन्तु इन योजनाओं को पूर्ण करने में कुछ भागीदारी राज्य सरकारों की भी होती है। जो रीजनल डैफीशिएंसीज हैं, उनको सुधारने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए, केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों मिलकर काम करेंगी, तो इन वर्गों के उत्थान के लिए पैसा उन्हें मिलेगा और वे आगे बढ़ेंगी। इस स्थिति में मैं माननीय सदस्य से आशा करूंगी कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

सभापति महोदय: क्या आप अपने रिजोल्यूशन को विथड्रा करेंगे?

श्री पुन्नू लाल मोहले: सभापति महोदय, यह पूरे देश का मामला है। सभी राजनीतिक दलों के लोग गरीबों का हित करना चाहते हैं। मैं अपने संकल्प को इस शर्त पर वापस लूंगा कि क्या सरकार इस बारे में कार्य-योजना बनाकर कैबीनेट में प्रस्ताव लाएगी?

सभापति महोदय: आप यह संकल्प वापिस ले लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पुन्नू लाल मोहले: स्टेट गवर्नमैंट अपना काम करें। केन्द्र सरकार अपना काम करने के लिए क्या बिल लायेगी? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आप छत्तीसगढ़ में श्री अजीत जोगी जी का हाथ मजबूत कीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री पुन्नू लाल मोहले: वह राज्य सरकार का अलग विषय है। यहां श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाथ मजबूत करना है। *...(व्यवधान)* आपका लोकतंत्र खत्म हो जायेगा। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या आप संकल्प वापिस ले रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री पुन्नू लाल मोहले: छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनता तो श्री अजीत जोगी जी मुख्य मंत्री ही नहीं होते। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या आप संकल्प वापिस ले रहे हैं?

श्री पुन्नू लाल मोहले: अगर सरकार इस संबंध में बिल लाने का आश्वासन देती है तो मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले: सरकार के आश्वासन पर मैं प्रस्ताव विदड्रा करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं संकल्प को वापस लेने की अनुमति का प्रश्न रखूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इन्होंने अपना संकल्प वापस लेने हेतु सदन की अनुमति नहीं मांगी है।

सभापति महोदय: इन्होंने अनुमति मांगी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं, महोदय, यह लोक सभा है जहां इन्होंने यह कहा है कि यदि माननीय मंत्री जी इन्हें आश्वासन दें तो वे अपना संकल्प वापस ले लेंगे।

सभापति महोदय: इनका अंतिम वाक्य यह था कि वे संकल्प वापस ले लेंगे। खैर, मैं माननीय संसद सदस्य से ही पुन: पूछता हूं कि क्या वे बिना शर्त अपना संकल्प वापस ले रहे हैं या उनकी कोई शर्त है।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): इनका कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके कारण मैं अपना प्रस्ताय वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: आप खड़े होकर बोलिये कि मैं इसे विदड्रा कर रहा हूं।

श्री पुन्नू लाल मोहले: सरकार के आश्वासन के बाद मैं इसे विदड्रा कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं माननीय संसद सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव सभा के समक्ष रखता हूं।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अपराह्न 5.36 बजे

(दो) गौ हत्या पर प्रतिबंध - *विचाराधीन*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा आज की कार्यसूची की मद संख्या 15 लेगी। क्या, श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा अपना संकल्प रखने से पूर्व, मैं माननीय संसद सदस्यों से यह अनुरोध कर सकता हूं कि उन्हें इस संकल्प पर चर्चा करने हेतु कितना समय चाहिए? मेरे विचार से दो घंटे पर्याप्त होंगे।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

सभापति महोदय: अत: इस संकल्प पर चर्चा करने हेतु दो घंटे के समय का नियतन किया गया है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि इस सभा की यह राय है कि सरकार सम्पूर्ण देश में गौ और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने हेतु एक उपयुक्त विधान लाए।"

[हिन्दी]

मैंने एक संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि सदन की राय है कि सम्पूर्ण भारत में गौ और गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून सरकार तत्काल लेकर आये। मैं संकल्प के रूप में जिस विषय को यहां लेकर आया हूं, मैं इस सदन का पहला सदस्य नहीं हूं, जो इसे लेकर आया है। एक सितम्बर, 1972 को एक माननीय सदस्य ने विधेयक के रूप में इस सदन में इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की थी। दूसरी बार 1990 में जब मैं इस सदन का पहली बार सदस्य चुनकर आया था तब श्री गुमान मल लोढ़ा जी इसे विधेयक के रूप में चर्चा के लिए लाये थे। उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया था। इसके बाद 1998 में लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री योगी आदित्यनाथ जी एक प्राइवेट विधेयक के रूप में इस विषय पर चर्चा करने के लिए इसे सदन में लाये थे। चौथी बार आज इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। मैं अपनी बात आराध्य परम पूज्य श्री बाबाश्री की वाणी से शुरू करूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि "जीव-जीव आहार नहीं, जीव-जीव आधार।" दुर्भाग्य की बात है कि जब भी इस विषय पर चर्चा आई तो प्राय: इसको साम्प्रदायिक या राजनीतिक खेल ने बिगाड़ दिया। इस सदन की अनेक बार आम राय बनी है लेकिन वह राय कभी परवान नहीं चढ़ सकी।

इस देश को आजाद हुए 55 वर्ष हो रहे हैं। इस देश का जो संविधान बना उसको बने हुए भी 50 वर्ष हो गये। हमने सभी की स्वर्ण जयंती मना ली लेकिन इस देश के जो मनीषी रहे हैं, राजनेता रहे हैं, जिनके सम्मान में हम प्रति वर्ष उनके जन्म दिवसों पर सिर्फ उनके अनुयायी ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की जनता उनके सिद्धांतों की, उनकी राय की खूब वकालत करती है और कुछ उत्सव भी मनाये जाते हैं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने पचास वर्षों की इस राजनैतिक यात्रा में, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हों, राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हों, धर्म की दृष्टि से जिस भी पूजा-पद्धति या सम्प्रदाय को मानते रहे हों, हमने हर बार यह माना कि हम इस राष्ट्र का भला चाहते हैं लेकिन कोई भी कारगर बात शायद हमने कभी नहीं की। इतिहास के जो पचास से अधिक वर्ष गुजर गए, वे इस बात के गवाह हैं।

मैं यहां कुछ मनीषियों को उद्धृत करना चाहता हूं। आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा, जो युग निर्माण योजना के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उनकी राय है-"दूध तो उपयोगी जीवन तत्वों के लिए पिया जाता है जिसे माता के बाद दूसरा स्रोत गाय से प्राप्त किया जा सकता है। गौ रक्षा के प्रश्न पर भावात्मक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से विचार करने की आवश्यकता है।" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है-"हिन्दुस्तान में अनगिनत पशुधन है जिसकी तरफ हमने ध्यान न देकर गुनाह किया है। गौ रक्षा मुझे मनुष्य के सारे विकास क्रमों में सबसे अलौकिक वस्तु मालूम हुई है।" आचार्य विनोबा भावे, जिनको राष्ट्र संत कहा गया है, ने कहा है-"हिन्दुस्तान किसानों का मुल्क है। खेती का भी हिन्दुस्तान में बहुत विकास हुआ है, शोध हुआ है। गाय, बैलों की अच्छी हिफाजत पर हिन्दुस्तान की खेती निर्भर है। हिन्दुस्तानी सभ्यता का नाम ही गौ सेवा है लेकिन आज गांवों की हालत हिन्दुस्तान में उन देशों से भी अधिक खराब है जिन्होंने गौ सेवा का नाम नहीं लिया था। हमने नाम तो लिया पर काम नहीं किया।" महामना मदन मोहन मालवीय कहते हैं--"यदि हम गौ की रक्षा करेंगे तो गौएं हमारी भी रक्षा करेंगी।" मैं इन सबके नाम का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि इन सभी महापुरुषों के छाया चित्र, उनके विचार हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं और मुझे लगता है कि हर राजनैतिक नेता, चाहे वह किसी भी दल को मानने वाला हो, इस बात से सहमत है। मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारी पूजा-पद्धति पर मतभेद हो सकता है लेकिन विचारों से मतभेद नहीं हो सकता। मैं राजेन्द्र प्रसाद की बात का भी यहां उल्लेख करना जरूरी समझता हूं क्योंकि वे इस देश के पहले राष्ट्रपति थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी राय हमेशा गांधीवादी रही है। पटना के एक सम्मेलन में उन्होंने जो कहा, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं-"मवेशियों से हमें जितनी आमदनी होती है, उतनी आमदनी का कोई दूसरा जरिया

नहीं है।'' उनसे तमाम प्रश्न किए गए। उनसे ट्रैक्टर्स के बारे में कहा गया, मांस निर्यात के बारे में कहा गया, कृषि के उत्पादों के बारे में कहा गया। उन्होंने सबके जवाब दिए। मैं सिर्फ उनकी अंतिम बात का उद्धरण करना चाहता हूं। उन्होंने ट्रैक्टर और मशीनों के संदर्भ में कहा है-''मैं समझता हूं कि जो हालत आजकल हिन्दुस्तान की है, उसमें इस तरह की कला से थोड़ी देर तक काम चला सकते हैं मगर बैलों की जरूरत हमेशा रहेगी, बैलों के बिना हमारी काश्तकारी नहीं चल सकती।'' लाला लाजपत राय, जिनका स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक किसी भी मामले में, किसी से कोई मतभेद नहीं हुआ, वे कहते हैं-''अंग्रेजी राज्य में गौ वध होता है और गाय सबको घी, दूध देकर बलवान बनाती है। इसलिए हम सब लोगों को, जो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तैयार हैं और अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना चाहते हैं, उन्हें अंग्रेजों से असहयोग करना चाहिए।'' गौ हत्या अंग्रेज करते हैं इसलिए उनको भगाना चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता थी। महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको राज ऋषि कहा गया, उन्होंने कहा है-''फैशन के फेर में पड़ कर जो चमड़े की वस्तु इस्तेमाल करते हैं, वे गौ हत्या के उतने ही जिम्मेदार हैं जितने गौ मांस खाने वाले।'' उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि हत्या तो हम कर रहे हैं लेकिन जो लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं, वे भी इस बात के दोषी हैं। महर्षि दयानन्द कहते हैं-''गाय की हत्या करके एक समय में केवल बीस व्यक्तियों को ही भोजन दिया जा सकता है जबकि वही गाय अपने पूरे जीवनकाल में कम से कम बीस हजार लोगों को अपने दूध से अमृत तुल्य पेय पदार्थ प्रदान कर सकती है।'' यदि एक गाय को मार कर मांस खाना चाहें तो बीस लोग उसका आहार कर सकते हैं लेकिन यदि वह जीवित रहे तो जीवन पर्यन्त अपने दूध से बीस हजार लोगों का भला कर सकती है।

अंत में पडित जवाहरलाल नेहरू, जो इस देश के पहले प्रधान मंत्री थे, के बारे में कहना चाहता हूं। उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा-''मैं कसाई खानों को बिल्कुल नापसन्द करता हूं। जब मैं किसी बूचड़खाने के पास से गुजरता हूं तो मेरा दम घुटने लगता है। पशु हमारे देश के धन हैं, इनका ह्रास मैं कदापि पसन्द नहीं करता।'' यह तो मैंने उन बातों का उल्लेख किया है, जिनका हम सब सम्मान करते हैं। प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री, इन दोनों के नाम का मैंने विशेष तौर पर उल्लेख किया है। महात्मा गांधी जी का भी मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया है।

अब मैं सुप्रीम कोर्ट की एक बात कहना चाहता हूं। सन् 1958 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 48वें अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए निम्नांकित निर्णय दिया था। एक-गायों का कत्ल नहीं किया जा सकता। अगर बूढ़ी, बेकाम गायों के कत्ल की छूट दी जाये तो अच्छी गायों को भी नहीं बचाया जा सकता। गाय की अवधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। दो—बछड़े-बछड़ियों का भी कत्ल नहीं किया जा सकता। तीन-जवान और काम करने लायक बैलों, सांडों और दूध देने वाली भैंसों का भी कत्ल नहीं किया जा सकता। चार-बूढ़े बेकाम बैलों, सांडों और बूढ़ी भैंसों का भी कत्ल नहीं किया जा सकता। वे आगे कहते हैं कि अंतिम आंशिक छूट का यह परिणाम हुआ कि कई प्रदेशों में सम्पूर्ण गौहत्याबन्दी कानून अर्थहीन हो गये, 1958 में यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। उसके बाद भी आखिर में वे कहते हैं कि यहां गाय-बाल के कत्ल के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान है, जम्मू-कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर में उन्होंने उल्लेख किया है।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इन 50 वर्षों के पूर्व से इस विषय पर इतने महान पुरुष अपनी बात कहते रहे तो क्या इस सदन में कभी आम राय नहीं हो सकती थी। कभी इस बात की कल्पना हमने नहीं की कि गौहत्या पर प्रतिबंध की बात क्या साम्प्रदायिक है? क्या राजनैतिक धरातल पर हमने इस बात को स्वीकार करना होगा? यदि हमने इस बात का ध्यान दिया होता तो हम शायद ऐसी भूलें न करते। मैं यहां सदन के सदस्यों से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मेरे मन में आलोचना करने की बात कदापि नहीं है, लेकिन मेरे आराध्य श्री बाबाश्री ने एक बार मुझसे प्रश्न किया कि ''युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत क्या है।'' हो सकता है कि यह आध्यात्मिक शब्द लोगों को साम्प्रदायिक लगने लगे, लेकिन यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, जब उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि 'भूल सुधार या मूल सुधार।' मैं चुप रहा, मेरा मजाक उड़ा, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारा चुप रहना फायदेमंद रहा, क्योंकि जो प्रश्न था, उसका जो उत्तर बताया गया है, अगर उसमें से कोई आधा कहेगा तो वह अर्धसत्य होगा, पूरा सत्य नहीं हो सकता। युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धांत भूल सुधार और मूल सुधार है। दुर्भाग्य यह है कि इस सदन में जब भी कोई चर्चा होती है तो प्रश्न रखने वाले व्यक्ति ऐसे उत्तर छोड़ते हैं, जो यह कहने के लिए मजबूर करते हैं कि आप इस बात को स्वीकार करिये कि भूल सुधार या मूल सुधार। जो भी एक को स्वीकार करेगा, वह युग परिवर्तन का कभी भी अगुवाई व्यक्ति या सदन नहीं हो सकता। क्योंकि प्रश्न गलत है तो उत्तर भी गलत होगा। मैं इस बात को इस दृष्टि से, इस भावना से उल्लेख करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, जिन्होंने गौहत्यावाद का प्रतिवाद किया था, क्या इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि जब उनकी जन्म शताब्दी 1969 में मनाई जा रही थी तो इस देश में मांस निर्यात उस वर्ष से प्रारम्भ किया। यह हमारी भूल है, हम इस बारे में किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते। मैं किसी को अपमानित करने के लिए यहां इस सदन में नहीं हूं। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसी भयानक भूलें इस सदन में जो भी सरकार रही, उसने कीं।

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

हमारी मान्यता थी, जिस मान्यता में आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। उनकी जन्म शताब्दी पर शायद आप गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगाते तो शायद वह वास्तविक सम्मान होता, ईमानदारी भरा हमारा कार्य होता, तब उनके विचारों के प्रति समर्पण होता, उस व्यक्ति के प्रति समर्पण और इज्जत आपकी ओर से दिखती, लेकिन आपने इसका ठीक उल्टा किया। जो आदमी जीवन भर अहिंसावादी रहा, उसकी जन्म शताब्दी पर इस देश में मांस का निर्यात प्रारम्भ हुआ। दूसरे इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी आई, हम जरा रिकार्ड उठाकर देखें, तो मीट टैक्नोलॉजी मिशन प्रारम्भ हुआ, वही जब जवाहर लाल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष था। ये भयानक भूलें कैसे हुईं, इसके जिम्मेदार कौन हैं, हमने वही किया, जो हम नहीं करना चाहते थे। जिनका हमने सम्मान किया, उनके विचारों को हमने उन्हीं अवसरों पर ध्वस्त किया, जहां उनको सम्मान के लिए मूर्त रूप देना था, उनकी भावनाओं का अनुसरण करना था, लेकिन हमने 50 वर्षों में वह नहीं किया। उनकी जन्म शताब्दियों पर हमने भयानक भूलों के निर्णय लिए तो यह देश कैसे ठीक हो सकता है।

मैं आलोचना करूं तो किसकी करूं, मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि मैं आलोचना कहां से प्रारम्भ करूं। अब रहा सवाल इतिहास का, यह कितना लम्बा इतिहास है, मैं अकेला इस सदन में कह रहा हूं, विरोध कर रहा हूं, यह महत्व की बात नहीं है। इस देश में कानून भी हैं। 1971 में पशु अत्याचार निषेध कानून बना, दूसरा कानून 1972 में पशु संरक्षण कानून बना। ये कानून मौजूद हैं, लेकिन जब इनका पालन करने की बात आती है तो प्रदेश सरकारें अपने ढंग से उसका उपयोग करती हैं। इस देश में गोवश की हत्या पर प्रतिबंध विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सदन चाहे या नहीं चाहे, सरकार क्या करेगी, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे भी राज्य रहे हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर का मैंने उदाहरण दिया था। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया, उसने दस साल के कठोर कारावास की बात स्वीकार की, जब वहां लोकशाही नहीं थी, तब भी वहां गोहत्या पर प्रतिबंध था, लेकिन हमने इस बात को नजरअंदाज किया। उसके बाद जो विरोध होते रहे, उनका बहुत लम्बा क्रम है। मैं समझता हूं कि सदन की जानकारी में यह बात आनी चाहिए कि इतना लम्बा स्वर, इतने जिम्मेदार लोगों को हमने कैसे नजरअंदाज किया, यह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

1857 में सैनिक विद्रोह हुआ। वह गोमांस की चर्बी के कारण हुआ। यह पहला विद्रोह था। उसके बाद लोकमान्य तिलक जी ने गोहत्या के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया। 1921 में गोपाल अष्टमी के दिन असहयोग आदोलन के दिन यह ऐतिहासिक सम्मेलन तिलक जी ने किया। हकीम अजमलखां जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और लाला लाजपत राय तथा महात्मा गांधी की उपस्थिति में यह सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 25 जुलाई, 1921 को गोवंश संरक्षण संघ की स्थापना हुई। गांधी जी ने उसके सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव के द्वारा तत्कालीन मैसूर राज्य के प्रधान मंत्री मिर्जा इस्माल गांधी जी से राय लेकर गए और उन्होंने उस आंदोलन को प्रारम्भ किया। 19 नवम्बर, 1947 को सरदार दातार सिंह की अध्यक्षता में पशु संवर्धन समिति बनाई गई जो सरकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर किया गया पहला प्रयास था। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय विनोबा जी ने जो आग्रह किया था, उसे सदन ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1962 में ही हरिद्वार में एक भारतीय धर्म संघ का प्रस्ताव आया। यह सबसे ताकतवर विरोध इस देश में हुआ था, जब साधु-संतों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया। 1962 में ही विदेशी मुद्रा के लिए जब मांस निर्यात का प्रस्ताव आया तो उसका पुरजोर विरोध हुआ। 1965 में स्वामी नरेन्द्र देव तीर्थ जी के नेतृत्व में साधुओं का एक शिष्ट मंडल इस देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से मिला। उसने गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग की और जो गोहत्या हो रही थी, उसके खिलाफ जबर्दस्त विरोध प्रकट किया। 1966 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया। 1966 मे ही आचार्य श्री रामचंद्र शर्मा जी ने 80 दिन का अनशन किया, जो हिन्दुस्तान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इस अनशन को हम भौतिक रूप से रिकार्ड कहते हैं, जो ध्वस्त नहीं हो सका। 10 अगस्त, 1966 को फिर उन्होंने 32 दिन का अनशन किया। 20 सितम्बर को फिर अनशन किया। इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में 5 नवम्बर, 1966 को यह विरोध प्रकट हुआ। इस दिन संसद पर अभूपूर्व प्रदर्शन हुआ। गोलियां चलीं, अनेक साधु-सन्यासी और गोरक्षक मारे गए। 7 नवम्बर, 1966 को संसद पर सर्वदलीय प्रदर्शन हुआ। उसमें 15 से 20 लाख लोगों ने अपने आपको भागीदार बनाया। 20 नवम्बर, 1966 से 73 दिन का अनशन पुरी के शंकराचार्य परम पूज्य निरंजन देव जी ने इसी दिल्ली में किया। वहां गोहत्या की बंदी के लिए समिति का ऐलान हुआ। यह यहीं नहीं रुका, आगे भी चलता रहा। 11 जनवरी 1982 से 1994 तक गोरक्षा समिति द्वारा सत्याग्रह हुआ। इतनी लम्बी अवधि तक चलने वाला कोई दूसरा आंदोलन नहीं रहा होगा।

हिन्दू-मुस्लिम की बात बहुत होती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक यूथ विंग है। उसके अध्यक्ष हमारे सहयोगी यहां बैठे हैं। जिस समय उनका सम्मेलन हुआ था, वह मुस्लिम सम्मेलन हुआ था। श्री शाहनवाज हुसैन जी जो आजकल सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यह आर्गेनाइज किया था। 4 दिसम्बर, 1997 को यह मुस्लिम सम्मेलन हुआ था। उमसें भी यह प्रस्ताव पारित हुआ कि गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं इस बात का उल्लेख करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि आजादी से लेकर आज तक धर्माचार्य, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता सारे लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। आक्रोश के साथ लोगों ने अपनी जानें भी दी है। उसके पीछे कारण क्या हैं। लेकिन इन तथ्यों पर विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्र के साथ यह नाइंसाफी है। मैने भी अनेक बार जानना चाहा है कि इस देश में मनुष्यों की बढ़ती हुई संख्या की तुलना में कितना पशु धन है और यह पशु धन घट रहा है तो क्या उसके कोई आंकड़े देगा? मेरे पास जवाब आया था। 1997 से जनगणना चालू है लेकिन अभी पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद आंकड़े जो आते हैं, उनमें सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कारण सामने हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमने इसकी चिंता की होती तो जो आंकड़ों में गिरावट दिखती है, वह शायद नहीं दिखती। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहता हूं। 1953 में जनगणना के हिसाब से प्रति 1000 जनसंख्या पर 453 पशु धन था। 1961 में यह पशु धन 436 रह गया। 1971 में 326, 1981 में 278, 1991 में 216 और 1993 में जब आंकड़े साफ हुए तो यह पशु धन घटकर मात्र 176 रह गया। 1987 से जगनणना जो चालू हुई है, वह पूरी नहीं हुई। अनुमान कहता है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 60 पशुओं से ज्यादा इस देश में नहीं रह गये हैं। यह परिस्थिति क्यों बनी? आजादी के समय हमारे देश में 300 कत्लखाने थे। आज देश के कत्लखानों की संख्या 36000 हो गई है। पशु-धन कैसे नहीं घटेगा? अगर सरकार ने यह तय कर लिया है कि पशु धन घटाकर इस देश को समृद्ध किया जा सकता है तो इस बात से इस सदन का कोई सदस्य सहमत नहीं होगा। हिन्दुस्तान का पशु-धन घटाकर विदेशी मुद्रा कमाकर देश को समृद्ध बनाने की जो कल्पना है, वह वैचारिक रूप से ध्वस्त करने योग्य है। यह बात सत्य के धरातल पर कभी भी खरी नहीं उतर सकती। यह सच्चाई नहीं है। पशु-धन को नष्ट करके इस देश को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। यहां के समाज में बढ़ती जनसंख्या, घटती जोत, घटता पशु-धन इस देश के सबसे बड़े संकट हैं। इस बात को यहां जो लोग बैठे हैं, उनको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमारी चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक पक्ष क्या है। इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य की जो सोचने की प्रवृत्ति है, हमें उस पर विचार करना होगा।

सभापति महोदय: कुछ आंकड़े और बिन्दु दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। रिप्लाई में भी आपको बोलना है। आप जरा कंक्लूड कीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: आपसे निवेदन है कि थोड़ा समय लगेगा।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, वह यह है कि कुछ हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान की दिशा में ऐसे फैसले न लें जिससे स्थायी संकट पैदा हो जाये और जिससे आने वाली पीढ़ी निदान ही न खोज सके। हम समाधान की जल्दी में बहुत हैं लेकिन निदान हमारे पास नहीं है। हम मानते हैं कि कृषि में उत्पादन बढ़ेगा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यदि उत्पादन बढ़ता है तो फिर उर्वरक शक्ति घटती है। इस सच्चाई को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। रासायनिक खाद का यदि उपयोग होता है तो हमारी फसल की उपज बढ़ी लेकिन जमीन की उर्वरा शक्ति घटी है। यह प्रमाण है कि जो सदन में बैठे हैं, उनके सामने वैज्ञानिक तथ्य रखा गया है कि जब भी गाय के गोबर का उपयोग करके खेती की गई है, उसमें जमीन की शक्ति घटी नहीं है। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि गाय का चमड़ा हो या हड्डी हो या उसका मांस-मूत्र हो, उसकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं नुकसान करने वाली हो। अब तो यह साबित हो गया है कि जब परमाणु विकिरण की स्थिति होगी, गोबर से लिपा हुआ जो क्षेत्र है, उसमें विकिरण की समस्या पैदा नहीं होगी। जो टैम्परेचर की समस्या है कि इतना तापमान रहता है। आज यह बात भी साफ हो गई है कि जहां किसी घर की दीवारों की गोबर से लिपाई-पुताई की गई है तो वहां 6 डिग्री तक टैम्परेचर में कमी पाई गई है।

सायं 6.00 बजे

यह हमारे समाज का कर्तव्य था और हमें इसको दुनिया में बतलाना चाहिए था। जैसे एक मानव ने कहा कि गौ सेवा हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इस बात को हम दुनिया में प्रचार करते और अपने पक्ष को रखते। इसका अनुसरण करने के बाद हम दुनिया में जगद्गुरु की लड़ाई में पिछड़ गए हैं। हमने बातें बहुत की हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं किया है। इसका परिणाम यह है कि जो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, कल जब उंगली उठेंगी, तो बातें सुननी पड़ेगी। आपके पास सब जानकारियां थी, आपके पास महापुरषों की इतनी बड़ी-बड़ी बातें थीं, इस सदन में इतने लोगों ने चर्चा में भाग लिया, लोगों ने विरोध किया,

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

लेकिन आपने उस दायित्व को पूरा नहीं किया। इस तरह के आरोप से कोई भी लोग बच नहीं सकते हैं। यह हमारे समाज का कर्तव्य था। इस बात को इस सदन में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने ले जाकर रखना था कि गोवंश हत्या कोई धार्मिक हत्या नहीं है। किसी भी समाज के समग्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला यह सच है। विकास की जिस धारणा को, जिस धारा को इस देश ने स्वीकार किया और वह सच्चाई है कि विकास होगा, तो पर्यावरण का नुकसान होगा। उससे कोई बच नहीं सकता है। जो हमारा अर्थतंत्र है, हमारी अपनी जो सोच थी, हमारा अपना जो विचार था, उस विचार में गौ और गोवंश की हत्या पर हमने हमेशा आक्षेप किया। हमने कहा है, कोई राजा किसी गुरु को एक लाख गाय दान करता है, तो वह संख्या कोई माया का प्रदर्शन नहीं था। वह इस बात का द्योतक है कि एक लाख गाय जहां रहेंगी, जिस समाज में रहेंगी, वहां का वातावरण शान्त रहेगा। हमें इस बात का बल मिलेगा कि हम इस क्षेत्र को निजी तौर पर वातावरण से सुरक्षित रखेंगे। अच्छा व्यवहार करने लायक समाज में वातावरण निर्मित करेंगे। इस विषय में एक वैज्ञानिक तथ्य सामने आया है, जो मील का पत्थर साबित हो सकता है।

सभापति महोदय: सदन में चर्चा 15.45 बजे शुरू हुई थी, इसलिए सदन का समय 18.15 बजे तक रहेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: महोदय, जून, 1995 में मास्को के एक शहर में दिल्ली विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों, मोहम्मद इब्राहिम और डा. विजय राज सिंह, ने एक शोधपत्र प्रस्तुत किया था। उस शोधपत्र का विषय था-जहां पर कत्लखाने है, वहां पर भूकम्प आते हैं या आपदायें आती हैं। मास्को में बैठे हुए व्यक्ति ने हिन्दुस्तान के उस वैज्ञानिक के शोधपत्र को स्वीकार कर लिया, लेकिन दिल्ली में जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति का ज्ञान हमारे पास हैं, उस रिपोर्ट को स्वीकार करने में कतराते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस राय में परिवर्तन होना चाहिए। सदन जो राय रखता है, उस राय के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए।

महोदय, आर्थिक रूप से गाय, बछड़ा या बैल कैसे उपयोगी हो सकते हैं, मैं इस बारे में आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जिन विकसित देशों की बातों को हमने माना, क्या हमने उन देशों के आंकड़ों को देखा है। विकसित देशों ने नए टैक्नलाजी मिशन बनाने का प्रचार किया, हमसे अच्छा मांस की अपेक्षा की और जिनके माया भ्रम में हम आ गए, उनके यहां पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। उन विकसित देशों में प्रति हजार व्यक्ति पर पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। वहां पर दूध उत्पादन बढ़ रहा है। मैं इस संबंध में आपके माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं-अर्जेंटीना में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 2079 पशु हैं, आस्ट्रेलिया में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 13,065 पशु हैं, कोलम्बिया में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 1919 पशु हैं और ब्राजील में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 726 पशु हैं। यदि हम अपने देश में निर्यात की स्थिति को देखें, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 1971-72 में चमड़े का निर्यात 100 करोड़ रुपए था, जो 1992-93 में 3300 करोड़ रुपये हो गया। इसका सीधा अर्थ यह है कि पशु मारे होंगे या मरे होंगे, तभी इतना निर्यात संभव हुआ है। यह बात इन आंकड़ों से प्रमाणित होती है। हमने यह गलतियां की हैं। हम उन्हें सुधारें। हमने मांस का निर्यात किया। 1989-90 में 110 करोड़ रुपये का मांस का निर्यात किया था। 1991-92 में 195 करोड़ रुपये का हो गया। 1993-94 में एक साल में ही 250 करोड़ रुपये का हो गया। 2001 में मांस निर्यात का एक हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। ऐसा लक्ष्य सरकार स्वयं रख रही है। मुझे मालूम नहीं गोवंश कितने दिन बचेगा? उद्योग के रूप में इसे रॉ-मैटिरियल भी मानते हैं। इसका सरकार को जवाब देना होगा। पशुधन अपने आप कृत्रिम तरीके से पैदा नहीं होता है। वह अपनी प्राकृतिक प्रजनन क्षमता के आधार पर घटता और बढ़ता है। यदि हमने अपने ढंग से उसके साथ अन्याय किया तो यह बात मान कर चलनी होगी कि ऐसी परिस्थिति में कभी इसका निदान सम्भव नहीं है। गुरु पूर्णिमा में मैं और लोगों के साथ अपने आराध्य गुरु के साथ था। उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसे यहां रखना चाहता हूं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि मैं किसी की चापलूसी नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी मां जन्म देती है तो प्रकृति उसे साल-डेढ़ साल या दो साल से ज्यादा का अवसर नहीं देती कि वह इससे ज्यादा दिन दुग्धपान करा सके लेकिन गाय तुम्हें क्या, तुम्हारी औलाद भी आएगी तो उसे दूध देगी। रहा सवाल भैंस का। मदन मोहन मालवीय जी ने भैंस के बारे में लिखा है कि हमने अन्याय किया। बाकी पशुओं के दूध में चिकनाई हो सकती है लेकिन उनमें विटामिन और दूसरी चीजें नहीं हो सकतीं जो एक बालक के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गोवंश की रक्षा क्यों करना जरूरी है? गाय को माता कहते हैं। गांधी जी ने तो तुलना कर दी। सभापति महोदय, मैं तुलना नहीं करना चाहता लेकिन उन्होंने तुलना कर दी। हमें पैदा करने वाली माता से भी ज्यादा आदरणीय गऊ माता है। मैंने ऐसी तुलना करने का दुस्साहस नहीं किया। वह बहुत बड़े व्यक्ति थे और वह इसकी तुलना कर गए। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है। मेरी मां मेरे जन्म से दो वर्ष तक ही दूध पिला सकती है, बाकी समय शरीर के विकास के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए खास तौर पर अगर कोई चीज चाहिए तो वह सिर्फ गऊ

माता का दूध ही होगा। हम गऊ को माता, धरती को माता या राष्ट्र को माता कहते हैं लेकिन इस पर भी ऊंगली उठायी जाती है। हमने अपने आप को तोड़ने और अपमानित करने के लगातार क्रम को जारी रखा है। इस संबंध में हमने अपने आप को बहुत पीछे धकेला है। इस पक्ष की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय, मैं सदन में बहुत छोटा हूं। मैं सदन में बहुत पहले से नहीं आया हूं। शुरू से सदन के निर्माण के समय जो लोग रहे होंगे उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं। जिन बिन्दुओं के प्रति सदन को आगाह किया गया, आप उसे पढ़ें और स्थापित करें। शायद उनकी भी अनदेखी की गई। सभापति महोदय, आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां ''धर्मचक्र प्रवर्तनाय'' लिखा है। सदन में धर्म की जितनी आलोचना हो सकती है उतनी होती है। धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति के साथ जोड़ा जाता है। मैं एक-दो श्लोक लिख कर लाया हूं। जब हम लॉबी में प्रवेश करते हैं तो लिफ्ट नम्बर दो में लिखा है:

सभा वा न प्रवेष्टव्या, वक्तव्यं वा समंञ्जसम,
अब्रुवन विब्रुवन वापि नरोभवति किल्विषी।

''कोई व्यक्ति या तो सभा में प्रवेश ही न करे अथवा यदि वह ऐसा करे तो उसे वहां धर्मानुसार बोलना चाहिए क्योंकि न बोलने वाला अथवा असत्य बोलने वाला मनुष्य दोनों ही समान रूप से पाप के भागी होते हैं।''

मैंने यह बात जानबूझ कर कही है क्योंकि हमने आजादी के बाद 55 वर्ष गुजारे हैं और यह श्लोक उस समय से वहां अंकित है। हमने कहा था कि उन वाणियों का सम्मान करना होगा लेकिन अब मनु के बारे में भी टिप्पणी करने से संकोच नहीं होता बल्कि गर्व महसूस होता है। मैं यह नहीं कहता कि यहां यह कहना जरूरी है कि उनका सम्मान किया जाए लेकिन यह कहने में जरूर विश्वास है और मैं उस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि महापुरुषों और उनकी वाणियों को मान्यता दी गई है। वह देश और दुनिया के लिए ठीक हो सकते हैं। उनके अपमान के बारे में सदन को चिन्ता करनी चाहिए। इन सवालों के कारण ही हमने गोवंश की हत्या जैसी महत्वपूर्ण चीज पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। महत्वपूर्ण विषय की जानबूझ कर अनदेखी करना छोटे लाभ के लिए स्थायी नुकसान का हमने रास्ता खोल दिया।

लिफ्ट नम्बर एक में जो लिखा है मैं उसे भी बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप संस्कृत के अच्छे जानकार हैं। यदि गलत पढ़ दूं तो क्षमा करें।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न तेये न वदन्ति धर्मम्,
धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम् न तद्यच्छलमभ्युपैति।

इसका अर्थ यह है कि वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्मानुसार न बोले। जहां सत्य न हो, वह धर्म नहीं, जिसमें छल है, वह सत्य नहीं। यह महाभारत के 35वें अध्याय का पांचवां श्लोक है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमने अपना लम्बा समय इस धरती पर नष्ट कर दिया है और इस देश की गरिमा को तिरोहित करने में नष्ट कर दिया है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। आज केवल इस देश का सवाल नहीं है, दुनिया का भी अनुसरण करके इस संकट से बचा सकता है। जहां पर अकाल का संकट है, भू-जल का संकट है, बढ़ती आबादी, घटती जोत, इस कारण उत्पादन घटेगा। फिर रिपोर्ट आई है कि ग्लोबल चेंजेज आ रहे हैं। भारतवर्ष में भी चेंजेज आये हैं। यह उत्पादन में कमी आई है। सरकार पानी नहीं गिरा सकती, सरकार पशु-धन पैदा नहीं कर सकती। हम इस प्राकृतिक परिस्थिति में कम्पनसेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो इसके लिए सचेष्ट होने की आवश्यकता है।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा मेरी सारी बातें मेरे पूज्य श्री बाबाश्री पर निर्भर करती है। उन्होंने मुझसे कहा था, 'संकल्प का विकल्प खोजने में महान कार्य रुक जाता है।' संकल्प आदमी अकेला लेता है। यदि यह सदन संकल्प लायेगा तो बाहर से दबाव की जरूरत नहीं है। अगर मैं संकल्प लाऊंगा तो यह मेरा निजी संकल्प होगा। मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों और मेरे संगठन की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे पूरा नहीं करता हूं तो यह मेरी कमजोरी है। उसके लिए दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी लाज बचाने के लिए प्रयास करता हूं। इस महान कार्य में यह सदन सहयोगी है। वास्तव में यह जो कर्तव्य था इसे वर्षों पहले करना था इससे मनीषियों, धर्माचार्यों का सम्मान होगा, इससे देश का सम्मान होगा। यह देश की भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। इसके निदान के लिए सिर्फ मन से नहीं, बुद्धि से नहीं, अपनी आत्मा के संकल्प के साथ विचार करें। यह प्रार्थना करते हुए इस सदन से अपील करता हूं। अब अवसर नहीं है कि हम किसी राजनैतिक कारण से, किसी पंथ के खिलाफ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आरोप लगाया गया तो बाबर का उल्लेख करूंगा। बाबर ने जाते-जाते अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि अगर देश में राज करना है तो कभी जीवन में गौ हत्या नहीं करना। इतिहास इस बात का गवाह है। अकबर ने भी कहा था। इन तथ्यों को समझने की जरूरत है मुझे नहीं पता कि इसमें सदन की आम राय नहीं बन सकेगी। मुझे विश्वास है कि सदन इस बारे में अपनी राय बनायेगा। इस नयी सदी में यह सवाल पहली बार आया है और मैं मानूंगा कि यह सदी भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण

[श्री प्रहलाद सिंह पटेल]

होगी और हम अपनी गरिमा को प्राप्त करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ सदन से निवेदन करूंगा कि यह सदन एकजुट हो।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि इस सभा की यह राय है कि सरकार सम्पूर्ण देश में गौ और गोवंश के वध पर पाबंदी लगाने हेतु एक उपयुक्त विधान लाए।"

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं यहां श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। मैं बचपन से ही चार माताओं के बारे में सुनता आया हूं।

[हिन्दी]

एक मां तो माँ है, एक मां मातृभूमि है, एक मां गंगा माता है और एक मां गौ माता है।

[अनुवाद]

मैं यह अपने बचपन से सुनता आया हूं। मैं इस गांव में पैदा और बड़ा हुआ। मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूं जिनका गायों और पशुओं से बड़ा लगाव रहा है। इसे ऐसे समझाया गया है।

[हिन्दी]

सर्वांगीण उन्नति, शरीर से और मस्तिष्क से

[अनुवाद]

अर्थात् मानव का सम्पूर्ण विकास। विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्टों को पढ़कर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि गाय का दूध पीने से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है।

दो वर्ष पूर्व मैं माननीय पूर्व अध्यक्ष, स्वर्गीय श्री जी.एम.सी. बालयोगी के साथ मैक्सिको गया था। मैक्सिको दौरे के दौरान बहुत से मैक्सिको वासियों ने हमें बताया कि वे पशुधन के प्रति लगाव के लिए भारत की ओर देखते थे। उन्होंने कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि भारत ने अपना दुग्ध उत्पादन कैसे विकसित किया। संयुक्त राज्य अमरीका और अधिकांश विकसित देशों में भी यह चर्चा होती रहती है कि प्रत्येक बच्चे को पोषक दूध कैसे उपलब्ध कराया जाए। यह हमारे देश में हुआ है और यह एक सफलता है। हम इससे अवगत नहीं हैं क्योंकि हम अपने देश के अन्दर ही रहते हैं। जब हम अन्य विकासशील देशों में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि लोग कैसे हमारी ओर देख रहे हैं। यह एक पहलू है।

इस संकल्प से दो-तीन पहलू और जुड़े हैं। इनमें से एक है कि गाय समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं; दूसरा, हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं; और तीसरा है क्या यह आवश्यक है कि हम अपने पशुओं को पशुवध-शाला में भेजें और गोमांस का निर्यात होने दें या नहीं।

कुछ माह पूर्व मैंने इस सदन में मांस के निर्यात से संबधित एक प्रश्न उठाया था और माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की ओर से उत्तर मिला था। मेरे विचार से अध्यक्षपीठ को ज्ञात है और इस सदन में उपस्थित बहुत से माननीय संसद सदस्य जानते हैं कि हमारे एक साथी गौ-वध और मांस के निर्यात से संबंधित, एक प्रश्न के कारण अपना मंत्रीपद खो चुके हैं।

सभापति महोदय: श्री भर्तृहरि महताब, क्या आप एक मिनट के लिए बैठेंगे?

अब समय सायं छ: बजकर अठारह मिनट हो रहा है और अब सदन की कार्यवाही आज के लिए समाप्त करने का समय है। आप इस पर कल आगे चर्चा जारी रख सकते हैं। इस संकल्प पर कल भी चर्चा होगी।

अब सभा सोमवार 29 जुलाई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.18 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 29 जुलाई 2002/7 श्रावण, 1924 (शक) पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।